(28 अगस्त, 2018 ई0)
2018 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2018)

(खण्ड 505 में 06 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2018

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-7
पीठ द्वारा प्रश्नों के सम्बन्ध में दिये गये सूझाव	9
प्रश्नोत्तर	9-140
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार ...	140-143
लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष, श्री सोमनाथ चटर्जी एवं तमिलनाडु के पूर्व मुख्य मंत्री श्री एम0 करूणानिधि के निधन पर शोकोद्गार	143-147
नियम-110 के अन्तर्गत केरल में आई भीषण बाढ़ में मारे गये सैकड़ों लोगों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि एवं आर्थिक सहायता का प्रस्ताव	147-151
औचित्य के प्रश्न की सूचना	151
लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों को उचित सम्मान न दिये जाने व जन समस्याओं को अनसुना कर देने एवं अधिकारियों द्वारा अपमानित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	151-159
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	159-160
जनपद लखनऊ स्थित मलिहाबाद-भरावन रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	161
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बरेली में दिनांक 11-08-2017 को ऊर्जा विभाग के जूनियर इंजीनियरों द्वारा की गई हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	161
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत बजाज हिन्दुस्तान चीनी मिल प्रा0लि0, गांगनौली में गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	161-162
आगरा महानगर के ट्रांसपोर्ट नगर की आन्तरिक सड़कों एवं नालियों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	162
जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र मेरठ कैन्ट के नगर निगम द्वारा सफाई कर्मियों को उचित वार्डों में नियुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	162
जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान के अन्तर्गत हिनौता कर्मा मार्ग से रामपुर बरहौ सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में	162-163

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	
जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा में जूविलैन्ट फैक्ट्री, टेवा एवं अन्य फैक्ट्रियों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	163
जनपद बाराबंकी के तहसील रामसनेही घाट व सिरोली गौसपुर के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों को घाघरा नदी के बन्धे के बाहर सरकारी जमीन को प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत आवास दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	163
जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के अन्तर्गत रिटेनिंग वाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	164
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर महानगर के मध्य ढमोला नदी द्वारा की जा रही कटान एवं जलभराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	164
जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद विकास खण्ड महमूदाबाद के अन्तर्गत बाबूपुर में अवशेष इण्टरलॉकिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	164-165
जनपद कानपुर नगर के आर्यनगर विधान सभा क्षेत्र की बाजारों में पेशाब घरों का निर्माण कराये जाने के समबन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	165
जनपद झांसी में बसों के संचालन हेतु नये बस अड्डे की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	165
जनपद आजमगढ़ स्थित मण्डलीय चिकित्सालय में रेडियोलाजिस्ट न होने से उत्पन्न स्थिति जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	165-166
जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत दीदारगंज स्थित सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	166
जनपद गाजियाबाद में भू-माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	166-167
जनपद बरेली के रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय में फीस निर्धारण में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	167
जनपद जौनपुर में व्याप्त पेयजल संकट का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	167
जनपद फैजाबाद स्थित कल्याणी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	167-168

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद रायबरेली में डूडा द्वारा निर्मित आवासीय भवनों की जर्जर स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	168
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2018-2019) समिति का 15वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	168
उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन समिति (2017-2018) का 142वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	168-169
उत्तर प्रदेश विधान सत्रहवीं सभा की पंचायती राज समिति (2017-2018) का ग्यारहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	169
उत्तर प्रदेश विधान सत्रहवीं सभा की पंचायती राज समिति (2017-2018) का बारहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	169
उत्तर प्रदेश विधान सभा सत्रहवीं की पंचायती राज समिति (2017-2018) का तेरहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	169
जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम कपूरपूर में स्थायी पुलिस चौकी बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री हरीश कुमार आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	169
जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम रहिपुराजागीर में टेक्साटाइल पार्क स्थल फतेहगंज पश्चिमी हाइवे तक (लगभग 4 कि0मी0) रोड का चौड़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश वर्मा आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)... ...	170
जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में नगर पंचायत शाही व पुल के पास सड़क का किच्छा नदी द्वारा हो रहे कटान की रोकथाम का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश रस्तोगी आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	170
जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम सुल्तानपुर का किच्छा नदी द्वारा हो रहे कटान की रोकथाम का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम स्वरूप वर्मा आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)... ...	170
जनपद बरेली की तहसील मुख्यालय मीरगंज में अग्निशमन हेतु भवन का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संतोष शर्मा आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	170
जनपद बरेली की तहसील मुख्यालय मीरगंज में क्षेत्राधिकारी कार्यालय व आवास का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती राजकुमारी आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	170

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बरेली की तहसील मुख्यालय मीरगंज में ग्राम गोलागोकनाथपुर में स्थायी पुलिस चौकी बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबूराम कश्यप आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	170
जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत बिलसण्डा, निगोही शारदा नहर की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम कृष्ण वर्मा आदि निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)...	171
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	171-173
शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कान्हा सिंह आदि निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	173
जनपद कानपुर देहात की तहसील अकबरपुर में ग्राम-निनापा में शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कान्हा सिंह आदि निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	173
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	173-191
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 (पुरःस्थापित) ...	191
आज की कार्य-सूची में प्रस्तुत संशोधन विधेयक डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को अगले दिन लिए जाने की मांग	191-192
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 (पुरःस्थापित)	192
श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद्, वाराणसी, विधेयक, 2018 (पुरःस्थापित)	192
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की सभा में कार्य करने के लिए पांच सदस्यों के निर्माचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	192-193
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की सभा में कार्य करने के लिए पांच सदस्यों के निर्माचन कराने के स्थान पर मा0 अध्यक्ष द्वारा विधान सभा के सदस्यों का नाम निर्देशित करने के लिए प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	193-194
आज की कार्य-सूची में प्रस्तुत संशोधन विधेयक डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को दिनांक 30 अगस्त, 2018 को लिये जाने का प्रस्ताव स्थगित	194
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	195-197
नत्थियां	198-213

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

मंगलवार, दिनांक 28 अगस्त, 2018

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री हदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-375

1. अक्षयवर लाल गोंड, श्री — बहराइच
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
3. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
4. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
5. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
6. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
7. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
8. अजीत पाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
9. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
10. अदिति सिंह, सुश्री — रायबरेली
11. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
12. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
13. अनिल कुमार मौर्य, डा0 — सोनभद्र
14. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
15. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
16. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
17. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकरनगर
18. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 — बुलन्दशहर
19. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
20. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
21. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
22. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
23. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
24. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
25. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
26. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
27. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
28. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
29. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
30. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
31. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
32. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
33. अवतार सिंह भडाना, श्री — मुजफ्फरनगर
34. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) — वाराणसी
35. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
36. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
37. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
38. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
39. असलम अली, श्री — हापुड़
40. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
41. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
42. आर0 के0 वर्मा, डा0 — प्रतापगढ़
43. आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
44. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
45. आलमबदी, श्री — आजमगढ़

46. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री हरदोई
47. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
48. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री लखनऊ
49. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
50. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री फैजाबाद
51. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
52. उज्जवल रमण सिंह, श्री इलाहाबाद
53. उदयभान सिंह, चौ0 आगरा
54. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
55. उपेन्द्र सिंह, श्री बाराबंकी
56. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
57. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
58. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
59. ओमकुमार, श्री बिजनौर
60. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
61. कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
62. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
63. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
64. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
65. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
66. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
67. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
68. काली प्रसाद, श्री देवरिया
69. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
70. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
71. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
72. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
73. केसर सिंह, श्री बरेली
74. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
75. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
76. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
77. गंगा, श्री कुशीनगर
78. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
79. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
80. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
81. गौरी शंकर, श्री जालौन
82. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
83. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
84. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
85. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
86. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
87. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
88. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
89. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
90. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
91. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
92. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
93. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
94. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
95. जयमंगल, श्री महाराजगंज
96. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
97. जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री मेरठ
98. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
99. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
100. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
101. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
102. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
103. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
104. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
105. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
106. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
107. दल बहादुर, श्री रायबरेली
108. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़

109. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
110. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
111. दिनेश खटीक, श्री मेरठ
112. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
113. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
114. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
115. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
116. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
117. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
118. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
119. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
120. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
121. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
122. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
123. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
124. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
125. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
126. नईम उल हसन, श्री बिजनौर
127. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
128. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
129. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
130. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
131. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
132. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
133. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
134. नसीर अहमद खाँ श्री रामपुर
135. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
136. नाहिद हसन, श्री शामली
137. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
138. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
139. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
140. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
141. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
142. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
143. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
144. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
145. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
146. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
147. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
148. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
149. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
150. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
151. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
152. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
153. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
154. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
155. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
156. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
157. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
158. प्रवीण कुमार सिंह, श्री इलाहाबाद
159. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
160. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
161. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
162. फागू चौहान, श्री मऊ
163. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
164. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
165. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
166. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
167. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
168. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद

169. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
170. बावन सिंह, श्री गोण्डा
171. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
172. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
173. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
174. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
175. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
176. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
177. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
178. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
179. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
180. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
181. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
182. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
183. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
184. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
185. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
186. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
187. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
188. मन्जू शिवाज, डॉ0 गाजियाबाद
189. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
190. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
191. मसूद अखतर, श्री सहारनपुर
192. महबूब अली, श्री अमरोहा
193. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
194. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
195. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
196. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
197. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
198. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
199. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
200. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
201. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
202. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
203. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
204. मो0 आजम खां, श्री रामपुर
205. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
206. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
207. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
208. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
209. मौहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्री रामपुर
210. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
211. योगेश धामा, श्री बागपत
212. योगेश वर्मा, श्री खीरी
213. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
214. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
215. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
216. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
217. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
218. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
219. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
220. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
221. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
222. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
223. रवि शर्मा, श्री झांसी
224. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
225. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
226. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
227. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
228. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
229. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
230. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
231. राज करन कबीर, श्री बांदा

232. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
233. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
234. राजबाला, श्रीमती रामपुर
235. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
236. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़
237. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
238. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
239. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
240. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
241. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
242. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
243. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
244. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
245. राधा कृषण शर्मा, पं0 बदायूं
246. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
247. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
248. रामकुमार वर्मा, पटेल, श्री खीरी
249. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
250. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
251. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
252. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
253. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
254. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
255. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
256. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
257. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
258. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
259. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
260. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
261. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
262. रितेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर
263. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
264. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
265. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
266. लाखन सिंह, श्री औरैया
267. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
268. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
269. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
270. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
271. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
272. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
273. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
274. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
275. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
276. विजय मिश्र, श्री भदोही
277. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
278. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
279. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
280. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
281. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
282. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
283. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
284. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
285. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
286. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
287. वीरेन्द्र, श्री एटा
288. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
289. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
290. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
291. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर

292. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
293. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
294. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
295. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
296. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
297. शीतला प्रसाद, श्री कौशाम्बी
298. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
299. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
300. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
301. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
302. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
303. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
304. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
305. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
306. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
307. श्री राम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
308. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
309. संगम लाल गुप्ता, श्री प्रतापगढ़
310. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
311. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
312. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
313. संजय, श्री बुलन्दशहर
314. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
315. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
316. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
317. संजय यादव, श्री बलिया
318. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
319. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
320. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
321. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
322. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकर नगर
323. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
324. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
325. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
326. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
327. सत्यपाल सिंह बघेल, श्री फिरोजाबाद
328. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
329. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
330. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
331. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
332. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
333. सहेन्द्र सिंह चौहान, श्री बागपत
334. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
335. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
336. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
337. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
338. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
339. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
340. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
341. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
342. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
343. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
344. सुभाष त्रिपाठी ऐडवोकेट, श्री बहराइच
345. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
346. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
347. सुरेश कुमार, श्री शामली
348. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
349. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
350. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
351. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
352. सुरेश राही, श्री सीतापुर
353. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच

354.	सुशान्त कुमार सिंह, कुँ0	बिजनौर
355.	सुशील कुमार शाक्य, श्री	फर्रुखाबाद
356.	सुशील सिंह, कुँ0	चन्दौली
357.	सुषमा पटेल, श्रीमती	जौनपुर
358.	सूर्यभान सिंह, श्री	सुल्तानपुर
359.	सोमेन्द्र तोमर, डॉ0	मेरठ
360.	सोवरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
361.	सोहिल अख्तर अंसारी, श्री	कानपुर नगर
362.	सौरभ श्रीवास्तव, श्री	वाराणसी
363.	सौरभ सिंह, श्री	खीरी
364.	स्वाती सिंह, श्रीमती	लखनऊ
365.	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर
366.	हरगोविन्द भार्गव, डॉ0	सीतापुर
367.	हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	खीरी
368.	हरिओउम यादव, श्री	फिरोजाबाद
369.	हरिशंकर माहौर, श्री	हाथरस
370.	हरीराम, श्री	सोनभद्र
371.	हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0	जौनपुर
372.	हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री	इलाहाबाद
373.	हाकिम लाल बिन्द, श्री	इलाहाबाद
374.	हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती	आगरा
375.	हृदय नारायण दीक्षित, श्री	उन्नाव

नोट :-ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 महेन्द्र सिंह) भी सदन में उपस्थित थे।

पीठ द्वारा प्रश्नों के सम्बन्ध में दिये गये सुझाव

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। पहला प्रश्न लेते हैं, उसके पहले एक प्रार्थना करना चाहते हैं कि प्रायः कार्य-सूची में आए प्रश्न उत्तरित नहीं हो पाते हैं। एक ही प्रश्न पर स्वाभाविक जिज्ञासावश तमाम माननीय सदस्य पूरक प्रश्न पूछते हैं यह अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा पूरक प्रश्नों के कारण मूल प्रश्न उत्तरित नहीं हो पाते। हमारा सुझाव भी है और आग्रह भी है कि पूरक प्रश्न सुनिश्चित बिन्दु की तरफ संकेत करते हुए हो ताकि सभी प्रश्न लिए जा सकें। इसी तरह प्रश्न पूछे जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। पहला प्रश्न है मा0 मनोज कुमार पारस जी का मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री।

प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में डाक्टरों एवं महिला डॉक्टरों की कमी को पूरी करने विषयक जानकारी

1-श्री मनोज कुमार पारस तथा डॉ0 संग्राम यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने कृपा करेंगे कि प्रदेश में चिकित्सकों की कमी है ? यदि हां, तो सरकार इस कमी को पूरा करने के लिए कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार (डॉ0 महेन्द्र सिंह)-

जी हां।

चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए निम्न कार्यवाही की गई है :--

(1) लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद को चिकित्सकों के रिक्त पद 2354 का अधियाचन दिनांक 13-03-2018 को प्रेषित किया गया है।

(2) चिकित्सकों की अधिवर्षता आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है।

(3) सेवानिवृत्त चिकित्सकों को पुनर्योजन के माध्यम से रखा गया है।

(4) वाक-इन-इन्टरव्यू द्वारा चिकित्सकों का चयन किया जा रहा है।

(5) बिड मॉडल पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की संविदा पर नियुक्ति की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनोज कुमार पारस-

आपके माध्यम से मा0 सदन के सामने इस बात को कहना चाहता हूँ तथा कुछ मेरे मूल प्रश्न हैं जिन्हें मैं पूछना चाहता हूँ स्वास्थ्य हर सरकार की एक बहुत बड़ी प्राथमिकता होती है कि सभी मरीजों को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। और आप की सरकार भी बहुत प्रचार-प्रसार इस बारे में कर रही है कि सभी मरीजों को अच्छा, सस्ता और सुलभ इलाज मिले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। और आज मात्र चिकित्सा, आपकी सी0एच0सी0 हो या आपके जिला अस्पताल, वहां पर डॉक्टर्स

की तो कमी है ही दवाईयां नहीं है। और सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका अपना रखा है कि जो भी मरीज जाता है उसको रेफर कर दिया जाता है और बाहर भेज दिया जाता है। मैं खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरठ या दिल्ली में इतना ओवर लोड है इतने ज्यादा वहां पर मरीज हैं कि वहां बेचारे धक्के खाने पर मजबूर होते हैं और प्राईवेट अस्पतालों में जाते हैं। मा0 मंत्री जी ने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिए कि हम डाक्टर्स की कमी को इस तरह से पूरा करेंगे। लेकिन मैं मा0 मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर्स के कुल कितने पद स्वीकृत हैं। उसके सापेक्ष कुल कितने पद भरे हुए हैं एवं कितने डॉक्टर्स की कमी हैं। दूसरा इसी के माध्यम से पूछना चाहुंगा कि अस्पतालों में विशेषज्ञों की बहुत बड़ी कमी है। उनको जब अच्छा इलाज नहीं मिलता कोई भी मरीज आया और उसको सी0एच0सी0 से रेफर जिला अस्पताल कर दिया जिला अस्पताल से रेफर कर दिया मेरठ या दिल्ली या बाहर कहीं और मजबूर होता है प्राईवेट में जाने के लिए। जितने भी प्रशासनिक पद विभाग के यहां पर हैं उन पर सब पर विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या उन विशेषज्ञों को जिला चिकित्सालयों में या सी0एच0सी0 में आप नियुक्त करने का काम करेंगे ? डॉक्टर्स की कमी के साथ-साथ इसी तरह अस्पतालों में दवाईयॉं भी नहीं हैं। उन दवाईयों की कमी को भी पूरा करने के लिए सरकार क्या कर रही है? मैं इन्हीं दो चीजों पर आपके माध्यम से जवाब चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष-

आपका मूल सवाल चिकित्सकों पर है।

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, 19 मार्च, 2017 के बाद स्वास्थ्य विभाग को लेकर जो क्रान्तिकारी परिवर्तन उत्तर प्रदेश में किया गया है और जैसा कि आपने वह प्रश्न पूछा जो इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं था और उस पर बहुत सारी बात कही है। मैं पहले उसका उत्तर दूँगा, उसके बाद इनके मूल प्रश्न का भी उत्तर दूँगा। उसके हिसाब से जितने भी हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थे और जिला अस्पताल थे, जहाँ पर डॉक्टर न रहते थे और न मिलते थे। वहाँ पर सब डॉक्टरों को व्यवस्थित और सुनिश्चित कराया गया है कि वे अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर रहें और जो भी मरीज वहाँ पर आता है उसको समुचित इलाज वह दे सकें। यह व्यवस्था सुनिश्चित कराने के उपरान्त जितने तरीके की स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएँ होती हैं उनमें बहुत क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है। अगर आपकी अनुमति होगी तो मैं उसको पूरा यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ और अपने सम्मानित सदस्य की जिज्ञासा को शान्त करना चाहता हूँ। मान्यवर, इन्होंने इस प्रश्न से सम्बन्धित प्रश्न नहीं किया था इसलिए मैंने यह बात कही है। अब इन्होंने जो प्रश्न से सम्बन्धित प्रश्न किया है तो मैं आपसे अनुमति चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष-

चिकित्सकों की कमी वाला बताइए।

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ और जो प्रश्न से सम्बन्धित प्रश्न किया है उस पर मैं अपना उत्तर देना चाहता हूँ ।मान्यवर, डॉक्टरों के कुल 18382 पद स्वास्थ्य विभाग में सृजित हैं जिसमें से वर्तमान समय में 7348 पद रिक्त हैं। इसके उपरान्त जो हम लोगों ने अभी कहा और जैसा

कि हमारे सम्मानित सदस्य ने कहा कि क्या सरकार ऐसा करने पर विचार कर रही है तो सरकार विचार नहीं कर रही बल्कि सरकार ने इस पर काम किया है और काम के आधार पर मैं बताना चाहता हूँ कि जब से सरकार बनी है उसके बाद जो हम लोगों ने डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की है उसमें 457 डॉक्टर, पुनर्योजित से 261 डॉक्टर, वॉक इन इण्टरव्यू से 370 डॉक्टर, एन0एच0एम0 से विशेषज्ञ 841 डॉक्टर कुल 1924 डॉक्टरों की वैकल्पिक व्यवस्था करके सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की सुविधा को ठीक करने के लिए काम किया। (सदन में मेजों की थपथपाहट) मा0 अध्यक्ष जी, इसके अलावा सरकार बनने के पश्चात् जितने भी अधियाचन अभी तक भेजे गए, उन अधियाचनों पर हमारे मा0 मंत्री जी और मा0 मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार और उनके प्रयासों से बहुत सारे डॉक्टरों का चयन लोक सेवा आयोग से हुआ तो इस प्रकार 1357 डॉक्टरों की व्यवस्था हमारी सरकार आने के बाद अलग से की गई। अगर हम सबको कैलकुलेट करते हैं, दोनों चीजों को कैलकुलेट करके देखते हैं तो 3253 डॉक्टरों की व्यवस्था 19 मार्च, 2017 से आज की तारीख में की गई है। यह एक बहुत बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन है। इसके अलावा, विशेषज्ञ डॉक्टरों की व्यवस्था करने के लिए बिड मॉडल के तहत जो व्यवस्था की गई उसमें 841 डॉक्टर हमारे सभी अस्पतालों में जहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं थे, जहाँ पर सुविधाएँ नहीं मिल पाती थीं उन सबको सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से एक क्रान्तिकारी परिवर्तन हमारे मा0 मंत्री जी ने मा0 मुख्य मंत्री जी के निर्देशन में किया है। उसका यह परिणाम है कि आज सब जगहों पर स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हुई है। दूसरी एक बात मा0 सदस्य ने दवाईयों को लेकर के कही है। मान्यवर, पूरे भारत के अन्दर विभिन्न राज्यों ने अपना-अपना कॉरपोरेशन बनाया ताकि दवाईयों की खरीद की सही और समुचित व्यवस्था हो सके इसलिए उसकी व्यवस्था कराई लेकिन उत्तर प्रदेश की किसी सरकार ने यह कभी नहीं सोचा। पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने सोचा है और उस पर भी नीति का निर्धारण किया है। उसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे पी0एच0सी0 हों, चाहे सी0एच0सी0 हों, चाहे जिला अस्पताल हों, चाहे जो भी अस्पताल हो, सब जगहों पर पर्याप्त दवाई है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर दवाई की कोई कमी हो।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता के बारे में अपने उत्तर में दिया है कि बिड मॉडल से विशेषज्ञ चिकित्सकों की संविदा पर नियुक्ति की जा रही है। जहाँ तक हमें जानकारी है कि 7500 विशेषज्ञ चिकित्सकों की आवश्यकता पूरे उत्तर प्रदेश में है। जिसमें अभी तक 2114 चिकित्सकों की ही तैनाती पूरे प्रदेश में की जा सकी है। लगभग 5000 का यह जो गैप है तो मा0 मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि इस गैप की पूर्ति करने के लिए क्या उन्होंने कोई प्लान या साइड प्लान बनाया है कि कितने-कितने दिनों में हम इसकी पूर्ति कर देंगे। जिससे कि 7500 के सापेक्ष जो आज 2114 मात्र विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उत्तर प्रदेश में इसकी आप पूर्ति कितने दिनों में कर देंगे।

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय सम्मानित सदस्य ने कल एक प्रश्न लगाया था। उस प्रश्न के उत्तर की कॉपी इनके पास है जिसके आधार पर इन्होंने अपनी बात कही है। कल उत्तर

उत्तरित हो गया था और इस पर चर्चा नहीं हो पायी थी इसलिए आपने उस बात को उठाया है लेकिन माननीय सम्मानित सदस्य को मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें 841 की संख्या को और जोड़ दीजिए, जो बिड मॉडल के तहत विशेषज्ञ चिकित्सक लिये गये हैं उसको आप उसमें जोड़ दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। जो स्थायी पदों पर नियुक्त लोग हैं उनकी संख्या आपके द्वारा बताई गई है। जब चर्चा होती तो उसमें विस्तार से हम उस बात को बताते। यह 841 उसी के तहत व्यवस्था की गयी जो आपने पूछा कि कैसे व्यवस्था करेंगे। इसकी बकायदे व्यवस्था है कि हमारे यहाँ जो चिकित्सकों की भर्ती होती है उसमें एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक लिये जाते हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती का सीधे कोई प्राविधान नहीं है। ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं और हमारे सम्मानित सदस्य भी जानते हैं लेकिन इसके लिए हमारे माननीय मंत्री जी नीति निर्धारण कर रहे हैं कि हम कैसे विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती करके इन स्थानों को हम पूरा कर सकें। जो भी हमारे यहाँ भर्ती होते हैं उनको प्रमोशन के आधार पर और पी0जी0 कराकर हम विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति कर सकते हैं। इसलिए मान्यवर, हमारे पास आज की तारीख में जो भी पद रिक्त हैं उन पर जल्दी-से-जल्दी सरकार कार्यवाही कर रही है कि हम उनको पूरा भरें।

श्री अध्यक्ष-

टीक है।

(कई सदस्यों के प्रश्न पूछने के लिए खड़े होने की स्थिति में)

श्री अध्यक्ष-

पहले ही प्रश्न में 10 मिनट का समय चला गया है।

डॉ0 संग्राम सिंह यादव-

मान्यवर, यह हमारे द्वारा ही उठाया गया प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य आप अंतिम प्रश्न पूछ लीजिए।

डॉ0 संग्राम सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसाकि माननीय मंत्री जी ने सदन को अवगत कराया है लिखन्त-पढन्त के ये लोग तेज हैं। ऐसा लग रहा है कि पहली बार सारे प्रयास यही कर रहे हैं इससे पहले की जो सरकार थी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य आप सवाल कर लीजिए।

डॉ0 संग्राम सिंह यादव-

हम सवाल कर रहे हैं। आजमगढ़ जनपद का जो मण्डलीय चिकित्सालय है उसमें आज तक रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं हो पाई है और लोग लगातार दर-दर भटक रहे हैं। हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि कब तक आजमगढ़ के मण्डलीय चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की जाएगी इसके बारे में माननीय मंत्री जी हमें अवगत करा दें। दूसरा हमारे अतरौलिया विधान सभा

क्षेत्र में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाकर पिछली सरकार ने उसकी ओ0पी0डी0 चालू कर दी लेकिन आज तक उसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती नहीं हुई है। मैंने पिछले सत्र में भी यह बात कही थी आज भी कह रहा हूँ कि वहाँ पर कब तक विशेषज्ञ डॉक्टरों को पहुँचाने का काम करेंगे। माननीय मंत्री जी अवगत करा दें मान्यवर, मैं इनसे यही जानना चाहता हूँ ।

(कई सदस्यों के प्रश्न पूछने के लिए खड़े होने की स्थिति में)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग घड़ी देख लीजिए 10 मिनट से ज्यादा समय एक प्रश्न पर हो गया है। आज हमने प्रारम्भ में ही अनुरोध किया था।

डॉ0 संग्राम सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर तो दिला दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य आपने अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में प्रश्न पूछा। आपके विधान सभा क्षेत्र के संबंधित विषय के बारे में मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह कर लेता हूँ कि वह आपकी समस्या पर ध्यान देंगे।

(कई सदस्यों के खड़े होकर प्रश्न पूछने के प्रयास पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप कृपा करें देखिए एक ही प्रश्न में 15 मिनट का समय हो गया है। अब मैं नत्थी-ख में अगला प्रश्न लेता हूँ।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तांराकित प्रश्न]

प्रदेश में जनवरी, 2017 से 31 जुलाई, 2018 तक सम्प्रदायिक घटनाओं के सम्बन्ध में जानकारी

01-संजय गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनवरी, 2017 से 31 जुलाई, 2018 तक साम्प्रदायिक तनाव की कितनी घटनाएं घटित हुयी हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

प्रदेश में दिनांक 01 जनवरी, 2017 से 31 जुलाई, 2018 तक जनपद बिजनौर व जनपद एटा में साम्प्रदायिक तनाव की 01-01 घटना घटित हुई है।

जी हां। साम्प्रदायिक तनाव की घटनाओं की रोकथाम हेतु निम्नलिखित प्रयास किये गये है :-

पुलिस महानिदेशक के पत्र संख्या-डीजी-आठ-96(निर्देश)2018, दिनांक 29-01-2018 के माध्यम से निर्देश निर्गत किये गये है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था भंग करने एवं साम्प्रदायिक सदभाव की

भावना के प्रतिकूल कार्यवाही करने हेतु सक्रिय तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाये। साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के लिए त्वरित एवं निष्पक्ष होकर कार्यवाही किये जाने तथा नियमित रूप से सूचना का संकलन स्थानीय अभिसूचना इकाईयों, जनसामान्य एवं अन्य श्रोतों से किये जाने के निर्देश दिय गये है।

ऐसे तत्वों जिनके भ्रमण आदि से साम्प्रदायिक सदभाव एवं समरसता पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो उनके विरुद्ध द0प्र0सं0 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अनुसार निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

शासन के पत्र संख्या-352पी/छः-पु-3-2017-06पी/2012, दिनांक-11-04-2017 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये है कि प्रदेश में ऐसा वातावरण सृजित किया जाये, जिससे समाज में किसी भी जनसामान्य को असामाजिक/अराजक तत्वों द्वारा प्रताड़ित/आतंकित न किया जा सके। सभी अराजक, असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध योजानाबद्ध ढ़ग से प्रभावी एवं सतत् वैधानिक कार्यवाही की जाये। शासन के पत्र संख्या-आईआर-377/2017-सीएक्स-2, दिनांक-14-06-2017 द्वारा साम्प्रदायिक घटनाओं को रोके जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निर्गत किये गये है एवं मुख्यालय पुलिस महानिदेशक के पत्र संख्या-डीजी-आठ-94(23)2017, दिनांक 03-05-2017 द्वारा प्रत्येक पुलिस अधिकारी/पुलिस कर्मी द्वारा प्रतिदिन व्यवसायिक क्षेत्रों, मार्केट, भीड़-भाड़ वाले इलाकों व कस्बों में पैदल गश्त करने के निर्देश दिये गये हैं, जिसके अनुसरण में विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वह प्रश्न मैं माननीय नेता संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। वास्तव में अभी जो इन्होंने जवाब दिया, पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा जो एडवाइजरी जारी हुई उसके बारे में जिक्र करने की बात की गई। मेरे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि प्रदेश में 1 जनवरी, 2017 से 31 जुलाई, 2018 तक साम्प्रदायिक तनाव की कितनी घटनाएं घटित हुई। उसमें माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि 1 जनवरी, 2017 से 31 जुलाई, 2018 तक जनपद बिजनौर व जनपद एटा में साम्प्रदायिक तनाव की 01-01 घटना घटित हुई है। अध्यक्ष जी, मैं राजनीति का बहुत ही अदना-सा विद्यार्थी हूं उत्तर प्रदेश के इसी गृह विभाग ने केन्द्र की सरकार को जवाब दिया और केन्द्र की सरकार के गृह राज्यमंत्री ने लोकसभा में 6 फरवरी 2018 को इसी मुतालिक जवाब दिया। मैं उसका उल्लेख आपके सामने करते हुए यह प्रश्न करना चाहता हूं कि लोकसभा में गृह राज्यमंत्री के द्वारा दिया गया जवाब, उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के द्वारा दिए गए जवाब के ऊपर ही आधारित है तो जवाब वह सही है या यह जवाब सही है यदि वह जवाब सही है तो सदन को गुमराह क्यों किया जा रहा है ? यदि वह जवाब गलत है तो गृह विभाग के खिलाफ उस अधिकारी के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करेगी या नहीं? लोकसभा के गृह राज्यमंत्री श्री हंसराज अहिर ने 6 फरवरी, 2018 को लोकसभा में कहा कि वर्ष 2017, केवल एक वर्ष में, मेरा प्रश्न 1 जनवरी, 2017 से 31 जुलाई, 2018 तक था परंतु उनका आंकड़ा था कि वर्ष 2017 में देशभर में 822 साम्प्रदायिक घटनाएं हुईं जिनमें 111 लोगों की जान गयी और 2384 लोग घायल हुए।

वर्ष 2017 में साम्प्रदायिक हिंसा के मामले में उत्तर प्रदेश देश के पहले पायदान पर रहा, यह उनके जवाब में है और यह कहा गया कि साम्प्रदायिक हिंसा की सर्वाधिक 195 घटनाएं हुईं जहां 44 लोग मारे गए और 542 लोग घायल हुए। यह मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा केन्द्र सरकार के भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्यमंत्री आदरणीय हंसराज अहिर साहब लोकसभा में जवाब दे रहे हैं। पिछले 2 वर्षों की तुलना में 2017 में देशभर में साम्प्रदायिक हिंसा के मामलों में इजाफा हुआ है। इससे अलग भी इंडिपेंडेंट एजेंसी स्टैण्डर्ड ऑफ बिजनेस और दूसरी मैगजीन्स में इंडिपेंडेंटली जो सर्वे किए गए उसमें भी यही आकलन था कि देश भर में सबसे ज्यादा घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटित हुई हैं। मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र में 20 अप्रैल, 2017 को सड़क दुधली में दलित और मुस्लिम का झगड़ा केवल इस बात पर कराने की कोशिश की गयी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा 14 अप्रैल को जहां... ।

श्री अध्यक्ष-

अब वह सदन में नहीं हैं तो उनके बारे में न कहें, बाकी आपके तथ्य ठीक हैं।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, माफी चाहूंगा। 14 अप्रैल की जयंती के बाद 20 अप्रैल को जबरदस्ती वहां के दलितों की नामौजूदगी में दलित और मुस्लिम झगड़ा कराने के लिए जिस तरह से वहां पेशोपेश इसमें हुए हैं निश्चित रूप से उससे इस बात की मानसिकता का पता चलता है।

श्री अध्यक्ष-

यह झगड़ा कराने का आरोप लगाना ठीक नहीं है, आप बैठें।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर-घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया बैठिये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे दो प्रश्न और हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न बहुत सुन्दर तरीके से आया। आपने यहां की सरकार के आकंड़े और केन्द्र सरकार द्वारा यहां से भेजे गये आकंड़े, उन पर बात की है।

श्री संजय गर्ग-

माननीय गृह राज्य मंत्री, केन्द्र सरकार को भी जवाब गृह विभाग, उत्तर प्रदेश ने दिया है। तो जवाब वह सही है या गलत है यदि गलत है तो इसमें क्या कार्रवाई की जायेगी। दूसरा मामला, अगर सरकार की नीयत साफ है तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। नेता सदन ने इस बात का एलान किया कि जितने भी राजनैतिक मुकदमें हैं, वह वापस होंगे। बीस हजार मुकदमों की वापसी के साथ-साथ, उन्होंने अपने ऊपर लगे हुये मुकदमों को भी वापस कर लिया।

श्री अध्यक्ष-

इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री संजय गर्ग-

इसका सबंध इसलिये है कि अगर साम्प्रदायिक घटनाओं में आरोपित लोगों के मुकदमे वापस होते हैं तो यह सरकार की नीयत को बताने का काम करता है कि वह साम्प्रदायिक घटनाओं को छुपाने का काम कर रही है।

श्री अध्यक्ष-

यह मूल प्रश्न से अलग है। वह विषय अलग है, इसके लिये आप अलग से पूछिये। संजय जी आप कृपया बैठिये। माननीय मंत्री जी उत्तर देने के लिये खड़े हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गर्ग साहब बहुत पुराने सदस्य हैं और सरकार में भी रहे हैं। मान्यवर, आपने भारत सरकार से शुरू किया तो मैं वहीं से जवाब दे रहा हूं। भारत सरकार का यह एक सरकुलर है यदि आप कहेंगे तो मैं आपके पास इसको भेज दूंगा। यह 22 दिसम्बर, 2005 का है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी यू0पी0ए0 वन। उस वक्त का यह जी0ओ0 है और उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि मेजर इवेंट्स कम्युनल मामले, इम्पार्टेंट इवेंट्स और माइनर इवेंट्स। माइनर इवेंट्स का मतलब यह है कि छोटा-मोटा तनाव। मेजर इवेंट्स का मतलब है दंगा। माइनर इवेंट्स को जो इन्होंने परिभाषित किया है उसके अनुसार 'वेयर एटलीस्ट वन पर्सन हैज बीन किल्ड आर एटलीस्ट टेन पर्सन्स इन्जर्ड' तो इसका क्लासीफिकेशन मान्यवर यह है कि तनाव, घटना और दंगा। यह तीन प्रकार की जहां कहीं स्थिति पैदा होती है तो इस क्लासीफिकेशन के तहत उसका आंकलन किया जाता है। अब मैं यह नहीं कह सकता कि उन्होंने किस संदर्भ में यह उत्तर दिया। क्योंकि मेरे पास इसकी सूचना नहीं है, अगर पहले से इस प्रकार की सूचना मेरे पास होती तो मैं उसी हिसाब से इनका जवाब दे देता। लेकिन मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार जो मैनें प्रश्न का उत्तर दिया है वह अपने आप में सही है और इसी आधार के ऊपर कार्रवाई भी की गयी है। आप यह देखिये कि हमारे जितने भी त्योहार हुये, वह बहुत शान्तिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुये। मान्यवर, यह भी सत्ता में रहे 2012 से 2017 तक। हमसे यह कहा जायेगा और अगर हम पुराना इतिहास पढ़ देंगे तो यह कहेंगे कि हम इधर बैठ गये। अगर आप कहें तो हम वह भी पढ़ दें कि इनके जमाने में क्या हुआ। हमारा सवाल यह है कि जो भी दोषी है सरकार उसके खिलाफ खड़ी है और हर स्तर पर कार्रवाई की गयी है और एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत जिन लोगों को दोषी ठहराया गया या विवेचना के तहत। उन लोगों के खिलाफ जेल भी जाने की कार्रवाई हुई और जो लोग हताहत हुये, उनको मुआवजा देने की भी कार्रवाई हुई। चाहे छोटी से छोटी घटना हुई हो या बड़ी से बड़ी घटना हुई हो, तो इस प्रकार सरकार की नीयत साफ है और मंशा साफ है। मान्यवर, इनके जमाने में जो घटनायें हुईं, वह हम आपको पढ़कर सुनाये देते हैं।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप सभी बैठें, माननीय संजय जी, क्या कहना चाहते हैं ?

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपको बुला तो लिया।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मेरा प्रश्न बहुत साधारण था और वह था कि 2017 से 31 जुलाई, 2018 तक साम्प्रदायिक तनाव की घटनायें, उसमें न तो माइनर इन्सीडेंट का जिक्र है, न मेजर इन्सीडेंट का जिक्र है, न किसी दूसरे अपराध का जिक्र है। साम्प्रदायिक घटनाओं का साफ मतलब है कि एक दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत करते हुये, होने वाले साम्प्रदायिकता के विषैले प्रचार को हम किस तरह से उन घटनाओं को करें। उसी परिभाषा के तहत् कुछ उन्होंने माइनर या मेजर घटनाओं का जिक्र, आपने न तो जवाब में दिया है, न शासन ने और न ही केन्द्रीय गृह मंत्री ने दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि साम्प्रदायिक घटनायें इतनी हुईं, जिसमें उत्तर प्रदेश सर्वाधिक रहा, तो उसमें 2005 के सर्कुलर का मैं नहीं समझता कि कहीं जिक्र है और अगर बात हो तो मैं पार्लियामेण्ट की 6 फरवरी, 2018 की कार्रवाई की प्रतिलिपि भी दे दूंगा। क्योंकि यह बहुत गम्भीर मामला है। कोई भी सरकारी विभाग किसी भी तरह से गुमराह कर दे, अगर केन्द्र सरकार को कुछ और जवाब दे और प्रदेश सरकार को कुछ और जवाब दे, यह बात कदापि सम्भव नहीं है। दूसरी बात मैं केवल इतनी बात मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक घटनायें नहीं घटनी चाहिये, यह जो माननीय मुख्य मंत्री जी का भी और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि ज्यादा से ज्यादा इंवेस्टर्स-मीट हम कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इंवेस्टमेंट आये, लोगों के रोजगार बढ़ें। तब नौजवानों के दिमाग में शंका यह पैदा होती है कि नौजवान यह सवाल न करने लगे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया गया, यह सवाल न उठने लगे कि 15 लाख खाते में नहीं आये, यह सवाल न उठने लगे कि किसान को उसका उचित दाम नहीं मिला, इन तमाम चीजों से ध्यान भटकाने के लिए एक ऐसा माहौल पूरे प्रदेश में कायम है। मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह सवाल नहीं पूछ रहे हैं, यह तो भाषण दे रहे हैं।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक घटनाओं में आरोपित होने वाले लोगों को अगर महिमा मण्डित किया जायेगा या माफ किया जायेगा तो क्या हम उस घटनाओं को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं या हतोत्साहित करने का। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह बतायें कि मुजफ्फरनगर काण्ड में आरोपित होने वाले उन तमाम लोगों को तो दंगे में आरोपित थे, क्या यह सरकार उनके मुकदमें वापसी करने पर विचार कर रही है या नहीं कर रही है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इतनी लम्बी चौड़ी बात कही मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार 15 मार्च, 2012 को बनी और 28 मार्च को ही पूरे प्रदेश में सारे जिलाधिकारियों से

यह सूचना मांगी गई कि किस-किस घटना में कितने-कितने आतंकवादी फंसे हैं और उन मुकदमों को वापस करने की सूचना मांगी गई। मान्यवर, आतंकवादियों के खिलाफ, यह पूरे प्रदेश में और मान्यवर, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। जब हाईकोर्ट में एक मामला गया तो हाईकोर्ट ने इस बात की टिप्पणी की कि आज इनके खिलाफ मुकदमें वापस ले लो और कल इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित कर देना। मान्यवर, यह हम नहीं कर रहे हैं, यह हुआ है और उन्हीं लोगों को जिन लोगों के यह मुकदमें वापस लेने जा रहे थे, उनको अभी पिछले हफ्ते में उनको हाईकोर्ट ने सजा दी है। मान्यवर, इनको जानकारी होनी चाहिये। मान्यवर, हमने एक सूक्ति पढ़ी थी कि जिनके अपने महल शीशे के होते हैं, वह कैसा आचरण करते हैं।

(विपक्ष के सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण, कृपया आप लोग बैठ जाएं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह पब्लिक परसेप्शन क्या है, मान्यवर, पब्लिक परसेप्शन यह है कि समाजवादी पार्टी के मुकाबले में इस सरकार की कानून व्यवस्था एक हजार गुना अच्छी है। हमने प्रारम्भ से न्यायिक प्रक्रिया को पूरी तरह से बहाल करके हर स्तर पर न्याय देना सुनिश्चित किया है। जिन दो घटनाओं का इन्होंने जिक्र किया बिजनौर और ऐटा की, मान्यवर, दोनों की सूचनाएं भी मेरे पास हैं। हमने उन लोगों को मुआवजा भी दिया और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जो लोग दोषी पाये गये। मान्यवर, आगे भी हमारी सरकार का स्पष्ट मत है कि कोई कितना भी पहुँच वाला क्यों न हो हमारी पूरी कोशिश यह होगी कि हर व्यक्ति जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत् दोषी पाया जायेगा उसको हम सजा जरूर देंगे, निश्चित रूप से सजा देंगे और यह सरकार इसके लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे मा0 सदस्य जी ने बिल्कुल साफ पूछा था कि ''क्या मा0 मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनवरी, 2017 से 31 जुलाई, 2018 तक साम्प्रदायिक तनाव की कितनी घटनाएं घटित हुई हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?''

श्रीमन् क्राइम कैसे रुकता है, क्राइम करने वाले को पुलिस पकड़ती है, जो धारा बनती है उसमें चालान करती है कोर्ट उसमें सजा करता है या बरी करता है। मा0 सदस्य ने एक प्रश्न पूछा कि जिन लोगों पर साम्प्रदायिक दंगे करने के आरोप थे अगर उनके मुकदमें वापस लिये जायेंगे तो उनके तो हौसले बढ़ जायेंगे वह और साम्प्रदायिक दंगे करेंगे, मा0 सदस्य यही तो पूछ रहे थे, और क्या पूछ रहे थे, तो जो उल्टा सीधा जवाब मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने दिया, जो लम्बा भाषण दिया इससे यह साफ है कि यह सरकार जो लोग साम्प्रदायिक दंगों में मुल्जिम थे या हैं यहां तक क्षमा कीजिएगा मा0 नेता सदन पर भी दंगा भड़काने का आरोप था कोर्ट में।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना -

मान्यवर, यह बात प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी -

पहले सुन लीजिए। मा0 अध्यक्ष जी, हमारी बात को पूरी सुन लें, ये जब खड़े थे तो मैं बैठा था और जब मैं खड़ा हूं तो बीच में खड़े हो गये। आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिएगा।

(मा0 नेता विरोधी दल एवं मा0 संसदीय कार्य मंत्री के एक साथ बोलने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना -

आप प्रश्न से सम्बन्धित पूछिये। मान्यवर, नियमों में व्यवस्था है, यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री अध्यक्ष -

मा0 नेता प्रतिपक्ष, मूल प्रश्न तो घटनाओं को लेकर है।

श्री राम गोविन्द चौधरी -

मान्यवर, यह सरकार साम्प्रदायिक दंगा करने वालों के हौसले बढ़ा रही है, उनके मुकदमें वापस कर रही है, यह सरकार दंगा कराने वाली है, इसलिए इनके उत्तर से असंतुष्ट हो करके मैं अपने दल के साथ सदन की कार्रवाई का बहिष्कार करता हूं।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन का बहिर्गमन कर गये।)

श्री अजय कुमार 'लल्लू' -

मान्यवर, एक सवाल मेरा भी ले लीजिए।

नत्थी (ग)

प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास के चयन में हो रहे भ्रष्टाचार को दूर करने की कार्य-योजना बनाने विषयक जानकारी

***1-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास के चयन में हो रहे भ्रष्टाचार को दूर किये जाने हेतु योजना में और अधिक पारदर्शिता लाये जाने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी हां।

प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में और अधिक पारदर्शिता लाये जाने के सम्बन्ध में अनेक उपाय किये गये है, जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय है :--

1-जिन-जिल प्रकरणों में शिकायतें संज्ञान में आयी है, उन प्रकरणों पर जनपद स्तर एवं राज्य स्तर से प्रभावी कार्यवाहियों की गयी हैं। दोषी ग्राम प्रधानों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 एवं विभागीय कार्यवाहियों एवं अन्य कार्यवाही की गयी है।

2-शासनादेश संख्या-20/2017/778/38-4-17-14(विविध)/2016 टी0सी0, दिनांक 17 जुलाई, 2017, शासनादेश संख्या-25/2017/857/38-4-17-14(विविध)/2016 टी0सी0, दिनांक

22 अगस्त, 2017, शासनादेश संख्या-34/2017/1517/38-4-17-14(विविध)/2016 टी0सी, दिनांक 09 नवम्बर, 2017, शासनादेश संख्या-1585/38-4-17-14(विविध)/2016 टी0सी0, दिनांक 15 नवम्बर, 2017 के माध्यम से अनियमितताओं को रोकने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं।

इसके अतिरिक्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के पत्र संख्या-966/वि0का0/आवास/2017-18, दिनांक 18-7-2017 एवं पत्र संख्या-1214/विका0/प्र0मं0आ0यो0-ग्रामीण/1017, दिनांक 16-08-2017 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत पंचायत प्रतिनिधियों, कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा उत्कोच एवं भ्रष्टाचार के प्रकरण संज्ञान में आने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए विधिक कार्यवाही किये जाने के आदेश भी निर्गत किये गये हैं।

3-पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु सभी ग्राम पंचायतों की दीवारों पर लाभार्थियों की सूची (स्थायी प्रतीक्षा सूची) भी लिखवायी गयी है। दीवार लेखन में खण्ड विकास अधिकारी एवं जनपद के अधिकारियों के दूरभाष नम्बर अंकित करते हुए उल्लेख किया गया है कि यदि भ्रष्टाचार की कोई शिकायत हो, तो अंकित दूरभाष नम्बर पर सूचित किया जाय।

4-पारदर्शिता के दृष्गित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के सम्बन्ध में ''ग्राम संवाद एप'' के उपयोग के लिए निर्देश दिए गये।

5-सभी जनपदों द्वारा न्याय पंचायत स्तर पर लाभार्थियों को एकत्रित का उन्हें योजना की जानकारी प्रदान की गयी एवं पारदर्शिता/गुणवत्ता सम्बन्धी निर्देशों की जानकाी दी गयी।

6-मा0 जनप्रतिनिधियों के हाथों से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र वितरण सार्वजनिक कार्यक्रमों में कराा गया।

7-पूर्ण आवासों की सांकेतिक चाभी मा0 जनप्रतिनिधियों के हाथों से सार्जजनिक कार्यक्रमों में वितरित की गयी।

8-मुख्यालय स्तर से 10-12 अधिकारियों को प्रतिमाह जनपदों के भ्रमण कर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के स्थलीय सत्यापन एवं अनुश्रवण के निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में उन अधिकारियों द्वारा नियमित भ्रमण कर निपोर्ट उपलब्ध करायी जाती रही, जिसके क्रम में जनपदों को शासन स्तर एवं मुख्यालय से निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं।

9-प्रत्येक माह जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक एवं वीडियों कान्फ्रेसिंग का योजना में पारदर्शिता के निर्देश शासन स्तर से दिये जाते रहे हैं।

10-वाहनों पर लाउडस्पीकर लगाकर योजना के प्रचार-प्रसार एवं लाभार्थियों को उनके अधिकारों से अवगत कराया गया जिससे लाभार्थियों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सके।

11-पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा लाभार्थियों को 03 किश्तों में 40-40 हजार रुपये देने के स्थान पर उत्तर प्रदेश में प्रथम किश्त के रूप में रुपये 40 हजार, द्वितीय किश्त के रूप में रुपये 70 हजार तथा तृतीय किश्त के रूप में रुपये 10 हजार की धनराशि देने के आदेश शासन के पत्र संख्या-554/38-4-17-14(विविध)/2016 टी0सी0, दिनांक 15-06-17 द्वारा दिये गये, जिससे लाभार्थियों को द्वितीय किश्त के रूप में अधिकांश धनराशि प्राप्त हो जाय तथा उनके द्वारा समय से आवास का निर्माण पूर्ण कराया जा सके।

12-भारत सरकार द्वारा 12 माह में आवास पूर्ण कराने के निर्देश है किन्तु उत्तर प्रदेश में आवासों को पूर्ण करने के लिए 08 से 09 महीनें का समय निर्धारित करते हुए आवास पूर्ण करने के निर्देश आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के पत्र संख्या-जीओ-160/प्र0मं0आ0यो0-ग्रा0/वि0का0/2017, दिनांक 09 जून, 2017 द्वारा दिये गये जिससे लाभार्थियों को समय से सभी तीनों किश्तों की धनराशि प्राप्त हो सके, जिससे उनके द्वारा समय से आवास निर्माण पूर्ण कराया जा सके।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, जो उत्तर मन्त्री जी पढ़ रहे हैं उसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए, क्योंकि काफी लम्बा है।

डा0 महेन्द्र सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति हो तो मैं इसे पूरा पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि इसमें सारी चीजें स्पष्ट कर दी गयी हैं और हो सकता है कि इससे मा0 सदस्य को अनुपूरक पूछने की आवश्यकता न पड़े।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप पढ़िये।

(मन्त्री जी ने उत्तर पढ़ना जारी रखा)

श्री अजय कुमार ''लल्लू''-

मा0 अध्यक्ष जी, आज कई महत्वपूर्ण सवाल लगे हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

मन्त्री जी उत्तर पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ लेने दीजिए।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, जनता और गांव से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने अनुपूरक पूछने की अनुमति दी, इसके लिए हम आपके आभारी हैं।

मान्यवर, आज पूरे उत्तर प्रदेश में आवास के नाम पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके चयन पर सरकार कोई रोक लगायेगी, कोई उपाय करेगी ? माननीय मंत्री जी ने कहा कि दीवालों पर भी लिखवा दिया गया है, लिपाई-पुताई भी करा दी गयी है लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, यह बड़ा गम्भीर विषय है और आप भी चुन करके आते हैं। पूरा सदन इस बात का गवाह है कि आज उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास के नाम पर जिस तरीके से वसूली की जा रही है, कहीं 15 हजार, कहीं 20 हजार, कहीं 25 हजार रुपये लिये जा रहे हैं। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने कहा कि आप गलत बोल रहे हैं।) हमारे सत्तापक्ष के कुछ साथी बोल रहे हैं लेकिन वह भी इससे सहमत हैं। अध्यक्ष जी, सच्चाई यह है कि एक संगठित गिरोह बना करके, जहां इसमें पंचायत सेक्रेटरी, जनप्रतिनिधि भी इन्वाल्व हैं वहीं बैंक के कैशियर और एकाउन्टेंट भी इन्वाल्व हैं। लाभार्थियों की पासबुक जमा करा ली जाती है, लाभार्थी का

दस्तखत करा लिया जाता है लेकिन बैंक में कैशियर बिचौलिये को पैसा देता है। आज हम इस बात को गारण्टी से कह सकते हैं कि 90 प्रतिशत से ज्यादा लाभार्थी ऐसे हैं जिनसे पैसा ले करके तब उन गरीबों को आवास दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

मनोज जी अब आप सवाल पूछ लीजिए।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, जो उत्तर आया है उस उत्तर का चौथाई अंश का समय तो दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आप सवाल पूछिये, आपको पूरी छूट है आप पांच मिनट पूछिये लेकिन सवाल पूछिये।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

अध्यक्ष जी, आज सच्चाई यह है कि जो गरीब और कमजोर लोग हैं जिनको आवास और छत दी जा रही है उनका बुरी तरह से शोषण किया जा रहा है, बिना पैसा लिये उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी किसी को आवास नहीं दिया गया है। इस क्रम में माननीय मंत्री जी से हमारे दो प्रश्न हैं, पहला प्रश्न है कि क्या मा0 मंत्री जी के पास यह आंकड़े हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत पैसा लिये जाने का, गलत चीजों व गलत नाम पर उनको आवास देने का, मानकों को दरकिनार करके आवास दे देने का, उसमें मा0 मंत्री जी को कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन शिकायतों पर कितनों की जांच हो गयी, कितने पर कार्रवाई हुई और कार्रवाई हुई तो क्या हुई ? यह मेरा पहला प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

आपका यही प्रश्न है कि कितनी शिकायतें मंत्री जी को प्राप्त हुई और उनमें कितनी शिकायतों की जांच हुई ?

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, हमारा पहला प्रश्न है कि इसमें कुल कितनी शिकायतें आयी हैं और कितनों की जांच हो गयी है और कितने पर कार्रवाई हुई है और कार्रवाई हुई है तो क्या हुई है उसका माननीय मंत्री जी विवरण दे दें। दूसरा, हमारा प्रश्न है कि जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि पंचायत स्तर पर दीवालों पर सूची लिखवायी गयी है। इन तमाम चीजों को माननीय मंत्री जी ने कहा, हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि क्या जो आपने दीवालों पर लिखवाया है इसके अलावा सरकार इस पर, माननीय मंत्री जी मैं कोई आलोचना करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं मेरा आग्रह भी होगा कि क्या सरकार इस पर कोई उपाय करेगी कि गरीब और कमजोर लोग जो आजादी से लेकर आज तक आवास नहीं पाये हैं उनको एक छत देने के लिए बिचौलिये पैसा न लें इसके लिए कोई कारगर उपाय करेंगे ? आपने अपने उत्तर में कहा है कि जनप्रतिनिधियों के हाथ से हम उनको प्रतीकात्मक रूप से चाभी दिला रहे हैं, प्रमाण-पत्र दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप पूछना क्या चाह रहे हैं, वह पूछिये।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, जनप्रतिनिधियों को भी सूची के चयन के समय उनके अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे, उनको दिखायेंगें।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात हो गयी, अब आप बैठिये। मा0 नरेन्द्र सिंह वर्मा भी इस पर पूछ लें। उसके बाद मंत्री जी एक साथ उत्तर दे देंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो आवास चयनित होते हैं वह बी0पी0एल0 के स्थायी आवास सूची से लिये जाते हैं। इसमें सम्पूर्ण सदन में जागरूक लोग बैठे हुए हैं तमाम ग्राम सभायें ऐसी हैं जहां पर बी0पी0एल0 की सूची समाप्त हो चुकी है और अभी पात्र लोग बचे हुये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जहां पर बी0पी0एल0 की सूची समाप्त हो चुकी है और पात्र लोग बचे हुये हैं क्या उन गांवों में पुनः बी0पी0एल0 का सर्वे करा करके प्रधानमंत्री आवास दिये जाने की कोई व्यवस्था करेंगे ? (सत्तापक्ष की तरफ से आवाज आयी कि यह ऑलरेडी हो रहा है।) मैं कोई पोलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, सर्वे हो रहा है लेकिन सर्वे सालों से हो रहा है। सर्वे सालों साल से हो रहा है। ग्राम सभा से सर्वे होकर स्टेट लेविल से होकर भारत सरकार को जायेगा और भारत सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। इसकी आप कोई समयबद्ध योजना बनायेंगें।

डा0 महेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो हम सब लोगों ने आपके सानिध्य में बहुत कुछ सीखा है और एक सम्मानित सदस्य यहां पर बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह जो आवास दिये जा रहे हैं। यह 2011 की सिक्स सूची जिसको सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेन्सेस की सूची थी उसके आधार पर जो मान्यवर, सूची बनाई गई थी, सर्वे कराया गया था उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार न यहां थी, न वहां थी मान्यवर, जो सूची तैयार की गई थी लाभार्थियों को आवास देने के लिये नम्बर एक। अगर माननीय सदस्य को नहीं पता है तो इसको जान लें अच्छी तरीके से। सूची तब बनाई गई थी और उस आधार पर तय की गई थी। दूसरी बात मान्यवर, सूची 2011 की थी उस आधार पर भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने घोषणा की। जब घोषणा की तब भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी और उन्होंने 5 लाख आवास उत्तर प्रदेश को दिये। दुर्भाग्य था कि उन गरीबों की चिन्ता तब इनको नहीं थी, एक भी आवास नहीं बना पाये, एक भी आवास पूरा नहीं कर पाये।(मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष जी, तीसरी बात मैं आपके संरक्षण में मैं बताना चाहता हूं इस सदन को कि पूरे भारत के अन्दर उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आया है प्रधानमंत्री आवास योजना में (मेजों की थपथपाहट) 83 परसेन्ट आवास बनाकर मान्यवर, हम प्रथम स्थान पर हैं। और 47 परसेन्ट आवास बनाकर छत्तीसगढ़ दूसरे व 45 परसेन्ट आवास बनाकर मध्य प्रदेश तीसरे नम्बर पर है।

माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम प्रथम स्थान पर हैं मान्यवर। मैं इनका उत्तर देता हूं। मनोज जी ने जो पूछा है, इनकी जितनी जिज्ञासा होगी, जितने आंकड़े यह चाहेंगें मैं यहां से कहीं जाऊंगा नहीं सारी जिज्ञासा मैं इनकी शान्त करने के लिये यहां खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं आपको बताता हूं इन्होंने कहा कि अगर इनके पास कोई आंकड़ा हो तो बता दें। मान्यवर, मैं इनको आंकड़ा बताता हूं। मान्यवर, बहुत सारे प्रधानों ने बहुत अच्छा काम किया मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। कुछ प्रधानों ने जिन्होंने गड़बड़ी किया उन पर कार्रवाई की है। पहली बार यह सरकार है जिसने जी0ओ0 जारी करके कहा है कि अगर गरीब आदमी से कोई पैसा लेने की कोशिश करेगा तो उसको जेल भेजने का काम करेंगें।

(मेजों की थपथपाहट)

इसका जी0ओ0 मैं पढ़कर सुना सकता हूं मान्यवर, मैं सारी कार्रवाई लेकर आया हूं।

श्री अध्यक्ष-

चलिये इनका हो गया अब वर्मा जी का प्रश्न रह गया।

डा0 महेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी मैं मनोज जी का जवाब दे रहा हूं। प्रधानों के विरूद्ध की गई कार्रवाई जहां से शिकायत आई मान्यवर। मैं टोटल बता रहा हूं आप चिन्ता मत करिये। मान्यवर, 99 प्रधानों पर एफ0आई0आर0 दर्ज की गई 174 के खिलाफ 95 की कार्रवाई की गई। कुल 273 लोगों पर यह कार्रवाई प्रधानों के ऊपर की गई। मान्यवर, अधिकारियों के विरूद्ध भी कार्रवाई की गई। एक एफ0आई0आर0 दर्ज हुई मान्यवर, 8 लोगों को निलम्बित किया गया, 38 लोगों के ऊपर विभागीय कार्रवाई की गई और कुल 87 लोगों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई। इस तरह से कुल 134 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई। कर्मचारियों के विरूद्ध भी कार्रवाई की गई। 101 एफ0आई0आर0 दर्ज हुई। 127 लोग निलम्बित हुए, 167 लोगों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई हुई। 996 लोगों को चेतावनी दी गई, और 282 लोगों को प्रतिकूल प्रविष्टि की गई। इस तरीके से 1673 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई।

(सदस्य श्री मनोज के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपका पूरा उत्तर आ गया और बहुत विस्तार से आ गया है। माननीय वर्मा जी आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, हमने पूछा कि कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं, वह नहीं बता पा रहे हैं। यह गुमराह कर रहे हैं।

डा0 महेन्द्र सिंह-

मैं बता रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बात सुन ली जाय। मैंने कहा कि 1673 शिकायतें प्राप्त हुईं जिन पर कार्रवाई की गई। दूसरी बात मान्यवर, लाभार्थी का सारा पैसा सीधे लाभार्थी के खाते

में जाता है, कोई ठेकेदार घर नहीं बनाता है। लाभार्थी खुद अपना घर बनाता है। चार बार जी0ओ0 टैगिंग की व्यवस्था की गई है। हर बार जी0ओ0 टैग करने के समय लाभार्थी को सामने खड़ा करके जी0ओ0 टैग किया जाता है। मान्यवर, आधार फीडिंग के तहत अंगूठा लगा करके ही लाभार्थी अपना पैसा निकालता है। बाकायदा इसकी भी आधार लिंकिंग से व्यवस्था की गई है।

इतनी पारदर्शिता के बाद मान्यवर..

श्री अध्यक्ष-

उत्तर आ गया है।

डा0 महेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मनोज जी का उत्तर दे दूं। उन्हें संतुष्ट कर दूं।

श्री अध्यक्ष-

वह संतुष्ट हैं।

डा0 महेन्द्र सिंह-

मान्यवर, हमारे यहां व्यवस्था है आप अगर लोड कर लें सारे सदस्यों के लिए है 'ग्रामीण संवाद एप' है आप सदन से बाहर निकलकर उस एप को डाउनलोड कर लीजिए और आप जिस गांव के रहने वाले हैं वहां की पूरी सूची उस पर आप देख सकते हैं दिखा सकते हैं कौन लाभार्थी उसमें है कहां पर है। कोई भी आदमी पूरे उत्तर प्रदेश का अपने गांव में बैठकर पूरी सूची देख सकता है, समझ सकता है, बता सकता है, लोगों को समझा सकता है। अब मैं वर्मा जी का जो प्रश्न है उसका उत्तर देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी,

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठे-बैठे चिल्लायें ना, यह बहुत गलत है।

डा0 महेन्द्र सिंह-

मान्यवर, दो तरह की व्यवस्था है सरकार बनते ही हम लोगों ने समझ लिया था कि यह सूची बहुत गड़बड़ है। क्योंकि ऐसे समय पर सूची बनी थी, माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार उसमें आदेश हुआ जितने पात्र लोग छूट गए थे उन पात्र लोगों का सर्वे कराकर के फिर से उन लोगों को शामिल कर आवास दिया जाए इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है और सरकार सर्वे कर रही है।

श्री अध्यक्ष-

अब बैठें। अगले सवालों में दिक्कत आ रही है।

डा0 महेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं लोहिया आवास में कितना बड़ा घपला हुआ वह भी मेरे पास है कोई लोहिया आवास पूरा नहीं हो सका। जिसको नहीं मिलना चाहिए था उसको लोहिया आवास दिया गया। इन्दिरा आवास पूरा नहीं हुआ। मान्यवर, इन लोगों ने जो लूट मचाई है आवास के नाम पर सारा पैसा यह खा गए इनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिए।

डा0 महेन्द्र सिंह-

यह लोहिया आवास का पूरा पैसा खा गए। इन्होंने पूरा लोहिया आवास लूट लिया मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

मैंने वर्मा जी को बुलाया है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मान्यवर इन्होंने कहा सर्वे कराया जा रहा है जो सूची है..

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न क्या है आपके प्रश्न का उत्तर तो आ गया है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

उत्तर नहीं आया है उन्होंने कहा है कि सर्वे कराया जा रहा है जो लोग सूची में पात्र नहीं हैं उनका सर्वे कराया जा रहा है यह सर्वे कब तक पूरा करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात स्पष्ट नहीं हो पा रही। आप लोग शान्त रहें। वर्मा बताइए क्या कह रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

हम जानना चाहते हैं कि वर्ष 2011 की सूची में जिन पात्रों के नाम नहीं हैं और पात्र लोग हैं उनका सर्वे कब तक पूरा हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

एक लाइन में बताइए।

डा0 महेन्द्र सिंह-

सर्वे जारी है जल्दी ही पूर्ण करा लेंगे जो पात्र लोग हैं 2022 तक सबको मकान दिया जाएगा मुख्य मंत्री आवास योजना में और प्रधानमंत्री आवास योजना में, सभी लाभार्थियों को 2022 तक मकान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पित है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से केवल दो प्रश्न करना चाहता हूं बहुत छोटे-छोटे। मान्यवर, एक तो माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि एक हजार से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की गई है। इसका तात्पर्य है कि कहीं न कहीं कुछ विसंगति है जिसके कारण लाभार्थियों से वसूली की कार्रवाई कहीं ना कहीं हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसका कोई दूसरा पारदर्शी तरीका अपनायें, जिससे कि लाभार्थी को निश्चित रूप से कोई डर न रहे। जब उसको यह डर रहता है कि हमारा आवास कट जायेगा तब ही उसमें कुछ न कुछ देने के लिए मजबूर रहता है तो इसलिए जो सूची बने पूरी तरह से छानबीन करके बने और उसमें किसी के पात्र

पाये जाने के बाद उसको किसी तरह से अयोग्य घोषित करने का जो प्राविधान है, उसको समाप्त किया जाए तभी निश्चित रूप से पात्र लोगों को मिलेगा। क्या मा0 मंत्री जी इस पर कोई विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

मैं कह देता हूं मा0 मंत्री जी विचार कर लेंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मेरे ही गांव में एक ही परिवार के पति, पत्नी, बेटे को सबको आवास मिल गया और लगातार शिकायतें आ रही हैं कि एक ही परिवार को आवास मिल रहा है और दूसरे को नहीं मिल रहा है। मान्यवर, इसमें जो निर्बल वर्ग के लोग आवास पाये थे आज से 20-25 साल पहले 3 हजार रुपये में निर्बल वर्ग के लोग आवास पाये थे। अगर 25 साल पहले निर्बल वर्ग आवास में ईंटा खोड़ा लगा है, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि निर्बल वर्ग आवास जो 25 साल से ज्यादा पहले से जिनको मिला है और उनके पास आज कहीं मकान नहीं है कुछ ईंटा पड़ा हुआ है या उसके ऊपर उसने छप्पर रख लिया है, क्या मा0 मंत्री जी ऐसे व्यक्तियों को भी इस पात्रता सूची में शामिल करने की कृपा करेंगे ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने दो बातें कहीं। इसमें बहुत अच्छी व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, 86 हजार अपात्र लोगों का आवास हम लोगों ने निरस्त किया है। कार्रवाई के उपरान्त यह व्यवस्था बनी कि केवल गोण्डा जिले में 3 हजार लोगों ने चिट्ठी लिखकर अपना आवास वापस किया है। यह सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि मेरे पास आवास है मुझे आवास नहीं चाहिए। तीसरी बात मा0 सदस्य ने कही है जो लोग भी भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किये गये क्राइटेरिया में आते हैं, ऐसे सभी पात्र लाभार्थियों को 2022 तक उत्तर प्रदेश की सरकार आवास उपलब्ध करायेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

प्रदेश में अप्रैल, 2018 माह में हुई ओला वृष्टि से नष्ट हुई फसल के सम्बन्ध में जानकारी

***2-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर माह अप्रैल, 2018 में हुई ओला वृष्टि एवं भीषण बारिश के कारण रबी की फसल नष्ट हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रभावित किसानों को मुआवजा देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा बाल विकास एवं पुष्टाहार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती अनुपमा जायसवाल)-

जी हां।

माह अप्रैल, 2018 में ओला वृष्टि एवं भीषण बारिश के कारण जनपद आगरा, मथुरा एवं बरेली में कुल 57595 हे0 क्षेत्रफल में बोयी गयी फसलों 33 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई तथा कुल 1,42,772 किसान प्रभावित हुए।

राज्य सरकार द्वारा क्षति का वास्तविक आंकलन कराते हुए कृषि निवेश अनुदान के रूप में जनपद आगरा में 114979 प्रभावित किसानों के लिए रु0 52.59 करोड़, जनपद मथुरा में 26284 प्रभावित किसानों के लिए रु0 21.33 करोड़ तथा जनपद बरेली में 1509 प्रभावित किसानों के लिए रु0 30.00 लाख स्वीकृत किया गया है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 33 प्रतिशत का क्या आशय है ? जहां तक हम समझ पा रहे हैं कि एक जनपद में अगर कोई दैवीय आपदा आयी है तो उस जनपद के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अगर 33 प्रतिशत नुकसान होता है तो शायद आप देते हैं। मेरा कहना यह है कि मान लीजिए सीतापुर जनपद में अगर 33 प्रतिशत क्षति नहीं हुई है तो क्या सरकार उन किसानों को मुआवजा देने पर विचार करेगी ? हमारे जनपद-सीतापुर, तहसील-महमूदाबाद में 100 प्रतिशत क्षति हुई है और वह 33 प्रतिशत कवर नहीं कर पा रहा है तो उस पर सरकार क्या निर्णय लेगी ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 सदस्य को बताना चाहती हूं कि राज्य आपदा मोचक निधि एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि के जो निर्धारित मानक हैं, उनके अनुसार दैवीय आपदा से फसलों के 33 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में ही प्रभावित किसानों को आपदा राहत के अन्तर्गत सहायता दी जाती है। ऐसी जगह जहां दैवीय आपदा से फसलों का 33 प्रतिशत कम होता है, उसके लिए भी सरकार अन्य योजनायें यथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत ऐसे किसानों को सहायता देती है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

किसी जिले की एक तहसील में मान लीजिए 100 प्रतिशत नुकसान हुआ लेकिन पूरा जिला 33 प्रतिशत से कवर नहीं कर पा रहा है तो क्या उसके लिए राज्य सरकार जो आपकी दैवी आपदा की बुकलेट है उसमें परिवर्तन करने पर विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नरेन्द्र सिंह जी का प्रश्न है कि जो पहले से मानक हैं क्या उनमें कोई संशोधन करेगी।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

मान्यवर, मानक निर्धारित हैं उन मानकों के द्वारा सहायता दी जाती है। इसीलिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसान फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जहां 33 प्रतिशत से कम नुकसान हुआ है उनके लिए इस योजना को किया है इसके अलावा अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मेरा कहना है कि एक जनपद में अगर कुल नुकसान 33 प्रतिशत से एबब होगा तो आप अनुदान दे रही हैं लेकिन एक जनपद की तहसील में 100 प्रतिशत नुकसान हुआ लेकिन पूरा जिला 33 प्रतिशत के मानक को कवर नहीं कर पा रहा है वहां अनुदान नहीं मिल पा रहा है। कानून तो पहले से बना है कानून में अगर कोई गड़बड़ी है उसको ठीक करने के लिए हम यहां बैठे हैं। आप मेरी बात को समझें कि एक तहसील में 100 प्रतिशत नुकसान हुआ है लेकिन पूरा जिला मानक को कवर नहीं कर पा रहा है क्या ऐसी स्थिति में कानून को बदलने के लिए विधान सभा सक्षम नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी जो माननीय सदस्य ने कहा है उनके कथन पर विचार कर लीजिए।

अब मैं अगला प्रश्न लेता हूं।

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में इण्डिया मार्क हैण्डपम्प अधिष्टापित करने में आने वाले खर्च को कम करने के सम्बन्ध में जानकारी

***3-श्री रितेश पाण्डेय-**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के भिन्न-भिन्न अंचलों/क्षेत्रों में प्रति नग इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित करने में कुल कितना धन व्यय होता है ? क्या यह सही है कि सरकारी मूल्य से कहीं कम मूल्य पर निजी व्यापारियों द्वारा इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापन में होने वाले खर्च को कम करके बाजार दर पर लायेगी जिससे विधायकों को आवंटित धन में और अधिक हैण्डपम्प अधिष्ठापित करा सकें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

शासनादेश संख्या-1/2018/12/35-4-2018, दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रदेश में अधिष्ठापित कराये जाने वाले इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प की औसतन इकाई लागत रु0 45,000.00 निर्धारित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रितेश पाण्डेय-

आपकी आज्ञा से मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं सबसे पहले तो पानी एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज है सबसे ज्यादा गरीबों को इसकी जरूरत है। क्योंकि उनके घर में यह नहीं है। पानी की समस्या को देखते हुए माननीय मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया कि 45 हजार रुपया एक हैण्डपम्प में लागत आती है यह सरकार हैण्डपम्प लगाने के लिए ठेकेदारों को उपलब्ध करा रही है। दूसरे प्रश्न में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि जो निजी रूप से हैण्डपम्प लगाए जाते हैं वह इस मूल्य से कम में नहीं लगते हैं। माननीय मंत्री जी को यह जानकारी होगी और सभी सदस्यों को यह जानकारी है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने कहा है कि हम ऐसे नहीं लगा रहे हैं।

श्री रितेश पाण्डेय-

मैंने यह पूछा था कि क्या यह सही है कि सरकारी मूल्य से कहीं कम मूल्य पर निजी व्यापारियों द्वारा इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराए जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने कहा कि नहीं करा रहे हैं।

श्री रितेश पाण्डेय-

इसमें मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि सरकार जो 45 हजार रुपया दे रही है उससे आधे दर पर प्राइवेट ठेकेदार उसको लगा दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने प्राइवेट लगवाया तो है नहीं।

श्री रितेश पाण्डेय-

माननीय मंत्री जी को यह जानकारी होगी कि प्राइवेट ठेकदारों द्वारा आधे से कम दाम पर यह लगाया जा रहा है। माननीय नेता सदन द्वारा हम लोगों को 100-100 हैण्डपम्प दिए गए हैं माननीय मंत्री जी को यह जानकारी होगी कि प्राइवेट में 22-23 हजार में यह हैण्डपम्प लग जा रहा है तो जो सरकार 45 हजार का खर्चा वहन कर रही है इसमें घोर भ्रष्टाचार है जिसको सरकार शह दे रही है।

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न बहुत अच्छा है।

श्री रितेश पाण्डेय-

बाजार में वही चीज आधे दामों पर मिल रही है। इतने से हम लोगों के 100 की जगह 200 हैण्डपम्प लग गए होते। क्या माननीय मंत्री जी इसकी जानकारी करवाकर कि यह आधे मूल्य पर लग जा रहा है तो क्या माननीय मंत्री जी उन हैण्डपम्पों को इसी दाम पर लगवाना सुनिश्चित करेंगे।

डा0 महेन्द्र सिंह-

अध्यक्ष जी हमारे सदस्य बहुत विद्वान हैं 19 मार्च, 2017 के पहले तो सारे काम भ्रष्टाचार से ही होते थे लेकिन अब वह बन्द हो गए हैं माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं मैंने इसमें जो उत्तर दिया है उसमें लिखा हुआ है औसत 45 हजार उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड में इण्डिया मार्क टू हैण्डपम्प आप लगाते हैं।

डा0 महेन्द्र सिंह-

उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड में अगर आप इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाते हैं तो 80,000 से 90,000 रूपये में लगता है, अगर सहारनपुर में लगाते हैं तो 01 लाख रूपये में लगता है, सोनभद्र में लगाते हैं तो 75000 रूपये में लगता है, अम्बेडकरनगर में लगाते हैं तो 30000 रूपये में लगता है, फैजाबाद में लगाते हैं तो 34000 रूपये में लगता है। मान्यवर, मैंने औसत लागत 45000 रूपये बताई है। विभिन्न क्षेत्रों में जहां पर पथरीली जमीन है, वाटर लेवल नीचे है, वहां पर निश्चित रूप से उसकी लागत बढ़ जाती है। जहां पर समतल जमीन है, आप अम्बेडकरनगर के रहने वाले हैं, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अम्बेडकरनगर, फैजाबाद, इन जगहों पर वाटर लेवल ऊंचा है और समतल जमीन है। हर जगह का अलग-अलग रेट है। आप जिस जिले का पूछना चाहें उस जिले का मैं रेट बता दूंगा। मैंने यह 45000 औसत लागत बताई है।

श्री रितेश पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी यही बता दें कि प्राईवेट में हर जगह पर कितनी औसत लागत आयेगी ? प्राईवेट कम्पनियां हर जगह औसत कितनी लागत में हैण्डपम्प लगा देंगी ? मान्यवर, सच्चाई तो यह है कि प्राईवेट कम्पनियां आधे दामों पर हैण्डपम्प लगा देगी।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान)

डा0 महेन्द्र सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य पहले हमारा पूरा उत्तर तो सुन लें। अब इनकी किस प्राईवेट एजेंसी से क्या सांठ-गांठ है हम बता नहीं सकते, क्योंकि हम तो प्राईवेट काम नहीं करते, यह कार्य तो जल निगम और यू0पी0 एग्रो कराता है। सरकार की जो नीति है मैं उसके आधार पर बता रहा हूं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं पर आर्सेनिक है, कहीं पर फ्लोराईड है, कहीं आयरन है, कहीं पर पथरीली जमीन है, कहीं पर वाटर स्ट्रेटा नीचे है, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का समग्रता के आधार पर अध्ययन करने के पश्चात् जो औसत है वह 45000 है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का रेट अलग-अलग है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी का कहना है कि अलग-अलग जिलों का रेट अलग-अलग है।

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अम्बेडकरनगर जिले में 01 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प की कीमत क्या है ? मा0 मंत्री जी बस इतना बता दें।

डा0 महेन्द्र सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आदरणीय वर्मा जी को बताना चाहूंगा कि अम्बेडकरनगर में 34600 रूपये में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लग रहा है। इसके अलावा भी पूरे उत्तर प्रदेश के जिस भी जिले का जानना चाहते हैं तो हम वह बता देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी को मालूम है और सभी को मालूम है। अब अगला प्रश्न लेते हैं।

(सदस्य श्री राकेश प्रताप सिंह, श्री रितेश पाण्डेय एवं श्री संजय गर्ग द्वारा अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठें। सदन चलने दीजिये। 12:05 हो गया है और अभी तक 03 प्रश्न भी नहीं हो पाए हैं। तारांकित प्रश्न संख्या-04, मा0 अवस्थी बाला प्रसाद जी उपस्थित हैं ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, तारांकित प्रश्न संख्या-04 मा0 अवस्थी बाला प्रसाद जी का है। क्या वह उपस्थित नहीं है ?

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

मान्यवर, हम उपस्थित हैं।

प्रदेश निरक्षता के सम्पूर्ण उन्मूलन हेतु कार्य योजना बनाने विषयक जानकारी

***04-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निरक्षरता के पूर्ण रूप से उन्मूलन हेतु सरकार कोई विशेष साक्षरता अभियान चलायेगी ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा साक्षर भारत मिशन वर्ष 2009-10 से संचालित किया गया था, जिसे भारत सरकार द्वारा दिनांक 31-03-18 को समाप्त कर दिया गया है।

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

मान्यवर, हम उत्तर से सहमत है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने कहा है कि यह केन्द्र सरकार की योजना है। यह सही है कि केन्द्र सरकार की योजना थी कि जब तक सभी लोग साक्षर नहीं हो जायेंगे तक तक यह योजना चलेगी, लेकिन अभी तो सभी लोग साक्षर हुए ही नहीं हैं। प्रश्नकर्ता की बात से तो यही लगता है कि अभी तक सभी लोग साक्षर नहीं हुए हैं। जो योजना चल रही थी, केन्द्र सरकार ने उसके लिये अपना अंश उत्तर प्रदेश को भेज दिया था और उसके जो कर्मचारी उत्तर प्रदेश में थे, उनको 02-02 साल से तनख्वाह नहीं मिली है और योजना भी बन्द कर दी गयी है। वह घर बैठ गये हैं। उनको 02-03 साल से मानदेय भी नहीं दिया गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस योजना को पुनः चलाने के लिये केन्द्र सरकार से आग्रह करेगी कि जब तक सभी लोग साक्षर न हो जाएं तब तक इस योजना को चलाया जाए। दूसरा यह कि जिन कर्मचारियों को

03-03 साल से मानदेय नहीं मिला है। जबकि इनको केन्द्र सरकार ने मानदेय दे दिया है और यह गरीब घर के लड़के थे तो क्या तत्काल उन अधिकारियों और कर्मचारियों को मानदेय दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, भारत सरकार ने जब यह योजना प्रारम्भ की थी उस समय उक्त योजना के संचालन की जो तिथि निर्धारित की गयी थी वह थी 31 मार्च, 2012 जिसे बढ़ाकर दिनांक 31 मार्च, 2017 किया गया, पुनः बढ़ाकर 30 सितम्बर, 2017 किया गया और अन्तिम बार दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक की गयी थी। 31 मई, 2018 को भारत सरकार द्वारा यह योजना बंद कर दी गयी है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अभी भी साक्षरता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है तो उसके लिए 'स्कूल चलो अभियान' को प्रभावी ढंग से उत्तर प्रदेश में संचालित किया जा रहा है और शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कई जनपदों में उपस्थित रहकर 'स्कूल चलो अभियान' का शुभारम्भ किया है। हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी बच्चा साक्षर होने से वंचित न रह पाये। जब से यह योजना चलाई गयी है तक से अगर हम साक्षरता का प्रतिशत देखे तो 2001 से 2011 के बीच भारत की साक्षरता का प्रतिशत कुल पुरुषों का 5.62 बढ़ा है तो उत्तर प्रदेश में यह बढ़कर 8.46 प्रतिशत हो गया। अगर महिलाओं का प्रतिशत हम देखें तो 2001 से 2011 के बीच कुल भारत का 10.96 बढ़ा तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं का प्रतिशत बढकर 14.96 प्रतिशत हो गया **(सत्ता पक्ष द्वारा सीटे थपथपायी गयीं)** और अगर हम कुल भारत की साक्षरता प्रतिशत की बात करें तो 2001 से 2011 के बीच भारत का जो साक्षरता प्रतिशत रहा है वह 8.14 बढ़ा जो कि उत्तर प्रदेश का उससे बढ़कर 11.41 प्रतिशत हो गया। निश्चित रूप से साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है क्योंकि यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा संचालित थी, इस योजना का समय भी निर्धारित था, कि कब तक चलेगी इसलिए इसमें थोड़ी वृद्धि भी की गयी थी लेकिन योजना के बन्द होने के बाद हम 'स्कूल चलो अभियान' के माध्यम से उत्तर प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाये इसलिए तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो मानदेय की बात है इसके लिए हमारे यहां से कई बार भारत सरकार को पत्र लिखा गया है कि उनके मानदेय का जो भी बकाया है और जो उनकी आज तक की देनदारी है स्वीकृत गत वर्षों में भारत सरकार द्वारा कम किए जाने के कारण 662.41 करोड़ की देनदारी अवशेष है जिसमें केन्द्रांश का 397.45 करोड़ और राज्यांश का 264.96 करोड़ है जिसकी मांग भारत सरकार से की जा रही है। मानदेय की स्वीकृति प्राप्त होते ही सभी का मानदेय दे दिया जायेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी, विद्वान है। 'स्कूल चलो अभियान' दूसरा विषय है और साक्षरता दूसरा विषय है। साक्षरता का सम्बन्ध उनसे है जो प्रौढ़ हो गये हैं चाहे वह महिला हो या पुरुष और पढ़े नहीं है। यह कार्यक्रम इसलिए चलाया जाता है कि जो सरकारी योजनायें चल रही है जो शिक्षित न होने के कारण संचालित नहीं हो पाती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हैं स्टार्टटप इण्डिया, डिजिटल इण्डिया इत्यादि ऐसे-ऐसे नाम रखें गये हैं कि पढ़े-लिखे इन्सान को समझ में न आये बिना पढ़े-लिखे इन्सान को क्या समझ में आयेगा। इसलिए जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते

हैं वह ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं। चाहे वह महिला हो या पुरुष उनके लिए साक्षरता का क्या मतलब है। 'स्कूल चलो अभियान' इसलिए चलता है कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है वह अगर किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाता है तो उसको हम प्रेरित करते हैं कि तुम सरकारी स्कूल में चलों। यह 'स्कूल चलो अभियान' बहुत पहले से चल रहा है इसे आप नहीं चला रही हैं। साक्षरता का विषय दूसरा है और 'स्कूल चलो अभियान' का विषय दूसरा है।

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राज्यांश का जो पैसा है जो गरीब लोग काम किये थे जो भूखे मर रहे हैं जिन गरीबों को तीन-तीन साल से मानदेय नहीं मिला है, राज्यांश के पैसे से उनको मानदेय का भुगतान करने की कृपा करेंगी।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसी में जोड़ दे रहा हूं। उस समय संविदा पर एक पद प्रेरक नियुक्त हुआ था ओर प्रेरक की प्रौढ़ शिक्षा पढ़ाने की जिम्मेदारी थी। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या बकाये प्रेरकों का भुगतान करने का सरकार कोई आदेश जारी करेगी और कब तक करेगी ? बेचारे प्रेरकों ने तीन वर्ष तक पढ़ाया और उनका भुगतान नहीं हो पाया उसको करने का काम कब तक कर लेंगी यह बता दें ?

श्री अध्यक्ष-

यही बात नेता विरोधी दल ने भी पूछी है ? माननीय मंत्री जी का उत्तर तो आ गया है कि जैसे ही रुपया मिलेगी भुगतान हो जायेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय मंत्री जी ने कहा कि केन्द्र का इतना और राज्यांश का इतना। जब तक केन्द्रांश का पैसा नहीं आ रहा है तब तक राज्यांश के पैसे से ही भुगतान क्यों नहीं माननीय मंत्री जी करा रही हैं, वे भूखे मर रहे हैं, पढ़ायें हैं, काम किये हैं और उनके काम को तीन साल से मजदूरी नहीं मिल रही है, लगभग दो साल से नहीं मिल रही। मैं भी बेसिक शिक्षा मंत्री रहा और जिले-जिले में गया हुआ पैसा नहीं बांट रहे थे बेसिक शिक्षा अधिकारी। आप राज्यांश से उन लोगों को क्यों नही बंटवा रही है ? मैं आपको दोषी नहीं बना रहा हूं जो राज्यांश का पैसा है उसे उनका मानदेय निकलवाने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही वरिष्ठ हमारे नेता जी हैं और उन्होंने सही कहा कि स्कूल चलो अभियान और साक्षरता मिशन यह अलग चीज है। मैंने एक प्रतिशत इसीलिए रखा था सम्पूर्ण परिपेक्ष्य में, मुझे पता है कि बहुत ही विद्वान लोग है यह समझेंगे कि जो साक्षर बनाने का काम किया था उसमें उत्तर प्रदेश में अच्छी बढ़ोत्तरी हुई थी और योजना अगर बन्द हो गयी है तो भी बढ़ोत्तरी को मैंने इंगित करते हुए बताया था और स्कूल चलो अभियान की बात इसलिए की थी कि स्कूल चलो अभियान का उद्देश्य भी है कि प्रौढ़ों को हमें साक्षर करना है लेकिन कोई बच्चा शिक्षा से वंचित रहने ही न पाये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल का प्रश्न है जिनका धन बकाया है तो अगर केन्द्र से पैसा नहीं आ रहा है तो क्या राज्यांश के माध्यम से उनका भुगतान किया जायेगा, इतना प्रश्न है ? क्या आपके पास संसाधन है ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी आप ने जो अभी बताया कि लगभग 3 वर्षों से 2 वर्षों से प्रेरकों का भुगतान बाकी है तो हमारी सरकार तो अभी तीन वर्ष और दो वर्ष पुरानी नहीं हुई है तब आप ही मंत्री थे और आपकी ही सरकार थी लेकिन यह जो उनकी पीड़ा है उस पीड़ा से मैं अपने को जोड़ती हूं कि उनका जो भुगतान बाकी है हम सब चाहते हैं कि उनका भुगतान जल्द से जल्द हो और उचित भी है और इसी के लिए हमारे पास जो तत्काल अवशेष धनराशि 99 करोड़ रुपये की है उसके लिए भारत सरकार को पत्र लिखकर उनकी अनुमति मांगी गयी है कि अगर वे अनुमति दे दें तो इस राशि से जो भी सम्भव हो सके वह प्रेरकों का भुगतान जल्द से जल्द कराया जा सके।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं मंत्री था तो राज्यांश का सारा पैसा बेसिक शिक्षा अधिकारियों के यहां भिजवा दिया था और तब तक चुनाव आचार संहिता लगी, चुनाव हो गया। आप सरकार में आ गयीं तो मेरा तो सामान्य का भी पैसा पड़ा हुआ है आपके जमाने में बाकी है क्यों नहीं भिजवा रही है ?

(श्री दारा सिंह चौहान जी के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

ये आप बैठकर कह रहे हैं, वो कहां कह रही हैं ? आप ही खड़े होकर कह दीजिए। राज्यांश की जो भागीदारी है उस पैसे को भेजकर जिन लोगों ने काम किया है, भूखे मर रहे हैं, छोटे-छोटे लड़के हैं, छोटे-छोटे घर के हैं बहुत कम उनको मानदेय मिलता था तो क्या आप उनको भिजवा कर पेमेन्ट करवायेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, इस बात को कह दिया गया, हम भी चाहते हैं उनकी पीड़ा को हम पूरी तरीके से समझते हैं, हम भी चाहते हैं कि उनका कोई पैसा किसी प्रकार का बकाया नहीं रहेगा, यह मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वासन देना चाहता हूं।

***05-श्री उमाशंकर सिंह-**

[05वे गुरुवार के तारा0प्र0सं0-5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्यरत ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेश का भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी

***06-श्री उज्जवल रमण सिंह-**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत कार्यरत ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय का भुगतान बकाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बकाया का भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ महेन्द्र सिंह-

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों में संविदा पर कार्यरत ग्राम रोजगार सेवकों द्वारा किये गये कार्य के सापेक्ष होने वाले व्यय से प्रशासनिक मद सृजित होता है और उससे ही उनके मानदेय का भुगतान किये जाने का प्राविधान है। समय-समय पर उनके मानदेय में हुई बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप 59 जनपदों में सृजित प्रशासनिक मद में समुचित धनराशि की उपलब्धता न होने के कारण वित्तीय वर्ष 2016-17 से कुल रुपये 221.52 करोड़ मानदेय का भुगतान बकाया है। शेष जनपदों में बकाया मानदेय शून्य है।

प्रयास किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

(डा0 महेन्द्र सिंह द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़ा गया)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में गांवों से शहरों की ओर पलायन के रोकथाम एवं ग्राम में रोजगार उपलब्ध कराने की मांग

***07-श्री संजय गर्ग तथा डॉ0 संग्राम यादव-**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गांवों से शहरों की ओर हो रहे पलायन को रोकने के लिए ग्रामीण विकास की मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने तथा रोजगार सृजित करने के दृष्टिगत सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश में अब तक किन-किन जिलों में ग्रामीण विकास की मूलभूत आवश्यकताएं तथा रोजगार उपलब्ध कराये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी हां।

उत्तर प्रदेश में भूमिहीन एवं अन्य खेतिहर मजदूरों को मांग के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। महात्मा गांधी नरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों की मांग के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। प्रचलित मजदूरी दर रुपये 175/- प्रति मानव दिवस है।

नोट :--नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न सं0-6 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

ग्राम पंचायतों में होने वाले कार्यों व इच्छुक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये 20 करोड़ मानव दिवस के सृजन का श्रम-बजट अनुमोदित किया गया है।

प्रदेश के समस्त जनपदों में मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कुल 1818.69 लाख मानव दिवा सृजित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पशु चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति करने विषयक जानकारी

***08-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज तथा डॉ0 डी0सी0 वर्मा-**

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मानकानुसार/आवश्यकतानुसार पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों की कमी है ? यदि हां, तो उक्त कमी को दूर करने के लिए सरकार की क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह बघेल)-

जी हां।

विभाग में पशु चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग से प्राप्त संस्तुतियों के क्रम में की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है एवं निरन्तर चलती रहती है। पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर निकटतम चिकित्सालय में तैनात पशु चिकित्साधिकारियों को राजकीय कार्यहित में अतिरिक्त प्रभार देकर कार्य संपादित किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में 1 अप्रैल, 2018 से 8 मई, 2018 तक दर्ज कुल महिला उत्पीड़न की संख्या एवं महिला सुरक्षा हेतु कार्य योजना बनाने विषयक जानकारी

***09-श्री अजय कुमार 'लल्लू' तथा श्री नाहिद हसन-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध/उत्पीड़न की रोकथाम व उस पर अंकुश लगाये जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से 8 मई, 2018 तक महिला उत्पीड़न की कितनी घटनायें दर्ज हुई हैं तथा सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

प्रदेश में महिला अपराध/उत्पीड़न की रोकथाम तथा उस पर अंकुश लगाये जाने हेतु महिला सम्मान प्रकोष्ठ की स्थापना के साथ-साथ वूमेनहेल्प लाइन-1090, डायल 100 तथा थानों में महिला डेस्क बनाये गये हैं। बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों के लिए पोक्सों अधिनियम-2012 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

1 अप्रैल, 2018 से 15 मई, 2018 तक महिला उत्पीड़न की कुल 2081 दर्ज घटनाओं में विवेचना के उपरान्त 355 मामलों में आरोप-पत्र दाखिल किये गये एवं 210 मामले में अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी। शेष 1516 मामले विवेचनाधीन हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी विधान सभा क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर लाइट लगवाने की कार्य योजना विषयक जानकारी

***10-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-**

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ है उन ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार सोलर लाइट लगवाने की कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विधायी एवं न्याय अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-

जी हां।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइटें लगवाने की निम्नांकित योजनाएं संचालित हैं :--

मुख्य मंत्री समग्र ग्राम विकास योजना-

इस योजनान्तर्गत प्रथम चरण में प्रदेश के 56 जनपदों के चयनित 914 राजस्व ग्रामों (मजरे, टोले, पुरवे एवं बसावटों सहित) में मार्ग प्रकाश की व्यवस्था सोलर स्ट्रीट लाइटों के माध्यम से शत-प्रतिशत राज्य वित्त पोषण से कराये जाने का प्राविधान है।

पं0 दीन दयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना-

इस योजनान्तर्गत प्रति विकास खण्ड एक या दो ग्रामीण बाजारों में सार्वजनिक प्रकाश की व्यवस्था, सोलर स्ट्रीट लाइटों से कराने की योजना, शत-प्रतिशत राज्य वित्त पोषण से संचालित है। छोटी बाजारों में 10 लाइटों एवं बड़ी ग्रामीण बाजारों में अधिकतम 20 लाइटों की संख्या के अनुसार संयंत्र उपयुक्त सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित कराये जाते हैं।

प्रोजेक्ट मोड (राज्यानुदान) योजना-

इस योजना में लाइटों की स्थापना का कार्य, राज्यानुदान एवं लाभार्थी संस्था के अंशदान से किया जाता है। प्रश्नगत योजना में राज्यानुदान रु0 7100.00 प्रति संयंत्र के अलावा संयंत्र मूल्य की अवशेष धनराशि मा0 जन-प्रतिनिधियों द्वारा अपनी क्षेत्र विकास निधि से वहन की जाती है। मा0 जन-प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये प्रस्तावों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना का कार्य किया जाता है।

ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जिसका विद्युतीकरण पारम्परिक ऊर्जा स्रोत के माध्यम से नहीं हो पाता है, उसकी सूची उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0/सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर उन ग्रामों के निवासियों को सोलर पावर पैक उपलब्ध करायी जाती है, जिसके अन्तर्गत 05 एलईडी लाइटें तथा 01 पंखा उपलब्ध कराया जाता है।

प्रदेश में अधिकृत विश्वविद्यालयों से अनुमति प्राप्त किये बिना प्रवेश ले रहे डिग्री कालेजों के सम्बन्ध में जानकारी

***11-श्री राकेश प्रताप सिंह-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय/डिग्री कालेज ऐसे हैं जो अधिकृत विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त किये बिना विभिन्न विषयों/कक्षाओं में सीधे एवं वेबसाइट के माध्यम से आवेदन लेकर प्रवेश ले रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले अनधिकृत विश्वविद्यालय/डिग्री कालेजों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा उप मुख्य मंत्री (डॉ0 दिनेश शर्मा)-

ऐसे कोई विश्वविद्यालय/डिग्री कालेज उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विभिन्न जिलों से सेवा निवृत्त फौजियों को सुरक्षा कर्मियों के रूप में इस्तेमाल करने की मांग

***12-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फौजी सेवा से रिटायर ऐसे जवानों को क्या सरकार प्रदेश के राजकीय कार्यालयों में सुरक्षा कर्मियों के रूप में तैनात करने के लिए कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, उपक्रमों, निगमों, मेडिकज कालेजों, शैक्षणिक संस्थानों की मांग पर वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर संविदा पर पूर्व सैनिकों को सुरक्षा कर्मियों के रूप में तैनात किया जाता है।

कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-18/1/95-का-2/टीसी-1999, दिनांक 09-09-1999 के द्वारा उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितो और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1999 में समूह 'क' पदों या समूह 'ख' के पदों से भिन्न लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिये प्रदान किया गया है। उक्त निर्धारित नीति के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों को भी राज्य के पुलिस बलों मे सुरक्षा कर्मियों की भर्ती/नियुक्ति में अवसर प्रदान किया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त रिटायर फौजी जवानों को राजकीय कार्यालयों मे सुरक्षा कर्मियों के रूप में तैनात करने के लिये गृह विभाग की कोई अन्य योजना नहीं है।

प्रदेश के राजकीय डिग्री कालेजों व शासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कालेजो में अध्यापकों की भर्ती करने विषयक जानकारी

***13-सुश्री अदिति सिंह, श्री अमन मणि त्रिपाठी-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय डिग्री कालेजों तथा शासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कालेजों में अध्यापकों की भारी कमी होने के कारण तमाम कोर्सों की पढ़ाई बाधित होने की सूचना सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के अधिकांश रिक्त पदों के सापेक्ष अधियाचन लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद को प्रेषित किया जा चुका है। इसी तरह सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के अधिकांश रिक्त पदों के सापेक्ष अधियाचन उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद को प्रेषित किया जा चुका है। उक्त दोनों आयोगों से विभिन्न विषयों में प्राप्त चयन की संस्तुतियों के क्रम में तैनाती की जा रही है।

सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों के सापेक्ष मानदेय के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों से अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। इस प्रकार छात्र हित में राजकीय महाविद्यालयों/सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य संचालित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए नये थाने बनाये जाने की मांग

***14-श्री सुनील कुमार शर्मा-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए सरकार की नए पुलिस थाने बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त योजनान्तर्गत जनपद गाजियाबाद में कुल कितने नए पुलिस थाने बनाये जाने हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रदेश में पुलिस थानों को बनाये जाने हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग की रिपोर्ट 1960/61 के अनुसार नये थाना एवं चौकियों की स्थापना हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा बजट तथा भूमि उपलब्धता के आधार पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 36 थानों के निर्माण का निर्णय लिया गया है।

दिनांक 14-08-2018 को मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र लोनी, मुरादनगर एवं साहिबाबाद में नवीन पुलिस थानों की स्थापना की घोषणा की गयी है। उक्त

विधान सभा क्षेत्रों में नवीन थानों की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त कर लिये गये है, मानक के अनुरूप स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्रा0/उच्च प्रा0 विद्यालयों में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाने विषयक जानकारी

***15-श्रीमती सुषमा पटेल-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अधिकांश प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प न होने के कारण बच्चों को पानी पीने में हो रही असुविधा की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार अभियान चलाकर ऐसे सभी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित कर इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

प्रदेश के समस्त परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इण्डिया मार्का हैंडपम्प/सबमर्सिबल पम्प लगाये गये हैं। फलस्वरूप समस्त बच्चों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है।

प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इण्डिया मार्का हैंडपम्प/सबमर्सिबल पम्प अक्रियाशील होने पर जनपदों की मांग के अनुरूप नया सबमर्सिबल लगाने के लिए वर्ष 2017-18 में 1379 उच्च प्राथमिक विद्यायलयों में रु0 10 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

बजट की उएपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर में नगर शिक्षा क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक/अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

***16-श्री लाल जी वर्मा-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगर शिक्षा क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में लगभग पिछले कई वर्षों से प्रधानाध्यापक/अध्यापक की नियुक्ति न होने से शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार शिक्षकों की नियुक्ति करेगी ? क्या उपरोक्त के क्रम में जनपद-अम्बेडकरनगर में नगर शिक्षा क्षेत्र टाण्डा के लगभग 20 प्राथमिक विद्यालयों में भी पिछले कई वर्षों से अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हुई है ? यदि हां, तो कब तक अध्यापकों की नियुक्ति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी नहीं।

वैकल्पिक व्यवस्था कर शैक्षणिक कार्य कराया जा रहा है।

उक्तवत।

जनपद-अम्बेडकरनगर में नगर शिक्षा क्षेत्र टाण्डा में 18 प्राथमिक विद्यालय तथा 03 उच्च विद्यालय संचालित हैं। उक्त विद्यालयों के सापेक्ष प्रा0वि0 में 08 सहायक अध्यापक तथा 16 शिक्षा मित्र एवं उ0प्रा0वि0 में एक सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। ग्रामीण क्षेत्र से अध्यापकों की वैकल्पिक व्यवस्था करके विद्यालयों का संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड में भूमिहीन मजदूरों के उत्थान के लिये कार्य योजना विषयक जानकारी

***17-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों (जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके या फसल उगाकर जीवन यापन करते हैं) के उत्थान के लिए सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त योजना का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

वर्तमान में बुन्देलखण्ड में शेष उत्तर प्रदेश की भांति ही भूमिहीन एवं अन्य खेतिहर मजदूरों को मांग के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों की मांग के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। प्रचलित मजदूरी दर रुपये 175/- प्रति मानव दिवस है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में उच्च न्यायालय की स्थापना करने विषयक जानकारी

***18-श्री असलम अली-**

क्या न्याय एवं विधि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में दुधारु पशुओं की समाप्त हो रही प्रजातियों के संरक्षण की मांग

***19-श्री विनय शंकर तिवारी-**

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दुधारू पशुओं जैसे देशी गाय, गंगातिरी गाय आदि की प्रजातियां समाप्त हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके संरक्षण के लिए कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्यपाल सिंह बघेल-

जी नहीं।

प्रदेश में पशुपालन विभाग के अन्तर्गत राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों पर देशी गायों तथा साहीवाल नस्ल-चक्रगंजरिया स्थित निबलेट-बाराबंकी, गंगातिरी नस्ल-आराजीलाइन्स, वाराणसी, हरियाना नसल-सैदपुर ललितपुर, नीलगांव सीतापुर, बाबूगढ़ हापुड़, हस्तिनापुर मेरठ एवं थारपारकर नस्ल-भरारी झांसी पर संरक्षण एवं संवर्द्धन का कार्य कराया जा रहा है।

देशी प्रजातियों के संरक्षण हेतु विभागीय संस्थाओं के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान योजनान्तर्गत देशी प्रजाति यथा-साहीवाल, गंगातिरी, हरियाना एवं थारपारकर प्रजाति के उच्च गुणवत्तायुक्त सांडों के वीर्य से मादा पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य कराकर उच्च गुणवत्ता/उत्पादक क्षमता की देशी संतति उत्पन्न कराई जा रही है।

विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में विद्यमान गो-वंश के संरक्षण हेतु इनकी चिकित्सा, प्रजनन, रोग मुक्त किये जाने हेतु वैक्सीनेशन एवं पशुपालकों के द्वार पर ही पशु चिकित्सा/कृत्रिम गर्भाधान/टीकारण/बांझपन निवारण आदि की सुविधा सचल पशु चिकित्सालयों के माध्यम से की जा रही है। पशुपालन विभाग के मानकानुसार यथा सम्भव 15000 पशुधन संख्या एवं 09 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के पशु चिकित्सालयों की स्थापना करके प्रदेश में गो-वंश के संरक्षण हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

उक्त के अतिरिक्त पं0 दीनदयाल उपाध्याय वृहद पशु आरोग्य शिविरों/मेलों (विकाश खण्ड स्तर/मण्डल स्तर) के माध्यम से पशुपालकों को जागरूक कर पशु संरक्षण का कार्य किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद मुरादाबाद के बिलारी विधान सभा क्षेत्र के 30 ग्रामों की समस्या के समाधान हेतु जानकारी

1-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के बिलारी विधान सभा क्षेत्र की लगभग 30 ग्राम पंचायतें सम्भल जनपद के चंदौसी तहसील में पड़ती है, किन्तु विकास खण्ड मुरादाबाद जनपद में पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सभी ग्राम पंचायतों व विकास खण्ड को भी सम्भल जनपद में सम्मिलित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 में दी गई व्यवस्था के अनुसार जिलाधिकारी, मुरादाबाद तथा जिलाधिकारी, सम्भल द्वारा मण्डलायुक्त, मुरादाबाद की संस्तुति सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के तहसील स्तरीय ग्राम भानपुर में पानी निकासी के लिये नाले के निर्माण कराने विषयक जानकारी

2-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के तहसील स्तरीय ग्राम भानपुर में बरसात के दिनों में पानी निकासी की कोई व्यवस्था न होने के कारण अनुसूचित जाति बस्ती के घरों में पानी भर जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार पानी निकासी के लिए नाले का निर्माण तथा निकासी की नाली ग्राम के बैड़ानाला तक बनाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी)-

जी हां।

बरसाती पानी की निकासी के लिये नाला निर्माण कराये जाने हेतु अनुमानतः 1 करोड़ 74 लाख धनराशि की आवश्यकता होगी। ग्राम पंचायत के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण नाला निर्माण कराया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद भदोही में भू-माफियाओं से अवमुक्त की गई राजकीय भूमि के विवरण एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी

3-श्री विजय मिश्र-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद भदोही में भू-माफियाओं से कितनी राजकीय भूमि अवमुक्त करायी गयी है एवं कितने भू-माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार उसका विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद भदोही में भू-माफियाओं से कुल 587.562 हे0 भूमि अवमुक्त करायी गयी है एवं 08 अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है।

जी हां (विवरण संलग्न† है।)।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद भदोही के गांवों को ओ0डी0एफ0 घोषित करने विषयक जानकारी

4-श्री विजय मिश्र-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत गांवों में शत प्रतिशत शौचालय बनाये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त योजनान्तर्गत जनपद भदोही के कितने व कौन-कौन से गांवों को ओ0डी0एफ0 घोषित कर दिया गया हैं

---

† देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या 198-202 पर।

एवं अवशेष को कब तक ओ0डी0एफ0 घोषित कर दिया जायेगा ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत बेसलाइन सर्वे में पात्र परिवारों के शौचालय राजकीय अनुदान/सहायता से बनाये जाने की व्यवस्था है।

जनपद-भदोही में कुल 1091 राजस्व ग्राम हैं जिसमें 650 राजस्व ग्रामों की ओ0डी0एफ0 घोषित कर दिया गया है, शेष को निर्धारित समय सीमा 02 अक्टूबर, 2018 तक ओ0डी0एफ0 घोषित किए जाने का लक्ष्य है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के वि0ख0 महराजगंज में बेकार पड़ी बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु जानकारी

5-श्री नफीस अहमद-

क्या परती भूमि विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज तथा विलरियागंज में ऊसर तथा बंजर भूमि का क्षेत्रफल कितना है ? क्या सरकार ऊसर तथा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु कोई व्यापक कार्य योजना चला रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जल सम्पूर्ति, भूमि विकास एवं जल संशाधन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री उपेन्द्र तिवारी)-

रिमोट सेन्सिंग ऐप्लीकेशन सेन्टर, उ0प्र0 (आर0एस0ए0सी0) के आकडों के आधार पर जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज में 131.42 हे0 ऊसर भूमि एवं विकास खण्ड बिलरियागंज में 87.87 हे0 ऊसर भूमि उपलब्ध है।

जी हां।

उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम द्वारा विश्व बैंक के वित्त पोषण से वर्तमान में उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना संचालित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के वि0स0 क्षेत्र सिकन्द्राराऊ के ब्लाक मुरसान के ग्राम जिंद पट्टी में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करने हेतु जानकारी

6-श्री बीरेन्द्र सिंह राणा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राराऊ के ब्लाक मुरसान के ग्राम जिंद पट्टी में कोई भी प्राथमिक विद्यालय न होने के कारण बच्चों के शैक्षिक विकास में हो रही असुविधा के निराकरण हेतु वहां प्राथमिक विद्यालय की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जनपद हाथरस के विकास क्षेत्र सिकन्द्राराऊ के ब्लाक मुरसान के ग्राम जिंद पट्टी बिसाना से 100 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय गंभीर पट्टी बिसाना संचालित है।

प्राथमिक विद्यालय कक्षा एक से पांच तक के बच्चों के सम्बन्ध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके एक किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 300 है।

उक्त मानक के अनुसार ग्राम जिंद पट्टी बिसाना में प्राथमिक खोला जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम जिंद पट्टी बिसाना मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय से सेवित है।

प्रदेश में पोषाहार एवं फल आदि सामग्री वितरित करने हेतु धन आवंटित किये जाने विषयक जानकारी

7-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पोषाहार एवं फल आदि सामग्री वितरित करने के लिए वर्ष 2017-18 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम माह में कितना धन का आवंटन किया गया है ? क्या यह सही है कि विगत जनवरी माह से प्रदेश के कतिपय जनपदों में पोषाहार का धन आवंटित नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जनपदों हेतु पोषाहार का धन आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु0 170288.90 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम माह में धन का आवंटन नहीं किया गया। इस वित्तीय वर्ष में अद्यतन रु0 94508.00 लाख धनराशि आवंटित की गयी है।

ई-टेण्डर की कार्यवाही प्रचलित होने के कारण माह फरवरी, 2018 से माह अप्रैल, 2018 तक पोषाहार की आपूर्ति नहीं हो सकी है। ई-टेण्डर प्रक्रिया 25 अप्रैल, 2018 को पूर्ण हो गयी है, जिसके उपरान्त माह मई, 2018 से पोषाहार की आपूर्ति की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के साक्षरता दर एवं कन्या महाविद्यालय खोलने की कार्य योजना बनाने हेतु जानकारी

8-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कौन-कौन से जनपदों में साक्षरता दर सबसे कम है ? क्या सरकार निम्न साक्षरता दर के जनपदों में कन्या महाविद्यालय खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के न्यूनतम साक्षरता दर वाले 05 जनपदों का विवरण निम्नवत् है :-

1- श्रावस्ती - 46.7%

2- बहराइच - 49.9%

3- बलरामपुर - 49.5%

4- बदायूं - 51.3%

5- रामपुर - 53.3%

जी नहीं।

निम्न साक्षरता दर के आधार पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने की कोई योजना संचालित नहीं है।

उ0प्र0 के जनपदों में गठित नये ब्लाकों का संचालन करने के सम्बन्ध में जानकारी

9-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कुछ जनपदों में नये गठित ब्लाकों जिनका नोटीफिकेशन भी हो चुका है लेकिन ब्लाक मुख्यालय घोषित न होने के कारण अभी तक ब्लाकों का संचालन नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ब्लाकों का संचालन प्रारम्भ करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

अधिसूचना दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रदेश में 30 नये विकास खण्डों का सृजन किया गया था, उक्त नवसृजित 30 विकास खण्डों के संचालन हेतु मूलभूत/अपरिहार्य अवस्थापना सुविधाओं तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, खण्ड विकास अधिकारियों की भारी कमी एवं नवसृजित विकास खण्डों के संचालन, आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता इत्यादि के सम्बन्ध में आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा0-356/38-2-2017-32बी/2013, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 द्वारा किया गया है। समिति को प्रकरण में प्राप्त आपत्तियों इत्यादि पर विचार कर संस्तुति शासन को शीघ्र उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। समिति की संस्तुति प्रतीक्षित है।

समिति की संस्तुति प्राप्त होने पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट सं0-1022/1989 में दि0 16-03-2015 पर कार्यवाही की जानकारी

10-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

क्या विधायी एवं न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट संख्या-1022/1989 में दिनांक 16-03-2015 को पारित आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार को प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ''शेट्टी आयोग'' द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों हेतु की गयी संस्तुतियों के क्रम में वेतन भत्तों का लाभ माह अप्रैल, 2015 के वेतन से दिया जाना था ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त वेतन दे दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद के तहसील करछना के अन्तर्गत ग्राम सभा गधियांव के गाटा संख्या-150, 151 व 153 पर निर्माण अवैध बाउन्ड्रीवाल को हटाने विषयक जानकारी

11-डा0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की तहसील करछना के अन्तर्गत ग्राम सभा गधियांव के गाटा संख्या 150, 151 व 153 को मिलाकर सरकारी भू-अभिलेख में कब्रिस्तान के नाम से दर्ज है ? यदि हां, तो अभिलेखों में उक्त कब्रिस्तान की पूर्व पश्चिम, उत्तर व दक्षिण दिशा में भुजा की माप तथा कब्रिस्तान की बनायी गयी बाउण्ड्री पूर्व व पश्चिम, उत्तर व दक्षिण दिशा में भुजा की माप क्या है ? क्या यह सही है कि बनायी गयी बाउण्ड्री में आस-पास के किसान के खेतों की भूमि का क्षेत्रफल मिला लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पैमाइश कराकर अवैध बाउण्ड्री को ध्वस्त करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

उक्त तीनों गाटों को मिलाकर कब्रिस्तान की बाउण्ड्री बनायी गयी है जिसमें पूरब, पश्चिम एवं उत्तर की भुजाएं एक सीध में नहीं हैं जिसका नजरी नक्शा संलग्न† है। नजरी नक्शे में भू-चित्र एवं मौके के अनुसार नाप अंकित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के तहसील सदर के वि0ख0 करंजाकला के ग्राम सभा कोहड़ा सुल्तानपुर के पंचायत भवन से साहबलाल के घर तक चकरोड का निर्माण विषयक जानकारी

12-डा0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर की तहसील सदर के विकास खण्ड करंजाकला में ग्राम सभा कोहड़ा सुल्तानपुर में पंचायत भवन (निषाद बस्ती) से बनी चकरोड जो साहबलाल पुत्र कान्तालाल निषाद के घर तक जाती है, जिसकी लम्बाई लगभग 600 मीटर है जर्जर व जीर्ण-शीर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चकमार्ग को सी0सी0 रोड/डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या 203-204 पर।

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

यह रोड पंचायत भवन से न बनकर पिच रोड से श्री साहबलाल पुत्र कान्तालाल निषद के घर तक ही बना है, जिस पर खड़ण्जा लगा हुआ है, तो अच्छी स्थिति में है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर के थाना कैण्ट स्थित रियल इण्डिया ग्रुप के डायरेक्टर द्वारा भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस उप महानिरीक्षक गोरखपुर को प्रेषित किये गये शिकायत संख्या-40018818013376 दिनांक 18-04-2018 पर कार्यवाही की जानकारी

13-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के थाना कैंट स्थित रियल इण्डिया ग्रुप के कतिपय एजेंटों द्वारा जमा करायी गयी धनराशि का भुगतान कम्पनी के डायरेक्टर द्वारा न किये जाने विषयक शिकायत संख्या 40018818013376 पुलिस उप महानिरीक्षक गोरखपुर को प्रेषित की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त शिकायत पर दिनांक 18-04-2018 को पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने तथा प्रकरण का समाधान कराकर प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जी हां।

आवेदिका श्रीमती नीलम श्रीवास्तव के सम्बन्ध में रियल इण्डिया ग्रुप के अधिकारीगण के मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क किया गया किन्तु मोबाइल नम्बर बन्द होने के कारण सम्पर्क नहीं हो पाया। कम्पनी रियल इण्डिया ग्रुप वर्तमान में बन्द है। सम्बन्धित प्रकरण में आवेदिका को हिदायत दी गयी है कि मामले के निस्तारण हेतु मा0 न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करें।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के वि0ख0 आजमगढ़ के ग्राम समुवारी नारायनपुर के खतौनी संख्या-372 पर नलकूप लगाने विषयक जानकारी

14-श्रीमती बन्दना सिंह-

क्या लघु सिंचाई एवं भू-गर्भ जल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड आजमगढ़ के ग्राम समुवारी नारायनपुर के खतौनी संख्या 372 कृषि भूमि पर सिंचाई हेतु सरकार नलकूप लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई एवं भू-गर्भ जल मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह बघेल)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शत-प्रतिशत शासकीय व्यय पर नलकूप लगाये जाने का कार्य लघु सिंचाई विभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

जनपद आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र सगड़ी में कुल अग्निशमन केन्द्रों की संख्या की जानकारी एवं तहसील मुख्यालय पर अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराने की मांग

15-श्रीमती बन्दना सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में कुल कितने अग्निशमन केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं ? क्या सरकार जनहित में सगड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील मुख्यालय पर अग्निशमन केन्द्र की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में एक अग्निशमन केन्द्र ग्राम प्रतापपुर, थाना महाराजगंज परिसर में स्थापित एवं क्रियाशील है।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र/तहसील सगड़ी के ग्राम प्रतापपुर, थाना महाराजगंज परिसर में स्थापित अग्निशमन केन्द्र द्वारा अग्निकाण्डों से जीवरक्षा एवं बचाव कार्य किया जाता है।

उ0प्र0 सचिवालय में वर्ष 1985 में नियुक्त टेलीफोन आपरेटर को प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने विषयक जानकारी

16-श्री महेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 सचिवालय में वर्ष 1985 में नियुक्त टेलीफोन आपरेटर जो कि मार्च, 1989 से अवर वर्ग सहायक पद के समकक्ष उच्चीकृत वेतनमान में कार्यरत हैं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए0सी0पी0 के रूप में कौन सा प्रोन्नत वेतनमान प्रदान किया गया है ? क्या यह सही है कि कतिपय कर्मियों को प्रथम प्रोन्नत वेतनमान न देकर द्वितीय और तृतीय ए0सी0पी0 के रूप में प्रोन्नत वेतनमान उपलब्ध कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त सभी कर्मियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रोन्नत वेतनमान का लाभ देने का आदेश प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत सचिवालय प्रशासन विभाग के टेलीफोन आपरेटर पदधारक 22 कार्मिकों को कार्यालय ज्ञाप संख्या-1245/20-ई-4-2002-166 (विविध)/2000, दिनांक 16 मार्च, 2002 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-764/20-4-ई-2012-44(अव0)/2011, दिनांक

25 अप्रैल, 2012 द्वारा 14 वर्ष की अनवरत सेवा के आधार पर पदोन्नति के पद अवर वर्ग सहायक का वेतनमान प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान के रूप में स्वीकृत किया गया है। राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था दिनांक 01-12-2008 से लागू हुई है। उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत सचिवालय प्रशासन विभाग के टेलीफोन आपरेटर पदधारक 11 कार्मिकों को 16 वर्ष/26 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय/तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अगला ग्रेड वेतन का लाभ प्रदान किया गया है।

जी नहीं।

दिनांक 01-12-2008 से लागू ए0सी0पी0 की व्यवस्था में प्रोन्नत वेतनमान देने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

समयमान वेतनमान के अन्तर्गत 14 वर्षीय प्रथम प्रोन्नतीय वेतनमान तथा 24 वर्षीय द्वितीय प्रोन्नतीय वेतनमान की व्यवस्था दिनांक 30-11-2008 तक अनुमन्य है। दिनांक 01-12-2008 से लागू ए0सी0पी0 की व्यवस्था में प्रोन्नतीय वेतनमान देने का प्राविधान नहीं है।

जनपद रायबरेली में प्राचार्या, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान के विरूद्ध जांच के सम्बन्ध में जानकारी

17-श्री महेन्द्र प्रताप सिंह-

प्रथम सत्र, 2018 के दूसरे मंगलवार हेतु निर्धारित अता0 प्र0स0-135 के उत्तर के क्रम में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राचार्या, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), जिला रायबरेली के विरुद्ध किस स्तर के अधिकारी से जांच करायी जा रही है तथा उक्त जांच कब तक पूरी कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

प्रकरण की जांच संयुक्त शिक्षा निदेशक (प्रशिक्षण), राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से करायी जा रही है जिसे नियमानुसार यथाशीघ्र पूर्ण किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्रा0 कांथा में सरकारी धन के दुरुपयोग करते हुए भूमिधारियों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी

18-श्री राम अचल राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव राजस्व परिषद्, उ0प्र0 को सम्बोधित मा0 सुनील कुमार चित्तौड़, सदस्य, विधान परिषद् का दिनांक 12-04-2018 का पत्र, जो कि जिला-उन्नाव के ब्लाक-असोहा के अन्तर्गत ग्राम कांथा, मोहल्ला रमना में सरकारी धनराशि का

दुरुपयोग करते हुए भूमिधारियों की निजी भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रकरण में पद के दायित्वों में लापरवाही बरतने के सम्बन्ध में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं लेखाकार/पटल सहायक को मध्यावधि प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है। प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में वाद संख्या 239/17 श्रीमती फूलकली बनाम बुद्धीलाल मा0 न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन पुरवा उन्नाव में योजित है जिसमें दिनांक 09-08-2017 को विवादित भूमि संख्या 2288 रकबा 0.5820 हे0 व भूमि संख्या 2292 रकबा 0.0760 हे0 स्थित ग्राम कांथा, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव में वादिनी के शांतिपूर्ण कब्जा दखल में हस्तक्षेप न किये जाने का आदेश पारित किया गया है। जो वर्तमान में प्रभावी है तथा मा0 न्यायालय में विचाराधीन वाद की अग्रिम तिथि 28-08-18 नियत है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी के परिषदीय प्रा0 विद्यालय, रुस्तमनगर, सहसपुर पर अवैध कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में जानकारी

19-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालय रुस्तमनगर सहसपुर विकास खण्ड बिलारी, जिला मुरादाबाद के भवन पर अवैध कब्जा कर बनाई गयी पुलिस चौकी को हटाने और उक्त कार्य को करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

परिषदीय प्रा0 विद्यालय रुस्तमनगर, सहसपुर, वि0ख0 बिलारी, जनपद मुरादाबाद के भवन पर पुलिस चौकी का निर्माण स्थापित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

बेसिक शिक्षा परिषद् की सम्पत्ति में पुलिस चौकी स्थापित न होने के कारण उसे बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा हटाये जाने की कार्यवाही करने का औचित्य नहीं है।

जनपद गाजीपुर के वि0स0क्षे0 जंगीपुर के ग्रा0 मेदनीपुर में निर्मित पानी की टंकी को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में जानकारी

20-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के जंगीपुर विधान सभा क्षेत्र के मेदनीपुर ग्राम सभा में निर्मित पानी की टंकी से जलापूर्ति प्रारम्भ न होने के कारण क्षेत्रवासियों को

पेयजल की अत्यधिक समस्या हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पानी की टंकी को आम जनता के उपयोग हेतु प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद गाजीपुर के जंगीपुर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम सभा मेदनीपुर में पेयजल योजना के निर्माण हेतु रु0 954.28 लाख का प्राक्कलन स्वीकृत है। स्वीकृत प्राक्कलन के अन्तर्गत 1200 किलो लीटर शिरोपरि जलाशय, 03 नलकूप एवं 46.686 किलो मीटर वितरण प्रणाली का कार्य कराया जाना है। योजना की निविदा स्वीकृत हो चुकी है तथा सितम्बर, 2019 तक योजना को पूर्ण किया जाना लक्षित है।

जनपद गाजीपुर के वि0स0क्षे0 जंगीपुर के ग्रा0 कालूपुर में पेयजल की समस्याओं से निजात दिलाने विषयक जानकारी

21-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के जंगीपुर विधान सभा क्षेत्र, ग्राम सभा कालूपुर में किसानों व ग्रामीण जनता को पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु ट्यूबवेल की बोरिंग तथा पानी की टंकी आदि का कार्य पूर्ण होने के बावजूद पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम सभा की जनता को पेयजल की समस्या से निजात दिलाने हेतु पेयजल आपूर्ति शुरु करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद गाजीपुर के जंगीपुर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम सभा कालूपुर की पेयजल योजना, जिसकी अनुमानित लागत रु0 105.74 लाख है, दिनांक 20-05-2014 को स्वीकृत की गयी थी। स्वीकृज योजना में 150 किलो लीटर का शिरोपरि जलाशय, एक नलकूप एवं 8.94 किलो मीटर वितरण प्रणाली प्रस्तावित है। योजना के निर्माण हेतु वर्ष 2015-16 में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष नलकूप बोरिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है योजना को मार्च, 2019 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

वि0स0 क्षेत्र खड्डा में संचालित सरकारी पशु चिकित्सालय पर चिकित्सक व अन्य आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

22-श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र के खड्डा नगर में पशु चिकित्सालय में न तो कोई डाक्टर बैठता है और न ही कोई कर्मचारी, फलस्वरूप चिकित्सक के अभाव में बीमार पशु दम तोड़ देते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पशु चिकित्सालय पर डाक्टर एवं सहयोगी स्टाफ की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्यपाल सिंह बघेल-

जी नहीं।

जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र के खड्डा नगर पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्साधिकारी की नियमित तैनाती न होने के कारण राजकीय कार्यहित में निकटतम पशु चिकित्साधिकारी डा0 सुबोध कुमार सिंह, रामकोला, देवरिया को सप्ताह में तीन दिन तथा श्री संजय भारती, पशुधन प्रसार अधिकारी एवं श्री राजीव पटेल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पशु चिकित्सालय, खड्डा का कार्य देखने हेतु निर्देशित किया गया है।

राजकीय कार्यहित में उपरोक्तानुसार रिक्त पशु चिकित्सालय का कार्य सम्पादित किया जा रहा है। उक्त चिकित्सालय पर नियमित तैनाती शीघ्र की जायेगी।

विभाग में पशु चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग से प्राप्त संस्तुतियों के क्रम में की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है एवं निरन्तर चलती रहती है। लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त यथा समय नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

वेटनरी फार्मासिस्ट की सेवा नियमावली प्रख्यापित कराये जाने की कार्यवाही क्रमित है। नियमावली प्रख्यापित होने के उपरान्त नियमित नियुक्ति की जायेगी।

चतुर्थ श्रेणी के पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से चयन की कार्यवाही क्रमित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2017-18 में कुल निर्मित शौंचालयों की संख्या एवं व्यय धन के सम्बन्ध में जानकारी

23-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेश में कितने शौचालय निर्माण का लक्ष्य प्रदेश में निर्धारित था और लक्ष्य के सापेक्ष कितने शौचालय का निर्माण पूर्ण करा लिया गया है तथा उन पर कितना धन व्यय हुआ है ? क्या सरकार बतायेगी कि शेष शौचालयों का निर्माण कब तक पूर्ण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत भारत सरकार की वेबसाइट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में 78,86,237 शौंचालय निर्माण कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित कराया गया था, जिसके सापेक्ष 44,10,903 का निर्माण कराया गया है, जिसमें 43,57,097 शौंचालयों का निर्माण अनुदान की धनराशि से एवं 53,806 का निर्माण स्वयं के संसाधन से किया गया है।

अनुदान से निर्मित 43,57,097 शौंचालयों के सापेक्ष रु0 5,22,851.64 लाख का व्यय किया गया।

अवशेष शौंचालयों का निर्माण दिनांक 02 अक्टूबर, 2018 तक कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

24-श्री रितेश पाण्डेय-

[बहुत अधिक ब्योरे की जानकारी के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में प्रत्येक विकास खण्ड में कांजी हाउस की व्यवस्था किये जाने विषयक

25-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में छुट्टा एवं घुमन्तू पशुओं/जानवरों से फसलों के साथ जन-धन की भी क्षति हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुराने कांजी हाउस के रख-रखाव एवं स्टाफ की व्यवस्था करने के साथ प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर कांजी हाउस के निर्माण करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्यपाल सिंह बघेल-

जी हां।

एतद्विषयक कतिपय शिकायतें संज्ञान में आयी हैं।

नगरीय क्षेत्र में नगर विकास विभाग एवं ग्रामीण स्तर पर पंचायतीराज विभाग द्वारा कांजी हाउस का निर्माण एवं संचालन किया जाता है। छुट्टा जानवरों की सुरक्षा एवं फसलों को नुकसान से बचाने हेतु प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में वृहद गो-संरक्षण केन्द्र स्थापित कराये जाने की योजना क्रियान्वित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के मेडिकल कालेज, चक्रपानपुर में चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराये जाने की मांग

26-श्री नफीस अहमद-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के मेडिकल कालेज चक्रपानपुर में चिकित्सा सेवा व दवाओं के अभाव में मरीजों का उपचार सुचारु रूप से नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मेडिकल कालेज में मानकानुसार चिकित्सकीय सेवाओं व दवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी')-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के कप्तानगंज-महराजगंज मार्ग को गड्ढ़ा मुक्त कराने की मांग

27-श्री नफीस अहमद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के कप्तानगंज-महराजगंज मार्ग गड्ढायुक्त होने के कारण मार्ग पर स्थित भैरोधाम मन्दिर में श्रद्धालुओं को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को गड्ढामुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

जनपद आजमगढ़ के कप्तानगंज-महराजगंज मार्ग का अनुरक्षण कार्य ठेकेदार द्वारा समय-समय पर किया जा रहा है। मार्ग की दशा संतोषजनक है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के बिलरियागंज-सौनापार मार्ग के नवनिर्माण की मांग

28-श्री नफीस अहमद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत निर्मित बिलरियागंज-रौनापार मार्ग अत्यन्त जर्जर हो जाने से लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का नवनिर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

जनपद आजमगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित बिलरियागंज-रौनापार मार्ग का अनुरक्षण कार्य ठेकेदार द्वारा समय-समय पर किया जा रहा है। वर्तमान में मार्ग की दशा संतोषजनक है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हाथरस के वि0स0क्षे0 सिकन्द्राराऊ में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना किये जाने की मांग

29-श्री बीरेन्द्र सिंह राणा-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के सिकन्द्राराऊ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कोई इंजीनियरिंग कालेज न होने के कारण छात्र-छात्राओं को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा के अन्तर्गत इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'')-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा के विकास हेतु शासन द्वारा ''प्रस्पेक्टिव प्लान'' का निर्धारण किया गया है। ''प्रस्पेक्टिव प्लान'' के निर्धारण हेतु किये गये अध्ययन में प्रदेश के इंजीनियरिंग विधा के डिग्री

स्तरीय निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध सीटों के सापेक्ष 62 प्रतिशत सीटें रिक्त पाये जाने के फलस्वरूप प्रदेश में नवीन इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना न किये जाने का निर्णय लिया गया है।

जनपद हाथरस के वि0स0क्षे0 सिकन्द्राराऊ के नगर पंचायत हसायन में शासकीय बालिका विद्यालय की स्थापना की मांग

30-श्री बीरेन्द्र सिंह राणा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के सिकन्द्राराऊ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत/हसायन में कोई शासकीय बालिका विद्यालय न होने से छात्राओं को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगर पंचायत हसायन में शासकीय बालिका विद्यालय की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

विभागीय मानक के अनुसार 05 कि0मी0 की परिधि में हाईस्कूल एवं 10 कि0मी0 की परिधि में इण्टर कालेज की स्थापना का प्रावधान है। नगर पंचायत हसायन की परिधि से 03 कि0मी0 पर अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, सीताराम सिंह इण्टर कालेज, गड़ौला एवं 04 कि0मी0 की दूरी पर अशासकीय सहायता प्राप्त जनता इण्टर कालेज, सिकतरा अवस्थित है। इसी प्रकार 02 कि0मी0 की दूरी पर वित्त विहीन हनुमान इण्टर कालेज, हसायन संचालित है, जिनमें छात्राओं के पठन-पाठन की सुविधा है।

जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के ग्राम कांथा मोहल्ला रमना में सरकारी धन का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में जिला अधिकारी को दिनांक 08-03-2018 को दिये गये पत्र पर कार्यवाही विषयक जानकारी

31-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव के ब्लाक-असोहा के अन्तर्गत ग्राम काँथा, मोहल्ला रमना में सरकारी धनराशि का दुरुपयोग कर भूमिधारियों की निजी भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कराये जाने विषयक खण्ड विकास अधिकारी असोहा, जिला-उन्नाव की जांच आख्या पत्रांक-2092/जांच 2017-18, दिनांक 08-03-2018 जिलाधिकारी उन्नाव को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों से सरकारी धनराशि की वसूली तथा उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करते हुये उक्त अवैध कब्जा को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रकरण में योजनान्तर्गत चयन जियोटैगिंग एवं निर्माण के सम्बन्ध में पद के दायित्वों में लापरवाही बरतने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यावधि प्रतिकूल प्रविष्टि दी

गयी है। प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में वाद संख्या 239/17 श्रीमती फूलकली बनाम बुद्धीलाल मा0 न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन, पुरवा उन्नाव में योजित है जिसमें दिनांक 09-08-2017 को विवादित भूमि संख्या-2288 रकबा 0.5820 हे0 व भूमि संख्या-2292 रकबा 0.0760 हे0 स्थित ग्राम कांथा, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव में वादिनी के शांतिपूर्ण कब्जा दखल में हस्तक्षेप न किये जाने का आदेश पारित किया गया है। जो वर्तमान में प्रभावी है तथा मा0 न्यायालय में विचाराधीन वाद की अग्रिम तिथि 28-08-18 नियत है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र केराकत के ग्राम गोबरा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में दिये गये पत्रांक क-6 नं0-008236 पर कार्यवाही की जानकारी

32-श्री दिनेश चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-6 नं0-008236 जो कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ग्राम गोबरा, कितरी में पेयजल योजना के माध्यम से ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी हां।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के अन्तर्गत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्राम भीतरी की कुल जनसंख्या 922 हैं तथा ग्राम गोबरा की कुल जनसंख्या 2,856, जिसके सापेक्ष ग्राम भीतरी में 40 एवं ग्राम गोबरा में 195 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। इस प्रकार ग्राम भीतरी में लगभग 24 व्यक्तियों पर एवं ग्राम गोबरा में लगभग 15 व्यक्तियों पर एक इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। अतः निर्धारित मानक (150 व्यक्ति प्रति हैण्डपम्प) के अनुसार उक्त दोनों ग्राम पेयजल की दृष्टि से हैण्डपम्पों से संतृप्त है। प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 07-09-2017 में की गयी मांग के क्रम में उक्त दोनों ग्रामों के क्रमशः 10 एवं 19 हैण्डपम्पों में पेयजल की रेण्डम सैम्पलिंग के अनुसार परीक्षण कराने पर यह पाया गया कि पेयजल का खारापन स्वीकार्य सीमा के अन्तर्गत है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र केराकत में फायर स्टेशन का निर्माण कराये जाने की जानकारी

33-श्री दिनेश चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में फायर सर्विस स्टेशन न होने के कारण आग से प्रतिवर्ष किसानों की फसलें जलकर राख हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में फायर स्टेशन का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने की घोषणा की जा चुकी है।

प्रश्नगत अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में रिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

34-डा0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से अति संवेदनशील शहर है ? यदि हां, तो क्या वहां पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मानकानुसार पुलिस कर्मियों व अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जनपद में स्वीकृत नियतन के अनुसार पुलिस अधिकारियों की संख्या पूर्ण है परन्तु आरक्षी से निरीक्षक तक के स्वीकृत नियतन के अनुसार 1326 पुलिस कर्मियों की कमी है।

35 हजार आरक्षियों को प्रशिक्षण कराये जाने की कार्यवाही प्रचलित है तथा आरक्षी से मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलित है। प्रशिक्षणोपरान्त/पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर शीघ्र तैनाती की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के सभी तहसीलों में अग्निशमन की व्यवस्था किये जाने की जानकारी

35-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की सभी तहसीलों में अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना सरकार सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद इलाहाबाद में 08 तहसीलें हैं, जिनमें 06 तहसीलों में यथा-मेजा, बारा, करछना (नैनी), हण्डिया, सोरांव व सदर में पूर्णकालीन फायर स्टेशन स्थापित हैं। शेष 02 तहसील फूलपुर (हनुमानगंज) व कोरांव में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने की घोषणा कर दी गयी है।

प्रश्नगत अग्निशमन केन्द्रों का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के वि0स0 क्षेत्र सोरांव के ब्लाकों के पात्र व्यक्तियों को पं0 दीन दयाल आवास उपलब्ध कराये जाने की जानकारी

36-डा0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में ब्लाकवार पंचायतों में स्थाई पात्रता सूची के आधार पर ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें अभी तक पं0 दीन दयाल आवास योजना का लाभ नहीं मिला है ? क्या सरकार बचे हुए पात्र व्यक्तियों को पं0 दीन दयाल आवास देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

पं0 दीन दयाल आवास योजना नाम की कोई ग्रामीण आवासीय योजना प्रदेश में संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के वि0स0 क्षेत्र रूधौली में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 01-01-2018 में मनरेगा योजना के अन्तर्गत लम्बित कार्य को पूर्ण किये जाने विषयक जानकारी

37-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 01-01-2018 जो कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के क्षेत्र पंचायत के कार्य जो क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा स्वीकृत हैं, की स्वीकृति जिले पर लम्बित हैं, के निस्तारण के संदर्भित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 01-01-2018 का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, अपितु दिनांक 12-01-2018 का पत्र प्राप्त हुआ है।

मनरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 के क्षेत्र पंचायत के कार्य की स्वीकृति जिले पर लम्बित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के रेवती इण्टर कालेज में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन दिये जाने की मांग

38-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के रेवती इण्टर कालेज, बलिया के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 02-04-2018, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं का लिंगानुपात एवं असामनता को दूर करने की कार्य योजना बनाने विषयक जानकारी

39-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का लिंगानुपात क्या है ? क्या यह सही है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्राओं के सापेक्ष छात्रों की संख्या बहुत कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस असमानता को दूर करने हेतु किसी योजना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

शैक्षिक सत्र 2017-18 (डायस डेटा के अनुसार) परिषदीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं का विवरण निम्नवत् है-

प्राथमिक विद्यालय- 49:51

उच्च प्राथमिक विद्यालय- 48:52

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

परीषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की संख्या लगभग बराबर है।

प्रदेश में वर्ष 2017-18 में समेकित गांवों की स्थापना के सम्बन्ध में जानकारी

40-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जमीनों से अवैध कब्जा हटाने एवं उनके रख-रखाव हेतु प्रत्येक ग्राम में समेकित गांव निधि की स्थापना की गई है ? यदि हां, तो वर्ष 2017-18 से अब तक कितने गांवों में समेकित गांव निधि की स्थापना हुई है और कितना धन प्राप्त हुआ है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-4/2018/375/एक-1-2018-20(10)/16, दिनांक 09 अप्रैल 2018 द्वारा प्रत्येक तहसील हेतु एक समेकित तहसील गांव निधि की स्थापना किये जाने का प्राविधान किया गया है न कि प्रत्येक ग्राम में समेकित गांव निधि की स्थापना की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 2017-18 में हुए अग्निकाण्ड पर नियंत्रण के लिए कार्य योजना विषयक जानकारी

41-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गत वर्ष 2017-18 एवं चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में प्रदेश में कितनी आग की घटनायें हुई हैं ? क्या यह सही है कि मैन पावर एवं संसाधनों की कमी के कारण अग्निशमन विभाग को प्रभावी ढंग से त्वरित कार्यवाही करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार अग्निकाण्ड पर प्रभावी नियंत्रण के लिये किसी योजना पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में गत वर्ष 2017-18 में कुल 37,650 एवं चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में प्रदेश में 10,068 आग की घटनाएं हुई हैं।

उपलब्ध संसाधनों से अग्निशमन विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

वित्तीय वर्ष-2018-19 में राजस्व पक्ष के उपकरण/संयत्र मद में रु0 10.00 करोड़, वाहन क्रय मद में रु0 01.00 करोड़, पूंजी पक्ष में उपकरण एवं संयत्र मद में रु0 22.00 करोड़ एवं वाहन क्रय मद में रु0 08.00 करोड़ का बजट प्राविधान कराया गया है।

अग्निकाण्डों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मुख्य अग्निशमन अधिकारी के 02 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से तैनाती की गयी है। सीधी भर्ती के मुख्य अग्निशमन अधिकारी के 07 रिक्त पदों पर अधियाचन दिनांक 18-04-2018 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद को प्रेषित किया गया है। फायरमैन के रिक्त 1679 पदों पर अधियाचन दिनांक 08-08-2018 को उ0प्र0 पुलिस भर्ती बोर्ड, लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ स्थित शंकर नगर चौराहा निराला नगर के जोत चकबन्दी आकार पत्र-45 पर अवैध कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में जानकारी

42-श्रीमती जय देवी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित शंकर नगर चौराहा, निरालानगर में जोत चकबंदी आकार पत्र-45 के अनुसार जलाशय/तालाब की भूमि संख्या क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त जलाशय/तालाब पर दबंग व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण करके मकान बना लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जलाशय/तालाब पर किये गये अतिक्रमण को हटाकर कब्जा मुक्त करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

शंकर नगर चौराहा, निराला नगर, ग्राम-इरादत नगर, परगना, तहसील व जिला-लखनऊ में स्थित है। उक्त ग्राम का चकबन्दी प्रक्रिया प्रभावी होने के पूर्व से नगरीय क्षेत्र में होने के कारण यहां चकबन्दी नहीं हुई है, इसलिए जोत चकबन्दी आकार पत्र-45 नहीं बना है। उक्त ग्राम में जमींदारी

विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम प्रभावी नहीं है, इसलिए उक्त ग्राम की कोई भी भूमि नगर निगम में निहित नहीं हुई है। नान जेड0ए0 खतौनी के अनुसार शंकर नगर चौराहा के आस-पास कोई तालाब अंकित नहीं है, जिसके कारण जलाशय/तालाब की भूमि संख्या होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

नान जेड0ए0 खतौनी के अनुसार शंकर नगर चौराहा के आस-पास कोई तालाब अंकित नहीं है। अतः उक्त जलाशय/तालाब पर दबंग व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण करके मकान बनाये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उ0प्र0 चकबन्दी अधिनियम में प्रवृत्त प्राविधानों के विरुद्ध आदेश संख्या-69/01-02, दिनांक 6 अगस्त, 2002 निरस्त किये जाने विषयक जानकारी

43-श्रीमती जय देवी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा-27(2) तथा धारा-49 में प्रवृत्त प्राविधानों के विरुद्ध किये गये उप जिलाधिकारी सदर, लखनऊ का आदेश संख्या-69/01-02 दिनांक 6 अगस्त, 2002 निरस्त किये जाने विषयक लोक शिकायत अनुभाग-3 में संख्या दर्ज-57/2008/ 18(03) 2002/लो0शि0-3 में अब तक सुनवाई की तिथि निर्धारित न किये जाने के क्या कारण है ? क्या सरकार प्रश्नगत प्रकरण पर सुनवाई की तिथि निर्धारित कर भुक्तभोगी को न्याय दिलाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उ0प्र0 चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा-27(2) तथा धारा-49 में प्रवृत्त प्राविधानों के विरुद्ध किये गये उप जिलाधिकारी सदर, लखनऊ के आदेश संख्या-69/01-02, दिनांक 6 अगस्त, 2002 निरस्त किये जाने विषयक लोक शिकायत अनुभाग-3 में संख्या दर्ज-57/2008/ 18(03) 2002/लो0शि0-3 से सम्बन्धित आईजीआरएस पोर्टल (संदर्भ संख्या-10157180000155) का निस्तारण दिनांक 31-01-2018 को किया गया, जिसमें कहा गया कि ''प्रकरण न्यायालय उप जिलाधिकारी के न्यायिक आदेश को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में है जो कि एक न्यायिक प्रक्रिया है आवेदक सक्षम न्यायालय में सुसंगत धाराओं में वाद योजित कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है।'' प्रकरण लोक शिकायत अनुभाग-3 में भी दर्ज है। अतः प्रश्नगत प्रकरण की शीघ्र सुनवाई की जायेगी।

प्रकरण के सम्बन्ध में शीघ्र सुनवाई कर भुक्तभोगी को न्याय दिलाने हेतु राजस्व अनुभाग-8 के पत्र संख्या-1794/1-8-2018-रा0-8, दिनांक 24-08-2018 द्वारा विशेष सचिव, लोक शिकायत अनुभाग-3 से अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

44-श्रीमती जय देवी

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

लखनऊ के के0जी0एम0यू0 में कम्पनियों द्वारा सप्लाई दवाएं एवं पैथोलॉजी के लिए आवश्यक वायल के सम्बन्ध में जानकारी

45-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि के0जी0एम0यू0, लखनऊ में किन-किन कम्पनियों द्वारा दवायें एवं पैथालॉजी में जांच के लिये आवश्यक वायल की सप्लाई की जाती है ? क्या यह सत्य है कि मानक स्तर से निम्न स्तर की दवायें एवं वायल पाये जाने के बावजूद कम्पनियों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित फर्मों द्वारा दवाओं की आपूर्ति की जाती है :-

क्र0	दवा की सप्लाई करने वाली फर्म का नाम
1	मैसर्स ल्यूपिन लि0, 1/47, प्रागनारायण रोड, लखनऊ-226001।
2	मैसर्स फाइकोट्रॉपिक इण्डिया लि0, ए-32, डी0एल0एफ0, सेक्टर-11, फरीदाबाद-121006।
3	मैसर्स एम्क्योर फार्मास्यूटिकल्स लि0, 225/2, फेज-1, राजीव गांधी आई0टी0 पार्क, एम0आई0डी0सी0, हिंजेवली पुणे-411057।
4	मैसर्स नैप्रोड लाइफसाइंसेज, 304, टाउन सेन्टर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (ई), मुम्बई।
5	मैसर्स जी लैबोरेट्रीज, यूनिट-1, जी0टी0 रोड, करनाल।
6	मैसर्स जी लैबोरेट्रीज, बी0ओ0-ई-166, ट्रांस्पोर्ट नगर, लखनऊ।
7	मैसर्स ट्रोइक्का फार्मास्यूटिकल्स लि0, कॉमर्स हाउस-1, राजवंश अपार्टमेंट के पीछे, सत्या मार्ग, बोकादेव, अहमदाबाद, गुजरात।
8	मैसर्स इन्टास फार्मास्यूटिकल्स लि0, द्वितीय तल, छीनू भाई सेन्टर, नेहरू ब्रिज, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009।
9	मैसर्स एल्केम लैबोरेट्रीज लि0, सी0-31, टी0पी0 नगर, कानपुर रोड, लखनऊ।
10	मैसर्स बैक्सटर इण्डिया प्रा0लि0, द्वितीय तल, टावर-सी, बिल्डिंग नं0-8, डी0एल0एफ0 साइबर सिटी, डी0एल0एफ0 फेज-2, गुड़गांव-122002।
11	मैसर्स फ्रेस्सेनियस काबी आंकोलॉजी लि0, इकेलन इंस्टीट्यूशनल एरिया, प्लाट नं0-11, सेक्टर-32, गुड़गांव-122001, हरियाणा।
12	मैसर्स खाण्डेलवाल लैबोरेट्रीज लि0, 79/87, गोयल पथ, मुम्बई-400033।
13	मैसर्स समर्थ लाइफसाइंस प्रा0लि0, राम मन्दिर मार्ग, गोरेगांव, मुम्बई।

1	2
14	मैसर्स एबट्ट इण्डिया लि0, 3-4, कार्पोरेट पार्क, सियान, ट्राम्बे रोड, मुम्बई।
15	मैसर्स भारत सीरम एण्ड वैक्सीन लि0, 17वां तल, नर्मन प्वाइंट, मुम्बई।
16	मैसर्स टैबलेट इण्डिया लि0, झावर सेन्टर, चौथा तल आर0ए0 बिल्डिंग, 72 मार्शल्स रोड, चेन्नई-600008।
17	मैसर्स क्लेरिस ओट्सुका प्रा0लि0, 20वां-21वां तल, बी ब्लाक, वेस्ट गेट, वाई0एम0सी0ए0, एस0जी0 हाईवे, अहमदाबाद-380015।
18	मैसर्स रिलायंस लाईफ साइंस प्रा0लि0, डी ए एल एच, थाणे रोड, बेलापुर रोड, रॉब्ले, मुम्बई।
19	मैसर्स निरमा लि0 डि0-हेल्थकेयर, बी/505, कॉमर्स हाउस, 5, निकट वोडाफोन हाउस, प्रहलाद नगर, एस0जी0 हाईवे, अहमदाबाद।
20	मैसर्स सिप्ला लि0, सी0-1/15, 1/16 फेज-2, ट्रान्सपोर्ट नगर, कानपुर रोड, लखनऊ।
21	मैसर्स बी0 ब्राउन मेडिकल (प) प्रा0लि0, ए0-601, छठां तल बूमेरंग, चाण्डवाली फार्म रोड, अंधेरी पूर्व, मुम्बई-400072।

पैथालॉजी में जांच के लिए वायल की सप्लाई मैसर्स बेक्टन डिकिन्सन प्रा0लि0 के द्वारा की जा रही है।

जी नहीं।

इस चिकित्सालय में जिस आपूर्तिकर्ता फर्म की औषधियां मानक के अनुरूप नहीं पायी जाती हैं, उन फर्मों के खिलाफ सक्षम अधिकारियों के अनुमोदनोपरान्त निविदा की नियम एवं शर्तों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में खाली पड़े शिक्षकों के पद पर नियुक्ति करने विषयक जानकारी

46-श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी हां।

उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त अधियाचन के सापेक्ष चयन की कार्यवाही की जाती है। चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के एस0जी0पी0जी0आई0 में लीवर ट्रांसप्लांट हेतु निर्मित भवन का उपयोग किये जाने विषयक जानकारी

47-श्री मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के एस0जी0पी0जी0आई0 में लिवर ट्रांसप्लांट हेतु पिछले चार वर्षों से बनकर तैयार सात मंजिला भवन का कोई उपयोग नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार मरीजों की बहुतायत को दृष्टिगत रखते हुए उक्त निर्मित भवन का उपयोग निर्धारित समय में शुरू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में रु0 6716.45 लाख की लागत से सेन्टर आफ हिपैटोबिलियरी डिजीजेज एवं लीवर ट्रान्सप्लांट यूनिट का निर्माण कराया जा रहा है। अनुमोदित लागत के सापेक्ष रु0 5921.18 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

लीवर ट्रान्सप्लांट यूनिट हेतु पदों का सृजन किया जा चुका है। शीघ्र ही उक्त भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर इसे संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के एस0जी0पी0जी0आई0 बिना विशेषज्ञ संचालित लेबोरटरी की जांच कराने विषयक जानकारी

48-श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के संज्ञान में है कि जनपद लखनऊ के एस0जी0पी0जी0आई0 में कतिपय लैबोरटरी बिना विशेषज्ञ के देख-रेख में चल रही है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त अस्पताल में नियम विरुद्ध बायोकेमिस्ट्री की जांच रीनल लैब में लिवर फंक्शन टेस्ट रीनल लैब में चल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में स्थित सभी लेबोरटरी मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित मानदण्डों के तहत सम्बन्धित विशेषज्ञ चिकित्सक की देख-रेख में ही चल रही है।

एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के नेफ्रोलोजी में स्थित रीनल लैब में लीवर फंक्शन टेस्ट एवं बायोकेमिस्ट्री सम्बन्धी जांच सम्बन्धित विशेषज्ञ चिकित्सक की देख-रेख में ही होता है एवं लैब/टेस्ट रिपोर्ट पर सम्बन्धित अधिकृत चिकित्सक के ही हस्ताक्षर होते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में कक्षा 6 से 12 तक छात्राओं की छात्रवृत्ति बढ़ाने की कार्य योजना बनाने विषयक जानकारी

49-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अध्ययनरत कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का क्या प्राविधान है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अध्ययनरत

गरीब छात्राओं को कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा बच्चों को शैक्षिक सुविधायें और छात्रवृत्तियां।

माध्यमिक विद्यालय में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित संस्थाओं में योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति।

देश में चुने हुए उ0मा0वि0 में पढ़ने वाले प्रतिभावान बालक/बालिकाओं को विशेष छात्रवृत्तियां।

माध्यमिक स्तर के कक्षा 9-12 तक अतिरिक्त छात्रवृत्तियों की व्यवस्था।

ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक स्तर के कक्षा 9-10 के प्रतिभावान छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां।

हाईस्कूल परीक्षा के आधार पर दी जाने वाली इण्टरमीडिएट में मिलने वाली योग्यता छात्रवृत्ति।

प्रदेश के मैदानी जिलों में कक्षा 6-8 तक 3 वर्षों के लिए योग्यता छात्रवृत्ति।

माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा छात्रवृत्ति की जिन योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, वे प्रतिभावान छात्र/छात्राओं के लिए हैं। इसमें गरीब छात्र/छात्राएं भी लाभान्वित होते हैं, किन्तु इसमें आय का कोई मानक नहीं रखा गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा में अध्यापकों के जिले के अन्दर ट्रांसफर किये जाने की मांग

50-श्री हर्षबर्धन बाजपेयी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व जनपदीय ट्रांसफर की पुरानी नीति पारदर्शी न होने के कारण बेसिक शिक्षा के स्कूलों में पिछले वर्ष जिले के अन्दर ट्रांसफर नीति पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार बेसिक शिक्षा के जिला के अन्दर के ट्रांसफर जो रुके हुए हैं वो फिर से शुरू हो जायें और इस प्रणाली में पारदर्शिता हो, कोई नई नीति बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी नहीं।

माननीय उच्च न्यायालय ने नीति के पारदर्शिता के आधार पर नहीं बल्कि छात्र-अध्यापक संख्या के निर्धारण की तिथि तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम में प्राविधान के संदर्भ में वर्ष 2017-18 की स्थानान्तरण नीति पर स्थगनादेश पारित किया था तथा सत्रान्त के कारण नई नीति लाये जाने के आदेश दिए थे।

जी हां।

शासनादेश दिनांक 20 जुलाई, 2018 के माध्यम से शैक्षिक-सत्र 2018-19 हेतु अध्यापकों के जनपद के भीतर समायोजन/पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं।

उक्तवत।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को सुपरवाइजर के पद पर प्रोन्नति दिये जाने की मांग

51-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्षों से कार्यरत आंगनबाड़ी सहायिका को आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं कार्यकत्री को सुपरवाइजर के पद पर प्रोन्नति देने की योजना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी नहीं।

विद्यमान नियमों के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकत्री से मुख्य सेविका के पद पर प्रतिचयन का प्राविधान है। उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1992 समय-समय पर यथा संशोधित 1998 व 2006 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मुख्य सेविका के स्वीकृत 50 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों में से प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति के माध्यम से एवं शेष 50 प्रतिशत पद हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों में से, जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो और 50 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न कर ली हो, का मेरिट के आधार पर प्रतिचयन किये जाने की व्यवस्था है।

आंगनबाड़ी सहायिका से आंगनबाड़ी कार्यकत्री पद पर पदोन्नति का प्राविधान नहीं है, अपितु शासनादेश संख्या-1606/60-2-12-2/1(22)/10 टी0सी0, दिनांक 04 सितम्बर, 2012 में आंगनबाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पद पर सर्वप्रथम अपेक्षित अर्हता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्रों में उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित केन्द्र की सहायिका, जिसकी न्यूनतम अर्हकारी सेवा 05 वर्ष पूरी हो चुकी हो तथा हाईस्कूल उत्तीर्ण हो एवं उस केन्द्र का आरक्षण प्रभावित न हो, तो सहायिका का कार्यकत्री के पद पर चयन किये जाने का प्राविधान है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के परगना बिजनौर के ग्राम पिपरसण्ड में अंकित भूमि खसरा संख्या-862/2 में हुए अवैध कब्जे की जांच कराने की मांग

52-श्रीमती जय देवी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ परगना बिजनौर के ग्राम पिपरसण्ड में सन् 1994 फसली सन् 1404 फसली की खाता खतौनी क्रम संख्या-676 में अंकित भूमि खसरा संख्या 862/2 को आकार-पत्र 45 में हेरा-फेरी करके खाता धारकों के नाम अंकित की गई है ? यदि

हां, तो क्या सरकार प्रश्नगत भूमि की उच्चस्तरीय जांच आधार वर्ष खतौनी से करा कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पिपरसण्ड, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ के राजस्व अभिलेख जोत चकबन्दी आकार-पत्र-45 में गाटा संख्या-862/2 (बटा दो के रूप में) अंकित नहीं है। गाटा संख्या-862 रकबा 1-0-0 (एक बीघा) जोत चकबन्दी आकार-पत्र-45 में दर्ज है, जिसमें कोई उपरिलेखन (ओवर राइटिंग) अथवा त्रुटि होना प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं होता है।

जनपद बस्ती के ब्लाक रामनगर के ग्राम भानपुर में आवासीय सर्वे कराकर प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने विषयक जानकारी

53-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 सूची तथा वर्ष 2011 के जनगणना के सूची में नाम की बाध्यता समाप्त किये जाने के बाद भी पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो उक्त के क्रम में क्या सरकार को जानकारी है कि रुधौली के ब्लाक रामनगर के ग्राम भानपुर में आज तक आवासीय सर्वे का कार्य नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार रामनगर ब्लाक के भानपुर ग्राम का आवासीय सर्वे कराकर उक्त योजना का लाभ दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

विद्यमान व्यवस्था के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 के आंकड़ों के आधार पर तैयार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की स्थायी प्रतीक्षा सूची में से आवास दिये जाने का प्राविधान है।

विधान सभा क्षेत्र रुधौली के विकास खण्ड रामनगर के ग्राम पंचायत भानपुर में सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 के आधार पर कार्यवाही की जा रही है।

सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 के आंकड़ों पर आधारित स्थायी प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार आवास आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

54-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

[01 गुरुवार के अता0प्र0सं0-99 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद इलाहाबाद के तहसील करछना के अन्तर्गत ग्राम गधियांव में सरकारी ट्यूबवेल के पास स्थित रास्ते का डामरीकरण किये जाने की मांग

55-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की तहसील करछना के अन्तर्गत ग्राम गधियांव में पुराना सरकारी ट्यूबवेल से उत्तर दिशा में डीहा रोड तक बना हुआ आम रास्ता जर्जर हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त रास्ते का पुनः निर्माण/डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम गधियांव में पुराने सरकारी ट्यूबवेल से उत्तर दिशा में डीहा रोड तक जाने वाला सम्पर्क मार्ग वर्तमान में जर्जर नहीं है।

जनपद लखनऊ मण्डल में माह अप्रैल, 2017 से माह अप्रैल, 2018 तक कुल डकैती, लूट आदि घटनाओं पर दर्ज मुकदमों की जानकारी

56-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मण्डल में माह अप्रैल, 2017 से माह अप्रैल, 2018 के मध्य हत्या, अपहरण, डकैती, लूट-छिनैती एवं बलात्कार की घटनाओं की कितनी-कितनी प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा कितनी घटनाओं की जांच पूर्ण कर अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई है ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

लखनऊ मण्डल में माह अप्रैल, 2017 से माह अप्रैल, 2018 के मध्य हत्या, अपहरण, डकैती, लूट-छिनैती एवं बलात्कार से सम्बन्धित घटनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

घटना	पंजीकृत मुकदमों की संख्या	अन्तिम रिपोर्ट
हत्या	495	34
अपहरण	2174	1065
डकैती	36	01
लूट-छिनैती	713	169
बलात्कार	550	63

जनपद अमेठी में जनवरी 2018 से अब तक माहवार उपलब्ध पुष्टाहार व कुपोषित बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी

57-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 300 दिन पुष्टाहार देने का प्राविधान है ? यदि हां, तो जनपद अमेठी में जनवरी, 2018 से

दिनांक 01-05-2018 तक माहवार कितना-कितना पुष्टाहार केन्द्रों को उपलब्ध कराया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद अमेठी में माह दिसम्बर, 2017 में कुपोषित बच्चों की संख्या क्या थी और माह अप्रैल, 2018 में कुपोषित बच्चों की संख्या कितनी दर्ज है ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी हां।

जनपद अमेठी में माह जनवरी, 2018 में 440.22 एम0टी0 पोषाहार उपलब्ध कराया गया। अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति हेतु ई-टेण्डर के माध्यम से आपूर्तिकर्ता फर्मों/कम्पनियों के चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण माह फरवरी, मार्च, अप्रैल, 2018 में पोषाहार उपलब्ध नहीं कराया गया। ई-टेण्डर के माध्यम से चयनित आपूर्तिकर्ता फर्मों/कम्पनियों को माह मई, 2018 में अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति के आदेश निर्गत किए गए, जिसके क्रम में जनपद अमेठी में माह मई, 2018 में 509.98 एम0टी पोषाहार उपलब्ध कराया गया है।

जनपद अमेठी में माह दिसम्बर, 2017 में कुल कुपोषित बच्चों की संख्या 50778 और माह अप्रैल, 2018 में कुल कुपोषित बच्चों की संख्या 39052 थी।

प्रदेश के डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा विषम सेमेस्टर के रोके गये परिणामों के सम्बन्ध में जानकारी

58-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) से सम्बद्ध विभिन्न कालेजों के कितने छात्र/छात्राओं के विषय सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम रोके गये हैं तथा उक्त परीक्षा परिणाम रोके जाने के कारण क्या हैं ? क्या सरकार उक्त रोके गये परीक्षा परिणामों को जारी कराकर छात्रों को अंक-पत्र उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध कुल 11 संस्थाओं के द्वारा परीक्षा फीस विश्वविद्यालय में जमा नहीं कराये जाने के कारण कुल 857 छात्रों का परीक्षाफल रोक दिया गया है।

विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थाओं के निदेशक/प्राचार्य एवं प्रबन्धन समिति से परीक्षा शुल्क के भुगतान हेतु बारम्बार अनुरोध किया गया है। छात्रों के रोके गये परीक्षा परिणामों को घोषित किया जाना, परीक्षा शुल्क प्राप्त होने पर निर्भर है।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर को सुधारने की कार्य योजना बनाये जाने की मांग

59-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लगातार गिरते स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं नैक द्वारा चिन्ता व्यक्त किये जाने की

जानकारी क्या सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश में कोई भी विश्वविद्यालय विशिष्ट संस्थान का दर्जा प्राप्त नहीं कर पा रहा है ? यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिये सरकार ने कोई नई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उक्त कार्य योजना का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु उच्च शिक्षा विभाग निरन्तर प्रयत्नशील है।

इस क्रम में समस्त राज्य विश्वविद्यालयों में शोध पीठ की स्थापना, छात्राओं के लिए अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना, फ्री वाई-फाई, ऑन लाइन प्रवेश/परीक्षा आवेदन/शुल्कों का भुगतान, शैक्षिक प्रमाण पत्रों को ऑन लाइन निर्गत किये जाने हेतु राज्य सरकार की योजनाएं सम्मिलित हैं।

आगरा के ग्राम सिकरौंदा के जर्जर प्रा0 विद्यालय का पुनः निर्माण कराने विषयक जानकारी

60-चौ0 उदयभान सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आगरा की तहसील किरावली के ग्राम सिकरौंदा में अधिकांश प्राथमिक विद्यालय जीर्ण-शीर्ण होने से विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र एवं अध्यापक हादसे का शिकार हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सर्वे कराकर ऐसे विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम सिकरौंदा में एक ही प्राथमिक विद्यालय स्थित है। हादसे का कोई भी प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। विद्यालय में 6 कक्षा-कक्ष व बरामदा है। विद्यालय के 3 कक्षा-कक्ष जर्जर स्थिति में हैं। 3 कक्षा-कक्षों की स्थिति ठीक है।

विद्यालय का सर्वे खण्ड शिक्षा अधिकारी व जिला समन्वयक को भेजकर कराया गया। मरम्मत की लागत हेतु आगणन अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग से कराया जा रहा है। तद्नुसार धनराशि उपलब्ध होने पर मरम्मत का कार्य कराया जा सकेगा।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के वि0स0 क्षेत्र बैरिया में सड़क मार्ग का कार्य पूर्ण किये जाने की मांग

61-श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के बैरिया विधान सभा क्षेत्र में प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत नौरंगा दयाछपरा मार्ग का कार्य पूर्ण करा दिया गया

है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त कार्य को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह) (मोती सिंह)-

जी नहीं।

जी नहीं। पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-8 वर्ष 2009-10 के पैकेज संख्या-यू0पी0-1058 के अन्तर्गत दयाछपरा (श्रीपालपुर) पान्टून ब्रिज से नवरंगा तक के नाम से 8.70 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग निर्माण हेतु मु0 537.47 लाख की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दिनांक 14-09-2010 को प्रदान की गयी थी। मार्ग के निर्माण हेतु गठित अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 26-04-2011 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 25-04-2012 निर्धारित थी। ठेकेदार द्वारा कार्य समय से प्रारम्भ कर दिया गया था, परन्तु सितम्बर, 2011 की बाढ़ के कारण कार्य प्रभावित हुआ। तत्पश्चात् वर्ष 2013 की भयंकर बाढ़ तथा वर्षानुवर्ष बाढ़ में उक्त मार्ग पर जिला पंचायत द्वारा पूर्व से निर्मित 04 पुल (माइनर ब्रिज) अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गये हैं। इनके फाउण्डेशन अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण पुल ध्वस्त होने की कगार पर है।

वर्षानुवर्ष बाढ़ से विभाग द्वारा पूर्व में मार्ग पर कराया गया कार्य भी क्षतिग्रस्त हो गया है। अतः उक्त विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत मार्ग को पी0एम0जी0एस0वाई0 से डिलीट करने का अनुरोध दिनांक 26-02-2018 को उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण से किया गया है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सहारनपुर के वि0स0क्षे0 बेहट में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के संकट को दूर करने के सम्बन्ध में जानकारी

62-श्री नरेश सैनी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में गर्मियों में पेयजल की समस्या के निराकरण एवं आधी अधूरी निर्मित इकाइयों को पूर्ण कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी हां। जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में गर्मियों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए मा0 सदस्य, विधान सभा/विधान परिषद् की संस्तुति पर 234 नये हैण्डपम्पों के लक्ष्य के सापेक्ष 179 नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कार्य कराया जा रहा है। शेष हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन माह अगस्त, 2018 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। उक्त के अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र बेहट में कुल 12 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के थानों में आरक्षण के नियमों के अनुकूल थानाध्यक्षों की नियुक्ति करने विषयक जानकारी

63-श्री सुखदेव राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के थानों में आरक्षण के नियमों के अनुकूल थानाध्यक्षों की तैनाती की गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या

सरकार आरक्षण के नियमों के अनुसार थानाध्यक्षों की तैनाती पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

माह जुलाई-2018 की स्थिति के अनुसार प्रदेश के जनपदों में सामान्य जाति के 55.1 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग समुदाय के 26.3 प्रतिशत तथा विछड़ा वर्ग समुदाय में शामिल मुस्लिम के 2.5 प्रतिशत इस प्रकार पिछड़ा वर्ग के कुल 28.8 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के 16.2 प्रतिशत उपयुक्त सक्षम स्तर के निरीक्षक/उप निरीक्षक थानों पर प्रभारी के रूप में तैनात हैं।

जनपदों में थानाध्यक्षों/प्रभारी निरीक्षकों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति समुदाय के आरक्षण हेतु शासनादेश संख्या-3150/छः-पु-1-07-98/95, दिनांक 18-07-2007 द्वारा निर्देश दिये गये हैं। पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पत्र संख्या-डीजी-चार-106(370)2018, दिनांक 21-07-2018 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस उप महानिरीक्षक को जनपदों में अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिकों की अनुपलब्धता के दृष्टिगत परिक्षेत्र/जोनल स्तर पर समीक्षा कर जनपदों में प्रभारी निरीक्षकों/थानाध्यक्षों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार समुचित प्रतिनिधित्व पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देश भी जारी किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई किये जाने विषयक जानकारी

64-श्री सुखदेव राजभर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कराये जाने हेतु शिक्षकों के तैनाती के मानक क्या हैं ? क्या सरकार उक्त का ब्यौरा सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कराने हेतु शिक्षकों के तैनाती के मानक सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 5 जनवरी, 2018 के अनुसार अंग्रेजी माध्यम के परिषदीय विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक अर्थात् कुल 5 शिक्षक (प्रधानाध्यापक सहित) तैनात किये जायेंगे।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम से संचालित विद्यालयों की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी

65-श्री सुखदेव राजभर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई हेतु कुल कितने विद्यालयों को चयनित किया गया है ? क्या सरकार उक्त हेतु चयनित विद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई हेतु 5000 विद्यालयों के चयन का लक्ष्य रखा गया था। अद्यतन 4912 विद्यालयों का चयन किया जा चुका है।

सूची संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में तूफान से हुई फसलों की क्षति को आर्थिक मदद दिये जाने की जानकारी

66-श्री सुखदेव राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माह फरवरी, 2018 से दिनांक 14-05-2018 तक आंधी/तूफान तथा ओला वृष्टि से कुल कितनी फसलों की क्षति हुई है ? क्या सरकार द्वारा पीड़ित किसानों को आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

माह फरवरी, 2018 से दिनांक-14-05-2018 तक उत्तर प्रदेश के कुल 08 जनपदों-ललितपुर, महोबा, झांसी, बांदा, बुलन्दशहर, आगरा, मथुरा एवं बरेली में कुल 33 प्रतिशत से अधिक फसलों की क्षति हुई तथा 65622 किसान प्रभावित हुए।

जी हां।

राज्य सरकार द्वारा क्षति का वास्तविक आंकलन कराते हुए कृषि निवेश अनुदान के रूप में जनपद आगरा में 114979 प्रभावित किसानों के लिए धनराशि रु0 52.59 करोड़, जनपद मथुरा में 26284 प्रभावित किसानों के लिए रु0 21.33 करोड़, जनपद महोबा में 19710 प्रभावित किसानों के लिए रु0 20.00 करोड़, जनपद बांदा में 19939 प्रभावित किसानों के लिए रु0 17.66 करोड़, जनपद झांसी में 13102 प्रभावित किसानों के लिए रु0 7.50 करोड़, जनपद ललितपुर में 15824 प्रभावित किसानों के लिए रु0 23.62 करोड़, जनपद बरेली में 1509 प्रभावित किसानों के लिए रु0 30.00 लाख तथा जनपद बुलन्दशहर में 1232 प्रभावित किसानों के लिए रु0 2.71 करोड़ स्वीकृत किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पुलिस प्रशासन में कमिश्नर प्रणाली लागू किये जाने की मांग

67-श्री उज्जवल रमण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन में कमिश्नर प्रणाली (सिस्टम) लागू करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

कानून-व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। समय-समय पर प्रदेश सरकार वर्तमान व्यवस्था की उपयोगिता एवं उसमें बदलाव की आवश्यकता की समीक्षा करती रहती है।

प्रदेश में मनरेगा योजना के अन्तर्गत कार्यरत ग्राम रोजगार सेवकों का भुगतान किये जाने विषयक जानकारी

68-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मनरेगा योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत कार्यरत ग्राम रोजगार सेवकों का 2 वर्ष से अधिक अवधि के बकाया मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों में संविदा पर कार्यरत ग्राम रोजगार सेवाकों द्वारा किये गये कार्य के सापेक्ष होने वाले व्यय से प्रशासनिक मद सृजित होता है और उससे ही उनके मानदेय का भुगतान किये जाने का प्राविधान है। समय-समय पर उनके मानदेय में हुई बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप 59 जनपदों में सृजित प्रशासनिक मद में समुचित धनराशि की उपलब्धता न होने के कारण वित्तीय वर्ष 2016-17 से कुल रुपये 221.52 करोड़ मानदेय का भुगतान बकाया है। शेष जनपदों में बकाया मानदेय शून्य है।

प्रयास किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में महिला हेल्प लाइन 1090 पर वर्षवार शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में जानकारी

69-श्री सुखदेव राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला हेल्प लाइन 1090 पर वर्षवार (स्थापना से आज तक) कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं एवं कुल कितनी शिकायतों का निराकरण हुआ तथा कुल कितने निस्तारित होना शेष हैं ? क्या सरकार शेष शिकायतों का निस्तारण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या सरकार 1090 का संचालन बन्द करने वाली है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

महिला हेल्प लाइन 1090 की स्थापना से आज तक महिला उत्पीड़न की कुल 9,62,218 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। वर्षवार विवनण संलग्न[†]।

महिला उत्पीड़न की कुल 9,46,824 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है। 15,394 शिकायतों का निस्तारण शेष है।

जी हां।

विवेचना जारी है।

[†] देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ संख्या 205 पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हापुड़ के थाना विलखुवा के महाराजा अग्रसेन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी में इन्द्र कुमार की हत्या की जांच कराने विषयक जानकारी

70-श्री असलम अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के थाना पिलखुवा क्षेत्र में एन0एच-24 पर स्थित महाराजा अग्रसेन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी में इन्द्र कुमार पुत्र हरिदास गौतम निवासी ग्राम मानक चौक, थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ बी0टेक की पढ़ाई कर रहा था, की दिनांक 13 मार्च, 2018 को इन्द्र कुमार की हत्या कालेज परिसर में कर दी गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि मृतक के परिजनों ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया था लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है ? यदि हां, तो क्या सरकार आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

दिनांक 14-03-2018 को श्री हरिदास गौतम पुत्र श्री गुटियान सिंह निवासी ग्राम मानक चौक, थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ द्वारा अपने पुत्र श्री इन्द्र कुमार की मृत्यु महाराजा अग्रसेन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, थाना पिलखुवा के प्रांगण में बासकेट बाल के पोल के नीचे दबकर हो जाने के सम्बन्ध में थाना पिलखुवां पर मु0अ0सं0-91/18 धारा 304ए भादंवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया, जिसकी विवेचना थाना पिलखुवा पर नियुक्त उप निरीक्षक, श्री राजीव कुमार द्वारा प्रारम्भ की गयी। विवेचना के दौरान 1-श्री पीयूष गर्ग पुत्र श्री मनमोहन दास निवासी 119 बाग भम्यासी, थाना सिहानीगेट, जनपद गाजियाबाद, 2-श्री विष्णु बन्सल पुत्र श्री सुरेश चन्द्र बन्सल, निवासी-के0जी0 114, कविनगर, जनपद-गाजियाबाद, 3-श्री संदीप गोयल पुत्र श्री अशोक कुमार गोयल, निवासी-के0जी0 113, कविनगर, जनपद-गाजियाबाद, 4-श्री सौरभ बन्सल पुत्र श्री नवीन बन्सल, निवासी-के0जी0 137, कविनगर, जनपद-गाजियाबाद के नाम प्रकाश में आये, जिनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में उपस्थित होकर गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया। वादी श्री हरिदास गौतम के शिकायती प्रार्थना-पत्र पर अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ जोन, मेरठ के आदेश दिनांक 27-04-2018 के क्रम में उक्त अभियोग की विवेचना क्राइम ब्रान्च, जनपद हापुड़ को सुपुर्द की गयी। क्राइम ब्रान्च द्वारा विवेचना करते हुए साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में विवेचना प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

71-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[दिनांक 27-08-2018 को अता0 प्र0 सं0-106 द्वारा उत्तरित]

जनपद गोण्डा में प्रा0 विद्यालयों में बच्चों के लिए कुर्सी/बेंच की व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी

72-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को टाट पट्टी के स्थान पर कुर्सी/बेंच पर बैठने की व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी हां।

बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के जिला मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय व राजकीय महिला महाविद्यालय खोले जाने की मांग

73-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जिला मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय व राजकीय महिला महाविद्यालय नहीं होने के कारण बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय खोलने का विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गोण्डा जिला मुख्यालय पर वर्तमान में 01 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं 02 स्ववित्तपोषित महिला महाविद्यालय संचालित हैं। उपरोक्त महाविद्यालयों द्वारा गोण्डा जिला मुख्यालय के छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। वृहत् वित्तीय एवं आधारभूत आवश्यकताओं के दृष्टिगत गोण्डा जिला मुख्यालय पर नये राजकीय महाविद्यालय व राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना/निर्माण किये जाने का अवसर नहीं है।

जनपद बांदा के वि0स0 क्षेत्र तिन्दवारी के विभिन्न ग्राम पंचायतों में बनी गुणवत्ता विहीन सी0सी0 रोड की जांच कराने विषयक जानकारी

74-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी जनपद बांदा के अन्तर्गत ब्लाक जसपुरा की विभिन्न ग्राम पंचायतों में क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और सांसद निधि से सी0सी0 रोड बनाई जा रही है वह गुणवत्ता विहीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कोई कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्बन्धित कार्य गुणवत्तापरक होने के कारण कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

प्रदेश में महिलाओं, किशोरियों तथा बच्चियों के साथ हो रहे दुष्कर्म को रोकने की कार्य योजना बनाये जाने की मांग

75-श्री सुखदेव राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महिलाओं, किशोरियों तथा बच्चियों के साथ छेड़खानी, दुष्कर्म तथा दुष्कर्म के बाद हत्या की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम हेतु सरकार के पास कोई ठोस कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रदेश में महिला अपराध/उत्पीड़न की रोकथाम तथा उस पर अंकुश लगाये जाने हेतु महिला सम्मान प्रकोष्ठ की स्थापना के साथ-साथ महिला आयोग, वूमेन हेल्प लाइन-1090, 1091, 181, डायल 100 तथा थानों में महिला डेस्क बनाये गये हैं। बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों के लिए पोक्सो अधिनियम-2012 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के तहसील करछना में व्यक्तियों को दिये गये तालाबों के पट्टे के सम्बन्ध में जानकारी

76-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के तहसील करछना के अन्तर्गत ग्राम-गधियांव में कितने सरकारी तालाब हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त ग्राम में कितने सरकारी तालाबों में मछली पालन कराया जा रहा है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त ग्राम में किन-किन व्यक्तियों को मछली पालन हेतु कौन-कौन से तालाब का पट्टा दिया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

वर्तमान खतौनी सन् 1422-1427 फसली के खाता संख्या-348 तालाब के खाते में कुल 12 तालाब अंकित हैं।

एक तालाब का मत्स्य पालन हेतु पट्टा किया गया है।

तालाब संख्या-555ग रकबा 1.000 हे0 मत्स्य पालन हेतु राम बहादुर पुत्र शिवधरी निवासी गधियांव को मछली पालन हेतु पट्टा दिनांक 22-10-2016 को किया गया है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अमेठी के जिला अधिकारी को पूर्व विधायक श्री तेजभान सिंह द्वारा दिनांक 06-02-2018 को सम्बोधित पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

77-श्री सूर्यभान सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अमेठी के जिलाधिकारी को सम्बोधित पूर्व विधायक श्री तेजभान सिंह का फैक्स पत्रांक दिनांक 06-02-18 जो कि अमेठी-गौरीगंज सीमा पर स्थित ग्राम-सैदपुर एवं पूरे अयोध्या पहाड़गंज में निर्मित सड़क नाली को काटकर कब्जा करने, आवागमन बाधित होने तथा इसे दोनों तहसीलों के अधिकारियों की मौजूदगी में नापकर चिन्हित कर कब्जामुक्त कराये जाने सम्बन्धी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार द्वारा नाली सड़क के अवैध कब्जे को हटवा दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

गांव पहाड़गंज व सैदपुर की सरहदी मेड़ से गांव के लोग आबादी से दक्षिण खेतों पर जाते हैं। अभिलेखों में इस स्थान पर रास्ता व नाली दर्ज नहीं है। ग्राम प्रधान पहाड़गंज द्वारा इस स्थान पर सड़क (रास्ता) का निर्माण किया जा रहा था जिसे बगल के काश्तकारों ने रोक दिया था। वर्तमान समय में इस स्थान पर ग्राम प्रधान द्वारा रास्ता व नाली का निर्माण अगल-बगल के काश्तकारों की सहमति से कराया जा रहा है। यह कार्य ग्राम पंचायत द्वारा चौदहवें वित्त योजना में प्राप्त धनराशि से हो रहा है।

अभिलेखों में रास्ता व नाली दर्ज न होने के कारण अतिक्रमण का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में पेयजल आपूर्ति हेतु कोई ठोस कार्य योजना बनाने विषयक जानकारी

78-श्री पारसनाथ यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण अंचल में पेयजल आपूर्ति हेतु अधिष्ठापित इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार के संज्ञान में है कि भूमि का जल स्तर गिरने के कारण अधिकांश इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प सूख रहे हैं तथा पेयजल का संकट बढ़ता जा रहा है ? यदि हां, तो शुद्ध पेयजल हेतु सरकार कोई नई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी हां। प्रदेश में जल स्तर को ध्यान में रखते हुए हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन की कार्यवाही की जाती है। उ0प्र0 जल निगम द्वारा हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन द्वितीय/तृतीय स्टेटा में किया जाता है,

जिनकी औसत गहराई लगभग 80 से 150 फीट के मध्य होती है। ग्रीष्म ऋतु में जल स्तर में गिरावट आने पर प्रथम स्टेटा पर अधिष्ठापित सामान्य हैण्डपम्प पानी छोड़ देते हैं, किन्तु अधिक गहराई एवं द्वितीय/तृतीय स्टेटा पर अधिष्ठापित होने के कारण इण्डिया मार्क-।। हैण्डपम्प सामान्यतया पानी देते रहते हैं। सीमित संसाधनों के दृष्टिगत आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित ग्रामों, सांसद आदर्श ग्राम एवं खुले में शौचमुक्त ग्रामों में पेयजल योजनाएं विरचित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के वि0स0 क्षेत्र बेहट के ग्रा0 खैरीमड़ती में पेय जल की पाइप लाइन के नवीनीकरण विषयक जानकारी

79-श्री नरेश सैनी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के बेहट विधान सभा क्षेत्र के ग्राम खैरीमड़ती में पीने के पानी हेतु जो पाइप लाइन है, लगभग 50 वर्ष पुरानी है व काफी जर्जर अवस्था में है ? यदि हां, तो क्या सरकार पेयजल के पाइप लाइन को बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद सहारनपुर के बेहट विधान सभा क्षेत्र के ग्राम खैरीमड़ती में लगभग 35 वर्ष पूर्व कासिमपुर पेयजल योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन बिछायी गयी थी। योजना अत्यधिक पुरानी होने के कारण पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होती रहती है। कासिमपुर पेयजल योजना के पुनर्गठन हेतु प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। उपरोक्तानुसार। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के वि0स0 क्षेत्र बेहट के ग्रा0 हैदरपुर में दैवी आपदा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की जानकारी

80-श्री नरेश सैनी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के बेहट विधान सभा क्षेत्र के ग्राम हैदरपुर उर्फ हिन्दुवाला में मई, 2018 में आये भारी तूफान में घासफूस से बने घर व घर में रखे सामान तथा पशु जल कर खाक हो गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इनके पुनर्वास हेतु कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उक्त योजना का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद सहारनपुर के बेहट विधान सभा क्षेत्र के ग्राम हैदरपुर उर्फ हिन्दुवाला में मई 2018 में आये भारी तूफान से तहसील बेहट में जन/पशु हानि की कोई घटना घटित नहीं हुई है ? दिनांक 03-05-2018 को ग्राम हैदरपुर उर्फ हिन्दुवाला में दैवी आपदा के अन्तर्गत घटित अग्निकाण्ड में 05 व्यक्ति प्रभावित हुए थे, जिसको राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा मोचक निधि से सहायता हेतु निर्धारित मानक दरों के अनुसार राहत सहायता वितरित की गयी थी, जिसका विवरण निम्नवत् है :--

क्र0सं0	प्रभावित व्यक्ति का नाम व पता	झोपड़ी हेतु राहत सहायता	कपड़े के नुकसान पर सहायता	बर्तन/घरेलू सामग्री के नष्ट होने पर सहायता	कुल देय सहायता
1	श्री प्रीतम पुत्र करेशन निवासी ग्राम हैदरपुर उर्फ हिन्दुवाला	4,100	1,800	2,000	7,900
2	श्रीमती सुमित्रा पत्नी सुखराम निवासी ग्राम हैदरपुर उर्फ हिन्दुवाला	4,100	1,800	2,000	7,900
3	श्रीमती खतीजा पत्नी दिलशाद निवासी ग्राम हैदरपुर उर्फ हिन्दुवाला	4,100	1,800	2,000	7,900
4	श्री करेशन पाल पुत्र केवल निवासी ग्राम हैदरपुर उर्फ हिन्दुवाला	4,100	1,800	2,000	7,900
5	श्री इसम पुत्र केवल निवासी ग्राम हैदरपुर उर्फ हिन्दुवाला	4,100	1,800	2,000	7,900

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के शिवालिक क्षेत्र में सेना द्वारा फायरिंग अभ्यास से प्रभावित हुए लोगों के पुनर्वास की जानकारी

81-श्री नरेश सैनी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के शिवालिक क्षेत्र में सेना द्वारा फायरिंग अभ्यास करते समय फायरिंग सामग्री से फायरिंग क्षेत्र के आस पास रह रहे वन गुर्जरों को जान-माल का भारी नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद सहारनपुर तहसील बेहट में सेना की फायरिंग रेंज स्थित है। वन गुर्जर अपने मवेशियों के चुगान हेतु प्रत्येक वर्ष माह सितम्बर से मार्च तक आते हैं एवं अस्थायी डेरे बनाकर प्रभाग के वन क्षेत्रों में उक्त अवधि में रहते हैं तथा अप्रैल से अगस्त तक ये अन्यत्र चले जाते हैं। इस क्षेत्र में वन गुर्जरों के कोई स्थायी आवास नहीं हैं। फायरिंग के अभ्यास के दौरान जान-माल के संभावित नुकसान को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा वन विभाग की सहमति होने की दशा में शाहजहांपुर एवं मोहण्ड वन ब्लाकों में प्रभावित वन गुर्जर परिवारों को विस्थापित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

उक्त प्रस्ताव पर परीक्षणोपरान्त कार्यवाही करायी जा रही है।

वि0स0 क्षेत्र राठ में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने की मांग

82-श्रीमती मनीषा अनुरागी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर की राठ विधान सभा क्षेत्र की राठ तहसील में राजकीय इण्टर कालेज (बालक वर्ग) के अभाव में छात्रों को निजी विद्यालयों में या अन्य शहरों में जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में राजकीय इण्टर कालेज (बालक वर्ग) उक्त क्षेत्र में खोलेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद-हमीरपुर की राठ विधान सभा क्षेत्र की राठ तहसील मुख्यालय से 12 कि0मी0 दूर पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय माडल इण्टर कालेज, कैथी शैक्षिक सत्र 2018-19 से दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से संचालित है। इसके अतिरिक्त तहसील मुख्यालय में निम्नलिखित 03 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय भी संचालित हैं :-

1-बी0एन0वी0 इण्टर कालेज, राठ

2-जी0आर0वी0 इण्टर कालेज, राठ

3-फैज-ए-आम इण्टर कालेज, राठ

वि0स0 क्षेत्र राठ में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना किये जाने की मांग

83-श्रीमती मनीषा अनुरागी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर की राठ नगर में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर के राठ नगर में 01 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं 05 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं, जिसमें 01 महिला महाविद्यालय है। उपरोक्त महाविद्यालयों द्वारा जनपद हमीरपुर के राठ नगर के छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। उक्त के अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र-राठ, हमीरपुर में 01 राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हैण्डपम्प 3 फीट ऊंचाई पर लगाने विषयक जानकारी

84-श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जनपदों में बाढ़ के दौरान लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्प को सामान्य तौर पर लगाये जाने वाले नल से 3 फिट ऊंचाई के प्लेटफार्म पर लगाने की कोई योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

बाढ़ से प्रभावित ग्रामों में इण्डिया मार्क-।। हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन के समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन एवं प्लेटफार्म इतनी ऊंचाई पर रखा जाय कि बाढ़ के समय हैण्डपम्प बाढ़ के पानी में न डूबे और उससे सामान्य तौर पर शुद्ध पेयजल जनता को उपलब्ध होता रहे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में कुल निर्मित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी

85-डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में निर्माणाधीन/अधूरे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य सरकार समयबद्ध अवधि में पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर की आख्यानुसार निम्नलिखित प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य अपूर्ण हैः-

क्र0सं0	अपूर्ण विद्यालय का नाम	अपूर्ण कार्य का विवरण
1	प्राथमिक विद्यालय, हरीजोज	डी0पी0सी0 स्तर पर भूमि विवाद के कारण अवरुद्ध।
2	प्राथमिक विद्यालय, लालपुर	फर्श, आंशिक प्लास्टर कार्य, शौचालय, चहारदीवारी का निर्माण कार्य अपूर्ण।
3	प्राथमिक विद्यालय, मनिकौरा	डी0पी0सी0 स्तर पर अवरुद्ध।
4	प्राथमिक विद्यालय, सुसौली	छत स्तर पर अवरुद्ध।

उक्त अपूर्ण विद्यालयों के सम्बन्ध में जनपद स्तर से करायी गयी जांच के आधार पर सम्बन्धित भवन निर्माण प्रभारियों को निलम्बित कर जांच समिति से रिकवरी हेतु आगणन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। सम्बन्धित निर्माण प्रभारियों से उक्त अपूर्ण निर्माण कार्य हेतु आगणित धनराशि की रिकवरी कराते हुए अधूरे निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी

86-डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के कितने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन जर्जर होने के कारण निष्प्रयोज्य हैं तथा सरकार की उनके ध्वस्तीकरण तथा नवनिर्माण की क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जनपद सिद्धार्थनगर में 324 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय और 75 उच्च प्राथमिक विद्यालय कुल 399 विद्यालय जर्जर अवस्था में होने के कारण निष्प्रयोज्य हैं।

जर्जर भवन के ध्वस्तीकरण हेतु प्रस्ताव विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा अवर अभियन्ता ग्रामीण, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को निष्प्रयोज्य सम्बन्धी प्रमाण-पत्र की प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्रत्येक गांवों में बारात घर बनाने की कार्य योजना बनाने विषयक जानकारी

87-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में बारात ठहराने पर पूर्ण रूप से रोक लगाने से गांवों में ग्रामीणों को बारात ठहराने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्येक गांव में बारात घर बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

परिषदीय विद्यालय पठन-पाठन हेतु निर्मित किये गये हैं। उनमें बारात ठहराना अथवा उनका उपयोग बारात घर के रूप में किया जाना उपयुक्त नहीं है।

बारात धर बनाने की कोई योजना बेसिक शिक्षा विभाग में विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

जनपद गोण्डा के ग्राम पंचायत पाचर खास में स्थित कृष्ण देव इण्टर कालेज की मान्यता समाप्त किये जाने की मांग

88-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिना भवन के विद्यालय संचालन की मान्यता प्रदान करने का कोई नियम है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार गोण्डा जनपद के ग्राम पंचायत पायरखास में बिना भवन के संचालित कृष्ण देव इण्टर कालेज की मान्यता समाप्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

विद्यालय की जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर के ग्राम मनीपुर ग्रन्ट में चकबन्दी प्रक्रिया लागू किये जाने विषयक जानकारी

89-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद की तहसील मनकापुर के ग्राम मनीपुर ग्रन्ट में चकबन्दी प्रक्रिया उक्त ग्राम का भू-चित्र उपलब्ध न होने के कारण नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में उपरिवर्णित कारण का निराकरण कर चकबन्दी प्रक्रिया लागू कर भूमि की पैमाइश करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जी नहीं। ग्राम मणिपुर ग्रण्ट, तहसील मनकापुर, जनपद गोण्डा में धारा-4(2)/प्रथम चक्र की विज्ञप्ति संख्या-2822/जी0-154/96, दिनांक 27-04-2001 द्वारा जारी की गयी थी। तहसील से प्राप्त ग्राम के भू-चित्र पर किसी के हस्ताक्षर न होने के कारण तथा राजस्व अभिलेखागार गोण्डा में इस ग्राम का बन्दोवस्ती भू-चित्र उपलब्ध न होने के कारण जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी गोण्डा की संस्तुति के आधार पर धारा-6(1) के अन्तर्गत निदेशालय की विज्ञप्ति संख्या-5095/जी0-154/96, दिनांक 07-12-2012 के द्वारा निरस्त की जा चुकी है। उक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत ग्राम में चकबन्दी प्रक्रिया लागू कर पैमाइश कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपर्युक्तानुसार।

अम्बेडकरनगर के ब्लाक भियांव के गांव विलारी के गाटा संख्या 177 व 1721 पर किये गये अतिक्रमण को रोकने विषयक जानकारी

90-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड भियांव के अन्तर्गत ग्राम सभा दूलहूपुर के मजरे बिलारी स्थित तालाब भूमि गाटा सं0 1721 एवं निमटिनी बिलारी माईनर/नहर पर स्थित गाटा सं0 177 पर अतिक्रमण कर बिलारी मजरे निवासी नितेश पाण्डेय पुत्र श्री जयशंकर पाण्डेय द्वारा उक्त भूमि पर निजी विद्यालय खोलने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्रांक ख-नं0-212155, दिनांक 25-2-18 जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

राजस्व ग्राम दुलहूपुर कलां, तहसील जलालपुर में कोई तालाब भूमि गाटा संख्या-1721 नहीं है, बल्कि गाटा संख्या- 172ख/0.101 हे0 राजस्व अभिलेख में तालाब के खाते में अंकित है।

राजस्व ग्राम दुलहूपुर, परगना सुरहुरपुर, तहसील जलालपुर, जनपद अम्बेडकरनगर में स्थित तालाब गाटा संख्या 172 ख एवं नहर गाटा संख्या 177 पर क्रमशः 0.004 हे0 एवं 0.002 हे0

क्षेत्रफल पर श्री जय शंकर पाण्डेय पुत्र राम प्रताप पाण्डेय निवासी ग्राम दुलहूपुर कलां द्वारा निजी विद्यालय पण्डित राम प्रताप पाण्डेय पब्लिक स्कूल, दुलहूपुर, अम्बेडकरनगर तीन वर्ष से कक्षा 8 तक संचालित है एवं बेसिक शिक्षाधिकारी, अम्बेडकरनगर द्वारा मान्यता प्राप्त है, बाउण्ड्रीवाल बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(1) के अन्तर्गत बेदखली के दो वाद उन्मान गांव सभा बनाम जय शंकर पाण्डेय न्यायालय तहसीलदार जलालपुर में योजित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

हापुड़ के वि0स0क्षे0 डासना में स्थित रामा हास्पिटल में मरीजों से हो रही अवैध वसूली के खिलाफ कार्यवाही विषयक जानकारी

91-श्री असलम अली-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र-धौलाना में एन0एच0-24 पर स्थित रामा हॉस्पिटल/मेडिकल कालेज में मरीजों का ईलाज कराने के लिये गम्भीर बीमारी बताकर अधिक धनराशि का बिल बनाये जाने की शिकायतें सरकार के संज्ञान में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

92-श्री असलम अली-

[01 बुधवार के अता0 प्र0 सं0-192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के आन्दोलनरत ग्राम पंचायत अधिकारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने विषयक

93-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्राम पंचायत अधिकारियों की वेतन वृद्धि, प्रोन्नति विसंगतियों को दूर करने एवं नियुक्ति में शैक्षिक योग्यता इण्टर के स्थान पर स्नातक करने का कार्य सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

ग्राम पंचायत अधिकारी की मांगों के सम्बन्ध में शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 8-6-2018 द्वारा समिति का गठन किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के आन्दोलनरत ग्राम विकास अधिकारियों की वेतन विसंगतियों को दूर किये जाने की जानकारी

94-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारियों की वेतन वृद्धि, प्रोन्नति विसंगतियों को दूर करने एवं नियुक्ति में शैक्षिक योग्यता इण्टर के स्थान पर स्नातक करने का कार्य सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह चौधरी-

ग्राम विकास अधिकारियों के वेतन विसंगति के सम्बन्ध में अनुभाग के अर्द्धशा0 पत्र संख्या-740/38-3-2017-132 एनसी/99, दिनांक 05-06-2017 द्वारा वेतन समिति को प्रकरण सन्दर्भित किया गया है, जिसमें समिति की संस्तुतियों एवं लिये गये निर्णय से यथा समय अवगत कराये जाने का अनुरोध वेतन समिति से किया गया है। वेतन समिति की संस्तुतियों के क्रम में वित्त विभाग द्वारा लिए गये निर्णय से अभी तक विभाग को अवगत नहीं कराया गया है।

उक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी, समन्वय समिति उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन दिनांक 11-05-2018, 29-04-2018, 05-02-2018 एवं 05-01-2018 में निहित बिन्दुओं/मांगों, जो ग्राम विकास अधिकारी के शैक्षिक अर्हता एवं पदोन्नति तथा ए0सी0पी0 के सम्बन्ध में है, पर विचार किये जाने हेतु ग्राम्य विकास अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-यू0ओ0-15/38-3-2018-23/2018, दिनांक 11 जून, 2018 द्वारा अपर आयुक्त (मनरेगा) ग्राम्य विकास की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें ग्राम्य विकास/कार्मिक/वित्त विभाग के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं। समिति की संस्तुतियां प्राप्त होने पर कार्मिक/वित्त विभाग के परामर्श से प्रकरण में यथावश्यकता कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में भ्रष्टाचार के विरुद्ध पत्रांक-जांच/41848/2017-18, दिनांक 14-12-2017 पर कार्यवाही विषयक जानकारी

95-श्री संजय गर्ग-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त एवं लेखाधिकारी (मा0) कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर का पत्रांक जांच/41848/2017-18, दिनांक 14-12-2017 द्वारा प्रधानाचार्य/प्रबन्धक/प्रबन्ध समिति सरस्वती इण्टर कालेज पुवारका, सहारनपुर के भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की बिन्दुवार जांच विषयक आख्या जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर को प्राप्त हुयी है ? यदि हां, तो उक्त जांच में किस-किस को दोषी पाया गया है तथा दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी हां।

निम्नवत् कार्यवाही की गयी :-

(1) बिन्दु संख्या-2 के सम्बन्ध में कक्षा 6 से 8 तक के छात्र-छात्राओं से लिए गये शुल्क को सम्बन्धित छात्रों को वापस करा दिया गया है।

(2) बिन्दु संख्या-5 व 6 के सम्बन्ध में मा0 सांसद एवं विधायक निधि से प्राप्त धनराशि के गबन/दुरूपयोग के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी, सहारनपुर द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग को जांच करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

(3) शेष बिन्दुओं के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर द्वारा संस्थाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

अद्यतन जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही की आख्या उपलब्ध न कराने के कारण शासन के पत्र संख्या-वि0स0-18/पन्द्रह-9-18-1800(5)/2018, दिनांक 20 अगस्त, 2018 के अनुक्रम में शिक्षा निदेशक, माध्यमिक के पत्रांक-सामान्य (1)/प्रथम/4450-51/2018-19, दिनांक 24-8-2018 द्वारा मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, सहारनपुर को प्रकरण में तत्काल कार्यवाही के निर्देश देते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर को प्रकरण में लापरवाही बरतने हेतु चेतावनी दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के ब्लाक-महुआ के अन्तर्गत ग्रा0 मोतियारी का पुरवा से पिपरहरी तक मार्ग के डामरीकरण किये जाने की मांग

96-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के ब्लाक-महुआ अन्तर्गत ग्राम-मोतियारी का पुरवा से अनुसूचित जाति बस्ती अजनयाक का पुरवा होते हुये पिपरहरी मार्ग तक के (लगभग 2.5 किमी0) कच्चा मार्ग का सरकार डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं होने के कारण योजनान्तर्गत प्रश्नगत मार्ग का डामरीकरण कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

सीतापुर के जवाहरलाल नेहरू पालीटेक्निक, महमूदाबाद में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को नियमित किये जाने की मांग

97-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा अनुदानित जवाहर लाल नेहरु पालीटेक्निक, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में डेयरी इंजीनियरिंग में कार्यरत शिक्षकों को नियमित किया गया है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ? क्या सरकार उक्त की भांति स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को नियमित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

स्ववित्त पोषित योजना में शासनादेश दिनांक 27-05-2003 के क्रम में संचालित पाठ्यक्रमों में शिक्षकों की नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए की जाती है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। संविदा पर नियुक्त शिक्षकों को नियमित करने का कोई प्राविधान नहीं है

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में स्थित जवाहर नेहरू पालीटेक्निक संस्थान में डेयरी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम चलाने विषयक जानकारी

98-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा अनुदानित जवाहर लाल नेहरु पालीटेक्निक महमूदाबाद में डेयरी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम किसी योजना के अन्तर्गत संचालित हो रहा है या नियमित रूप से संचालित हो रहा है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जवाहर लाल नेहरू पालीटेक्निक महमूदाबाद में डेयरी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम नियमित रूप में संचालित है।

संस्था में डेयरी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शैक्षिक-सत्र 1996-97 से संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करने हेतु कार्य योजना बनाये जाने की मांग

99-श्री पारसनाथ यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा साक्षर भारत मिशन वर्ष 2009-10 से संचालित किया गया था, जिसे भारत सरकार द्वारा दिनांक 31-03-2018 को समाप्त कर दिया गया है।

जनपद बस्ती के ब्लाक रामनगर के सगरा के पशु चिकित्सालय के भवन की मरम्मत कराने विषयक जानकारी

100-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के ब्लाक रामनगर के सगरा का पशु चिकित्सालय भवन खण्डहर हो जाने के कारण छः साल से बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार

उक्त पशु चिकित्सालय भवन की मरम्मत/पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्यपाल सिंह बघेल-

जनपद बस्ती के ब्लाक रामनगर के सगरा में पशु चिकित्सालय न होकर पशु सेवा केन्द्र संचालित है। पशु सेवा केन्द्र सगरा का भवन जर्जर होने के कारण पुनर्निर्माण योग्य है, किन्तु पुनर्निर्माण से पूर्व सम्बन्धित भवन को लोक निर्माण विभाग से निष्प्रयोज्य घोषित कराने का प्राविधान है। निष्प्रयोज्य घोषित कराने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन हे। निष्प्रयोज्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त जर्जर भवन के पुनर्निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के दाखिले के सम्बन्ध में जानकारी

101-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में प्राइवेट/कान्वेंट स्कूलों पर इस नये शिक्षा सत्र में कितने गरीब बच्चों के दाखिले किये गये हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि यदि गरीब बच्चों के एडमीशन उक्त विद्यालयों में नहीं लिये गये तो सरकार इन स्कूलों के संचालकों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जनपद बांदा में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-12(1)(ग) के अन्तर्गत गैर सहायितत मान्यता प्राप्त/कान्वेंट स्कूलों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में शैक्षिक सत्र, 2018-19 में कुल 77 बच्चों का दाखिला कराया गया है।

प्रवेशित बच्चों की सूची संलग्न† है।
प्रश्न नहीं उठता।
प्रश्न नहीं उठता।
उक्तवत्।

प्रदेश मे नवसृजित जिलों में निर्माणाधीन न्यायालय भवनों का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने विषयक जानकारी

102-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

न्याय एवं विधि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नवसृजित जनपदों के न्यायालय भवनों के निर्माण कार्य अधूरे होने से आम जनमानस को न्याय पाने में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार अधूरे निर्मित न्यायालय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ सख्या 206 पर।

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हां।

जी हां।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आर्सेनिक प्रभावित जिलों को आर्सेनिक से बचाने हेतु कार्य योजना बनाने विषयक जानकारी

103-श्री विनय शंकर तिवारी-

ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कौन-कौन से जनपद आर्सेनिक के प्रभाव से प्रभावित हैं ? क्या सरकार की आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में आर्सेनिक से बचने के लिये कोई क्या कार्य योजना तैयार की जा रही है ? यदि हां, तो क्या गोरखपुर जिले का गोपालपुर गांव भी आर्सेनिक से प्रभावित है ? यदि हां, तो क्या सरकार आर्सेनिक के कारणों का पता लगाने के लिये कोई विशेषज्ञों की टीम का गठन कर उक्त गांव में भेजेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

प्रदेश के कुल 17 जनपदों यथा-अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, खीरी, कुशीनगर, लखनऊ, महराजगंज, मऊ, सम्भल, सन्त कबीर नगर, सिद्धार्थनगर एवं सोनभद्र के पेयजल में आर्सेनिक की मात्रा पायी गयी है। प्रदेश में जिन जनपदों के पेयजल में आर्सेनिक की उपलब्धता पायी गयी है, उन जनपदों के आर्सेनिक प्रभावित ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पाइप पेयजल योजनाओं/शोधन संयंत्र की कार्य योजना विरचन कर क्रियान्वयन किया जा रहा है। जी नहीं। गुणता प्रभावित चिन्हित ग्रामों की सूची में ग्राम गोपालपुर सम्मिलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के डी0ए0वी0 इण्टर कालेज बिल्थरा रोड में की गई नियुक्तियों की जांच कराकर एफ0आई0आर0 दर्ज करने विषयक जानकारी

104-श्री पारसनाथ यादव-

उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2017 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-64 व अता0 प्रश्न सं0-52 जो डी0ए0वी0 इण्टर कालेज बिल्थरा रोड जनपद-बलिया में अनियमित नियुक्तियों से सम्बन्धित था, जिसके उत्तर में कहा गया था कि कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं और नियुक्तियों को अनियमित भी माना गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त अनियमित नियुक्ति करने वाले प्रबन्धक के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई ? यदि हां, तो क्या जांच आख्या सरकार को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो प्राप्त आख्या के

अनुसार दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी हां।

जी नहीं। समस्त नियुक्तियां प्रधानाचार्य द्वारा की गयी हैं। नियुक्ति प्रक्रिया में प्रबन्धक की कोई भूमिका नहीं है।

जी हां।

संस्था प्रबन्धक द्वारा दोषी प्रधानाचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थिगत करते हुये आरोप-पत्र निर्गत किया गया है।

अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्ण होने पर यथा-निदेश कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में श्रावस्ती क्लब के भवन/भूमि को जनपद बस्ती के जिलाधिकारी के कब्जे से मुक्त कराने विषयक जानकारी

105-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद में बस्ती क्लब के भवन/भूमि को जनपद बस्ती के जिलाधिकारी श्री दमेले तथा जिलापूर्ति अधिकारी पूरन सिंह के द्वारा षडयंत्र के तहत व्यक्तिगत रूप से अपने नाम करा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बस्ती क्लब की भवन/भूमि को मुक्त कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं। बस्ती क्लब, बस्ती को कमेटी द्वारा संचालित किया जाता रहा है। जिसमें अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं। अध्यक्ष/जिलाधिकारी द्वारा सचिव नामित किया जाता है। तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा जिलापूर्ति अधिकारी, बस्ती को सचिव नामित किया गया। बस्ती क्लब, बस्ती के खाता संख्या-79 गाटा संख्या-72/5-2-14 के परीक्षण/अनुशीलन में यह पाया गया कि ग्राम सिविल स्टेशन, तप्पा हवेली के नान0जेड0ए0 खतौनी में मिलकियत हकूमात सूबाजाति बसरह खाता खेवट नं0-1 (जैसे एहतमाम जिलाधीश, बस्ती) जमन 15(2) आबादी सड़क मकानात वगैरह क्लब घर के नाम से दर्ज है। तत्कालीन जिलाधिकारी श्री अनिल कुमार दमेले तथा जिलापूर्ति अधिकारी श्री पूरन सिंह चौहान के नाम से दर्ज नहीं है। सन् 1322 फसली से उक्त भूमि क्लब घर के नाम से अंकित चला आ रहा है। तद्नुसार क्लब घर सरकारी सम्पत्ति है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में विद्यालयों के जर्जर भवनों का पुनः निर्माण कराने विषयक जानकारी

106-श्री कृष्णपाल मलिक-

बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बड़ौत, जनपद बागपत में कितने विद्यालयों के भवन जर्जर हैं तथा उनके नाम व ग्राम क्या हैं ? क्या सरकार इन जर्जर विद्यालयों के भवनों का पुनः निर्माण अथवा मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

विधान सभा क्षेत्र बड़ौत, जनपद बागपत में 25 विद्यालयों के भवन जर्जर हैं तथा उनके नाम व ग्राम की सूची संलग्न† है

जी हां।

बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को ड्रेस के लिए प्रति छात्र/छात्रा पर धनराशि बढ़ाने विषयक जानकारी

107-श्री कृष्णपाल मलिक-

बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को ड्रेस के लिये प्रति छात्र पर कितनी धनराशि खर्च की जाती है ? क्या सरकार बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत छात्र/छात्राओं को ड्रेस के लिये खर्च की जाने वाली धनराशि को बढ़ायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

02 सेट निःशुल्क यूनिफार्म हेतु रु0 400/- प्रति छात्र की दर से व्यय किया जाता है।

भारत सरकार की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा वर्ष 2018-19 हेतु 02 सेट यूनिफार्म प्रति छात्र/छात्राओं को रु0 600/- की दर से वृद्धि करते हुए आंकलित की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सौर ऊर्जा स्थापित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी

108-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अतिरिक्त (सौर) ऊर्जा प्रदेश की जनता को उपलब्ध कराने का क्या प्राविधान है ? क्या सरकार उक्त का विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश में अतिरिक्त (सौर) ऊर्जा प्रदेश की जनता को उपलब्ध कराने हेतु सौर ऊर्जा नीति-2017 निर्गत की गयी है। उक्त नीति के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक सौर विद्युत उत्पादन के लिए 10700 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना लक्षित है, जिसमें से 6400 मेगावाट क्षमता यूटीलिटी स्केल ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना से एवं 4300 मेगावाट की क्षमता रूफटाप सोलर पावर प्लाण्टों की स्थापना से प्राप्त की जायेगी।

---

† देखिये नत्थी ' ङ' आगे पृष्ठ सख्या 207 पर।

प्रदेश में अतिरिक्त (सौर) ऊर्जा प्रदेश की जनता को सोलर पावर पैक, सोलर रूफटाप पावर प्लाण्ट, सोलर मिनीग्रिड पावर प्लाण्ट आदि के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है।

जी हां।

प्रदेश में लागू सौर ऊर्जा नीति-2017 के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :-

राज्य के बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल क्षेत्र में स्टैण्ड अलोन सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना पर सोलर पावर परियोजनाओं के ग्रिड संयोजन हेतु निर्माण लागत का व्यय राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार वहन किये जाने की व्यवस्था है :-

05 मेगावाट से 10 मेगावाट क्षमता के लिए 10 किलोमीटर

10 मेगावाट से 50 मेगावाट क्षमता के लिए 15 किलोमीटर

50 मेगावाट के लिए 20 किलोमीटर

परियोजना विकासकर्ताओं को सौर पावर परियोजना की स्थापना करते हुए उक्त से उत्पादित विद्युत को 100 प्रतिशत कैप्टिव उपयोगार्थ/सामूहिक कैप्टिव उपयोगार्थ अथवा आंशिक उत्पादन को विद्युत वितरण कम्पनी को अथवा तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) को विद्युत विक्रय किया जाना अनुमन्य तथा अर्न्तराज्यीय सौर पावर के विक्रय पर राज्यान्तरिक ट्रांसमिशन तंत्र के लिए क्रास सब्सिडी सरचार्ज एवं व्हीलिंग चार्ज/ट्रांसमिशन चार्ज पर 100 प्रतिशत की छूट होगी।

राज्य में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने एवं निवेश आकर्षित करने हेतु नीति में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में सोलर पार्क की स्थापना को प्राविधानित किया गया है।

प्रदेश का बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अत्यन्त उपयुक्त होने के दृष्टिगत अधिकांशतः सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना इस क्षेत्र में होने की सम्भावना के दृष्टिगत उत्पादित सौर ऊर्जा का उपयोग बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ही हो सके। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रोजगार सृजन हेतु इस क्षेत्र में उद्योग की स्थापना किये जाने पर उक्त उद्योग को आपूर्ति की जाने वाली विद्युत पावर उचित रूप से अनुदानित टैरिफ पर उपलब्ध करायी जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा निजी आवासों में सोलर रूफटाफ पावर प्लाण्ट लगाने हेतु भारत सरकार के 30 प्रतिशत अनुदान के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा रु0 15000/- प्रति कि0वा0 अधिकतम रु0 30000/- प्रति उपभोक्ता अनुदान निर्धारित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में वर्ष 2018-19 में जिला पंचायत की तहबाजारी का टेण्डर की विज्ञप्ति के सम्बन्ध में जानकारी

109-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में वर्ष 2018-19 के लिये जिला पंचायत की तहबाजारी का टेण्डर कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त टेण्डर की विज्ञप्ति किन अखबारों में प्रकाशित करायी गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त टेण्डर हेतु जिला पंचायत बांदा के बोर्ड की कोई बैठक आहूत की गयी

है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त हेतु दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

पंचायती राज अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-463/33-2/13-25जी/13, दिनांक 12 मार्च, 2013 द्वारा उत्तर प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों द्वारा वसूल की जाने वाली तहबाजारी को समाप्त कर दिया गया है। अतएव तहबाजारी के टेण्डर नहीं किये जाने हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति करने विषयक जानकारी

110-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद् में 25 जून, 2001 को कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक कम्प्यूटर शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू किया गया परन्तु 16 वर्षों के बाद भी किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय, माध्यमिक विद्यालयों में नियमित कम्प्यूटर शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार 25 जून, 2001 के आदेश के तहत अर्हता के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षक की नियुक्ति नियमित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी हां।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों (बालक/बालिका) में कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है।

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षकों का पद सृजित नहीं है।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों (बालक/बालिका) में कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 29-07-2018 को परीक्षा करायी जा चुकी है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर तत्काल नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के तहसील भानपुर के ग्राम पंचायत शंकरपुर चौराहा पर राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 06-02-2018 पर कार्रवाई किये जाने की मांग

111-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के अन्तर्गत तहसील भानपुर के ग्राम पंचायत शंकरपुर चौराहे पर राजकीय महाविद्यालय के बनाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक

06-02-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

112-श्री सुखदेव राजभर-

[01 बुधवार के अता0प्र0सं0-199 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

113-श्री सुखदेव राजभर-

[01 बुधवार के अता0प्र0सं0-193 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा में वर्ष 2017-18 में दर्ज एवं पेंडिंग एफ0आई0आर0 के सम्बन्ध में जानकारी

114-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 2017 से मार्च, 2018 तक जनपद बांदा के विभिन्न थानों में कितनी एफ0आई0आर0 दर्ज हुयी हैं, कितनी एफ0आई0आर0 पर चार्जशीट लगी और कितने पर फाइनल रिपोर्ट लगी, कितने अभी पेंडिंग हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

मार्च, 2017 से मार्च, 2018 तक जनपद बांदा के विभिन्न थानों कुल 3522 एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई।

चार्जशीट-3008, फाइनल रिपोर्ट-332,

पेंडिंग-153 तथा 29 अभियोग खारिज हुए।

विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के ग्राम बाबूपुर में स्वीकृत राजकीय हाई स्कूल का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की मांग

115-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के ग्राम बाबूपुर में स्वीकृत राजकीय हाई स्कूल बाबूपुर का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या वर्तमान शैक्षिक सत्र से इसमें शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

---

† देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ सख्या 208 पर।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

तहसील महमूदाबाद के ग्राम पोखराकलां, धरमपुर आदि में पानी की टंकियों से जल की आपूर्ति कराने विषयक जानकारी

116-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेयजल की समस्या के निदान हेतु जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के ग्राम पोखराकंला, सदरपुर, धरमपुर, मीरानगर, रसूलाबाद, केदारपुर, मितौरा, मानापुर आदि गांवों में लगाई गयी पानी की टंकियों का संचालन कराकर ग्रामीणों को पेयजल की सुविधा दी जा रही है ? यदि नहीं, तो बन्द पानी की टंकियों का संचालन कब से किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के ग्राम पोखराकलां ग्रामीण पेयजल योजना को पूर्ण कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित कर दिया गया है। सदरपुर, धरमपुर, मीरानगर, रसूलाबाद, केदारपुर, मितोरा, मानानगर (मुर्तजानगर) आदि ग्रामों की पेयजल योजनाओं को पूर्ण कराकर मार्च, 2018 में संचालन प्रारम्भ करा दिया गया। वर्तमान में उक्त पेयजल योजनओं से पूर्ण क्षमता पर ग्रामीणों को पेयजल की सुविधा दी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुरादाबाद के ग्राम शेरपुर, एतमादपुर में पशु चिकित्सालय भवन के पुर्ननिर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

117-श्री राजेश कुमार सिंह (चुन्नू)-

पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के ग्राम शेरपुर, एत्मादपुर में लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाया गया पशु चिकित्सालय जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्यपाल सिंह बघेल-

जी हां।

जी हां।

पशु चिकित्सालय, ग्राम शेरपुर, एतमादपुर, जिला मुरादाबाद पशु चिकित्सालय न होकर राजकीय पशु सेवा केन्द्र है। जर्जर भवन को ध्वस्त कर नये भवन का निर्माण कराये जाने हेतु जर्जर भवन को लोक निर्माण विभाग द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने का प्राविधान है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा जिलाधिकारी, मुरादाबाद के माध्यम से पशु सेवा केन्द्र के जर्जर भवन को निष्प्रयोज्य घोषित कराये जाने की कार्यवाही क्रमित है।

लोक निर्माण विभाग से निष्प्रयोज्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त तत्समय उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर निर्माण सम्बन्धित कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के ग्राम पंचायत बभनीखास, करनपुर आदि में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराने विषयक जानकारी

118-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद की ग्राम पंचायत बभनीखास, करनपुर, वभना, मकोइया तिरुखावुजुर्ग, पायरखास में पेयजल दूषित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सभी मजरों, गांवों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बभनीखास, करनपुर, वभना, मकोइया तिरुखावुजुर्ग एवं पायरखास की वर्तमान जनसंख्या क्रमशः 2,850, 1,036, 2,288, 1,879, 1,682, एवं 4,764 है, जिसके सापेक्ष क्रमशः 20, 09, 21, 48, 19 एवं 64 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। उक्त समस्त ग्रामों में निर्धारित मानक 150 व्यक्ति प्रति हैण्डपम्प के सापेक्ष क्रमशः 143, 115, 109, 39, 89 एवं 75 व्यक्ति प्रति हैण्डपम्प की दर से आच्छादित हैं। अतः समस्त ग्राम पेयजल की दृष्टि से हैण्डपम्पों से संतृप्त हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत पायरखास विश्व बैंक पोषित कार्यक्रम के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजना से आच्छादित है एवं जलापूर्ति की जा रही है। प्रश्न में उल्लिखित ग्रामों में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों का रेण्डम आधार पर जल परीक्षण कराये जाने पर हैण्डपम्पों का पानी पीने योग्य पाया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मियों के समस्या के समाधान हेतु कार्य योजना बनाने विषयक जानकारी

119-श्री मो0 फईम इरफान-

मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मियों को कार्य के अधिकता, अवकाश की समस्या, वेतन विसंगतियों तथा साप्ताहिक अवकाश आदि समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये सरकार कोई प्रारूप बना कर समस्याओं का निदान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां, प्रदेश के पुलिस विभाग में पुलिस कर्मियों को वेतन विसंगतियां दूर करने के सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्याः डीजी-103(64)-2008 पार्ट-II, दिनांक 24-07-2017 द्वारा अध्यक्ष, वेतन समिति, उ0प्र0, लखनऊ को प्रस्ताव भेजा गया। अध्यक्ष, वेतन

समिति (सुश्री वृन्दा स्वरूप सेवानिवृत्त आई0ए0एस0) की प्रमुख सचिव, गृह विभाग के साथ एक बैठक दिनांक 22 जनवरी, 2018 को उनके कार्यालय कक्ष संख्या-30 नवीन भवन, उ0प्र0 सचिवालय में सम्पन्न हुई, पुलिस विभाग के अन्तर्गत पदों की वेतन विसंगतियों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। मा0 समिति से संस्तुति प्राप्त होने पर अग्रतर कार्यवाही की जायेगी। पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दिये जाने के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पुलिस विभाग के अराजपत्रित अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा राजपत्रित अवकाश रविवार व द्वितीय शनिवार में साधारणतया कार्यालय आकर सामान्य कार्यदिवस की भांति कार्यों के निष्पादन के एवज में एक माह का अतिरिक्त वेतन मानदेय के रूप में प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र बबीना के बरेठी, तैदोल, तिलैथा आदि ग्रामों में पेयजल आपूर्ति हेतु पानी की टंकी का निर्माण करने हेतु जानकारी

120-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक बड़ागांव के अन्तर्गत ग्राम बरेठी, तैदोल तिलैथा, घुघुवा, जरवो, चिपलौठा, दानीपुरा, लालरमन्ना एवं हरपुरा आदि ग्रामों की जमीन पथरीली होने के कारण पेयजल हेतु हैण्डपम्प सफल नहीं हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में पेयजल के स्थाई समाधान हेतु सर्वे कराकर पानी की टंकी का निर्माण कराकर पाइप लाइन द्वारा पेयजल आपूर्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के अन्तर्गत प्रश्न में उल्लिखित ग्राम पठारी होने के कारण भू-गर्भीय जल की उपलब्धता सीमित है। कम वर्षा की स्थिति में हैण्डपम्प सफल होने की सम्भावना अपेक्षाकृत कम रहती है परन्तु रिंग बोरिंग मशीन द्वारा ग्राम बरेठी, तैदोल, तिलैथा, घुघुवा, जरवो, चिपलौटा, दानीपुरा, तालरमन्ना एवं हरपुरा में क्रमशः 13, 34, 23, 31, 12, 24, 09, 42 एवं 45 हैण्डपम्प क्रियाशील हैं, जिनसे प्रति हैण्डपम्प औसत जनसंख्या क्रमशः 64, 109, 92, 57, 214, 60, 87, 72 एवं 35 लाभान्वित हो रही है। बरुआसागर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्राम बरेठी, तैदोल, तिलैथा, घुघुवा, जरवो, चिपलौटा, दानीपुरा एवं हरपुरा में पेयजल सुविधा उपलब्ध हैं। ग्राम तालरमन्ना की जनसंख्या 2,656 है। उक्त ग्रामों में 42 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित है। अतः निर्धारित मानक (150 व्यक्ति प्रति हैण्डपम्प) के अनुसार उक्त ग्राम पेयजल की दृष्टि से हैण्डपम्प से संतृप्त है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र बबीना के चमरौआ ग्राम समूह पेयजल योजना, रनगुवां ग्राम समूह पेयजल योजना को पूर्ण किये जाने विषयक जानकारी

121-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र में चमरौआ ग्राम समूह पेयजल योजना, रनगुवां ग्राम समूह पेयजल योजना उ0प्र0 जल निगम निर्माण खण्ड झांसी द्वारा संचालित है परन्तु धनाभाव के कारण अपूर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजनाओं को पूर्ण कराने एवं जनता को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु धनराशि अवमुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के अन्तर्गत चमरौआ ग्राम समूह पेयजल योजना (अनुमानित लागत रु0 41342.28 लाख) का विरचन कर भारत सरकार को प्रेषित की गयी थी, किन्तु वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। रनगुवां ग्राम समूह पेयजल योजना (अनुमानित लागत रु0 6520.43 लाख) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन है। योजना पर अब तक कुल रु0 1877.70 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है, जिसके सापेक्ष इन्टेकवेल, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट एवं ओवर हेड टैंक के निर्माण प्रगति पर हैं। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर पेयजल योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी कार्यालय के भवन निर्माण में की गई अनियमतता कि जांच हेतु दिये गये पत्र दिनांक 10-10-2012 व 31-10-2012 पर कार्यवाही विषयक जानकारी

122-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बृजेश कठेरिया, सदस्य, विधान सभा, किशनी जनपद मैनपुरी ने अपने पत्र दिनांक 10-10-2012 एवं 31-10-2012 द्वारा मुख्य मंत्री उ0प्र0 से बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी कार्यालय में भवन निर्माण हेतु प्राप्त धन में हेरा-फेरी, अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में जांच के आधार पर आरोपियों को दण्डित करने के साथ गलत ढंग से किये गये व्यय की वसूली कराये जाने का अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र मुख्य मंत्री सचिवालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक 156 कम्प्यूटर सं0 पी0जी0-10156868/2012, दिनांक 31-10-2012 द्वारा प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा के सम्बन्धित पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी हां।

जी हां।

श्री बृजेश कठेरिया, मा0 सदस्य, विधान सभा, किशनी, मैनपुरी के पत्र दिनांक 10-10-2012 एवं 31-10-2012 में उल्लिखित बेसिक शिक्षा विभाग, मैनपुरी में भवन निर्माण हेतु प्राप्त धन की

हेरा-फेरी एवं दुरुपोग के सम्बन्ध में प्रकरण की जांच खण्ड शिक्षा अधिकारी, घिरोर, खण्ड शिक्षा अधिकारी, बेबर एवं जिला समन्वयक (निर्माण) से करायी गयी। उपरोक्त अधिकारियों द्वारा की गयी जांच में 09 (नौ) भवन निर्माण प्रभारियों को दोषी पाया गया। 04 भवन निर्माण प्रभारियों को निलम्बित किया गया, 04 भवन निर्माण प्रभारियों का वेतन रोका गया तथा 01 भवन निर्माण प्रभारी से रु0 1 लाख 29 हजार की वूसली करायी गयी। अपूर्ण भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी नगर के फैजान इस्लामिया जू0 हा0 स्कूल, आगरा प्रधानाध्यापक के विरुद्ध दिये गये पत्र संख्या-जी0पी0-5352-जी0एस0, दिनांक 02-06-2014 पर कार्यवाही विषयक जानकारी

123-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी नगर के सहायता प्राप्त फैजान इस्लामिया जूनियर हाई स्कूल, आगरा रोड, मैनपुरी में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त न होने के बावजूद बेसिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 द्वारा प्रधानाध्यापक पद पर वर्ष 2003 में नियुक्ति किये जाने तथा वर्ष 2011 में नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में महामहिम राज्यपाल उ0प्र0 सचिवालय राज भवन, लखनऊ के पत्र संख्या-जी0पी0/5352/जी0एस0, दिनांक 02-06-2014 के द्वारा सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0, शासन, लखनऊ को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी ? यदि हां, तो महामहिम राज्यपाल, उ0प्र0, लखनऊ के निर्देशों के परिपालन में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

महामहिम राज्यपाल, उ0प्र0, सचिवालय राज भवन, लखनऊ का पत्र संख्या-जी0पी0/5352/जी0एस0, दिनांक 02-06-2014 उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

जनपद बलिया के तहसील बिल्थरा रोड के अन्तर्गत ग्राम खन्दवा में ग्राम प्रधान द्वारा की जा रही अनियमितता की जांच किये जाने की मांग

124-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया की तहसील बिल्थरा रोड (सीयर) अन्तर्गत ग्राम सभा खन्दवा में ग्राम प्रधान द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन में व सड़क, नाली निर्माण कार्यों में अनियमितता की जानकारी क्या सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

जनपद-बलिया की तहसील-बिल्थरा रोड (सीयर) के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा-खन्दवा में ग्राम प्रधान द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की

गयी है। भारत सरकार की मार्ग-निर्देशिका के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत सेक सूची-2011 में उपलब्ध पात्र लाभार्थियों को वरीयता क्रम में लाभान्वित कराया जाना है। आवास आवंटन में ग्राम प्रधान की कोई भूमिका नहीं रहती है।

ग्राम पंचायत-खन्दवा में प्रधानमंत्री आवास यरेजना-ग्रामीण की सेक सूची-2011 के आधार पर तैयार स्थायी पात्रता सूची में अनुसूचित जाति के 08, सामान्य जाति के 04 लाभार्थियों का नाम सम्मिलित है। वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जाति के 06 लाभार्थियों को आवास आवंटन किया गया है एवं शेष 02 लाभार्थी अपात्र हैं। इसी प्रकार सामान्य वर्ग के दो लाभार्थियों को वर्ष 2016-17 में आवास आवंटित किया गया है, 01 लाभार्थी अपात्र है एवं शेष 01 पात्र लाभार्थी को वर्ग सामान्य जाति का लक्ष्य अप्राप्त होने के दृष्टिगत आवास दिया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

इस प्रकार वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत उक्त ग्राम में कुल 08 लाभार्थियों को आवास आवंटन किया गया है। आवास का आवंटन वरीयता क्रम में एवं पात्र लाभार्थियों को किया गया है। इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के आवंटन में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की गयी है।

ग्राम सभा-खन्दवा में सड़क, नाली निर्माण में कोई अनियमितता नहीं की गयी है और न ही किसी ग्रामवासी द्वारा निर्माण कार्यों में अनियमितता की शिकायत की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

वि0स0 क्षेत्र खड्डा एवं नेबुआ नौरंगिया ब्लाक में कुल मनरेगा जॉब कार्ड धारक के सम्बन्ध में जानकारी

125-श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र में खड्डा एवं नेबुआ नौरंगिया ब्लाक के अन्तर्गत कुल कितने कार्ड धारक हैं ? क्या सभी कार्ड धारकों को वर्ष 2017-18 में मनरेगा के तहत् पूरे दिन का काम दिया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 2017-18 में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी का देय शेष है ? यदि हां, तो उक्त देय का सरकार कब तक भुगतान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत विकास खण्ड खड्डा में 16005 एवं नेबुआ नौरंगिया में 17239 एक्टिव जॉबकार्ड धारक है।

जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में विकास खण्ड खड्डा में 16005 एक्टिव जॉबकार्ड धारकों में से 8124 जॉबकार्ड धारकों के द्वारा कार्य की मांग की गई, जिसके सापेक्ष 8120 जॉबकार्ड धारकों को रोजगार का प्रस्ताव दिया गया, जिसमें से 7575 जॉबकार्ड धारकों द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत कार्य किया गया। इसी प्रकार विकास खण्ड नेबुआ नौरंगिया में

17239 एक्टिव जॉबकार्ड धारकों में से 8348 जॉबकार्ड धारकों के द्वारा कार्य की मांग की गई, जिसके सापेक्ष 8340 जॉबकार्ड धारकों को रोजगार का प्रस्ताव किया गया, जिसमें से 7271 जॉबकार्ड धारकों द्वारा ही मनरेगा योजनान्तर्गत कार्य किया गया। मजदूरों द्वारा कार्य की मांग तो की गई परन्तु किन्हीं कारणों से यथा-बीमारी, रिश्तेदारी में चले जाने, कोई व्यक्तिगत आवश्यक कार्य आदि पड़ जाने के कारण कार्य नहीं किया गया जिससे मजदूरों द्वारा की गई मांग एवं कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या में अन्तर है।

चित्तीय वर्ष 2017-18 में विकास खण्ड खड्डा एवं नेबुआ नौरंगिया में जॉब कार्ड धारकों की मजदूरी का भुगतान एफ0टी0ओ0 के माध्यम से कर दिया गया है। सम्प्रति कोई भुगतान अवशेष नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ मण्डल में मई, 2018 में कुल घटित साइबर अपराध एवं रोकथाम हेतु कार्य-योजना बनाने विषयक जानकारी

126-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माह मई, 2018 में साइबर अपराध की कितनी घटनायें लखनऊ मण्डल में हुई हैं तथा इनकी रोकथाम हेतु सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त में से लखनऊ नगर में दिनांक 21, 22 व 23 मई, 2018 को बैंक खातों में साइबर जालसाजों द्वारा जालसाजी किये जाने की घटनायें दर्ज हुयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में माह मई, 2018 में साइबर अपराध की 199 घटनाएं लखनऊ मण्डल में हुई हैं। इनकी रोकथाम हेतु सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :--

साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु प्रदेश के प्रत्येक जिले में क्राइम ब्रांच की स्थापना की गयी है, जिसमें तीन इन्वेस्टीगेशन यूनिट यथा-जघन्य अपराध इकाई, आर्थिक अपराध इकाई एवं साइबर अपराध इकाई के कर्तव्यों का निर्धारण किया गया हैं। प्रदेश में 02 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन क्रमशः जनपद-लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर में स्थापित किये गये हैं। दोनों थानों के पर्यवेक्षण व नियन्त्रण का कार्य स्पेशल टास्क फोर्स, उ0प्र0 द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में सोशल नेटवर्किंग साइट्स के पेज/प्रोफाइल को ब्लॉक कराने एवं उनके दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से परिक्षेत्र मेरठ में सोशल मीडिया कमाण्ड रिसर्च सेंटर की स्थापना की गयी है। समस्त परिक्षेत्रों के समस्त जनपदों को उसके उपयोग हेतु यूजर आई0डी0 व पासवर्ड प्रदान किये गये हैं। प्रत्येक थाना स्तर पर नियुक्त कर्मचारियों को साइबर क्राईम से सम्बन्धित प्रकरण के सम्बन्ध में प्रशिक्षण कराया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न बैंकों के खाताधारकों से जालसाजों द्वारा दूरभाष व इण्टरनेट के माध्यम से उनके एटीएम कार्ड का नम्बर व पिन कोड पूछकर धोखधड़ी करके खातों से पैसा निकालने सम्बन्धी घटित घटनाओं के अनावरण हेतु समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 को निर्देश निर्गत

किये गये हैं। लखनऊ नगर में दिनांक 21, 22, 23 मई, 2018 को बैंक खातों से साइबर जालसाजों द्वारा जालसाजी किये जाने की घटनाओं से सम्बन्धित कुल 64 मामले दर्ज किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के प्राथमिक विद्यालय गुरदीन खेड़ा में अवैध कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में मा0 कौशल किशोर सांसद व मा0 कान्ति सिहं सदस्य विधान सभा द्वारा दिये गये पत्र पर कार्यवाही विषयक जानकारी

127-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती कान्ति सिंह, सदस्य विधान परिषद् का जिलाधिकारी, लखनऊ को सम्बोधित पत्र दिनांक 26-04-2018 जो कि प्राथमिक विद्यालय गुरदीन खेड़ा, क्षेत्र-काकोरी, जिला लखनऊ में ग्रामीणों द्वारा जानवर बाँधकर गोबर, कचड़ा आदि गन्दगी फैलाने और अवैध रूप से विद्यालय भूमि पर कब्जा हटाकर विद्यालय को साफ-सुथरा एवं स्वच्छ रखने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी हां।

विद्यालय परिसर में जानवर बांधने एवं गोबर, कचड़ा आदि गंदगी फैलाने पर रोक लगा दी गयी है। अब परिसर में जानवर नहीं बांधे जा रहे हैं।

विद्यालय परिसर से कचड़ा, गंदगी, गोबर की सफाई करते हुए विद्यालय को स्वच्छ कर दिया गया है।

अतिक्रमण हटाने हेतु राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की टीम गठित कर कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

128-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

[01 बुधवार के अता0 प्र0 सं0-194 के अन्तर्गत स्थानन्तरित]

जनपद अमेठी के जिला पंचायत राज अधिकारी के विरुद्ध अवैध वसूली के विरुद्ध जांच कराने के सम्बन्ध में पूर्व विधायक गौरीगंज, श्री तेजभान सिंह के द्वारा दिये गये पत्रांक-328, दिनांक 16-05-2018 पर कार्यवाही हेतु

129-श्री सूर्यभान सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायती राज मंत्री को सम्बोधित भाजपा विधान मण्डल दल कार्यालय के पत्रांक-328, दिनांक 16-05-2018 द्वारा श्री तेजभान सिंह, पूर्व विधायक का पत्र जो कि जनपद-अमेठी के जिला पंचायत राज अधिकारी के विरुद्ध अवैध वसूली के

वायरल हुये आडियों एवं अन्य भ्रष्ट तरीकों से वसूली की गम्भीर शिकायतों विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के एस0एन0 मेडिकल कालेज में धनाभाव के कारण इलाज में हो रही असुविधा हेतु धन आवंटन विषयक जानकारी

130-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में असाध्य रोग से पीड़ित पात्रता श्रेणी के रोगियों की निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि असाध्य रोग से पीड़ित पात्रता श्रेणी के रोगियों के निःशुल्क उपचार हेतु दवाओं आदि की उपलब्धता करने हेतु वर्ष 2018-19 में आवश्यक धनराशि का आवंटन करवा दिया गया है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार असाध्य रोग से पीड़ित गरीब की धनाभाव के कारण इलाज में होने वाली असुविधा को दूर कराने के लिये आगरा मेडिकल कालेज को धनावंटन कराने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या 31 के अन्तर्गत असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु धनराशि रु0 4000.00 लाख का प्राविधान है। शासनादेश संख्या-86/2018/1525/71-2-18-24/2018, दिनांक 05-05-2018 के द्वारा राजकीय मेडिकल कालेजों में असाध्य रोगों के निःशुल्क इलाज हेतु प्रथम छमाही के लिए रु0 2000.00 लाख का बजट आवंटन किया गया है, जिसमें से मानक मद-28 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा हेतु धनराशि रु0 400.00 लाख अवंटित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वि0स0 क्षेत्र बैरिया के दया छपरा, भुआल छपरा-चक्की, नौरेण्य मार्ग का निर्माण कराये जाने की जानकारी

131-श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह-

क्या ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में दया छपरा, भुआल छपरा से होते हुये चक्की नौरेण्य तक जाने वाली सड़क विगत 5 वर्षों से

अपूर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह')-

जी हां।

जी नहीं। पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-8, वर्ष 2009-10 के पैकेज संख्या यू0पी0 1058 के अन्तर्गत दया छपरा (श्रीपालपुर) पानटून ब्रिज से नवरंगा तक के नाम से 8.70 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग निर्माण हेतु मु0 537.47 लाख की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दिनांक 14-09-2010 को प्रदान की गयी थी। मार्ग के निर्माण हेतु गठित अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 26-04-2011 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 25-04-2012 निर्धारित थी। ठेकेदार द्वारा कार्य समय से प्रारम्भ कर दिया गया था, परन्तु सितम्बर, 2011 की बाढ़ के कारण कार्य प्रभावित हुआ। तत्पश्चात् वर्ष 2013 की भयंकर बाढ़ तथा वर्षानुवर्ष बाढ़ में उक्त मार्ग पर जिला पंचायत द्वारा पूर्व से निर्मित 04 पुल (माईनर ब्रिज) अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गये हैं। इनके फाउण्डेशन अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण पुल ध्वस्त होने की कगार पर है।

वर्षानुवर्ष बाढ़ से विभाग द्वारा पूर्व में मार्ग पर कराया गया कार्य भी क्षतिग्रस्त हो गया है। अतः उक्त विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत मार्ग को पी0एम0जी0एस0वाई0 से डिलीट करने का अनुरोध दिनांक 26-02-2018 को उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण से किया गया है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

132-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

[01 बुधवार के अता0प्र0सं0 200 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

133-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

[02 बुधवार के अता0प्र0सं0 193 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

134-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

[01 बुधवार के अता0प्र0सं0 195 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तैनात कुल प्रोफेसर एवं आरक्षण वार विवरण उपलब्ध कराने विषयक जानकारी

135-श्री पारसनाथ यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कितने प्रोफेसर वर्तमान समय में तैनात हैं एवं कितने प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रचलित है ? क्या सरकार बतायेगी

कि उपरोक्त नियुक्तियों में पिछड़े वर्ग, अनु0 जाति का आरक्षण विवरण क्या है ? क्या उक्त में आरक्षण कोटा का ध्यान रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

वर्तमान में इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय में कोई प्रोफेसर तैनात नहीं है।

23 प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रोफेसर के पदों के चयन में आरक्षण का विवरण निम्नवत् है :--

क्रमांक	विभाग	प्रोफेसर वेतनमान रु0 37,400-67,000 + ग्रेड पे रु0 10,000		
		अनारक्षित	अ0पि0व0	अनु0 जाति
1	2	3	4	5
	स्कूल ऑफ सोसल साइंसेज, ह्यूमिनिटीज एवं इण्टरनेशनल स्टडीज			
1	सेन्टर फॉर एप्लाएड इकोनामिक्स	01	-	-
2	सेन्टर फॉर सोशल वर्क	01	-	-
3	सेन्टर फॉर सोशियोलॉजी एण्ड एनथ्रोपोलॉजी	02	-	-
4	सेन्टर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज	02	-	-
5	सेन्टर फॉर डिफेंस एवं स्ट्रेटजिक स्टडीज	01	-	-
6	सेन्टर फॉर इंग्लिश	01	-	-
7	सेन्टर फॉर हिन्दी	01	-	-
8	सेन्टर फॉर संस्कृत	01	-	-
9	सेन्टर फॉर उर्दू	01	-	-
10	सेन्टर फॉर पापुलेशन एवं जेंडर स्टडीज	02	-	-
11	सेन्टर फॉर फिजियोलॉजी एवं बिहेविरल साइंस	01	-	-
12	सेन्टर फॉर पोलिटीकल साइंस एवं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन	02	-	-
13	सेन्टर फॉर फिलोस्फीकल स्टडीज	01	-	-
14	सेन्टर फॉर स्ट्रेटजिक, इण्टरनेशनल एवं एरिया स्टडीज	03	01	-
	स्कूल ऑफ कामर्स एवं मैनेजमेंट			
1	सेन्टर फॉर कामर्स	01	-	-
2	सेन्टर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज	01	-	-
	योग	**22**	**01**	**-**

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पोल्ट्री योजना, बकरी पालन योजना आदि योजनाओं को पुनः संचालित किये जाने की मांग

136-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व सरकार में स्वचालित, पोल्ट्री योजना, बकरी पालन योजना, सुअर पालन योजना, बकरी का दाना, गाय, भैंस पालन योजना आदि को सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रोजगारपरक योजनायें पुनः प्रारम्भ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्यपाल सिंह बघेल-

जी नहीं।

पूर्व सरकार में संचालित पोल्ट्री योजना, बकरी पालन योजना, सुअर पालन योजना, बकरी का दाना, गाय, भैंस पालन की योजना को बन्द नहीं किया गया है।

बल्कि पोल्ट्री की योजना कुक्कुट विकास नीति, 2013 का विस्तार मार्च, 2018 से मार्च, 2022 तक किया गया है, जिसके अन्तर्गत 125.00 लाख कामर्शियल लेयर्स पक्षियों को पाला जाना है, जिससे रु0 785.00 करोड़ का निवेश प्रदेश को प्राप्त होगा।

बकरी पालन योजना को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त केन्द्रांश की सीमा तक राज्यांश को सम्मिलित करते हुये योजना संचालन की कार्यवाही की जा रही है। योजनान्तर्गत द्वितीय पीढ़ी में उच्च अनुवांशिक गुणवत्तायुक्त कुल 100035 संतति उत्पन्न होंगे तथा लगभग 28713 बकरी पालकों को लाभ मिलेगा।

सुअर पालन योजना पूर्व की भांति संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत इच्छुक सुअर पालकों को निःशुल्क 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा प्रक्षेत्रों को पाले गये सुअरों से उत्पन्न संतति को अंशदान पर सुअर पालकों को वितरित किया जाता है।

बकरी के लिये दाना की व्यवस्था निदेशक तथा प्रशासन योजनान्तर्गत प्रक्षेत्रों पर किया जाता है। प्रक्षेत्रों पर उत्पन्न नर वत्सों को इच्छुक बकरी पालकों को अंशदान पर उपलब्ध कराया जाता है।

गाय/भैंस पालन की योजना (यथा-कामधेनु योजना) की कार्यावधि मार्च, 2017 में समाप्त हो गई थी, तथापि योजना में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पूर्व में पूर्ण की गई इकाइयों को ब्याज की प्रतिपूर्ति नियमानुसार की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शिक्षा मित्रों को पुनः सहायक अध्यापक पद पर बहाल करने विषयक जानकारी

137-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत शिक्षा मित्रों को सरकार संशोधित आदेश लाकर पुनः सहायक अध्यापक के पद पर बहाल करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या-9529/2017, उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम आनन्द कुमार यादव व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 25-07-2017 के अनुपालन में शिक्षा मित्रों को आगामी दो नियुक्ति प्रक्रिया में भारांक तथा आयु सीमा में छूट देते हुए सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के पद पर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया गया है।

68500 रिक्तियों पर सहायक अध्यापक भर्ती हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण 41556 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु शासनादेश दिनांक 18-8-2018 के क्रम में चयन/नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) आयुक्त, कार्यालय फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद व जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) अम्बेडकरनगर को दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जानकारी

138-श्री लाल जी वर्मा-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2017 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-48 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) आयुक्त कार्यालय, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद व जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) अम्बेडकरनगर को दिये गये निर्देशों के अनुसार उक्त पर अब तक कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

अपर आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद के न्यायालय से निर्णीत निगरानी संख्या 358 गांव सभा टेमा बनाम अजय प्रताप सिंह आदि अन्तर्गत धारा-333 जेड0ए0 ऐक्ट में निर्णय दिनांक 07-01-2009 के विरुद्ध वाजदायर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो वर्तमान में विचाराधीन है जिसमें अग्रिम तिथि दिनांक 29-08-2018 नियत है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर के तहसील भीटी के ग्राम टेना में गाटा सं0 416 रकबा 1.6470 पर अबैध कब्जे के सम्बन्ध में जानकारी

139-श्री लाल जी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में तालाब की भूमि को धारा-229 बी के तहत असंक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि ग्राम टेमा, परगना मिझौड़ा, तहसील-भीटी के भूमि गाटा सं0-416 रकबा 1.6470 हे0 जो चकबन्दी आकार-पत्र 41 तथा 45 में तालाब की भूमि अंकित थी, को धारा-229 बी के अन्तर्गत कुछ व्यक्तियों

के नाम असंक्रमणीय भूमिधर अंकित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

न्यायालय अपर परगनाधिकारी अकबरपुर, ग्राम टेमा, परगना मिझौड़ा, तहसील भीटी के भूमि गाटा संख्या 416 रकबा 1.647 हे0 पर वाद संख्या 27/152, अन्तर्गत धारा-229 बी के तहत तारीख फैसला 15-02-1988 के क्रम में शिव नरायन सिंह, जय नरायन सिंह, सत्य नरायन सिंह, देव नरायन सिंह, हरि नरायन सिंह, दीप नरायन सिंह पुत्रगण राज करन सिंह व गुरु प्रसाद सिंह पुत्र जयराम सिंह निवासी ग्राम के नाम असंक्रमणीय भूमिधर अंकित किया गया है। इस आदेश के विरुद्ध गांव सभा द्वारा अपर आयुक्त (प्रशासन), फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद के न्यायालय में निगरानी संख्या 358 दाखिल किया गया है, जिसे दिनांक 07-01-2009 को निरस्त कर दिया गया है।

अपीलीय न्यायालय (अपर आयुक्त, प्रशासन फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद) से निगरानी कर्तागण की पैरवी के अभाव में निगरानी निरस्त हो जाने के कारण उक्त आदेश के विरुद्ध पुनर्स्थापन वाद प्रस्तुत किये जाने हेतु जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व), आयुक्त, कार्यालय फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद व जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व), अम्बेडकरनगर को निर्देशित कर दिया गया है। न्यायालय के अन्तिम निर्णय के उपरान्त दोषी पाये जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर में स्थित कस्तूरबा विद्यालयों की संख्या तथा उनमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या व स्कूल की मरम्मत आदि के सम्बन्ध में जानकारी

140-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में कितने कस्तूरबा विद्यालय हैं तथा उनमें किस-किस पद पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कस्तूरबा विद्यालयों में कितने-कितने बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि दिनांक 01-04-2017 से 10-05-2018 तक किस-किस विद्यालय को कितनी-कितनी धनराशि बच्चों के खान-पान तथा स्कूल की मरम्मत तथा पुताई आदि के लिये सरकार तथा जिला योजना विभाग से प्राप्त हुई है ? क्या सरकार पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जनपद शाहजहांपुर में कुल 16 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित हैं।

वार्डेन के 16 पदों के सापेक्ष 14 कार्यरत, पूर्ण कालिक शिक्षिका के 64 पदों के सापेक्ष 57 कार्यरत, अंशकालिक शिक्षिका के 64 पदों के सापेक्ष 49 कार्यरत, लेखाकार के 16 पदों के सापेक्ष 16 कार्यरत, मुख्य रसोइया के 16 पदों के सापेक्ष 15 कार्यरत, सहायक रसोइया के 32 पदों के सापेक्ष 31 कार्यरत, चपरासी के 16 पदों के सापेक्ष 15 कार्यरत एवं चौकीदार के 16 पदों के सापेक्ष 16 कार्यरत हैं।

16 विद्यालयों में प्रति विद्यालय 100 छात्राओं की दर से कुल 1600 छात्रायें शिक्षा ग्रहण कर रही हैं।

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का नाम	खान-पान व्यवस्था धनराशि रु0	छात्रावास रख-रखाव धनराशि रु0
1	2	3
1-खुटार	16,50,000	75,000
2-कटरा	16,50,000	75,000
3-सिंधौली	16,50,000	75,000
4-पुवांया	16,50,000	75,000
5-भावलखेड़ा	16,50,000	75,000
6-तिलहर ग्रामीण	16,50,000	75,000
7-नगर तिलहर	16,50,000	75,000
8-जलालाबाद	16,50,000	75,000
9-कलान	16,50,000	75,000
10-कांट	16,45,000	75,000
11-बण्डा	16,50,063	85,000
12-ददरौल	16,50,085	85,000
13-मिर्जापुर	16,50,000	75,000
14-जैतीपुर	16,50,000	75,000
15-निगोही	16,50,000	75,000
16-नगर शाहजहांपुर	16,50,000	75,000
योग :-	**21935911**	**1220000**

उपरोक्त कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के खान-पान तथा स्कूल की मरम्मत तथा पुताई आदि के लिये जिला योजना विभाग से कोई धनराशि प्राप्त नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में कुल पशु चिकित्सालयों की संख्या व नियुक्त कर्मियों की सूची सम्बन्धी जानकारी

141-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में कितने पशु चिकित्सालय हैं तथा उसमें स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने डाक्टर, कम्पांउडर व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्यपाल सिंह बघेल-

जी हां।

जनपद शाहजहांपुर में कुल 31 पशु चिकित्सालय संचालित हैं। उक्त पशु चिकित्सालयों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् है :--

पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत
उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	04	04
पशु चिकित्साधिकारी	27	17
वेटनरी फार्मासिस्ट	31	09
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	78	39

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ की तहसील सगड़ी में महिलाओं हेतु शीघ्र शौचालय का निर्माण किये जाने की मांग

142-श्री नफीस अहमद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की तहसील कार्यालय सगड़ी में बने शौचालय बन्द हैं तथा महिलाओं के लिये कोई शौचालय न होने से महिलाओं व अन्य जन सामान्य को परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तहसील सगड़ी में शौचालय का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं। तहसील कार्यालय सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के शौचालय बन्द नहीं हैं। तहसील कार्यालय के प्रशासनिक भवन में कुल छः शौचालय निर्मित हैं, जिनमें से दो शौचालय उप जिलाधिकारी/तहसीलदार सगड़ी के बैठक कक्ष से अटैच है एवं दो शौचालय कर्मचारीगण हेतु व जन सामान्य महिला हेतु एक शौचालय व जन सामान्य पुरुष हेतु एक शौचालय स्थित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज व महराजगंज के सभी ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मियों की तैनाती विषयक जानकारी

143-श्री नफीस अहमद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज व महराजगंज के सभी ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मियों की तैनाती हैं ? यदि नहीं, तो सरकार कब तक तैनाती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधारी-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ में अति कुपोषित बच्चों की पहचान व संख्या विषयक जानकारी

144-श्री नफीस अहमद-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में कुल कितनी संख्या में अति कुपोषित बच्चों की पहचान की गई है ? क्या सरकार ने उनको पोषित आहार दिलाने की कोई व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी हां। जनपद आजमगढ़ में कुल 39771 अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया गया है।

अति कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार अनुपूरक पोषाहार प्रदान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

वि0स0 क्षेत्र रुधौली में निर्मित मिनी सचिवालय भवन का मरम्मत कार्य पूर्ण किये जाने विषयक जानकारी

145-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रुधौली जनपद बस्ती के पड़िया खास ग्राम में मिनी सचिवालय का भवन निष्प्रयोज्य होने के कारण जर्जर हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की मरम्मत कराकर भवन के उपयोग पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

मरम्मत का कार्य ग्राम पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित कर लिया गया है तथा इस हेतु ग्राम पंचायत को निर्देशित भी किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर किये जाने की मांग

146-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों का पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त परिषदीय विद्यालयों में मानकानुसार अध्यापकों की नियुक्ति/तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायवाल-

जी नहीं।

जनपद बस्ती में कुल 1747 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के सापेक्षिक कुल 2523 अध्यापक तथा 639 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सापेक्षिक कुल 1760 अध्यापक कार्यरत हैं, जिनके द्वारा पठन-पाठन का कार्य किया जा रहा है।

68500 रिक्तियों पर सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण 41556 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु शासनादेश दिनांक 18-8-2018 के क्रम में चयन/नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के द्वारा निर्धारित छात्र/अध्यापक अनुपात के आधार पर समायोजन के भी निर्देश दिये जा चुके हैं।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के वि0ख0 जलालपुर की ग्राम पटौहा गानेपुर में मनरेगा द्वारा कृत कार्यों में हुये भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग

147-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड जलालपुर अन्तर्गत ग्राम सभा पटौहा, गानेपुर में मनरेगा कार्यों में पूर्व में जिला पंचायत द्वारा निर्मित सड़क को मनरेगा से निर्मित दिखा कर भुगतान कर दिये जाने की शिकायतें सरकार के संज्ञान में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

जिलापंचायत द्वारा पिच रोड से रूपेन्द्र त्रिपाठी के घर तक इण्टरलॉकिंग का कार्य कराया गया है, जिस पर कोई भी भुगतान मनरेगा योजनान्तर्गत नहीं किया गया है। जिला पंचायत द्वारा कराये गये किसी भी कार्य पर ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज के अन्तर्गत कन्धरापुर से जुलहापुर तक जर्जर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

148-श्री नफीस अहमद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज के अन्तर्गत कन्धरापुर से जुलहापुर तक मार्ग जर्जर हो गया है जिसके कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त मार्ग का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह-

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत का प्रस्ताव जिला पंचायत, आजमगढ़ की वित्तीय वर्ष, 2018-19 की कार्य योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। निविदा आमंत्रित एवं स्वीकृत होने के उपरान्त निर्माण कार्य कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को मानदेय देने के सम्बन्ध में जानकारी

149-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं को मानदेय देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

प्रदेश के वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं को मानदेय दिये जाने से सम्बन्धित कोई कार्य योजना विचाराधीन नहीं है।

उक्तवत्।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेहन्दर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र के जर्जर भवन के निर्माण के लिये धन प्रस्तावित करने विषयक जानकारी

150-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की ग्राम सभा अकबरपुर ताल्हु, विकास खण्ड बेहन्दर, तहसील सण्डीला में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र का भवन

जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार आंगनबाड़ी केन्द्र के नये भवन का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी नहीं। जनपद हरदोई की ग्राम सभा अकबरपुर तालहु, विकास खण्ड बेहन्दर, तहसील सण्डीला में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्मित नहीं है। आंगनबाड़ी केन्द्र का संचालन प्राथमिक विद्यालय, अकबरपुर तालहु के अतिरिक्त कक्ष में हो रहा है, जिसकी भौतिक स्थिति ठीक है।

जी हां। ग्राम अकबरपुर तालहु में ग्राम सभा की भूमि पर आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव वर्ष 2018-19 की कार्य योजना में सम्मिलित किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई कि तह0 सण्डीला के अन्तर्गत ग्राम गौरीदायमपुर में गाटा सं0 895 से होकर चकमार्ग पर अवैध कब्जे को हटवाने विषयक जानकारी

151-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला अन्तर्गत ग्राम गौरीदायमपुर में गाटा संख्या-895 को पैमाइश होकर चकमार्ग हेतु निशानदेही की गयी है ? क्या सरकार को जानकारी है कि कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके उक्त चक मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया है जिससे आने-जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चक मार्ग से अवैध कब्जा हटवा कर लोगों को आने-जाने के लिए सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

ग्राम गौरीदायमपुर, परगना व तहसील सण्डीला, जिला हरदोई की प्रश्नगत गाटा संख्या 895 के सम्बन्ध में स्थलीय व अभिलेखीय जांच करायी गयी। गाटा संख्या-895/0.09450 हे0 रामनरेश पुत्र रामलाल व सन्दीप कुमार व योगेन्द्र कुमार व योगेश कुमार पुत्रगण जयप्रकाश व श्रीमती सुधा देवी पत्नी स्व0 जयप्रकाश, निवासी गौरीदायमपुर के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। गाटा संख्या 895 तक आने-जाने के लिए गाटा संख्या-894/0.1700 हे0, जो कि रास्ता अंकित अभिलेख है से होकर जाना होता है, जिसकी पैमाइश राजस्व टीम, पुलिस बल व ग्रामवासियों की उपस्थिति में करके निशानदेही करा दी गयी है तथा गाटा संख्या-895 व अन्य संलग्न गाटों को आने-जाने के लिये आवागमन का मार्ग खुलवा दिया गया है।

रास्ते की गाटा सं0-894 पर कोई अवैध कब्जा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा के नर्स, टेक्नीशियन, जू0 इंजी0 आदि के रिक्त पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में जानकारी

152-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा के नर्स, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, प्लास्टिक सर्जन तथा सुरक्षा गार्डों व नर्सिंग कालेज तथा एम्स ब्लाक के रिक्त पदों पर भर्ती सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

मेडिकल कालेज, आगरा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सुरक्षा गार्ड एवं नर्सिंग कालेज के पद अभी सृजित नहीं हैं तथा यहां पर एम्स ब्लाक स्थापित नहीं है। उक्त स्थिति में इनमें भर्ती की कार्यवाही का प्रश्न नहीं है।

मेडिकल कालेज, आगरा में नर्सिंग संवर्ग के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के 203 पद व चिकित्सा शिक्षा विभाग के 80 पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष क्रमशः 71 पद एवं 42 पद भरे हुए हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के रिक्त 30 पदों पर चयन हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है तथा लोक सेवा आयोग द्वारा शीघ्र परीक्षा परिणाम घोषित किया जाना है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के रिक्त स्टाफ नर्स के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु प्रमुख अधीक्षक, एस0एन0 चिकित्सालय, आगरा के पत्र दिनांक 02-01-2016 के द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध किया गया है।

मेडिकल कालेज, आगरा में टेक्नीशियन के 29 तथा जूनियर इंजीनियर (सिविल) के एक पद पर चयन की कार्यवाही, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा की जानी है, जो कि प्रक्रियाधीन है।

प्लास्टिक सर्जन का एक पद सृजित है, जिस पर तैनाती की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी के तहसील बिलारी एवं चन्दौसी में मीणा जाति के लोगों को अनुसूचित जाति, जनजाति प्रणाण-पत्र बनवाने विषयक जानकारी

153-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के बिलारी विधान सभा क्षेत्र की तहसील बिलारी एवं चन्दौसी में मीणा जाति के लोगों का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र बनवाने में आ रही कठिनाइयों की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो उक्त कठिनाई को दूर करने का कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश सरकार जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जनपद-मुरादाबाद के बिलारी विधान सभा क्षेत्र की तहसील बिलारी के किसी भी ग्राम में मीणा जाति के व्यक्ति निवास नहीं करते हैं तथा जनपद-संभल की बिलारी विधान सभा क्षेत्र की तहसील, चन्दौसी के ग्राम-पैगारफातपुर मजरा, मैनपुरी में वर्ष 2016 में भारत सरकार की अधिसूचना के अन्तर्गत मीणा जाति के ऑफलाइन प्रमाण-पत्र नियमानुसार जांचोपरान्त जारी किये गये हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के अन्तर्गत मीणा जाति के लोगों को अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा शिशुओं को दी जाने वाली पौष्टिक सामग्री एवं आहार की गुणवत्ता के सम्बन्ध में जानकारी

154-श्री नफीस अहमद-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा शिशुओं को दी जाने वाली पौष्टिक आहार साग्रगी की खराब गुणवत्ता एवं वितरण सही प्रकार से नहीं किये जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा शिशुओं को दी जाने वाली पौष्टिक आहार सामग्री की खराब गुणवत्ता एवं वितरण सही प्रकार से न किये जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पी0जी0 (एम0एस0, एम0डी0) के जूनियर रेजीडेन्ट प्रथम वर्ष के कार्य के घण्टे तथा साप्ताहिक वीक आफ निर्धारित करने विषयक जानकारी

155-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पी0जी0(एम0एस0, एम0डी0) हेतु प्रवेश परीक्षा नीट के उपरान्त जूनियर रेजीडेन्ट प्रथम वर्ष का के0जी0एम0यू0 में प्रवेश दिनांक 02-05-2018 तथा दिनांक 22-05-2018 को किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या विभिन्न विभागों जैसे-मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, बालरोग, अर्थोपेडिक, रेडियोलॉजी, पैथालॉजी में जूनियर रेजीडेन्ट प्रथम वर्ष के प्रतिदिन कार्य के घण्टे एवं वीक-आफ सभी विभागों में एक समान लागू है ? यदि हां, तो

प्रत्येक कार्य दिवस में जे0आर0-1 के कार्य के घण्टे कितने हैं एवं साप्ताहिक अवकाश किस दिन रहता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त जूनियर रेजीडेन्ट प्रथम वर्ष के कार्य के घण्टे तथा वीक-आफ निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी हां।

जी हां।

रेजीडेन्सी योजना के अन्तर्गत जूनियर रेजीडेन्ट की दैनिक कार्य की अधिकतम अवधि 12 घण्टे निर्धारित है, जिसमें इमर्जेन्सी तथा आनकाल ड्यूटी भी सम्मिलित है। प्रत्येक जूनियर रेजीडेन्ट को सप्ताह में 01 दिन का साप्ताहिक अवकाश किसी 01 दिन बारी-बारी से (रोटेशन) के आधार पर अनुमन्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के के0जी0एम0यू0 में पी0एम0आर0 विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में जानकारी

156-श्री राजकुमार अग्रवाल-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि के0जी0एम0यू0, लखनऊ के पी0एम0आर0 (आर0ए0एल0सी0) विभाग की कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण निर्माण कार्यशाला में विभिन्न संवर्गो के करीब 40 पद पिछले 10 वर्षों से रिक्त चल रहे हैं जिसकी वजह से पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के पी0एम0आर0 (आर0ए0एल0सी0) विभाग में वर्ष 2000 से अब तक कुल 31 पद रिक्त हुए हैं। कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत रोगी उपचार हित में रिक्त पदों के सापेक्ष सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से कार्मिकों की सेवायें लेकर कार्य कराया जा रहा है। इससे कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण निर्माण कार्यशाला का कार्य सुचारू रूप से चला रहा है। शासनादेश संख्या-3288/71-2-16-आर0एम0-18/2014, दिनांक 23-08-2016 द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के समान भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक एवं तकनीकी अर्हता/अनुभव, भर्ती की विधि एवं कार्य उत्तरदायित्व समान रखते हुए एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के समान वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें अनुमन्य की गयी है। उक्त के क्रम में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली-2011 के सुसंगत प्रस्तरों में संशोधन की कार्यवाही विचाराधीन है।

परिनियमावली में संशोधानोंपरान्त पी0एम0आर0 विभाग (आर0ए0एल0सी0) में रिक्त पदों का नियमानुसार भरे जाने की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार

***157-श्री सुनील कुमार शर्मा-**

[01 सोमवार के अता0 प्र0 सं0-107 के अप्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बस्ती में मुख्य स्थानों पर पेय जल के लिये लगाये गये आर0ओ0 को ठीक कराने के सम्बन्ध में जानकारी

158-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मुख्य-मुख्य स्थानों पर शुद्ध पेय जल की व्यवस्था हेतु लगाए गये आर0ओ0 प्लान्ट सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम्य विकास विभाग द्वारा लगाए गये आर0ओ0 प्लान्ट की जांच कराकर ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद बस्ती में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु कोई आर0ओ0 प्लांट नहीं लगाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के तह0 किरावली में सभी पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों की नियुक्ति कराने विषयक जानकारी

159-चौ0 उदयभान सिंह-

क्या पशुधन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद आगरा की किरावली तहसील में कितने पशु चिकित्सालय हैं तथा उन चिकित्सालयों में मानक के अनुसार चिकित्सक उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मानकानुसार चिकित्सकों की तैनाती करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्यपाल सिंह बघेल-

जी हां।

जनपद आगरा की किरावली तहसील में 06 पशुचिकित्सालय हैं। इनमें मानक के अनुरूप पशु चिकित्सक उपलब्ध हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :--

क्र0 सं0	पशु चिकित्सालय का नाम	तैनात पशु चिकित्सा अधिकारी का नाम
1	2	3
1	किरावली	डा0 केदार नाथ, उप मु0प0चि0अ0
2	अछनेरा	डा0 जयदेव वर्मा, प0चि0अ0
3	फतेहपुर सीकरी	डा0 संजय सिंह तोमर, प0चि0अ0
4	हसेला	डा0 मो0 इमरान असलम अंसारी, प0चि0अ0
5	पनवारी	डा0 सौरभ सिंह, प0चि0अ0
6	शीतलकुंड	डा0 नेम कुमार, प0चि0अ0

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड ठेकमा के ग्राम खरगीपुर में शौचालय बनवाये जाने एवं भुगतान की जानकारी विषयक

160-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र, 2018 के द्वितीय मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-110 के उत्तर के क्रम में क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़, विकास खण्ड ठेकमा की ग्राम खरगीपुर में ग्रामवासियों को शौचालय बनवाये जाने की द्वितीय किस्त का भुगतान दिनांक 26-02-2018 तक कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त ग्राम में कितने पात्रों को प्रथम किस्त का भुगतान किया गया है तथा उसकी सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जनपद आजमगढ़ विकास खण्ड ठेकमा, खरगीपुर में 25 ग्राम वासियों को शौचालय निर्माण हेतु द्वितीय किस्त का भुगतान मु0-6000.00 की दर से आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से दिनांक 26-02-2018 को किया जा चुका है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां, 28 पात्र लाभार्थियों को शौचालय निर्माण हेतु प्रथम किश्त मु0-6000.00 की दर से आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से दिनांक 07-05-2018 को कर दिया गया है। सूची संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

161-श्री कृष्णपाल मलिक-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद मीरजापुर के वि0ख0 पटेहरा व राजगढ़ में पेयजल की समस्या को दूर करने विषयक जानकारी

162-श्री रमा शंकर सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान के विकास खण्ड पटेहरा व राजगढ़ में पीने के पानी की भीषण समस्या बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या उक्त दोनों ब्लाकों में पेयजल की समस्या के निदान के लिए सरकार के पास कोई ठोस उपाय है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद मीरजापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान के विकास खण्ड पटेहरा व राजगढ़ के आंशिक भाग में पेयजल की समस्या रहती है। विधान सभा क्षेत्र मड़िहान के विकास खण्ड राजगढ़ एवं पटेहरा की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या क्रमशः 2,37,469 एवं 1,44,578 है। दोनों विकास खण्डों में क्रमशः 4,442 एवं 2,785 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। इस प्रकार उक्त विकास खण्डों में निर्धारित मानक 150 व्यक्ति प्रति हैण्डपम्प के सापेक्ष क्रमशः लगभग 54 एवं 52 की जनसंख्या पर एक इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। अतः उक्त दोनों विकास खण्ड पेयजल की दृष्टि से हैण्डपम्पों से संतृप्त हैं।

06 पुरानी पेयजल योजनाओं क्रमशः बंकी, जमूई, मड़िहान, पटेहार, रामगढ़ एवं सक्तेशंगढ़ से आंशिक रूप से तथा देवरी पेयजल योजना से पूर्णरूप से जलापूर्ति हो रही है।

प्रत्येक वर्ष माह जून में भीषण गर्मी के दृष्टिगत भू-जल स्तर नीचे चले जाने के कारण कुछ हैण्डपम्पों द्वारा पानी छोड़ देने के कारण विकास खण्ड पटेहरा के 09 ग्रामों यथा-अमोई पुरवा, देवरी कलां, देवरी उत्तर, हिनौता, खण्डवर मझारी, कोटवा पाण्डेय, नेवढिया, पिउरी एवं रजौंहा तथा विकास खण्ड राजगढ़ के 10 ग्रामों यथा-बधौडा, विशुनपुर, देवपुरा, कलवारी माफी, खम्हवा जमती, लहौरा, मटिहानी, रैकरी, राजापुर एवं रामपुर सक्तेशंगढ़ में टैंकरों से जलापूर्ति की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

***163-श्री अजय कुमार लल्लू-**

[बहुत अधिक ब्योरे की जानकारी के आधार पर निरस्त]

***164-श्री अजय कुमार लल्लू-**

[01 बुधवार के अता0 प्र0 सं0-198 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोरखपुर में बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर को वर्ष 2004 से अब तक धनराशि एवं वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने विषयक जानकारी

165-श्री अजय कुमार लल्लू-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर को वर्ष 2004 से दिनांक 1 जून, 2018 तक भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो उसका बर्षवार और मदवार विवरण क्या है ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी हां।

मेडिकल कालेज, गोरखपुर को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 में एन0एच0एम0 के अन्तर्गत रु0 596.67 लाख जापानी इन्सेफलाइटिस (ए0ई0एस0/जे0ई0) मद में, 2011-12 में

रु0 303.80 लाख, ए0ई0एस0/जे0ई0 मद में 2012-13 में रु0 810.11 लाख ए0ई0एस0/जे0ई0 मद में 2013-14 में रु0 187.52 लाख, ए0ई0एस0/जे0ई0 मद में 2014-15 में रु0 553.93 लाख ए0ई0एस0/जे0ई0 मद में, रु0 500.00 लाख, पी0एम0आर0 मद में एवं रु0 76.50 लाख एस0एन0सी0यू0 मद में, इस प्रकार वर्ष में रु0 1130.43 लाख की सहायता प्राप्त हुई। 2015-16 में रु0 755.11 लाख ए0ई0एस0/जे0ई0 मद में एवं रु0 25.32 लाख एस0एन0सी0यू0 मद में कुल रु0 780.43 लाख की सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2016-17 में रु0 509.46 लाख ए0ई0एस0/जे0ई0 मद में रु0 140.56 लाख एस0एन0सी0यू0 मद में कुल रु0 650.02 लाख की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। वर्ष 2017-18 में रु0 792.00 लाख ए0ई0एस0/जे0ई0 मद में रु0 794.50 लाख एस0एन0सी0यू0 एवं उपकरण मद में प्राप्त हुआ। इस प्रकार उक्त वित्तीय वर्ष में रु0 1586.50 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसी प्रकार उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004 से 01 जून, 2018 तक कुल रु0 6045.48 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

1-वर्ष 2010-11 में ट्रामा सेन्टर के भवन निर्माण मद में रु0 80.00 लाख, मानव संसाधन हेतु रु0 228.00 लाख उपकरण मद में रु0 500.00 लाख टेलीफोन मद हेतु रु0 2.00 लाख एवं विधि व्यय हेतु रु0 1.00 लाख इस प्रकार कुल रु0 811.00 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

2-वर्ष 2010-11 में फिजिकल मेडिसन एण्ड रिहैबिलीटेशन (पी0एम0आर0) के अन्तर्गत वेतन में रु0 33.67 लाख, उपकरण में रु0 17.65 लाख, सामग्री एवं सम्पूर्ति में रु0 3.00 लाख कार्यालय व्यय में रु0 0.20 लाख वर्ष में कुल रु0 54.52 लाख एवं 2014-15 में वेतन मद में रु0 62.53 लाख, उपकरण मद में रु0 15.00 लाख, सामग्री एवं सम्पूर्ति में रु0 15.00 लाख एवं कार्यालय में रु0 5.00 लाख वर्ष में कुल रु0 97.53 लाख एवं दोनों वर्षों में कुल मिला कर रु0 152.05 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

3-वर्ष 2010-11 में पी0जी0सीट के अन्तर्गत रु0 116.00 लाख, एवं 2012-13 में रु0 153.00 लाख कुल रु0 269.00 लाख की वित्तीय सहायता उपकरण मद में प्रदान की गई।

4-वर्ष 2013-14 में आर0एन0टी0सी0पी0 के अन्तर्गत रु0 25.04 लाख एवं 2014-15 में रु0 40.16 लाख कुल रु0 65.20 लाख की सहायता प्राप्त हुई, जिसमें 16.59 लाख सिविल कार्य हेतु रु0 3.36 लाख विद्युत मद में एवं 45.25 लाख सी0 एण्ड डी0एस0टी0 लैब हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।

5-इसके अतिरिक्त उक्त मेडिकल कालेज के बालरोग विभाग को आई0सी0एम0आर0 परियोजना के अन्तर्गत रु0 40.19 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक चिरगांव के अन्तर्गत ग्राम रामनगर में पेयजल आपूर्ति हेतु पानी की टंकी के निर्माण एवं पाइप लाइन के मरम्मत कराने विषयक जानकारी

166-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के ब्लाक चिरगांव के अन्तर्गत ग्राम रामनगर में विगत 30 वर्ष पूर्व जल संस्थान, झांसी द्वारा पेयजल

आपूर्ति हेतु पानी की टंकी के निर्माण सहित पाइप लाइन डाली गई थी जो वर्तमान में क्षतिग्रस्त होने एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम रामनगर में पेयजल हेतु जनसंख्या के अनुपात में एक अतिरिक्त पानी की टंकी व नई पाइप लाइन डालकर पेयजल आपूर्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड चिरगांव के ग्राम रामनगर में पेयजल योजना का निर्माण वर्ष 1993 में हुआ था। योजना में 01 पम्प हाउस, 75 किलो लीटर क्षमता का शिरोपरिजलाशय, 1.95 मीटर राईजिंगमेन एवं 1.23 किलो लीटर वितरण प्रणाली का निर्माण किया गया था। ग्राम रामनगर की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी 1,428 एवं वर्तमान में आंकलित आबादी लगभग 1,630 है। उक्त ग्राम हेतु पानी की टंकी की क्षमता पर्याप्त है, जिसके द्वारा वर्तमान में सामान्य रूप से जलापूर्ति हो रही है। उक्त के अतिरिक्त ग्राम रामनगर में अधिष्ठापित 12 हैण्डपम्प क्रियाशील हैं, जिससे 135 व्यक्ति प्रति हैण्डपम्प लाभान्वित हो रहे हैं। अतः निर्धारित मानक (150 व्यक्ति प्रति हैण्डपम्प) के अनुसार रामनगर पेयजल की दृष्टि से हैण्डपम्पों से भी संतृप्त है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सदस्य विधान परिषद् (स्थानीय निकाय) के चुनाव में ग्राम पंचायत सदस्यों को मताधिकार देने एवं मताधिकार प्राप्त व्यक्ति को ही चुनाव लड़ाये जाने की मांग

167-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सदस्य विधान परिषद् (स्थानीय निकाय) के आगामी चुनाव में ग्राम पंचायत सदस्यों को भी मताधिकार देने और उक्त चुनाव में मताधिकार प्राप्त व्यक्ति को ही चुनाव लड़ने का अधिकार दिए जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-27(2) की चतुर्थ अनुसूची में विधान परिषद् के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी की सूची में नगर निगम, नगरपालिका परिषदें, जिला पंचायतें, नगर पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें, छावनी बोर्ड हैं।

जहां तक चुनाव में मताधिकार प्राप्त व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार दिये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद-173 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

की धारा-6 में विधान परिषद् सदस्यता के लिए अर्हतायें दी गयी है। उक्त व्यवस्था में किसी प्रकार का विचलन अधिनियम में संशोधन के बिना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में धरातलीय जल स्तर गिरने एवं जल के फिजुल खर्ची रोकने एवं जल संचय कराने विषयक जानकारी

168-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या लघु सिंचाई एवं भू-गर्भ जल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गिरते धरातलीय जल स्तर एवं जल दोहन को रोकने तथा भविष्य में वर्षा जल संचयन एवं पानी को दोबारा उपयोग/सुरक्षित एवं संवर्धित कर पुनः भूमि में डालने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त का प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्यपाल सिंह बघेल-

जी हां।

''राज्य भूजल संरक्षण मिशन'' के अन्तर्गत प्रदेश के कुल 271 विकास खण्डों (217 अतिदोहित, क्रिटिकल एवं सेमी क्रिटिकल तथा बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्यन क्षेत्र के समस्त 54 विकास खण्ड) एवं 22 शहरों में क्षेत्रवार माइक्रो प्लानिंग के आधार पर भू-जल संसाधनों के समग्र अध्ययन एवं जल संचयन व प्रबन्धन के विविध उपायों को समेकित रूप से कन्वर्जेन्स के माध्यम से क्रियान्वित कर भू-जल स्तर/भण्डारण में सुधार किये जाने का लक्ष्य है। प्रदेश में गिरते हुए जल स्तर की समस्या के निदान हेतु बहुआयामी रणनीति अपनायी जा रही है। इसके अन्तर्गत विभिन्न सम्बन्धित विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अधीन वर्षा जल संचयन एवं भू-गर्भ जल रिचार्ज के विभिन्न कार्य कराये जाते हैं, जिनमें चेकडैम का निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार, आन-फार्म हार्वेस्टिंग, यथा-मेड़बन्दी, रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग आदि संरचनाओं के कार्य सम्मिलित हैं।

प्रदेश में राज्य भूजल संरक्षण मिशन योजना वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रारम्भ हुई है, जिसमें वर्षवार निम्नवत् 05 वर्षों में चिन्हित विकास खण्डों में उक्तानुसार कार्यवाही की जानी है :--

वर्ष	विकास खण्ड	नगरीय क्षेत्र
1	2	3
प्रथम	25	-
द्वितीय	40	3
तृतीय	70	6
चतुर्थ	70	7
पंचम	66	6
योग-	271	22

उक्त विकास खण्डों के अतिरिक्त 30 अन्य विकास खण्डों में भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जा रही है, जिसमें मिशन के अन्तर्गत आच्छादित आकांक्षात्मक जनपदों के 17 विकास खण्ड एवं पूर्वी तथा पश्चिम उ0प्र0 के 13 विकास खण्ड सम्मिलित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्राम पंचायतों के कार्यालयों से जन्म-एवं मृत्यु प्रमाण-पत्रों की भांति, आय, जाति एवं निवास जारी किये जाने की मांग

169-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्राम पंचायत कार्यालयों से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्रों की भांति जाति एवं निवास प्रमाण-पत्रों को जारी कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रमाण-पत्र निर्गत किये जो की व्यवस्था है।

प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, 2020 में पदानुसार न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने एवं क्षेत्र पंचायत, प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा कराये जाने की मांग

170-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पदानुसार न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में पदानुसार न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराये जाने की सरकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम, 1947 तथा उ0प्र0 पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख तथा जिला पंचायत अध्यक्षों का निर्वाचन सीधे जनता से कराने का प्रावधान नहीं है।

जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक बड़ागांव के ग्राम सारमऊ में राजकीय इण्टर कालेज खोलने एवं वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने की मांग

171-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधानसभा क्षेत्र बबीना के ब्लाक बड़ागांव के ग्राम सारमऊ में राजकीय इण्टर कालेज न होने से आस-पास के ग्रामों के छात्रगण

इण्टर तक की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम सारमऊ में राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सारमऊ से लगभग 10 कि0मी0 की परिधि में राजकीय इण्टर कालेज रक्सा, झांसी तथा राजकीय इण्टर कालेज, झांसी व राजकीय हाई स्कूल अम्बावाय, झांसी एवं वित्त विहीन विद्यालय, भानी देवी गोयल सरस्वती विद्यामन्दिर इण्टर कालेज, झांसी संचालित है, जिसमें सह-शिक्षा के रूप में बालक/बालिकायें अध्यनरत हैं।

जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक बबीना के ग्राम रक्सा एवं बैदोरा में राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने की मांग

172-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के बबीना ब्लाक के ग्राम रक्सा में राजकीय बालिका इण्टर कालेज एवं ग्राम बैदोरा में राजकीय इण्टर कालेज न होने से आस-पास के ग्रामों के गरीब छात्र/छात्राएं इण्टरमीडिएट की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम रक्सा में राजकीय बालिका इण्टर कालेज एवं ग्राम बैदोरा में राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम रक्सा में राजकीय इण्टर कालेज स्थापित/संचालित है, जिसमें सह-शिक्षा के रूप में बालक एवं बालिकायें अध्यनरत हैं।

ग्राम-बैदोरा से लगभग 03 कि0मी0 की दूरी पर ग्राम-सर्वा में वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय श्री राधा केशव इण्टर कालेज संचालित है, जिसमें सह-शिक्षा के रूप में बालक/बालिकायें अध्यनरत हैं।

जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक चिरगांव के ग्राम बमनुआ एवं बिठरी में क्रमशः राजकीय बालिका इण्टर कालेज एवं राजीकय इण्टर कालेज खोले जाने की मांग

173-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक चिरगांव के ग्राम बमनुआ में कोई भी राजकीय बालिका इण्टर कालेज एवं ग्राम बिठरी में कोई

भी राजकीय इण्टर कालेज न होने से आस-पास के ग्रामों के गरीब छात्र/छात्राएं इण्टरमीडिएट की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम बमनुआ में राजकीय बालिका इण्टर कालेज एवं ग्राम बिठारी में राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम बमनुआ से 01 कि0मी0 की दूरी पर ग्राम-टहरौली में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय आदर्श जनप्रिय इण्टर कालेज, झांसी संचालित है, जिसमें बालक/बालिकायें अध्ययनरत हैं।

ग्राम-बिठरी के 10 कि0मी0 की परिधि में ब्लाक-चिरगांव में अशासकीय सहायता प्राप्त सरदार पटेल इण्टर कालेज, चिरगांव, झांसी, राजमाता एल0डी0 कन्या इण्टर कालेज, चिरगांव, झांसी एवं डॉ0 मैथिलीशरण गुप्त उ0मा0 विद्यालय, चिरगांव, झांसी संचालित है।

ब्लाक-चिरगांव में 03 वित्त वित्त विहीन विद्यालय श्री गोविन्ददास कन्या इण्टर कालेज, चिरगांव, झांसी, सरस्वती विद्या मन्दिर इ0का0 चिरगांव, झांसी एवं मैथिलीशरण विद्यापीठ इण्टर कालेज, चिरगांव, झांसी संचालित है।

प्रदेश में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कर्मियों को उत्तराखण्ड राज्य की भांति समस्त सुविधायें दिलाये जाने की जानकारी

174-श्री रमा शंकर सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य की भांति प्रदेश में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कर्मियों को उनकी नियुक्ति की तिथि से समस्त सुविधायें दिलाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर आख्या सं0-18199180121731 द्वारा मुख्य मंत्री के विशेष सचिव डा0 आदर्श सिंह द्वारा दिनांक 23 मई, 2018 का आदेश अपर मुख्य सचिव/सचिव ग्राम्य विकास विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी हां।

शासनादेश संख्या-13/2016/डी-383/38-2-2016-2(17)डी/2006,दिनांक 18-07-2016 द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों को इस शर्त के साथ ग्राम्य विकास विभाग में संविलियन किया गया है कि संविलियन के पश्चात जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर माना जायेगा। इन कार्मिकों के संवर्ग को डाईंग कैडर घोषित करते हुए नयी पेंशन

योजना वर्ष 2005 से आच्छादित करने एवं संविलियन के फलस्वरूप कोई भी लाभ पूर्वगामी तिथि से न दिये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक से विकल्प प्राप्त कर अग्रत्तर कार्यवाही की जायेगी। शासनादेश दिनांक 18-07-2016 में संविलियन के फलस्वरूप पूर्वगामी तिथि से कोई लाभ दिये जाने की व्यवस्था नहीं है और संविलियत कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत किये गये विकल्प में इस शर्त को स्वीकार भी किया गया है। अतः जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कर्मियों को संविलयिन के उपरान्त उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि से राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य सुविधायें प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है।

175-डा0 जमुना प्रसाद सरोज-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

176-डा0 जमुना प्रसाद सरोज-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

प्रदेश में पुलिस कर्मियों के बिना सूचना ड्यूटी से लापता एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही विषयक जानकारी

177-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने पुलिस कर्मी बिना किसी सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित हैं ? क्या इन पुलिस कर्मियों को वेतन भी जारी किया जा रहा है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ? क्या सरकार बतायेगी कि इन पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी अदित्यानाथ-

उत्तर प्रदेश में कुल 869 पुलिस कर्मी बिना किसी सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित हैं।

जी नहीं।

उपरोक्त सभी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार जांच/विभागीय कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में मनरेगा के द्वारा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं उनके भुगतान कराने विषयक जानकारी

178-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में मनरेगा मजदूरों को जिला प्रशासन पूरा रोजगार मुहैय्या नहीं करा पा रही है तथा भुगतान भी 30 से 90 दिन के विलम्ब से किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद बस्ती में मनरेगा मजदूरों को समय से भुगतान एवं विलम्ब से प्रतिकर का भुगतान दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद बस्ती में मनरेगा मजदूरों को मनरेगा योजना के मार्ग निर्देश के अनुरूप इच्छुक परिवारों को उनकी मांग के अनुसार शत-प्रतिशत रोजगार मुहैय्या कराया जा रहा है। जनपद बस्ती में

4.47 प्रतिशत मनरेगा श्रमिकों का विलम्बित भुगतान हुआ है। जनपद बस्ती में मनरेगा मजदूरों को समय से भुगतान करने हेतु समस्त कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) को निरन्तर निर्देश दिये जा रहे हैं।

मनरेगा योजनान्तर्गत विलम्ब से प्रतिकर के भुगतान के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी (विलम्बित मजदूरी संदाय हेतु प्रतिकर) नियमावली-2018 का प्रारूप आलेख्य दिनांक 20-08-2018 को निर्गत किया गया है, जिसे अन्तिम किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाये जाने वाले विद्यालयों में विद्यालयों का चयन एवं शिक्षकों के चयन विषयक जानकारी

179-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में बेसिक शिक्षा परिषद् में अंग्रेजी माध्यम शिक्षा हेतु चयनित से 70 विद्यालयों हेतु केवल 68 अध्यापकों का ही चयन किया गया है ? यदि हां, तो मानकानुसार अवशेष शिक्षकों का चयन सरकार कब तक करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी हां।

जनपद बस्ती में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा हेतु चयनित कुल 75 प्राथमिक विद्यालयों में 67 प्रधानाध्यापकों व 70 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की गयी है।

निर्धारित मानकानुसार उपलब्ध शिक्षकों की तैनाती की जा चुकी है तथा उपलब्ध शिक्षकों से शिक्षण कार्य कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के वि0स0 क्षेत्र सदर में ग्राम पंचायत, गनेशपुर तप्पा में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण कराये जाने विषयक जानकारी

180-श्री दयाराम चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर में ग्राम पंचायत, गनेशपुर तप्पा व परगना गनेशपुर की तहसील बस्ती सदर में चकबन्दी प्रक्रिया कब से चल रही है ? क्या सरकार जनहित में चकबन्दी का कार्य समयबद्ध सीमा में पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम गनेशपुर तप्पा व परगना गनेशपुर, तहसील व जिला बस्ती में चकबन्दी प्रक्रिया दिनांक 08-02-1998 से चल रही है।

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2020-21 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2014 से 2016 में नियम विरुद्ध हुये स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में जानकारी

181-श्री सुशील कुमार शाक्य-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2014 से 2016 तक कितने सहायक अध्यापकों को अल्पसंख्यक संस्था से गैर अल्पसंख्यक संस्था में स्थानान्तरित किया गया है ? क्या नियम विरुद्ध हुये इन स्थानान्तरणों पर सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

वर्ष 2014 से 2016 तक 03 सहायक अध्यापकों को अल्पसंख्यक संस्था से गैर अल्पसंख्यक संस्था में स्थानान्तरित किया गया है। 01 सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण मण्डल/जनपद स्तर से प्राप्त कराये गए पत्रजातों में तथ्यों का गोपन करके कराया गया, जिसका संज्ञान होते ही उक्त स्थानन्तरण आदेश शिक्षा निदेशालय के आदेश दिनांक 04-11-2015 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

उक्त स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में संयुक्त सचिव, सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन से जांच कराने के आदेश प्रदान किए गए है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के वि0स0 क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत जहाँगीरगंज ब्लाक के तन्दुआईकला में अग्निशमन केन्द्र स्थापित कराने एवं पत्र संख्या 263/2018 की जांच कराने विषयक जानकारी

182-श्रीमती अनीता-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-279, आलापुर के अन्तर्गत जहाँगीरगंज ब्लाक के तन्दुआईकला में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-263/2018, दिनांक 03-04-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

मा0 सदस्य विधान सभा के पत्र दिनांक 03-04-2018 पर पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर से आख्या दिनांक 20-04-2018 प्राप्त की गयी। उक्त आख्या के अनुसार जनपद अम्बेडकरनगर की 05 तहसीलों में से 04 तहसीलों पर अग्निशमन केन्द्र स्थापित हैं, जिसमें तहसील आलापुर भी सम्मिलित है। तहसील आलापुर के अन्तर्गत जहांगीरगंज ब्लाक के तेंदुआईकला में होने वाले

अग्निकाण्डों से जीवरक्षा एवं बचाव कार्य तहसील आलापुर में संचालित अग्निशमन केन्द्र से किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा के गौरा वि0स0 क्षेत्र के छपिया खण्ड में जलस्तर सुधारने एवं दूषित जल के जांच कराने एवं पीने योग्य बनाने विषयक जानकारी

183-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विधानसभा क्षेत्र गौरा के विकास खण्ड छपिया में अधिकांश गांवों में जल दूषित होने से लोगों को स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार छपिया विकास खण्ड में दूषित पानी की जांच कराकर उक्त गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा के अन्तर्गत विकास खण्ड छपिया की 66 ग्राम पंचायतें आती हैं। विधान सभा क्षेत्र गौरा में मानक के अनुसार 3,681 के सापेक्ष कुल 7,806 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित है। इस प्रकार विधान सभा क्षेत्र गौरा में निर्धारित मानक 150 व्यक्ति प्रति हैण्डपम्प के सापेक्ष 70 व्यक्ति प्रति हैण्डपम्प की दर से आच्छादित हैं। अतः विधान सभा क्षेत्र गौरा पेयजल की दृष्टि से हैण्डपम्पों से संतृप्त है। उक्त के अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र गौरा के अन्तर्गत कुल 10 पाइप पेयजल योजनाएं यथा-रानीजोत, सकदरपुर, पायरखास, बखरौली, बासुदेवपुर ग्रान्ट, केशवनगर ग्रान्ट, कूकनगर ग्रान्ट, धारीघाट एवं बेलहरी बुजुर्ग संचालित है। विकास खण्ड छपिया में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों का रेण्डम आधार पर जल परीक्षण कराये जाने पर हैण्डपम्पों का जल पीने योग्य पाया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में भू-माफियों पर लगाम एवं ऐन्टी भू-माफिया टास्क फोर्स द्वारा जांच कराने विषयक जानकारी

184-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में ऐन्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या सरकार बतायेगी कि तहसील मनकापुर में कितने भू-माफिया चिन्हित कर उनके विरुद्ध एफ0आई0आर0 पंजीकृत कराई गयी है तथा उनसे कितनी सरकारी जमीनें खाली करायी गई ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जनपद गोण्डा में जनपद स्तरीय ऐन्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन 19-06-2017 को तथा तहसील स्तरीय ऐन्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन तहसील मनकापुर में 28-06-2017 को किया गया है।

तहसील मनकापुर में 10 बड़े भू-माफिया चिन्हित किये गये हैं, 05 के विरुद्ध एफ0आई0आर0 पंजीकृत करायी गयी है तथा उनके कब्जे से 1.280 हे0 भूमि खाली करायी गई है।

सूची संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में उच्च प्रा0 वि0 में विद्युतीकरण कराने विषयक जानकारी

185-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में स्थित कितने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा कितनों में अवशेष है ? क्या सरकार अवशेष उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायवाल-

जनपद गोण्डा के सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा बनायी गयी सड़क की मरम्मत एवं जे0ई0, अधिकारी, ठेकेदार, कार्यदायी संस्था पर कार्यवाही कराने विषयक जानकारी

186-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में 2017-18 में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत निर्मित करनपुर से परसाउदयकर, परसातिवारी से मण्डप तथा खालेगांव से शीतलगंज तक सड़क अधोमानक सामग्री के प्रयोग से सड़क उखड़ना शुरू हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह'-

जी नहीं। ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा नामित स्टेट क्वालिटी मानीटर द्वारा समय-समय पर की गयी गुणवत्ता की जांच संतोषजनक पायी गयी है। वर्तमान में सभी तीनों मार्ग ठीक हैं एवं यातायात सुचारू रूप से चल रहा है।

---

† देखिये नत्थी 'छ' आगे पृ0 संख्या 209-212 पर।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मिर्जापुर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटेहराकलां में डीप बोर तथा पाइप लाइन कनेक्शन हेतु आवंटित धन की जांच एवं आख्या सं0-18199180099495 पर कार्यवाही विषयक जानकारी

187-श्री रमा शंकर सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पटेहराकला, जनपद मिर्जापुर में नया डीप बोर तथा पाइप लाइन कनेक्शन कार्य हेतु प्राकलित धनराशि रुपया 22.00 लाख के धनावंटन के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर आख्या सं0-18199180099495 द्वारा विशेष कार्याधिकारी, श्री अजय कुमार सिंह मुख्य मंत्री कार्यालय का दिनांक 18 अप्रैल, 2018 का सचिव/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2018 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित श्री रमा शंकर सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-187 का उत्तर :--

जी हां।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भारत सरकार द्वारा संचालित शिक्षक-शिक्षा योजनान्तर्गत केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानो में वेतनादि तथा अन्य मानक मदों के लिए धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जाती है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मिर्जापुर में नया डीप बोर तथा पाइप लाइन कनेक्शन कार्य हेतु प्राक्कलित रु0 22.00 लाख का प्रस्ताव जनपद स्तर से वर्ष 2018-19 हेतु समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत भारत सरकार के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए डीप बोरिंग तथा पाइप लाइन कनेक्शन कार्य हेतु विभाग में धनराशि की कोई व्यवस्था नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में सचिव ग्राम पंचायत की शैक्षिक योग्यता एवं वेतन मैट्रिक्स एवं प्रश्नकर्ता के आख्या सं0-18199180121705 पर जांच विषयक जानकारी

188-श्री रमा शंकर सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव ग्राम पंचायत की शैक्षिक योग्यता स्नातक वेतन मैट्रिक्स में रु0 29200 प्रदान किया जाना एवं समय पर पदोन्नति अथवा ए0सी0पी0 में पदोन्नति का वेतन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर आख्या सं0-18199180121705 द्वारा विशेष सचिव, श्री अमित सिंह, मुख्य मंत्री कार्यालय का दिनांक 25 मई,

2018 का आदेश अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी हां।

ग्राम पंचायत अधिकारी-ग्राम विकास अधिकारी, समन्वय समिति, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन दिनांक 11-05-2018, 29-04-2018, 05-02-2018 एवं 05-01-2018 में निहित बिन्दुओं/मांगों, जो ग्राम विकास अधिकारी के शैक्षिक अर्हता एवं पदोन्नति तथा ए0सी0पी0 के सम्बन्ध में है, पर विचार किये जाने हेतु ग्राम्य विकास अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-यू0ओ0-15/38-3-2018-23/2018, दिनांक 11 जून, 2018 द्वारा अपर आयुक्त (मनरेगा) ग्राम्य विकास की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें ग्राम्य विकास/कार्मिक/वित्त विभाग के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में सम्मिलित है। समिति की संस्तुतियों प्राप्त होने पर कार्मिक/वित्त विभाग के परामर्श से प्रकरण में यथावश्यकता कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

जनपद बस्ती के वि0स0क्षे0 रूधौली में दुग्ध संग्रह केन्द्र के भवन के निर्माण पूर्ण कराने विषयक जानकारी

189-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के ब्लाक रामनगर के परिसर में दुग्ध संग्रह केन्द्र का भवन अर्द्धनिर्मित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अर्द्धनिर्मित भवन का निर्माण पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी हां।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अवस्थापना मद से वर्ष 2000-2001 में निर्धाणाधीन विकास खण्ड-रामनगर, जनपद-बस्ती के दुग्ध संग्रह केन्द्र का निर्माण तत्समय शिकायत के कारण रोक दिया गया था। कालान्तर में अगणित धनराशि में वृद्धि हो जाने तथा भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बंद कर दिये जाने के कारण उक्त दुग्ध संग्रह केन्द्र का निर्माण अवरूद्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

योजना बन्द हो जाने के कारण।

जनपद कुशीनगर के वि0स0 खड्डा में लघु सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादक हेतु अनुदान के सन्दर्भ में जानकारी

190-श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

क्या लघु सिंचाई एवं भू-गर्भ जल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुदान 013 (2018-2019) कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के तहत लघु सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादक हेतु

(बोरिंग तथा पम्पसेट निर्माण हेतु अंश का 50 प्रतिशत) अनुदान उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2017-2018 में खड्डा विधान सभा क्षेत्र के कितने किसानों को इस योजना का लाभ दिया गया तथा वित्तीय वर्ष 2018-2019 में उक्त हेतु खड्डा विधान सभा क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध है ?

श्री सत्यपाल सिंह बघेल-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2018 के प्रथम मंगलवार के लिए श्री जटाशंकर त्रिपाठी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूंछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-190 का उत्तर-

जी नहीं।

लघु सिंचाई विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में निःशुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत वर्तमान में लघु/सीमान्त/अनुसूचित जाति/जन जाति के कृषकों को बोरिंग पर क्रमशः रु0 5000.00, रु0 7000.00 एवं रु0 10000.00 प्रति बोरिंग पर अनुदान अनुमन्य कराया जाता है। इसी प्रकार पम्पसेट निर्माण हेतु लघु/सीमान्त/अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को क्रमशः रु0 4500.00, रु0 6000.00 एवं 9000.00 का अनुदान अनुमन्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के खड्डा वि0स0 क्षेत्र में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वराज योजना के सन्दर्भ में जानकारी

191-श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुदान संख्या-013 (2018-2019) कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के तहत स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वराज योजना के द्वारा अनुदान उपलब्ध है ? यदि हां, तो इस योजना में जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र के लिये कितनी धनराशि उपलब्ध है तथा उक्त हेतु सहायता समूहों के गठन व लोगों को जागरूक करने के लिये कृषि विभाग की क्या योजना है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना दिनांक 31-03-2013 को पुनर्गठित करके दिनांक 01-04-2013 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का संचालन किया जा रहा है। इस योजना में अनुदान का प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वयं सहायता समूहों के गठन व लोगों को जागरूक करने के लिए कृषि विभाग की कोई योजना नहीं है। ग्राम्य विकास विभाग में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों को इन्टेसिव जनपदों के लिए रिवाल्विंग फण्ड एवं सामुदायिक निवेश निधि तथा नॉन इन्टेन्सिव जनपदों में रिवाल्विंग फण्ड उपलब्ध कराया जात है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के वि0स0क्षे0 खड्डा नगर के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना कराने विषयक जानकारी

192-श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना के तहत) अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना के लिये अनुदान संख्या-083 (2018-2019) के द्वारा सरकार ने धन आवंटित किया है, यदि हां, तो क्या सरकार खड्डा विधान सभा क्षेत्र में उक्त अनुदान से इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा के विकास हेतु शासन द्वारा ''प्रस्पेक्टिव प्लान'' का निर्धारण किया गया है। ''प्रस्पेक्टिव प्लान'' के निर्धारण हेतु किये गये अध्ययन में प्रदेश के इंजीनियरिंग विधा के डिग्री स्तरीय निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध सीटों के सापेक्ष 62 प्रतिशत सीटें रिक्त पाये जाने के फलस्वरूप प्रदेश में नवीन इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना न किये जाने का निर्णय लिया गया है।

जनपद कानपुर के हैलट हास्पिटल में न्यूरो सर्जरी विभाग को पूरी क्षमता से चलाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

193-श्री अमिताभ बाजपेयी-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के हैलट हास्पिटल में न्यूरो सर्जरी विभाग जो पूर्व की सरकार द्वारा बनवाया गया था उसको पूरी क्षमता से सरकार चलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार हैलट हास्पिटल के न्यूरो सर्जरी विभाग को इन्स्टीट्यूट का दर्जा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर के हैलट अस्पताल में स्थापित न्यूरो सर्जरी विभाग अपनी पूर्ण सृजित क्षमता से क्रियाशील है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

न्यूरो सर्जरी विभाग पृथक विभाग के रूप में संचालित है। सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत न्यूरो सर्जरी विभाग को पृथक से संस्थान का दर्जा दिए जाने का औचित्य नहीं है।

जनपद हाथरस के वि0स0क्षे0 सिकन्द्राराऊ में ग्राम मोहब्बतपुरा व बावलीमाजरा में पानी की टंकी स्थापित करने विषयक जानकारी

194-श्री बीरेन्द्र सिंह राणा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के सिकन्द्राराऊ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ब्लाक हाथरस के ग्राम मोहब्बतपुरा व बावलीमाजरा में स्थानीय जनता को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने हेतु सरकार पानी की टंकी स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद हाथरस के सिकन्द्राराऊ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक हाथरस के ग्राम मोहब्बतपुरा की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 1,546 है तथा मजरा बावली गैर आबाद है। ग्राम मोहब्बतपुरा में निर्धारित मानक (150 व्यक्ति प्रति हैण्डपम्प) के अनुसार आवश्यक 12 हैण्डपम्पों के सापेक्ष 27 हैण्डपम्प अधिष्ठापित है। इस प्रकार उक्त ग्राम पेयजल की दृष्टि से हैण्डपम्पों से संतृप्त है।

उक्त के अतिरिक्त उल्लेखीनीय है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं की स्थापना हेतु यह प्राथमिकताएं निर्धारति की गयी हैं-आर्सेनिक एवं फ्लोराइड प्रभावित ग्राम, सांसद आदर्श ग्राम एवं खुले में शौच मुक्त घोषित ग्राम। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं में ग्राम मोहब्बतपुरा आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के वि0स0 क्षेत्र में पेयजल हेतु संचालित पानी की टंकियों के सम्बन्ध में जानकारी

195-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के तिंदवारी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल हेतु ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत कितनी पानी की टंकियां हैं और उनमें से कितनी संचालित हैं व कितनी बंद हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र तिंदवारी के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 31 पेयजल योजनाएं निम्नानुसार संचालित हैं :--

रखर-खाव की संस्था	कुल योजनाएं	क्रियाशील	बन्द
जल निगम	11	11	-

ग्राम पंचायत	09	08	01
जल संस्थान	11	11	-

इस प्रकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल संचालित 31 पेयजल योजनाओं में से 30 पेयजल योजनाएं क्रियाशील हैं एवं ग्राम पंचायत द्वारा अनुरक्षित तक पेयजल योजना बन्द है। विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

ज0 झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र बड़ागांव नगर में पेयजलापूर्ति कराने विषयक जानकारी

196-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के बड़ागांव नगर में रनगुवां ग्राम समूह पेयजल योजना द्वारा पेयजल आपूर्ति हेतु कई वर्षों पूर्व डाली गयी पाइप लाइन जगह-जगह से क्षतिग्रस्त एवं जनसंख्या वृद्धि होने के कारण लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, यदि हां, तो क्या सरकार पुरानी पाइप लाइन के स्थान पर नयी अधिक क्षमता वाली पाइप लाइन डालकर पेयजलापूर्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के अन्तर्गत बड़ागांव नगर, नगर पंचायत है। बड़ागांव नगर में स्थापित ओवर हेड टैंक से पेयजलापूर्ति की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त बड़ागांव नगर में 106 स्थापित एवं क्रियाशील हैण्डपम्पों से भी जलापूर्ति हो रही है। रनगुवां ग्राम समूह पेयजल योजना ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित है। 'रनगुवां ग्राम समूह पेयजल योजना' के अन्तर्गत इन्टेकवेल, वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट, 03 ओवर हेड टैंकों का निर्माण तथा 03 स्वच्छ पेयजल जलाशय के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

रनगुवां ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 22 ग्राम सम्मिलित है। उक्त 22 ग्रामों की जनसंख्या 33,988 है। 150 व्यक्ति पर एक हैण्डपम्प के मानक के अनुसार उक्त 22 ग्रामों में 227 हैण्डपम्पों के सापेक्ष्य 757 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित है। इस प्रकार 45 व्यक्ति पर एक हैण्डपम्प अधिष्ठापित है। उक्त 22 ग्राम हैण्डपम्पों द्वारा पेयजल से संतृप्त है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

197-श्री विजय मिश्र-

[02रे बुधवार के अता0प्र0 सं0-194 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

[12:20] उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

अब निधन की कुछ सूचनायें हैं।

---

† देखिये नत्थी 'ज' आगे पृ0 सं0-213 पर।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गोपीनाथ कामेश्वर पुरी का निधन हो गया। वह वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र इटवा तत्कालीन जिला बस्ती से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे। वह सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन पर हम सब दुखी हैं।

इस आदरणीय सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री जगवीर सिंह का निधन हो गया। वह वर्ष 1957 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, वर्ष 1962 में कांग्रेस तथा वर्ष 1969 में भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र अगोटा जिला बुलन्दशहर से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। उनके निधन से हम सब दुखी हैं।

इस आदरणीय सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री बालेन्दु भूषण प्रताप सिंह का निधन हो गया। वह वर्ष 1962 में प्रतापगढ़ (उत्तरी) निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। उनके निधन पर हम सब दुखी हैं।

इस आदरणीय सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री मोहनलाल त्रिपाठी का निधन हो गया। वह वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। उनके निधन पर हम सब दुखी हैं।

इस आदरणीय सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री सतीश चन्द्र जायसवाल का निधन हो गया। श्री जायसवाल वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र इलाहाबाद दक्षिणी से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वह सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन पर हम सब शोक संतृप्त हैं।

इस आदरणीय सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री सेठ किशन लाल बघेल का निधन हो गया। वह वर्ष 1996 तथा 2002 में निर्वाचन क्षेत्र दयालबाग, जिला आगरा से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे। वह सुश्री मायावती मन्त्रिमण्डल में राज्य मंत्री रहे थे। उनके निधन से हम सब शोक संतृप्त हैं।

इस आदरणीय सदन के पूर्व सदस्य श्री मन्जूर अली खां का निधन हो गया। वह वर्ष 1974 तथा 1977 में निर्वाचन क्षेत्र रामपुर, जिला रामपुर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे। वह राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन पर हम सब स्वाभाविक रूप से दुखी हैं।

इस आदरणीय सदन के पूर्व सदस्य श्री ज्ञानेन्द्र स्वरूप का निधन हो गया। वह वर्ष 1974 में भारतीय क्रान्ति दल, वर्ष 1977 में जनता पार्टी तथा वर्ष 1989 में जनता दल के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र गोवर्धन, जिला मथुरा से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। उनके निधन की सूचना से हम सब शोक संतृप्त हैं।

इसी प्रकार, डा0 वकार अहमद शाह भूतपूर्व सदस्य विधान सभा का निधन हो गया। वह वर्ष 1993, 1996, 2002, 2007 व 2012 में निर्वाचन क्षेत्र बहराइच से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वह नवम्बर, 2003 से मई, 2004 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष तथा मई, 2004 से जुलाई, 2004 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष पद

पर आसीन रहे थे। वह समाजवादी पार्टी विधान मण्डल दल के मुख्य सचेतक तथा उप नेता भी रहे थे। डा0 वकार अहमद शाह श्री मुलायम सिंह यादव मन्त्रिमण्डल तथा श्री अखिलेश यादव मन्त्रिमण्डल में मन्त्री भी रहे थे। जन सेवा एवं मरीजों की चिकित्सा में उनकी विशेष रूचि थी। उनके निधन से हम लोग शोक संतृप्त हैं।

इसी प्रकार, श्री अवधेश नारायण भूतपूर्व सदस्य विधान सभा का निधन हो गया है। वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र दिलदार नगर, जिला गाजीपुर से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। उनके निधन से हम सब दुखी हैं।

इसी प्रकार भूतपूर्व सदस्य श्री राम गोपाल के निधन की सूचना है। वह वर्ष 1991 व वर्ष 1993 में निर्वाचन क्षेत्र लखीमपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इस आदरणीय सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वह उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के भी सदस्य थे। उनके निधन से उत्तर प्रदेश ने एक प्रसिद्ध सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता खोया है। उससे हम दुखी हैं।

इसी प्रकार श्री ऋषिपाल सिंह के निधन की सूचना है। श्री ऋषिपाल सिंह वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र गुन्नौर, जिला बदायूं से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वह विधान परिषद में भी थे। कृषि, व्यापार व तमाम आंदोलनों में भी हिस्सा लेते थें। उनके निधन से हम सब शोक-संतप्त हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री ओम प्रकाश के निधन की सूचना है। वह वर्ष 1996 में निर्वाचन क्षेत्र निधौली कलां, जिला एटा से भारतीय जनतापार्टी के टिकट पर इस आदरणीय सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे। उनके निधन से यह आदरणीय सदन शोक-संतप्त है।

इसी प्रकार इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री मोहम्मद जलील खां वर्ष 2007 में गोण्डा जिला से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर इस आदरणीय सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे। उनके निधन से हम सब स्वाभाविक ही दुखी हैं।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूत पूर्व सदस्य श्री भास्कर पाण्डेय के निधन की सूचना है। वह वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र रूद्रपुर, जिला देवरिया से कांग्रेस के टिकट पर इस आदरणीय सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे। हम लोगों ने अपना एक भूतपूर्व सहयोगी खोया है।

इसी प्रकार इस आदरणीय सदन के पूर्व सदस्य श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी जी के निधन की सूचना है। श्री त्रिपाठी वर्ष 2002 में निर्वाचन क्षेत्र बरसठी तथा वर्ष 2012 में निर्वाचन क्षेत्र जफराबाद, जिला जौनपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर इस आदरणीय सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वह छात्रसंघ के अध्यक्ष भी रहे हैं और तमाम संगठनों के वरिष्ठ नेता थे। हम सब उनके निधन पर शोक-संतप्त हैं।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सरदार सिंह के निधन की सूचना है। वह वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र खतौली, जिला मुजफ्फरनगर से कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर इस आदरणीय सदन में आये थे। उनके निधन से हम सब शोक-संतप्त व दुखी हैं।

इसी प्रकार इस आदरणीय सदन के पूर्व सदस्य श्री बाल कृष्ण गुप्ता (बी0 के0 गुप्ता) के निधन की सूचना है। वह वर्ष 1991 व 1993 में निर्वाचन क्षेत्र पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इस आदरणीय सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे। उनके निधन से हम सब दुखी हैं।

इसी प्रकार भूतपूर्व सदस्य श्री वारिस अली के निधन की सूचना है। वह वर्ष 2007 में निर्वाचन क्षेत्र नानपारा, जिला बहराइच से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर इस आदरणीय सदन में आये थे। उनके निधन से यह सदन दुखी है।

इसी प्रकार भूतपूर्व सदस्य श्री दीना नाथ पाण्डेय के निधन की सूचना है। वह वर्ष 2007 में निर्वाचन क्षेत्र सैदपुर, जिला वाराणसी से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर इस आदरणीय सदन में पधारे थे। उनके निधन से हम सब दुखी हैं।

इसी प्रकार पूर्व सदस्य श्री कृष्णपाल सिंह के निधन की सूचना है। वह वर्ष 1998 के उप चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र चौबेपुर, कानपुर से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य निर्वाचित हुए थे। हम उनके निधन पर शोक-संतप्त हैं।

इसी प्रकार भूतपूर्व सदस्य, श्री अब्दुल रईस के निधन की सूचना है। वे वर्ष 1993 के मध्यावधि चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र जयसिंहपुर, सुलतानपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर इस आदरणीय सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे। हम सब उनके निधन पर दुःखी हैं।

इसी प्रकार पूर्व सदस्य, श्री पूरन चन्द्र जी के निधन की सूचना है, वे 1969 में भारतीय क्रान्ति दल से, 1974 में कांग्रेस से, 1980 में कांग्रेस पार्टी से अलीगढ़ से निर्वाचित हुए थे। उनके निधन से यह सदन और हम सब दुःखी हैं।

विधान सभा के इन सभी माननीय पूर्व सदस्यगणों के निधन से यह पूरा सदन शोकग्रस्त है। मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्माओं को शान्ति, मुक्ति प्रदान करे और उनके शोक-संतप्त परिवारों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस आदरणीय सदन में व्यक्त शोक-संवेदनाएं, उनके शोकाकुल परिवारों तक पहुंचा दूंगा। आइये, अब हम इन दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए दो मिनट का मौन रखें।

(सभी सदस्य 02 मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुये।)

लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी एवं तमिलनाडु के पूर्व मुख्य मंत्री श्री एम0 करुणानिधि के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

अब मैं लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष, सोमनाथ चटर्जी जी व तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री, श्री एम0 करूणानिधि के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष, आदरणीय श्री सोमनाथ चटर्जी राजनीतिक क्षेत्र में एक बहुत प्रतिष्ठित, संसदीय लोकतंत्र के जाने-माने विद्वान जो हमारे बीच से 13 अगस्त, 2018 को कलकत्ता में 89 वर्ष की आयु में विदा ले गये। मान्यवर, सोमनाथ चटर्जी, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक थे, 1968 में उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की और 1971 में पहली बार वह लोक सभा के सदस्य बने और उसके बाद से लगातार 10 बार लोक सभा के सदस्य रहे, 1977, 1980, 1985, 1989, 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004। मान्यवर, 04 जून, 2004 को वह इस देश की सबसे बड़ी पंचायत 14वीं लोक सभा के सर्वसम्मति से

अध्यक्ष निर्वाचित हुए और उनका कार्यकाल सदन की गरिमा को बढ़ाने में, उनके निर्णय दलगत भावना से ऊपर उठकर सम्पूर्ण समाज के लिए, सम्पूर्ण देश के लिए हमेशा याद किए जायेंगे। आदरणीय सोमनाथ जी को वर्ष 1996 में उत्कृष्ट सांसद के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनको देश-विदेश में इसके अतिरिक्त भी बहुत से सम्मान मिले हैं। मान्यवर, आज हम लोग जो लोक सभा का सीधा प्रसारण टेलीविजन पर देखते हैं वह उन्हीं के प्रयासों से वर्ष 2006 में प्रारम्भ हुआ था। वह जहां संसदीय विषयों के विशेषज्ञ थे वहीं पर उनकी रूचि शिक्षा और खेल में भी थी। औद्योगिक, सामाजिक, शैक्षणिक खेल संगठनों से वह सदैव जुड़े रहे। पेशे से वह एक वकील थे। मान्यवर, उनके निधन से संसदीय लोकतंत्र में जो क्षति हुई है निकट भविष्य में उसकी पूर्ति होना सम्भव नहीं है। हम आज उनके निधन पर दुःख व्यक्त करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी और हमारे दल की शोक संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविंद चौधरी)-

मान्यवर, लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष स्व0 सोमनाथ चटर्जी के लिए जो उद्गार मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने व्यक्त किया है मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। श्री सोमनाथ चटर्जी संसदीय मामलों के प्रकाण्ड विद्वान थे। मुझे कई बार लोक सभा की गैलरी में बैठकर श्री सोमनाथ चटर्जी के भाषणों को सुनने का मौका मिला है। जटिल से जटिल समस्याओं के समाधान की दृष्टि में स्पीकर भी उनसे सलाह लेते थे। श्री सोमनाथ चटर्जी का दिनांक 13 अगस्त, 2018 को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्री सोमनाथ चटर्जी वर्ष 1971 से पहली बार लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वह अपनी योग्यता, सुलभता और सहभागिता जैसे गुणों के कारण वर्ष 1971 से 2004 तक लगातार 10 बार लोक सभा के लिए निर्वाचित होते रहे। श्री सोमनाथ चटर्जी ने तीन दशकों से अधिक समय तक एक प्रखर सांसद के रूप में देश की सेवा की और संसद में अपनी अलग पहचान बनाई। श्री सोमनाथ चटर्जी लोक सभा की विभिन्न संसदीय समितियों विशेषकर विधिक क्षेत्र से सम्बंधित समितियों के सभापति और सदस्य के रूप में जुड़े रहे और संसदीय तथा संसदीय समितियों दोनों ही जगहों पर विधान के क्षेत्र में उन्होंने विधिक कौशल का परिचय दिया। महत्वपूर्ण विषयों पर गम्भीर और सारगर्भित चर्चाओं से सदन में वाद-विवाद से सम्मिलित योगदान दिया। श्री सोमनाथ चटर्जी 4 जून, 2014 को सर्वसम्मति से 17वीं लोक सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। लोक सभा अध्यक्ष के रूप में वह सदन की गरिमा को बनाए रखने तथा उच्च परम्पराओं का निर्वहन करने का दायित्व कुशलता से करते रहे। सदन की कार्रवाई को निष्पक्ष और गौरवपूर्ण तरीके से संचालित करने की उनकी योग्यता को सत्ता पक्ष तथा विपक्ष द्वारा हमेशा सराहा जाता था। लोक सभा की कार्रवाई को सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए लोक सभा टेलीविजन चैनल की स्थापना उनके प्रयासों का ही परिणाम था।

(इस समय 12 बजकर 40 मिनट पर श्री अधिष्ठाता श्री सुखदेव राजभर पीठासीन हुए)

भारत की संसदीय प्रणाली में उनके मूल्य योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1996 में उत्कृष्ट सांसद का पुरूस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें देश-विदेश के कई प्रतिष्ठित पुरूस्कारों से भी सम्मानित किया गया। श्री सोमनाथ चटर्जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। संसदीय अध्ययन के साथ-साथ शिक्षा और खेलकूद में भी उनकी गहरी रूचि थी। वह विभिन्न औद्योगिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और खेल संगठनों से भी जुड़े रहे। उनके माध्यम से वंचित वर्गों के उत्थान और

जन-कल्याण की दिशा में भी कार्य किया गया। श्री सोमनाथ चटर्जी एक ऐसे अध्यक्ष के रूप में देश और दुनिया में विख्यात हुए कि एक बार परमाणु वाले मामले में सदन में वोट देने की बारी आई जिस दल के वह सदस्य थे। वोट देने की बारी आई परमाणु वाले मामले को लेकरके जिस दल के सदस्य थे वह सी0पी0एम0 पार्टी चाहती थी कि सरकार के खिलाफ वोट दें। उन्होंने इस बात से मना किया और उन्होंने कहा कि मैं अब अध्यक्ष की हैसियत से किसी दल का सदस्य नहीं रह गया उन्होंने वोट में भाग लेने से मना कर दिया। जिसके कारण कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको पार्टी से निकाल दिया उसको सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन अध्यक्षपीठ की गरिमा को उन्होंने चोट नहीं लगने दी। उनके निधन को एक अच्छे सांसद, विद्वान और एक अच्छे नेता के खोने का गम पूरे देश के लोग मानते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी शोक संवेदनाएं पूरे विपक्ष की तरफ से और मेरी समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके परिवारजन तक पहुंचाने की कृपा करें।

***श्री लाल जी वर्मा-**

मान्यवर, आदरणीय श्री सोमनाथ चटर्जी के निधन पर जो शोकोद्गार मा0 संसदीय कार्य मंत्री, मा0 नेता प्रतिपक्ष ने रखा है मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं मान्यवर, निश्चित रूप से आदरणीय श्री सोमनाथ चटर्जी जी ने एक संसदीय परंपरा को अधिक मजबूत करने का काम किया और संसदीय कार्रवाई आम जनता देख सके उसके लिए उन्होंने लोक सभा टी0वी0 चैनल स्थापित कराने का काम किया था और साथ ही साथ मान्यवर, उन्होंने जब विवाद एक समय ऐसा आया न्यायपालिका विधायिका के टकराव को लेकर उस अवसर पर भी उन्होंने दृढ़ता का परिचय देकर उस विवाद को संसदीय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पटाक्षेप कराया। निश्चित रूप से वह संसदीय लोकतंत्र के लिए एक आधार स्तंभ हैं। ऐसे विद्वान व्यक्ति का जो लगातार दस बार लोक सभा के सदस्य रहे आज हमारे बीच में नहीं है उनके निधन से पूरे देश में एक अनुभवी, देश के लिए समर्पित एक राजनीतिज्ञ को खोया है सामाजिक कार्यकर्ता को खोया है। मैं अपने दल बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अपनी तरफ से मा0 श्री सोमनाथ चटर्जी के निधन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि उनके परिवारजन तक हमारी और हमारी पार्टी के शोकोद्गार को पहुंचाने की कृपा करें।

(इस समय 12 बजकर 44 मिनट पर मा0 अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

श्री अजय कुमार लल्लू-

मा0 अध्यक्ष जी यह बड़े दुःख का विषय है कि आज हम सब लोगों के बीच में लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष परम आदरणीय श्रद्धेय श्री सोमनाथ चटर्जी जी अब नहीं रहे। मैं आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष और नेता बहुजन समाज पार्टी के विचारों से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं आदरणीय स्वर्गीय सोमनाथ चटर्जी जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे और जब वह लोक सभा में अध्यक्ष की गरिमा को शोभा बढ़ा रहे थे तो ऐसे-ऐसे समय भी आए जब न्यायपालिका और विधायिका में टकराव की स्थिति आई तो उन्होंने बहुत सुलभ तरीके से संसदीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए दोनों लोगों की जो भावनाएं हैं वह बनी रहे इस पर बल देते हुए उन्होंने एक बड़ा काम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया। आदरणीय स्वर्गीय सोमनाथ चटर्जी जी 1971 से लेकर 2004 तक लगातार सांसद रहे। दिनांक 13 अगस्त, 2018 को 89 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। साथ ही साथ वर्ष 1996 में उत्कृष्ट सांसद के रूप में भी उन्हें संसद में पुरस्कार प्रदान किया गया। हम और हमारा दल कांग्रेस पार्टी आदरणीय स्वर्गीय सोमनाथ चटर्जी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। हम आपसे यह अनुरोध करेंगे कि आप हमारी और हमारी कांग्रेस पार्टी की शोक-संवेदनाओं को उनके घर तक पहुंचाने का काम करें।

***श्री नील रतन सिंह पटेल 'नीलू'-**

मा0 अध्यक्ष जी, बड़े दुःख के साथ कह रहा हूं कि लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय सोमनाथ चटर्जी जी आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं। मैं सम्मानित संसदीय कार्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, नेता बहुजन समाज पार्टी, नेता कांग्रेस के वक्तव्यों से अपने आप को जोड़ते हुए यह कहना चाह रहा हूं कि आज एक ऐसे राजनेता का आकस्मिक निधन हुआ है जो कि भारत की राजनीति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण समय है। उन्होंने इस देश के दलितों के लिए, सर्वहारा वर्ग के लोगों के लिए अपने जीवन की आखिरी सांस तक संघर्ष किया। उन्होंने लोक सभा में लोक सभा सदस्य के रूप में दस बार प्रतिनिधित्व किया। वह लोक सभा अध्यक्ष के रूप में भी रहे और लोक सभा में जो कार्रवाई चलती थी तो उसको जनता तक पहुंचाने के लिए उनके द्वारा लोक सभा टी0वी0 चैनल की भी वहां पर स्थापना की गई जिससे देश की संसद में जो राजनेताओं के द्वारा बहस चलती थी उसका सीधा प्रसारण देश के कोने-कोने में, झुग्गी-झोपड़ी में बैठे हुए लोग भी देखने का काम करते थे। आज उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। मैं अपनी तरफ से, अपना दल की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस दुःख की घड़ी में सम्मानित स्व0 सोमनाथ चटर्जी जी के पारिवारिक सदस्यों तक, उनकी पार्टी तक, उनके इष्ट-मित्रों तक मेरी तरफ से और मेरी पार्टी अपना दल की तरफ से शोक-संवेदना पहुंचाई जाए। ओम शान्ति।

श्री कैलाश नाथ सोनकर-

मा0 अध्यक्ष जी, उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी जी के निधन पर जो शोक- संवेदना हमारे संसदीय कार्य मंत्री, हमारे नेता विरोधी दल, हमारे नेता बहुजन समाज पार्टी, हमारे नेता कांग्रेस, हमारे नेता अपना दल ने प्रकट की। मैं उसके साथ अपने आपको सम्बद्ध करते हुए। मैं बताना चाहता हूं कि वास्तव में सोमनाथ चटर्जी ने शोषितों, वंचितों, दलितों और समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए जीवन भर संघर्ष किया और समरसता की विचारधारा कैसे सभी में आए इस पर विशेष कार्य किया। आज हमारे देश के बहुत बड़े गरीबों के मसीहा को हमारे बीच से ईश्वर ने उठा लिया है। उनकी कमी पूर्ण नहीं की जा सकती है। मैं अपने दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और अपनी तरफ से आपसे आग्रह करता हूं कि हमारी शोक-संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

यह आदरणीय सदन भारत के सर्वोच्च जनप्रतिनिधि सदन के यशस्वी अध्यक्ष रहे श्री सोमनाथ चटर्जी के निधन पर हार्दिक शोक व्यक्त करता है बहुत कम लोग होते हैं जो अपने काम,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ज्ञान, कर्म और तप के आधार पर इतिहास में अपनी जगह बनाते हैं। सोमनाथ चटर्जी व तमिलनाडु में अनेकशः मुख्य मंत्री रहे, लम्बे समय तक विधान सभा के सदस्य रहे श्री करूणानिधि ऐसे दोनों व्यक्तित्व हैं। इन्होंने इतिहास गढ़ा भी, इतिहास में हस्तक्षेप भी किया, इतिहास की दिशा को गति भी दी। सार्वजनिक जीवन में, राजनैतिक जीवन में ऐसे कम ही लोग होते हैं जो सामाजिक परिवर्तन की धारा को दिशा व गति देने का काम करते हैं। विचार देते हैं, विचार देने के तमाम मंच स्वयं खड़े करते हैं। एम0 करुणानिधि ने 100 से ज्यादा पुस्तकें लिखीं। उन्होंने इस देश के और दुनिया के सुपरिचित माध्यम सिनेमा को भी विचार देने का उपकरण बनाया और लगातार एक विशेष प्रकार की धारा के माध्यम से इतिहास में, राजनीति में उन्होंने हस्तक्षेप किया। सोमनाथ चटर्जी भारतीय संसदीय इतिहास के श्लाका पुरूष के रूप में जाने जाते हैं। बहुत लम्बे समय तक भारत की लोक सभा का सदस्य बने रहना और फिर एक ऐसा अवसर भी आया जब उनकी पार्टी ने उन्हें निर्देशित किया कि आपको सदन में इस तरह वोट देना है तो अध्यक्ष की गरिमा को महिमा को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने भारत के इतिहास में एक और अध्याय जोड़ा। दोनों महानुभावों के निधन पर माननीय संसदीय कार्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमान् राम गोविन्द चौधरी जी, माननीय नेता बसपा, माननीय नेता कांग्रेस, माननीय नेता अपना दल, माननीय नेता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और इस पूरे सदन ने पूरी भावुकता के साथ जो उद्गार और विचार इस आदरणीय सदन में व्यक्त किये हैं। मैं स्वयं को इस आदरणीय सदन की भावनाओं के साथ सम्बद्ध करता हूं और यहां व्यक्त किए गए विचार, इस सदन की शोक संवेदनाओं को उनके परिजनों तक पहुंचाऊंगा। यह आदरणीय सदन शोकग्रस्त है, आइए इन दोनों महानुभावों के निधन पर दो मिनट का मौन रखा जाये।

(सभी सदस्य 02 मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

(सदन में दो मिनट का मौन रखा गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, तमिलनाडु के पूर्व मुख्य मंत्री श्री करुणानिधि...।

श्री अध्यक्ष-

हमने प्रारम्भ में ही दोनों नाम लिए थे और बाद में भी लिए थे, हमने सबको जोड़ दिया है। अब आप केरल सम्बन्धी प्रस्ताव रखिए।

[12:56] नियम-110 के अन्तर्गत केरल में आई भीषण बाढ़ में मारे गये सैकड़ों लोगों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि एवं आर्थिक सहायता का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, ठीक है। विधान सभा की कार्य-संचालन नियमावली के नियम-110 के अन्तर्गत एक शोक संवेदना है। यह सदन केरल में आई भीषण बाढ़ में मारे गए सैंकड़ों लोगों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करता है तथा बाढ़ आपदा में घायल और बेघर हुए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। मान्यवर, अभी हाल ही में केरल में बहुत बड़ी दैवीय आपदा से लोग हताहत हुए, केवल हताहत ही नहीं हुए बल्कि सैंकड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठे। बहुत बड़ी सम्पत्ति की हानि हुई। आज भी केरल में जनजीवन इस बाढ़ के कारण अस्त-व्यस्त है। हिन्दुस्तान के बहुत से प्रान्तों ने ऐसे

अवसर पर सभी तरीके से केरल में सहायता भेजी है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने भी काफी सामान भेजा है और नगद 15 करोड़ रुपये की धनराशि भी भिजवायी है। केरल की इस दैवीय आपदा से हम सब दुःखी है और हम समझते हैं कि ऐसे हर क्षेत्र के प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए जो किसी न किसी रूप में गमज़दा है, परेशान है या किसी न किसी दैवीय आपदा से ग्रसित है।

ऐसे मौके पर हम यह जरूर चाहेंगे कि हम सदन के माध्यम से अपनी शोक संवेदनायें व्यक्त करें और हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि हमारी संवेदनायें वहां की सरकार को, वहां के उन लोगों के परिवारों तक पहुंचाने का कष्ट करें, जिन लोगों को इसमें नुकसान हुआ है और जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, केरल में बाढ़ और वर्षा के प्रलंयकारी प्रकोप के कारण जिन लोगों की मृत्यु हुयी है मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो लोग बेघर हुये हैं, कैम्पों में रह रहे हैं, उनकी जल्दी से जल्दी अपने घर वापसी के लिये भगवान से प्रार्थना करता हूं। यह ऐसा एक दुःख का पहाड़ इस प्रदेश की जनता पर गिरा है जो असहनीय है। इसलिये माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी सरकार की तरफ से सहायता करने की बात कही है। सभी इस आपदा से दुःखी हैं इसीलिये हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी एक करोड़ रुपया देने की बात कही है और स्वंय समाजवादी पार्टी के सभी विधायक अपनी तनख्वाह से एक-एक लाख रुपया दे रहे हैं और कल ही आपसे और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया है कि समाजवादी पार्टी के लोग यह चाहते हैं कि जैसे उत्तराखंड की जो आपदा आई थी तो थोड़ा विधायक निधि में संशोधन करके वहां पर हम लोगों ने विधायक निधि से भी सहायता की थी। वैसे ही समाजवादी पार्टी और मेरा यह व्यक्तिगत विचार है कि उस नियमावली में अगर कहीं कठिनाई है तो उसे संशोधित करके हम लोग 5-5 लाख रुपया विधायक निधि से भी, उस एक लाख के अलावा केरल चीफ मिनिस्टर फण्ड में देना चाहते हैं। जिन लोगें की केरल में जान चली गयी है मैं पुनः उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जितने लोग घायल हैं और कैम्पों में रह रहे हैं, उनके स्वस्थ होने और अपने घर वापस होने के लिये भगवान से प्रार्थना करता हूं।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने नियम-110 के अन्तर्गत केरल में दैवी आपदा के द्वारा मारे गये व्यक्तियों के प्रति जो शोक संवेदना रखी है उससे मैं अपने को जोड़ते हुये आपसे आग्रह करूंगा कि उन मृतक परिवारों तक केरल सरकार के माध्यम से, इस सदन की और हमारी पार्टी की तरफ से शोक संवेदना पहुंचाने की कृपा करें, धन्यवाद।

श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय अध्यक्ष जी, केरल में जो दैवी आपदा आई है उससे पूरा देश दुःखी है। दो जिलों को छोड़कर केरल के जितने जिले हैं वहां पूरा जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहां सैकड़ों लोगों के मरने की सूचना भी है और जन-धन की भी भारी क्षति हुयी है। महोदय, हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हम लोगों ने अपनी-अपनी एक महीने की तनख्वाह वहां केरल रिलीफ फण्ड में देने की पहले से

ही घोषणा की है, जो हम भेज भी रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष की बातों का हम समर्थन करते हैं। आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी सरकार की तरफ से जो जरूरी इन्तजाम थे और जो भी साधन और व्यवस्था देने की बात कही है। उसका भी हम स्वागत करते हैं। हम यह चाहेंगे कि जिन लोगों ने दैवी आपदा में अपनी जान गंवाई हैं, उनके प्रति अपनी शोक संवेनदना, कांग्रेस पार्टी की भी शोक संवेदना, आप केरल सरकर के माध्यम से उनके परिजनों तक पहुंचायें और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वहां जो तबाही आयी है और जन-धन की भारी हानि हुई है, उसको सहन करने का उनको इतना बल दें और ताकत दें कि आने वाले समय में पुनः वह अपने जीवन में ठीक ढंग से वापस लौट सकें, धन्यवाद।

श्री नील रतन सिंह पटेल 'नीलू'-

माननीय अध्यक्ष जी, केरल में जो बाढ़ की विभीषिका से वहां का जन-जीवन अस्त-वस्त हुआ है और कई सौ लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहां की जनता, एक-दो जिलों को छोड़ करके बाकी जिलों में जन-जीवन अस्त-व्यस्त है। मारे गये लोगों को, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह कामना करता हूं कि जल्द से जल्द उनका जो जीवन है, पटरी पर आये, वह अपने घरों को वापस लौटें और उनके जीवन में खुशहाली आये। हम आपसे यह कामना करते हैं कि वहां की आर्थिक सहायता के लिए जो सर्वसम्मति से निर्णय लिया जायेगा, उसमें अपना दल भी पूर्ण रूप से सहयोग करने का काम करेगा। मान्यवर, हम अपनी तरफ से और अपना दल की तरफ से इस विभीषिका में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि मारे गए लोगों के परिजनों तक, केरल सरकार तक शोक संवेदना आपके द्वारा पहुंचाई जाये, ऊं शान्ति ऊं।

श्री कैलाश नाथ सोनकर-

माननीय अध्यक्ष जी, वास्तव में ईश्वर की दैवीय आपदा के सामने किसी की ताकत बहुत ही तुच्छ हो जाती है और वह आज हमारे देश के केरल में देखने को मिला है। जिस तरह से दैवीय आपदा से वहां का जनमानस आज अपने आपको बहुत ही मजबूर और बहुत ही समस्या-ग्रसित समझ रहा है और बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, उन सभी लोगों को अपनी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से मैं बहुत सारी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से उन सभी मारे गये लोगों की आत्मा की शान्ति की प्रार्थना करता हूं। बाकी हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री और जो भी हमारी गठबन्धन की सरकार, जिस तरह से आर्थिक मदद की जो घोषणायें करेगी, उसमें हम हर तरह से शामिल रहेंगे और आपसे आग्रह करते हैं कि वहां के जो पीड़ित परिवार हैं, जिनकी बहुत सारी क्षति हुई है, जो मारे गये हैं, उन लोगों तक हमारी पार्टी और हमारी तरफ से शोक संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें।

***श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव**-

माननीय अध्यक्ष जी, केरल में जो विभीषिका आई निश्चित रूप से यह सारा सदन दुःखी है जो लोग वहां पर काल के गाल में समा गये, उनके प्रति हमारी संवेदनायें भी हैं। मैं एक सुझाव के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रूप में अपनी बात रखना चाहता हूं कि सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव यहां पर आ जाये कि सारा सदन एक माह की तनख्वाह केरल में सहायता के लिए दे दे। क्योंकि सरकार के द्वारा जो सहायता दी गई है मैं समझता हूं कि वह सहायता काफी नहीं है इसलिए मैं तो स्वयं सदन में घोषणा कर रहा हूं कि मैं एक लाख रुपए केरल में सहायता के रूप में दूंगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी मा0 सदस्य ने कहा कि जो गाइडलाइन है विधायक विकास निधि की उसमें दैवीय आपदा के लिए प्रोविजन है।

श्री अध्यक्ष-

वह विषय तो आ गया है उसे मा0 नेता विरोधी दल ने रख दिया है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, प्रोविजन है लेकिन उसमें संशोधन करके अगर यह हो जाय कि पांच लाख रुपए हम दूसरे प्रदेश को भी दे सकें।

श्री अध्यक्ष-

यही बात उन्होंने कही है, कृपया आप बैठें।

इस आदरणीय सदन में केरल की आपदा से सम्बन्धित एक प्रस्ताव मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है। मा0 नेता प्रतिपक्ष श्री राम गोविन्द चौधरी जी और अन्य सभी दलीय नेताओं ने इस विषय में बहुत स्पष्ट रूप से प्रस्ताव के प्रति और केरल में दुःखी आमजन के प्रति अपनी सम्बद्धता प्रकट की है। मैं स्वयं यहां प्रकट किये गये उद्गार से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि जो केरल के हमारे परिजन इस आपदा में नहीं रहे उनकी आत्मा को शान्ति मिले, उनके परिजनों को असह्य दुःख सहने की शक्ति मिले और जो जीवन में संघर्षरत् हैं आपदा से लड़ रहे हैं उनको जीवन संघर्ष को आगे बढ़ाने की शक्ति के लिए भी हम सब प्रार्थना करते हैं। जो प्रस्ताव इस आदरणीय सदन का है उसे मैं केरल की सरकार को यथासमय भिजवा दूंगा। मैं आप सब के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं। जो प्रस्ताव आया है उस पर अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो केरल सम्बन्धी प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ग्राम्य विकास विभाग देखता है विधायक विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि को। कल मा0 मुख्य मंत्री जी से बात नहीं हो पायी, आज मुख्य मंत्री जी बाहर हैं। जो बात यहां सदन में आयी है उस पर उनसे बात करने के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है कि दूसरे प्रान्त में भी सहायता दे सकें। अभी तक व्यवस्था यह है कि अपने क्षेत्र के अतिरिक्त मा0 विधायक दैवीय आपदा में उत्तर प्रदेश के दूसरे क्षेत्र में पांच लाख रुपए तक सहायता दे सकते हैं। तो इस सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री जी से बात करके हम कोई निर्णय करेंगे चूंकि आज मा0 मुख्य मंत्री जी नहीं हैं इसलिए इस पर आज कोई बात नहीं हो सकेगी।

श्री अध्यक्ष-

प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास को बुलाकर एक प्रस्ताव बना लीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हम बात कर लेंगे लेकिन चूंकि नेता सदन आज नहीं हैं इसलिए मैं समझता हूं कि कल या परसों इस सम्बन्ध में कोई घोषणा हो।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

पूर्व में उत्तराखण्ड में जो दैवीय आपदा आयी थी उसमें विधायक निधि से धन दिया गया था आपके सामने कल तो तय हो गया था कि आप प्रमुख सचिव को बुलाकर इसका जी0ओ0 करा देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नेता सदन आज नहीं हैं, यह पालिसी मैटर है, आप इस बात को समझ सकते हैं। मा0 मुख्यमंत्री जी के आने के बाद निर्णय हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हम लोगों ने भेज दिया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह संवेदना की बात है, सहायता की बात है, इसलिए हम इसको डिस-एग्री नहीं करते हैं। इसलिए नेता सदन के आने के पश्चात् कर देंगे।

औचित्य के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष-

अब मेरे पास नियम-300 की सूचना है, इसको हमारे सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य मा0 सुखदेव राजभर जी ने रखा है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों को उचित सम्मान न दिये जाने व जनसमस्याओं को अनसुना कर देने एवं अधिकारियों द्वारा अपमानित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुखदेव राजभर-

मा0 अध्यक्ष जी, आज जो परिस्थितियां देख रहा हूं विधायिका और कार्यपालिका में कभी-कभी टकराव की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, इस सन्दर्भ में आपके समक्ष इस विषय को लाया हूं। इसकी ग्राह्यता के परिप्रेक्ष्य में आप जो भी निर्णय लेंगे, मैं स्वीकार करूंगा। मान्यवर, मैं इस औचित्य के विषय में मा0 मुख्य मन्त्री जो को धन्यवाद देता हूं कि अभी पिछले हफ्ते में उनका एक बयान आया था कि अधिकारी सुधर जाएं, वरना हमको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आज उस विषय पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस सदन में और सदन के बाहर हम सब लोग जो भी जन

सेवा करते हैं उसका फोरम है हमारा ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के सामने जा करके हम जनता की भावनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं, चाहे नीचे स्तर पर तहसील, ब्लाक, थाना हों या उच्च अधिकारी। कोई सदस्य इसको मानें या न मानें, लेकिन सच्चाई यह है कि आज अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों की उपेक्षाएं हो रही हैं, फोन तक अटेन्ड नहीं किया जाता है और अगर अटेन्ड किया जाता है तो ऐसा व्यवहार किया जाता है कि जैसे मालूम पड़ता है कि जनप्रतिनिधि यहां के दूसरे नम्बर के नागरिक हैं। अगर जनप्रतिनिधि कहता है कि हमारी बात सुन लीजिये, तो अधिकारियों/कर्मचारियों का एक बहुत जनरल तकिया-कलाम है कि बहुत करेंगे तो हमारा स्थानान्तरण करा देंगे, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हम 60 साल के लिये हैं और आप 5 साल के लिए हो। मान्यवर, आज इस तरह की जो कन्ट्रावर्सी की स्थिति उत्पन्न हुई है कि आए दिन किसी न किसी अधिकारी और विधायक से टकराव देखते हैं, किसी जनप्रतिनिधि का कोई शौक नहीं है कि वह किसी अधिकारी से जाकर टकराव पैदा करे। वह हमारे अंग हैं, विधायिका, कार्य पालिका, अगर न्याय पालिका है तो कार्य पालिका भी हमारे अंग हैं, लेकिन आज इसमें जो गिरावट आयी है यह बहुत दुःख का विषय है। शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर प्रोटोकाल भी जारी होता है कि जनप्रतिनिधियों की इज्जत करिये, सम्मान करिये, लेकिन प्रमुख सचिव साहब हमारे फोन ही नहीं उठाते हैं। एक जे0ई0 को हमने फोन किया तो उन्होंने कहा कि बोलिये, क्या काम है ? मैनें एक वरिष्ठ अधिकारी से जब उस जे0ई0 की शिकायत की तो उन्होंने कहा छोड़िये, जब जे0ई0 हमको बोलता है कि बोलिये बॉस, क्या काम है तो आप से बोला ही होगा ? मा0 अध्यक्ष जी, आज कोई अधिकारी जनप्रतिनिधि का फोन नहीं उठा रहा है। मैं तो लम्बे समय से इसी सदन का सदस्य रहा हूं एक चिट्ठी भी हम लोग शासन को देते थे तो उसका एकनॉलेजमेण्ट हम लोगों के घर पर पहुंच जाता था कि आपका प्रार्थना-पत्र मिल गया है उसको फलां-फलां जगह सन्दर्भित कर दिया गया है, उससे कम से कम हम जनप्रतिनिधियों को पैरवी करने में जनहित की समस्याओं को सुलझाने में मदद मिल जाती थी। जनप्रतिनिधि कोई पत्र दे रहा है तो उसका कहीं कोई असर नहीं पड़ रहा है। दरोगा एवं सिपाही प्रतिदिन विधायक से टकरा रहे हैं। मैं एकांगी होकर नहीं बात कर रहा हूं कि मैं जनप्रतिनिधि हूं इसलिए इनका पक्ष ले रहा हूं, रोजाना टकराव हो जाता है, जनप्रतिनिधि बेइज्जत किये जा रहे हैं, थानों में अपमानित किये जा रहे हैं और यहां तक कि कुछ अधिकारियों ने हिम्मत बांधा और कुछ मा0 विधायकों पर एफ0आई0आर0 तक किया है। इससे दुःखी हो करके माननीय मुख्य मंत्री जी ने बोला कि अधिकारियों सुधर जाओ। नेता सदन को यह बोलना पड़ा। हम लोग तो इस सदन के सदस्य हैं। मान्यवर, आज स्थिति बड़ी भयावह है। रोज माननीय विधायक पूछते हैं कि विशेषाधिकार क्या है ? वह विशेषाधिकार का प्रयोग करना चाह रहे हैं क्योंकि हम लोगों के अधिकारों को कहीं न कहीं चैलेन्ज किया जा रहा है, हम लोगों को अपमानित किया जा रहा है, सम्मान नहीं दिया जा रहा है। जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। वह कुर्सी पर बैठे ही जवाब सवाल किया करते हैं। मैं इस पर बहुत लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता हूं लेकिन मान्यवर, गिरावट है। आज ब्यूरोक्रेसी की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है कि इतना हावी हो जाओ कि डेमोक्रेसी को बदनाम कर दो। एक लम्बी साजिश ब्यूरोक्रेसी की चल रही है कि धीरे-धीरे डेमोक्रेसी को इतना कमजोर करो कि हमारा वर्चस्व बन जाये और जनता से सीधे मेरा सम्बन्ध जुड़ जाये। कुछ अधिकारियों से तो यहां तक भी सुनने में आया कि विधायक को मत ले करके आना केवल उनसे चिट्ठी लिखवा लो उससे हम तुम्हारा

काम कर देंगे। अब विधायक की यही उपयोगिता है और ज्यादा नेतागिरी करवाओगे तो तुम्हारा काम नहीं हो पायेगा, चौपट हो जायेगा, जैसे नेतागिरी कोई अभिशाप हो गया है। हम लोग आज जनप्रतिनिधि बने हैं लेकिन अधिकारियों के दिमाग में वह अभिशाप है। अब अधिकारी कहते हैं कि ज्यादा नेतागिरी कराओगे तो तुम्हारा नुकसान हो जायेगा, सीधे मुझसे मिलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर विधायक की मदद कराना चाहते हो तो उनसे पैड पर लिखवा कर लाना और उनकी कोई जरूरत नहीं है। मान्यवर, निश्चित रूप से गिरावट आयी है और माननीय उच्च न्यायालय को तमाम जनहित याचिकाओं में भी यह कहना पड़ा कि अधिकारी क्या करना चाहते हैं, अधिकारियों के दिमाग में क्या बात भर गयी है ? आज सच्चाई है कि आप किसी अधिकारी से मिलने जायं तो एक जनप्रतिनिधि को न सम्मान मिल रहा है, न उनकी इज्जत है, न उनके फोन अटेंड किये जा रहे हैं, न मुख्य सचिव उनका फोन अटेंड कर रहा है, न दरोगा अटेंड कर रहा है, सिपाही उल्टे डंडा भांज रहा है। स्थिति यह है कि आज जो हम लोग पत्राचार करते हैं उसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। बहुत ज्यादा गिरावट है। मैं बहुत दुःखी भाव से इस बात को रख रहा हूं। अधिकारी भी हमारे अंग हैं वह भी लोकतंत्र के एक स्तम्भ हैं लेकिन आज कहीं न कहीं बहुत गिरावट आयी है। जितने सर्कुलर प्रोटोकॉल के गये हैं उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि कोई अधिकारी जनप्रतिनिधियों को सम्मान नहीं दे रहा है। समय-समय पर आपकी पीठ से भी निर्देश होते हैं, कोई विधायक अपना व्यक्तिगत विषय उठाता है कि मान्यवर, हमको अधिकारी के द्वारा अपमानित किया गया है तो आपने संसदीय कार्य मंत्री और सरकार की तरफ इंगित भी किये हैं कि इसको दिखवा लें। मान्यवर, आज आप जनप्रतिनिधियों को संरक्षण दें कि जो आज ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी पर हावी हो करके इस व्यवस्था को बदनाम करने की तैयारी कर रही है और जनप्रतिनिधि दर-दर की ठोकरें खा रहा है, अपमानित हो रहा है। इसको आप संभाल लीजिए क्योंकि आगे चल करके बहुत गम्भीर परिणाम हो जायेगा कि कोई जनप्रतिनिधि में उत्साह नहीं रह जायेगा कि जनता की भावनाओं को अधिकारियों के समक्ष रखने का। आज हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी का, आपका या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का आदेश हो कम्पलायन्स तो उन्हीं को करना है। न हमको, न आपको और न मंत्री जी को कम्पलायन्स करना है। यह तो निर्देश दे देते हैं। कई मा0 मंत्रियों के आदेश को मैंने देखा है कि 4 महीना, 6 महीना पहले आदेश हो गया लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी के सचिवालय से 10-10 दिन बाद, 18-18 दिन बाद पत्र निकल रहे हैं और सम्बन्धित अधिकारियों के पास पहुंच नहीं रहे हैं। मंत्रियों के निर्देशों का अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं और मैंने तो यहां तक सुना है कि कुछ माननीय मंत्री ने तो यहां तक कहा कि हमारा प्रमुख सचिव बदल दीजिए क्योंकि हमारी बात सुन ही नहीं रहा है, हमारी बात नहीं मान रहा है। तो आज अधिकारियों में इतना दम हो गया है। हम आज विधायिका के इस मण्डप के नीचे बैठे हैं लेकिन विधायिका का सम्मान नहीं हो रहा है, कार्यपालिका, विधायिका के निर्णय को नहीं टाल सकती। हम मजबूर हो करके आपके सामने औचित्य का विषय लाये हैं, कोई शौकिया नहीं लाया हूं। आज जनप्रतिनिधियों की बात कोई न सुन रहा है, न उसका सम्मान हो रहा है, न उसका फोन अटेण्ड कर रहा है, न उनके पत्रों का कोई जवाब आ रहा है और अधिकारी बैठ करके उल्टी-सीधी भाषा बोल रहे हैं। यहां तक की अधिकारी अपने क्लबों में जा करके वहां हंसी का पात्र बनाया जाता है। उसमें कहा जाता है कि फलां विधायक ऐसे बोला, फलां विधायक ऐसे बोला। दरोगा अपनी कुर्सी पर बैठ करके एक जनप्रतिनिधि जा रहा है तो उसको गाली देता है कि

फलां नेताजी आये थे, बहुत गन्दा आदमी है, आप बहुत अच्छे हैं और जब वह नेता चले जाते हैं तो फिर दूसरे को कहता है। इस तरह से आज थानों से आवाज आ रही है अगर हमारे जनप्रतिनिधि इतना भय से अनुशासित होकर काम ले रहे हैं तो रोज एक टकराव की स्थिति हो रही है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, इसी सदन में प्रश्नों के उत्तर में माननीय मंत्री जी लोगों ने, अगर अधिकारी ने गलत जवाब बनाकर दिया है, बहुत लम्बे समय से हम लोग देख रहे हैं, तो यहीं पर कमिटमेंट किया है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज जो हो रहा है, जो भी मजबूरी हो। उल्टा-सीधा जवाब जैसा भी सदन में आ रहा है, वकील की तरह हम लोग खड़े हो जाते हैं, चाहे इधर के लोग हों या उधर के, हम वकालत करने लगते हैं चाहे कितना ही गलत जवाब क्यों न हो। ऐसे लोगों को संरक्षण न दिया जाय और सीधे कह दिया जाय कि मैं इस पर कार्रवाई करूंगा क्योंकि यह तथ्य के विपरीत उत्तर आया है। यह परिस्थितियां मान्यवर आज ब्यूरोक्रेसी की है इसीलिये मैंने इस विषय को यहां पर उठाया है। इस विषय को गम्भीरता से लें। विधायिका, कार्यपालिका की जो आज टकराव की स्थिति है, जो माहौल बनता जा रहा है वह माहौल रुके। जनप्रतिनिधियों का सम्मान हो, आपका प्रोटोकाल भी मैने पढ़ा है। उच्च नम्बर पर प्रथम नम्बर पर प्रोटोकाल जनप्रतिनिधियों का है इसके बाद ब्यूरोक्रेसी का आता है क्रमवाइज। लेकिन आज प्रथम नम्बर पर प्रोटोकाल उनका है। जनप्रतिनिधि गिड़गिड़ाते हुए जाता है, गेट पर खड़ा रहता है, पर्दा हटाकर देखता है और उससे कहा जाता है कि अभी साहब मीटिंग कर रहे हैं बाद में आना। एक जनप्रतिनिधि के सामने मीटिंग आप कर रहे हैं। इसलिये मान्यवर, बहुत लम्बी-चौड़ी बात न कहकर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस टकराव को रोक लें। आप जनप्रतिनिधियों के सम्मान के रक्षक हैं। इसीलिये आज विशेषाधिकार के लिये तमाम माननीय सदस्य हम लोगों से भी पूछते हैं कि यह विशेषाधिकार होता क्या है ? उनको पीड़ा है, वह इसका उपयोग करना चाहते हैं। जो भी उसकी सीमाएं हैं, उसमें नहीं आ पा रहा है लेकिन उनके मन में है यह बात कि मैं विशेषाधिकार का प्रयोग करूंगा, क्योंकि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिये माननीय अध्यक्ष जी, यह औचित्य का एक विषय है।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष-

शान्त रहिये। शान्त रहिये।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, यह एक पीड़ा है इसलिये दोनों तरफ के सदस्य, यह एक नोटिस है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यह कोई सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं हमारे सत्ता के सदस्य या इधर के सदस्य। भावनात्मक विचार है, इस पर आप कोई निर्णय लें। एक सामन्जस्य बने और हम लोग खुल करके अधिकारियों से काम ले करके जनता की मदद करें। जनता के सुख-दुःख को पहुंचाये, इस पर आप कोई व्यवस्था दें। संशोधन करें, नियमावली सम्बन्धी कोई बैठक करें, कुछ इस तरह की आप व्यवस्था दें। आप तो लोकतंत्र के इतने विद्वान अपने अध्यक्ष हैं, इस पर कुछ न कुछ आज व्यवस्था दें कि अगर कहीं पर इस तरह से जनप्रतिनिधि का अपमान होता है। आप विशेषाधिकार को शिथिल करिये तो देखिये कि कितने प्रत्यावेदन विशेषाधिकार समिति के सामने आने लगेंगे कि आप ऊब जायेंगें। इसलिये निवेदन है कि आप इस पर व्यवस्था दें।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो आपको सर्वोच्च अधिकार है कि आप किसी विषय को स्वीकार करें या न करें। यह आपका पूरा अधिकार है।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

माननीय अध्यक्ष जी, जो नेता जी ने कहा है उससे लगभग सभी सहमत हैं और सत्ता पक्ष की तरफ से सहमति है। मेरे ख्याल से यह सरकार के लिये नो-कान्फिडेन्स है। अब आप इसे हंसी में ले लें लेकिन यह सरकार के लिये नो- कान्फिडेन्स है और यह बहुत ऐतिहासिक बात है और इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है जिसके अपने सदस्य उस पर यकीन नहीं रखते।

(शोर)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह आपको अधिकार है 300 में। इसको स्वीकार करें ना करें यह आपका अधिकार है। लेकिन माननीय पूर्व विधान सभा अध्यक्ष, वर्तमान विधान सभा सदस्य श्री राजभर जी ने जो सवाल उठाया वह आज के सन्दर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पक्ष-विपक्ष की बात नहीं है। चाहे हमारी कमी से चाहे किन्हीं कारणों से आज जनप्रतिनिधियों का सम्मान वास्तव में लोगों की नजर में, अधिकारियों की नजर में बिल्कुल धीरे-धीरे नीचे चला जा रहा है। अधिकारी तो कुछ समझने के लिये तैयार ही नहीं हैं। जनता भी किसी काम के लिये जनप्रतिनिधि को ही दोष देती है जबकि हम वोट से चुनकर यहां पर आते हैं और विधान सभा सर्वोच्च है। विधान सभा सर्वोच्च है कि हाई कोर्ट सर्वोच्च है ? विधान सभा अध्यक्ष सर्वोच्च है या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज सर्वोच्च है ? यह कई बार सिद्ध भी हो चुका है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अधिक पावर विधान सभा के अध्यक्ष को है यह कई बार सिद्ध हो चुका है।

श्री अध्यक्ष-

यह तुलना का अवसर नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, ऐसे महत्वपूर्ण सदन के सदस्यों की गरिमा को ठेस लगे, सदस्यों की प्रतिष्ठा पर आघात लगे, इसको तो आपको गम्भीरता से देखना चाहिए। हमको भी अपने को देखना चाहिए, यदि हम अपने को देखते हैं हम अपने को जनप्रतिनिधि के अनुसार रखते हैं उसके बावजूद भी अधिकारी, कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति अंगुली उठाता है, हर काम के लिए जनप्रतिनिधि पर अंगुली उठाता है, बस में जाइए तो गाली सुनिए, ट्रेन में जाइए तो गाली सुनिए, केवल इसलिए कि वह अपना पाप छिपाने के लिए जनप्रतिनिधियों पर अंगुली उठाने का काम करता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसको आप खारिज मत करिए इसको आप गम्भीरता से लीजिए। पक्ष-विपक्ष दोनों इस पर सहमत हैं। कई बार निर्देश हुए हैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से भी, चाहे संसदीय कार्य मंत्री आजम खां जी रहे हों, वह भी कई बार निर्देश दिए हैं पहले भी निर्देश देते रहे होंगे संसदीय कार्य मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी भी निर्देश देते रहे होंगे लेकिन यह मामला बनने के बजाय बिगड़ता ही जा रहा है। इसलिए हनुमान जी की तरह से हम लोग आपकी ताकत का आपको एहसास करा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

इनको सुन लें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हमने तो अपने संसदीय कार्य मंत्री जी की बात कही, मुख्य मंत्री जी की भी बात कही,उससे अगले मुख्य मंत्री जी की भी बात कही, उससे भी अगले मुख्य मंत्री जी की भी बात कही लेकिन बात सुधर नहीं रही है लेकिन आप ऐसे अध्यक्ष जी हैं लगता है कि आप इस पर कोई ठोस निर्णय जरूर लेंगे और हमारे जनप्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा को जो चूर-चूर कर रहा है उसे बचायेंगे और जनप्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा को वापस लायेंगे।

(मेजें थपथपाई गईं)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सुखदेव राजभर जी, सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और इस विधान सभा के अध्यक्ष जी भी रहे हैं उन्होंने जिस ओर इशारा किया है मान्यवर, जिस विशेष घटना का जिक्र किया है, हम आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करते हैं कि हम उसको दिखवा भी लेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करवा देंगे लेकिन यह कहना मान्यवर, इस पर चर्चा नहीं हो रही है, यह कहना कि यह सरकार के खिलाफ नो-कॉन्फिडेन्स है हम इसका खण्डन भी करते हैं और इसका विरोध भी करते हैं।

(मेजें थपथपाई गईं)

श्री अध्यक्ष-

यह उन्होंने मजाक में कहा है।

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मान्यवर, इसको सम्पूर्णता में नहीं लिया जाना चाहिए कहीं पर कोई घटना घटी किसी की भावना आहत हुई उसने अपना दुख व्यक्त कर दिया मान्यवर, यह एक घटना हो सकती है लेकिन इस सरकार का पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी पर कन्ट्रोल है। हम दावे के साथ कह सकते हैं।

(मेजें थपथपाई गईं)

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, हमको व्यक्तिगत कोई आघात नहीं पहुंचा है ना ही कोई घटना है। ना मैं उस पर आपसे कोई मदद चाह रहा हूं कि आप उस पर कोई कार्रवाई करें। मैंने जनरल भावनाओं को जनरल परिस्थितियों को बोला, कहीं हमें व्यक्तिगत कोई आघात पहुंच गया या हमको कोई बड़ा नुकसान पहुंचा, ऐसा नहीं है हम अधिकारियों के भरोसे इस सदन में नहीं हैं, जनता ने हमको भेजा है, हम जनता के बदौलत हाउस में आए हैं। आप अधिकारियों को आसमान में चढ़ा दें हमको कोई चिन्ता नहीं है यह हमारा व्यक्तिगत नहीं है हमने दृष्टान्त के तौर पर कहा था कार्रवाई भी मत करिए, आप सिर पर लेकर अधिकारी घूमिए, लेकिन उलट पलट लंका सब जारि।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, हम किसी को बचाने के लिए यहां पर नहीं खड़े हुए हैं। न मैंने ऐसी कोई बात कही है। आप कार्रवाई में देख लें हम किसी को इस प्रकार का संरक्षण नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो सरकार की एक व्यवस्था है, उसी को मैंने इंगित किया है और जहां तक आपकी जो पीड़ा है जैसे ही सत्ता में सरकार आयी 18 अक्टूबर, 2017 को इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। इसके पहले भी शासनादेश हुए हैं ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से इस विषय पर सचेत है और समय-समय पर निर्देश दिये गये हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी प्रकार की उपेक्षा, किसी प्रकार की अवहेलना या अपमान की अगर कोई शिकायत आयेगी तो हम कार्रवाई जरूर करेंगे। चाहे वह कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो और हमने 18 अक्टूबर, 2017 को इस बात का शासनादेश जारी करके यह दोहराया है कि यदि किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार या किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणी होगी या व्यवहार में कोई कमी होगी तो हम निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शासनादेश के उल्लंघन में कार्रवाई की व्यवस्था भी है। हमने यह भी कहा है कि जब कोई जिला अधिकारी या पुलिस अधीक्षक के पास कोई जनप्रतिनिधि आये तो उनको पानी के लिए जरूर पूछा जाए। उनको पूरा सम्मान दिया जाए। उस पर स्टैंड लेने की भी आवश्यकता है। अगर कोई अधिकारी इस प्रकार का व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यह सरकार पूरी तरीके से तैयार है। मान्यवर, यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिए इसे अग्राह्य किया जाये।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग बैठ जायें। चर्चा नहीं हो रही है।

श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय अध्यक्ष जी, कभी-कभी मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को अपने पीछे के लोगों की भावनाओं को भी समझ लेना चाहिए। उन्होंने अपने दुःखी मन से अपनी भावना को व्यक्त किया है।

श्री अध्यक्ष-

इस पर मा0 नेता प्रतिपक्ष के विचार आ चुके हैं, वरिष्ठ नेता मो0 आजम खां के विचार आ चुके हैं, मा0 सुखदेव राजभर जी के विचार आ चुके हैं। सबके विचार आ गये हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, यह चर्चा नहीं हो रही है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यक्तिगत मामला सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

क्या आपने कोई सूचना दी है ?

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मान्यवर, सूचना नहीं दी है जब सबकी सुन ली गयी है आपकी कृपा हो तो मेरा भी व्यक्तिगत मामला सुन लें। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा है आपकी कृपा हो तो उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें। नियम-300 में कोई चर्चा की मांग नहीं होती है और न चर्चा की मांग की गयी। एक सुनिश्चित विषय था, उस विषय को मा0 राजभर जी ने उठाया।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

माननीय अध्यक्ष जी, जो अधिकारियों द्वारा सम्मान दिये जाने की बात आयी है। एक गिलास पानी दिये जाने की बात आयी है, उस पर कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें। यह व्यक्तिगत उल्लेख का विषय नहीं है। आप पहले से सूचना देते तो निश्चित रूप से व्यक्तिगत विषय सुना जाता, इसमें घालमेल हो जायेगा। कृपया आप बैठ जायें। आप विषय को मिला रहे हैं, वह विषय दूसरा है। फिर कोई उधर से बोलने लगता। इसमें कठिनाई चैन बनने की है नहीं तो आपका कहना सही है कि इतनी देर में आपकी बात हो जाती लेकिन फिर चैन बनती तो कोई तीसरा बोलने लगता। कृपया मुझे क्षमा करें अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो।

श्री मनोज कुमार पारस-

इसमें ठोस निर्णय ले लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

निश्चित रूप से प्रोटोकाल से जुड़ा हुआ विषय गम्भीर है यहां कोई पक्ष प्रतिपक्ष की बात नहीं है। माननीय राजभर जी ने यह विषय उठाया यह इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य से जुड़ा हुआ है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया है कि एक शासनादेश जारी हुआ है हम सबको मालूम भी होगा उस शासनादेश के अनुसार कड़ाई सुनिश्चित करेंगे यह उन्होंने आश्वासन दिया है यद्यपि मुझे यह न माना जाए कि मैं पूर्ववर्ती सरकार की बात करूंगा या उसके पहले की बात करूंगा जहां तक मेरा ध्यान है 1967 से इस प्रकार के शासनादेश जारी हुए हैं अगर मेरा मस्तिष्क एक आध साल के लिए गड़बड़ न कर रहा हो उसके पहले भारत सरकार के भी आदेश हुए हैं सांसदों को लेकर। यहां पर 1967 में फिर उसके बाद 1970 में फिर 1972 में इस तरह लगभग हर दो तीन वर्ष के अन्तराल के बाद चीफ सेक्रेट्रीज के कभी-कभी संसदीय कार्य विभाग के माध्यम से इस तरह के पत्र जाते रहे हैं बीच बीच में घटनाएं भी होती रही हैं हम यह विचार कर रहे हैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से भी परामर्श हो चुका है कि इस विषय को और इससे जुड़े हुए अन्य विषयों पर माननीय वर्मा जी हमारी एक कमेटी के सदस्य हैं उस कमेटी में भी इस तरह की प्रकृति के विषय आए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के बयान पर आज विश्वास करना चाहिए। इस तरह की घटनाओं में कार्यवाही की दृष्टि से किसी समिति को स्वतंत्र रूप से ऐसा विषय सौंपने पर विचार कर रहे हैं विचार कर रहे शब्द पर अगर आपका विश्वास हो जाए यह हमारा आश्वासन है तो कदाचित यह बात उचित रहेगी। लेकिन यह विषय नियम-300 में नहीं आता वह अगर माननीय राजभर जी हमारे आसन पर बैठे होते तो यही कहते हम भी राजभर जी के स्थान पर होते तो माननीय राजभर जी की तरह बोलते राजभर जी पहले इस आसन पर थे वह भी ऐसा ही बोलते रहे हैं। क्योंकि सदन की कार्यवाही से जुड़ा हुआ विषय नियम-300 में आता है उनका कोई आग्रह भी नहीं

है उन्होंने एक विषय रखा है उनके प्रति आदर है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और सरकार के द्वारा दिए गए वक्तव्य के आधार पर जो हमने आपको बताया जो हम विचार कर रहे हैं उसमें वर्मा जी भी सदस्य हैं उनको जानकारी ज्यादा है जो हम लोग विचार कर रहे हैं हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र भी उस कमेटी में हैं जहां विचार चल रहा है इस विषय पर और इससे जुड़े हुए अन्य विषयों पर तो आगामी कुछ दिनों में कोई आकार हम लोग ग्रहण करेंगे मैं इस सूचना को पूरे आदर के साथ निरस्त करता हूं।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-301 की सूचनाएं लेता हूं।

आज कुल 44 सूचनायें प्राप्त हुईं। जिनमें 20 माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं-

पहली सूचना श्रीमती जयदेबी की जनपद लखनऊ स्थित मलिहाबाद-भरावन रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध है, दूसरी सूचना डॉ0 अरूण कुमार की जनपद बरेली के विधान क्षेत्र बरेली में दिनांक 11-08-2017 को उर्जा विभाग के जूनियर इंजीनियरों द्वारा की गई हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र मनिहारन के अन्तर्गत बजाज हिन्दुस्तान चीनी मिल प्रा0लि0, गांगलौली में गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना जगन प्रसाद गर्ग की आगरा महानगर में ट्रांसपोर्ट नगर की आन्तरिक सड़कों एवं नालियों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल(कैलाश डेरीवाले) की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र मेरठ कैन्ट के नगर निगम द्वारा सफाई कर्मियों को उचित वार्डों में नियुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में है, छठीं सूचना श्री रमाशंकर सिंह की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान के अन्तर्गत हिनौता कर्मा मार्ग से रामपुर बरही सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा में जूविलैन्ट फैक्ट्री, टेवा एवं अन्य फैक्ट्रियों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री सतीश चन्द्र शर्मा की जनपद बाराबंकी, तहसील रामसनेहीघाट व सिरोली गौसपुर के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों को घाघरा नदी के बन्धे के बाहर सरकारी जमीन को प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत आवास दिलाये के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के अन्तर्गत रिटेनिंग वाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री संजय गर्ग की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर महानगर के मध्य ढमोला नदी द्वारा की जा रही कटान एवं जलभराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद विकास खण्ड महमूदाबाद के अन्तर्गत बाबूपुर में अवशेष इन्टरलॉकिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की जनपद कानपुर नगर के आर्यनगर विधान सभा की बाजारों में पेशाब घरों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी में बसों के संचालन हेतु नये बस अड्डे स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री आलम बदी की जनपद आजमगढ़ स्थित मण्डलीय चिकित्सालय में रेडीयोलाजिस्ट न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री सुखदेव

राजभर की जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत दीदारगंज स्थित सड़क का पुर्ननिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री असलम अली की जनपद गाजियाबाद में भू-माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना डॉ0 डी0सी0 वर्मा की जनपद बरेली के रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय में फीस निर्धारण में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के व्याप्त पेयजल संकट का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद स्थित कल्याणी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा बीसवीं सूचना सुश्री अदिति सिंह की जनपद रायबरेली में डूडा द्वारा निर्मित आवासीय भवनों की जर्जर स्थिति के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं।

1.	सी0ए0 चन्द्र प्रकाश शुक्ल
2.	श्री सत्यवीर त्यागी
3.	डा0 श्याम बिहारी लाल
4.	श्री पारस नाथ यादव
5.	श्री नन्द किशोर गुर्जर
6.	श्री केसर सिंह
7.	श्री बृजेश कुमार
8.	श्री ममतेश शाक्य
9.	श्री दुर्गा प्रसाद यादव
10.	श्री नफीस अहमद
11.	श्री अजय कुमार लल्लू
12.	श्री जटा शंकर त्रिपाठी
13.	श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया
14.	श्री राम नरेश अग्निहोत्री
15.	श्री हरीराम
16.	श्री उमाशंकर सिंह
17.	श्री राम अचल राजभर
18.	श्री आजाद अरिमर्दन
19.	श्रीमती सुनीता
20.	श्री रोशन लाल वर्मा
21.	श्री दलवीर सिंह
22.	श्री कपिल देव अग्रवाल
23.	श्री बहोरन लाल मौर्य
24.	श्री संजय प्रताप जायसवाल

जनपद लखनऊ स्थित मलिहाबाद-भरावन रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती जयदेवी-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड मलिहाबाद में मलिहाबाद-भरावन रोड पर मलिहाबाद में रेलवे क्रासिंग पड़ती है। मलिहाबाद रेलवे लाइन पर रेल परिवहन की अति व्यस्तता होने के कारण रेलवे क्रासिंग पर बहुत जाम लगता है जिसके कारण लोगों को आवागमन में बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। मलिहाबाद फल पट्टी क्षेत्र होने के कारण मलिहाबाद में आम की मण्डी भी है आम सीजन में परिवहन बढ़ जाता है जिसके कारण किसानों तथा आम जनता को समस्या का सामना करना पड़ता है। माननीय से सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहती हूं की क्षेत्र की समस्या को देखते हुए मलिहाबाद रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनवाने का कष्ट करें।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बरेली में दिनांक 11-08-2017 को ऊर्जा विभाग के जूनियर इंजीनियरों द्वारा की गई हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 अरुण कुमार-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 124, बरेली में आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम के अन्तर्गत बिजली विभाग में हड़ताल निषिद्ध होने के बावजूद दिनांक 11 अगस्त, 2017 को ऊर्जा विभाग के जूनियर इंजिनियर्स द्वारा भीषण गर्मी में हड़ताल कर दी तथा जनता त्राहि-त्राहि कर उठी। जिससे शहर की कानून व्यवस्था भी डगमगा उठी। जिलाधिकारी, बरेली एवं निदेशक, ऊर्जा विभाग ने बरेली आकर जांच की तथा अपनी आख्या प्रस्तुत की, फिर भी जूनियर इंजिनियर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत बजाज हिन्दुस्तान चीनी मिल प्रा0लि0, गांगनौली में गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल प्रा0लि0, गांगनौली, जनपद सहारनपुर पर गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है। गन्ना किसानों द्वारा अपने गन्ने का भुगतान किये जाने हेतु काफी समय से मांग की जा रही है परन्तु इस मिल द्वारा अभी तक भुगतान नहीं किया जा रहा है। इससे किसान आत्म हत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। जबकि सरकार गन्ना का भुगतान सही समय पर कराने के निर्देश दिये है। परन्तु इस मिल के मनमानी रवैये से किसान परेशान हैं और आन्दोलित हैं। यदि समय पर गन्ना का भुगतान नहीं कराया गया तो किसानों के उग्र रूप को देखते

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हुए कोई अप्रिय घटना भी घट सकती है। किसानों के गन्ने का भुगतान अविलम्ब कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्र गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

आगरा महानगर के ट्रांसपोर्ट नगर की आन्तरिक सड़कों एवं नालियों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[मान्यवर, आगरा महानगर में ट्रान्र्सपोर्ट नगर की आन्तरिक सड़कें व नालियां जर्जर हैं। जिसके कारण यहां की जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिससे यहां की जनता में काफी रोष है। उक्त ट्रान्सपोर्ट नगर की आन्तरिक सड़कें व नालियों को उत्तर प्रदेश, आवास विकास परिषद् द्वारा निर्माण कार्य कराने की जनहित में आवश्यकता है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर इस आवश्यक जर्जर आन्तरिक सड़कें व नालियों के निर्माण की मांग करता हूं।]

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र मेरठ कैन्ट के नगर निगम द्वारा सफाई कर्मियों को उचित वार्डों में नियुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले''-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र मेरठ कैन्ट के नगर निगम मेरठ में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। जगह-जगह कूड़ों के ढेर लगे हैं जिस कारण से बरसात के मौसम व उसके बाद गम्भीर व जानलेवा बीमारियों के फैलने का खतरा निरन्तर बना हुआ है। इस सन्दर्भ में यह भी अवगत कराना है कि नगर निगम मेरठ में लगभग 973 स्थायी एवं 2215 आउटसोर्सिंग पर सफाई कर्मचारी तैनात हैं। यहां पर किसी वार्ड में जनसंख्या के सापेक्ष बहुत अधिक सफाई कर्मचारी तैनात किये गये है तथा कही-कही बहुत अधिक जनसंख्या होने के बावजूद एक भी सफाई कर्मचारी तैनात नहीं किया गया है कुछ वार्डों में बहुत कम और छः वार्डों में कोई भी सफाई कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया है, जिससे यह समस्या उत्पन्न हो रही है। यह सफाई व्यवस्था से जुड़ा लोक महत्व का प्रश्न है जिस कारण से समस्त वार्डों एवं कर्मचारीगण की संख्या के सापेक्ष बराबर-बराबर कर्मचारी सभी वार्डों में नियुक्त किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान के अन्तर्गत हिनौता कर्मा मार्ग से रामपुर वरहौ सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमा शंकर सिंह-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत हिनौता करमा मार्ग से रामपुर वरहौ सम्पर्क मार्ग कच्चा मार्ग है। यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र का प्रमुख सम्पर्क मार्ग है। कच्चा मार्ग होने के कारण

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जगह-जगह मार्ग में गड्ढे होने से आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग के निर्माण हेतु क्षेत्रवासियों द्वारा काफी समय से जिला स्तर पर प्रयास किये गये। परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही न होने से क्षेत्रवासियों में निराशा एवं आक्रोश है। जनहित में इस सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए हिनौता करमा मार्ग से रामपुर वरहौ सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा में जूविलैन्ट फैक्ट्री, टेवा एवं अन्य फैक्ट्रियों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव तरारा-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र धनौरा जनपद अमरोहा के अन्तर्गत गजरौला में जूवलैण्ट, टेवा एवं अन्य फैक्ट्रियों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण से आम जनमानस का जीना दूभर हो गया है। इसके प्रदूषण से दमा, हार्ट, कैंसर, चर्म रोग जैसी जानलेवा बीमारियां फैल रही है। इसकी शिकायत जिला स्तर पर अधिकारियों से की गयी लेकिन उनकी मिली भगत होने के कारण इन फैक्ट्रियों के ऊपर न तो कोई कार्यवाही की गयी और न ही प्रदूषण पर नियंत्रण ही कराया गया। इससे जनमानस में आक्रोश व्याप्त है। यदि समय पर कार्रवाई नहीं की गयी तो कानून व्यवस्था की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जूविलैन्ट, टेवा एवं अन्य फैक्ट्रियों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण पर तत्काल रोक लगाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बाराबंकी से तहसील रामसनेही घाट व सिरोली गौसपुर के अन्तर्गत घाघरा नदी के बन्धे के मध्य बसे कतिपय ग्राम वासियों को बन्धे के बाहर सरकारी जमीन पर प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत आवास दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश चन्द्र शर्मा-

[मान्यवर, जनपद बाराबंकी तहसील रामसनेही घाट व सिरौली गौसपुर के अन्तर्गत गांव अतरौली, सरांयसुरजन, भौलीकोल, इटौहवा पूर्व, कोठरीगौरिया, उमरहरा, समेमरी, टिकरी, गनौली, ढेमा, असवां आशिंग, नैपुरा, बांसगांव, कमियार, बसंतपुर, परसावल आदि घाघरा नदी में बन्धे के मध्य बसे है। जो कि बाढ़ आने से यह सभी गांव तबाही का शिकार हो जाते हैं। बन्धे के बाहर सरकारी जमीन उपलब्ध है। जनहित में घाघरा नदी में बन्धे के मध्य बसे इन गांवों के निवासियों को बन्धे के बाहर उपलब्ध सरकारी जमीन को आवासीय पट्टा दिलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया जाना आवश्यक है। इसकी मांग काफी समय से की जा रही है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए घाघरा नदी बन्धे के मध्य बसे गांव के निवासियों को बन्धे के बाहर सरकारी जमीन को आवासीय पट्टा दिये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के अन्तर्गत रिटेनिंग वाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कृष्णा पासवान-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र खागा, जनपद-फतेहपुर के अन्तर्गत किशनपुर पम्प कैनाल से जलपोषित नहर जो कौशाम्बी जनपद को जाती है, इस नहर से जो पानी जनपद फतेहपुर को आवंटित था, वह रिटेनिंग वाल न बनने के कारण जनपद फतेहपुर न आकर सीधे कौशाम्बी व इलाहाबाद जनपद चला जाता है। इस कारण से जनपद फतेहपुर को आवंटित पानी न मिलने के कारण किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त जल नहीं मिल पा रहा है, जिससे उन्हें अपूरणीय क्षति हो रही है। इससे किसानों में काफी आक्रोश व्याप्त है। जनहित में जनपद फतेहपुर को आवंटित पानी दिलाये जाने हेतु रिटेनिंग वाल का निर्माण किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये जनपद फतेहपुर को आवंटित पानी दिलाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करती हूं।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर महानगर के मध्य ढमोला नदी द्वारा की जा रही कटान एवं जलभराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय गर्ग-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पिछली 14 अगस्त को भारी बारिश के कारण सहारनपुर महानगर के बीचों-बीच बह रही ढमोला नदी का जल स्तर अचानक बढ़ जाने के कारण नदी के किनारे बसी कई कालोनियां विशेषतः देवपुरम्, सन्तनगर, ब्रेजेश नगर एवं पंजाबी बाग की बहुतायत आबादी जलमग्न हो गई थी तथा लोगों में दहशत का महौल था, 2013 का मंजर एक बार पुनः लोगों के मानस पटल पर छा गया, जिसमें बहुत जान एवं माल का नुकसान हुआ था। नगर के मध्य ढमोला नदी द्वारा किये जा रहे कटाव एवं जल भराव की समस्या के समाधान हेतु रु0 568.08/- लाख लागत की एक परियोजना सिंचाई निर्माण खण्ड, सहारनपुर के द्वारा शासन को प्रेषित की गई थी, जिसमें रेलवे से अनापत्ति-पत्र मिलने पर ब्रेजश नगर की रेलवे की भूमि पर बान्ध बनाने का कार्य भी सम्मिलित करने की वाछंना दी गई थी। परन्तु अभी रिवाइज एस्टीमेट विभाग के द्वारा नहीं भेजा गया तथा शासन के द्वारा उपरोक्त परियोजना की धनराशि निर्गत न किये जाने के कारण एक बार पुनः नदी के किनारे बसे लोग विकराल प्राकृतिक आपदा की चपेट में आते-आते रह गयें।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि इस सम्बन्ध में अविलम्ब कार्रवाई सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।]

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद, विकास खण्ड महमूदाबाद के अन्तर्गत बाबूपुर में अवशेष इण्टरलॉकिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद, विकास खण्ड महमूदाबाद के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बाबूपुर

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में डामर रोड से नूरुल के घर तक इण्टरलाकिंग का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा कराया जा रहा था। रास्ते में अनवर अली पुत्र असगर अली द्वारा दीवाल बना दी गयी है तथा मुख्य रास्ते में ग्राम पंचायत की जमीन पर एक पेड़ लगा हुआ है उसको भी अनवर आदि द्वारा नहीं काटने दिया जा रहा है, जिससे निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। दीवाल एवं पेड़ हटाकर ग्राम पंचायत द्वारा तत्काल अवशेष निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल उक्त अवशेष निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद कानपुर नगर के आर्यनगर विधान सभा क्षेत्र की बाजारों में पेशाब घरों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमिताभ बाजपेई-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। कानपुर नगर की आर्यनगर विधान सभा क्षेत्र घनी आबादी एवं व्यस्त बाजारों का क्षेत्र है। बाजारों में पेशाबघरों की समस्या अत्यन्त जनहित की है व लगभग सारे पेशाबघर पुराने, गन्दे व जर्जर हैं। महिलाओं के पेशाबघरों की कोई व्यवस्था ही नहीं है। कई स्थानों पर नये पेशाबघर बनाये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल नगर निगम द्वारा प्रमुख बाजारों के पुराने पेशाबघरों के पुनः निर्माण, महिला यूरिनल के निर्माण व नये पेशाबघरों के निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद झांसी में बसों के संचालन हेतु नये बस अड्डे की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि जनपद झांसी की आबादी अधिक होने तथा मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला जनपद होने के कारण वर्तमान झांसी बस डिपों भारी यातायात का वहन नहीं कर पा रहा है। बस अड्डे से सैन्य क्षेत्र जुड़ा होने के कारण बस अड्डे का विस्तार नहीं किया जा सकता है और ना ही उसकी क्षमता बढ़यी जा सकती है। उक्त समस्या के निवारण हेतु नये बस अड्डे की स्थापना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ स्थित मण्डलीय चिकित्सालय में रेडियोलाजिस्ट न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलमबदी-

[मान्यवर, मैं आप द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान उपरोक्त के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कई महीनों से मण्डलीय चिकित्सालय आजमगढ़ में रेडियोलाजिस्ट (Radiologist) नहीं है। जिसके कारण इसके सम्बन्धित व्यक्तियों को बलिया व बनारस के चिकित्सालयों में रेफर कराया जा रहा है। यह जनता की कठिनाईयों का सबब बना हुआ है।

तुरन्त वहां पर रेडियोलाजिस्ट (Radiologist) की नियुक्ति करके इस समस्या का समाधान कराने का कष्ट करें।]

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत दीदारगंज स्थित सड़क का पुर्ननिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखदेव राजभर-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

जनपद-आजमगढ़ के अन्तर्गत विधान सभा-दीदारगंज में मार्टिनगंज बाजार से छेतेपुर नोनारी सिकरौर होते हुए फूलपुर तक जाने वाली सड़क अत्यन्त सकरी है। सड़क पर ट्राफिक बहुत है। सड़क सकरी होने के कारण आये दिन अनेकों दुर्घटनायें होती रहती हैं। जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता की काफी दिनों से पूरजोर मांग है कि उक्त मार्ग का चौड़ीकरण किया जाये। मार्ग का चौड़ीकरण न होने से क्षेत्रीय जनता में भारी जनाक्रोश व्याप्त है। स्थिति विस्फोटक बनी हुई है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर जनहित में सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद गाजियाबाद में भू-माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री असलम अली-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

कृपया आपके संज्ञान में लाना है कि जनपद-गाजियाबाद के कस्बा डासना में एल0एम0सी0 भूमि पर मो0 युसुफ लाइक, शफीक पुत्र श्री रफीक, निवासी-कस्बा डासना ने खसरा नं0-1236 पर अवैध कब्जा कर निर्माण कर रखा है। मेरे द्वारा दिनांक 09-01-2018 को मा0 मुख्य मंत्री जी से मिलकर मैंने इसकी शिकायत की थी (शिकायत सं0-18204180031423) जिसमें मा0 मुख्य मंत्री जी ने जनपद स्तर के अधिकारियों को निर्देशित किया था कि तत्काल प्रभाव से कब्जा की गई भूमि को कब्जा मुक्त करायी जाये। लेकिन तहसीलदार, अजीत प्रेस, नायब तहसीलदार नीरज द्विवेदी व लेखपाल कृष्णपाल ने कब्जा धारकों से साठ-गांठ कर शासन को यह बताया गया है कि उक्त खसरा नं0 पर सीविल कोर्ट में स्टे है। लेकिन स्टे खसरा नं0-1248 पर है। उक्त अधिकारियों द्वारा प्रशासन को गलत सूचना दी गयी है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त सरकारी जमीन पर कब्जा कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद बरेली के रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय में फीस निर्धारण में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 डी0सी0 वर्मा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद बरेली में स्थित महात्मा ज्योतिबाराव फूले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के अन्तर्गत आने वाले महाविद्यालयों के अन्तर्गत राजकीय व वित्त पोषित की परीक्षा शुल्क कम व वित्त विहीन महाविद्यालयों का परीक्षा शुल्क ज्यादा होने से वित्त विहीन महाविद्यालयों में प्रवेश कम होते हैं। जनहित में डिग्री कोर्सों की फीस सभी महाविद्यालयों में एक समान किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए डिग्री कोर्सों की परीक्षा शुल्क सभी महाविद्यालयों में एक समान किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर में व्याप्त पेयजल संकट का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

[मान्यवर, जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में पीने के पानी की भारी समस्या है। गर्मी के दिनों में लगभग सभी प्रकार के स्रोतों का स्तर बहुत कम हो जाता है। जिससे पीने के पानी की भारी किल्लत हो जाती है। इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुये ब्लाक बदलापुर के रामनगर, मेढ़ा एवं महाराजगंज ब्लाक के बाबूगंज में नयी पानी की टंकी का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। जिससे लगभग 5 हजार से ज्यादा ग्रामवासियों को पानी की समस्या से निजात मिल सके।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद फैजाबाद स्थित कल्याणी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव-

[मान्यवर, जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रूदौली व दरियाबाद को जोड़ने वाले मार्ग के कल्याणी नदी पर निर्मित पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। कभी भी पुल के गिरने से बड़ी घटना हो सकती है। उक्त पुल से ही होकर अस्पताल, तहसील, ब्लाक तथा रामसनेहीघाट, जनपद बाराबंकी को आने-जाने का एक मात्र रास्ता है। क्षेत्रवासियों द्वारा इस पुल के पुर्ननिर्माण कराने की मांग लम्बे दिनों से किया जा रहा है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सरकार से कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद रायबरेली में डूडा द्वारा निर्मित आवासीय भवनों की जर्जर स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

सुश्री अदिति सिंह-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र, सदर, जनपद-रायबरेली में वर्ष 2009 में डूडा द्वारा 104 आवास का निर्माण रायबरेली शहर के धोरहरा/गड़ेरियन के पुरवा में गरीबों के लिए कराया गया था। उक्त आवास वर्तमान में अत्यन्त जर्जर हो गया है। जिनकी मरम्मत कराया जाना तथा अधोमानक निर्माण की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई किया जाना अति-आवश्यक है। प्रकरण जनहित एवं लोक महत्व का है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करती हूं।]

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-4 में कुछ नहीं है।

[1:46] उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2017-2018) का 15वां प्रतिवेदन†

***डा0 संगीता बलवन्त-**

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2017-2018), उक्त समिति का 15वां प्रतिवेदन जो मेरठ तथा आगरा मण्डल एवं जनपद इटावा में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, महिला कल्याण विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, समाज कल्याण विभाग, पर्यावरण विभाग तथा व्यवसायिक शिक्षा विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं तथा जिला कारागारों के स्थलीय निरीक्षण एवं विभागीय समीक्षा पर आधारित है, प्रस्तुत करती हूं।

उ0प्र0 विधान सभा की सरकारी आश्वासन समिति (2017-2018) का 142वां (एक सौ बयालिसवां) प्रतिवेदन †

***श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं उ0प्र0 विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (2017-2018), का 142वां (एक सौ बयालिसवां) प्रतिवेदन जो आवास एवं शहरी नियोजन, खाद्य औषधि प्रशासन, लघु सिंचाई एवं भू-गर्भ जल, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, चिकित्सा शिक्षा, नगरीय

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

† छापा नहीं गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, खाद्य एवं रसद, सहकारिता, परिवहन, भू-तत्व एवं खनिकर्म, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, संस्कृति, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स, वित्त, लोक निर्माण, ग्रामीण अभियंत्रण, गृह, प्राविधिक शिक्षा, ऊर्जा, नगर विकास, समाज कल्याण, औद्योगिक विकास, श्रम, आबकारी, लघु उद्योग, सचिवालय प्रशासन, अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ, न्याय, संसदीय कार्य, भूमि विकास एवं जल संसाधन, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत तथा पर्यावरण विभागों के वर्ष 1992 से 2016 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित हैं, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-2018) का ग्यारहवां प्रतिवेदन†

***डा0 सोमेन्द्र तोमर-**

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-2018) का ग्यारहवां प्रतिवेदन जो वाराणसी व आगरा मण्डलों के जनपदों की जिला पंचायतों से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-2018) का बारहवां प्रतिवेदन†

डा0 सोमेन्द्र तोमर-

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-2018) का बारहवां प्रतिवेदन जो मेरठ मण्डल के जनपद-हापुड़ की ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-2018) का तेरहवां प्रतिवेदन†

डा0 सोमेन्द्र तोमर-

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-2018) का तेरहवां प्रतिवेदन जो मेरठ मण्डल के जनपद-गाजियाबाद की ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम कपूरपुर में स्थायी पुलिस चौकी बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री हरीश कुमार आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका††

डा0 डी0सी0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से,

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम कपूरपुर में स्थायी पुलिस चौकी बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री हरीश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†† छापी नहीं गयीं।

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम रहिपुराजागीर में टेक्सटाइल पार्क स्थल, फतेहगंज, पश्चिमी हाइ-वे तक (लगभग 4 कि0मी0) रोड का चौड़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश वर्मा आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका††

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम रहिपुराजागीर में टेक्सटाइल पार्क स्थल, फतेहगंज पश्चिमी, हाइ-वे तक (लगभग 4 किमी0) रोड का चौड़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में नगर पंचायत शाही व पुल के पास सड़क का किच्छा नदी द्वारा हो रहे कटान की रोकथाम का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश रस्तोगी आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षारित याचिका††

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में नगर पंचायत शाही व पुल के पास सड़क का किच्छा नदी द्वारा हो रहे कटान की रोकथाम का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश रस्तोगी व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम सुल्तानपुर का किच्छा नदी द्वारा हो रहे कटान की रोकथाम का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम स्वरूप वर्मा आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका††

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम सुल्तानपुर का किच्छा नदी द्वारा हो रहे कटान की रोकथाम का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम स्वरूप वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बरेली की तहसील मुख्यालय मीरगंज में अग्निशमन हेतु भवन का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संतोष शर्मा आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मुख्यालय मीरगंज में अग्निशमन हेतु भवन का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संतोष शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, सदन के समक्ष उपस्थित करता हूँ।

जनपद बरेली की तहसील मुख्यालय मीरगंज में क्षेत्राधिकारी कार्यालय व आवास का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती राजकुमारी आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मुख्यालय मीरगंज में क्षेत्राधिकारी कार्यालय व आवास का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती राजकुमारी व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, सदन के समक्ष उपस्थित करता हूँ।

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम गोरालोकनाथपुर में स्थायी पुलिस चौकी बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबू राम कश्यप आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम गोरालोकनाथपुर में स्थायी पुलिस चौकी बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबू राम कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, सदन के समक्ष उपस्थित करता हूँ।

---

†† छापी नहीं गयीं।

† छापा नहीं गया।

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत बिलसण्डा, निगोही शारदा नहर की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम कृष्ण वर्मा आदि निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत बिलसण्डा, निगोही शारदा नहर की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम कृष्ण वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, सदन के समक्ष उपस्थित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-11 श्री विनोद कटियार जी। अभी उपस्थित नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-12 में कुछ नहीं है।

[1:51] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफरिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 27 अगस्त, 2018 को बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें कीं :--

1-दिनांक 28 अगस्त, 2018 को निर्धारित वित्तीय वर्ष, 2018-2019 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग, विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन उस पर विचार एवं उसका पारण सम्बन्धी मदों को दिनांक 29 अगस्त, 2018 को ले लिया जायें।

2-दिनांक 30 अगस्त, 2018 को उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2018 एवं उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार एवं उनके पारण सम्बन्धी मदें ले ली जायें।

3-दिनांक 31 अगस्त, 2018 को नियम-103 के चर्चाधीन प्रस्तावों पर अग्रेतर चर्चा सम्बन्धी मदें ले ली जायें।

तद्नुसार दिनांक 28 अगस्त, 2018 से दिनांक 31 अगस्त, 2018 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जायें :-

<u>अगस्त, 2018</u>

28 मंगलवार	1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें। 2-विधायी कार्य।
29 बुधवार	1-वित्तीय वर्ष 2018-2019 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन उस पर विचार एवं उसका पारण। 2-विधायी कार्य।

† छापी नहीं गयी।

3-अन्य कार्य, यदि कोई हों।

30 गुरुवार 1-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(1) उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2018

(2) उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (सशोंधन) विधेयक, 2018

2-अन्य कार्य, यदि कोई हों।

31 शुक्रवार 1-विधायी कार्य।

2-असरकारी दिवस (आधा दिन)।

3-श्री विनय शंकर तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-गोरखपुर में तहसील गोला मुख्यालय पर बस स्टेशन की स्थापना करायी जाय।''

4-श्री सुखदेव राजभर एवं श्री अजय कुमार 'लल्लू', सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा :-

''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वर्ष 2004 के बाद से नियुक्त उ0प्र0 के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किये जाने हेतु प्रभावी कार्रवाई की जाये।''

5-श्री अजय कुमार 'लल्लू', सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद कुशीनगर की बांसी नदी के तट पर स्थित गौरी घाट, गोला घाट, धोकरहा घाट तथा खैरवा घाट पर जनहित में पुलों का निर्माण शीघ्र कराया जाय।''

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष जी द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक जो प्रस्ताव मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है इससे सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक याचिका श्री विनोद कटियार जी की रह गयी थी अगर आपकी अनुमति हो तो पढ़ दी जाये।

श्री अध्यक्ष-

कौन पढ़ेगा ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, विनोद कटियार आ गये हैं यही पढेंगे।

शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कान्हा सिंह आदि जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री विनोद कटियार-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से शुद्ध पेजयल हेतु पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कान्हा सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के समक्ष उपस्थित करता हूँ।

जनपद कानपुर देहात की तहसील-अकबरपुर में ग्राम-निनापा में शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कान्हा सिंह आदि निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर देहात की तहसील-अकबरपुर में ग्राम-निनापा में शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कान्हा सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, सदन के समक्ष उपस्थित करता हूँ।

[1:56] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

दो-तीन मदें और हैं लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष और हमारे सदस्यों ने कहा था कि कार्य-स्थगन पहले ले लिया जाये तो इसे परिपाटी न मानते हुए माननीय नेता विरोधी दल सबसे पहले आप बोलेंगे ?

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, कानून व्यवस्था की हालत बहुत गम्भीर है। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है अपराध चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है। लोगों को घर से निकलना दूभर हो गया है, हमारी बेटी, बहनों, महिलाओं को घर से निकलना दूभर हो गया है। घर से निकलें तो उनके गहने लूटे

† छापी नहीं गयी।

जा रहे हैं, उसके चेन छीने जा रहे हैं, बलात्कार कर दिये जा रहे हैं, बलात्कार कर के हत्या कर दी जा रही है। श्रीमन इस प्रदेश में गजब कानून व्यवस्था की स्थिति हो गयी है। खुले आम बिना किसी भय के गोली मार दी जा रही है। बिना किसी भय के बैंक लूट लिये जा रहे हैं अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, श्रीमान कि महामहिम राज्यपाल के घर के सामने बैंक के कैश वैन को लूट लिया गया। जौनपुर में बैंक का पैसा लूट लिया गया। कानपुर में बड़ौदा बैंक को लूट लिया गया। तमाशा हो गया है और सरकार कह रही है कि कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। श्रीमन खुले आम केवल एक दिन माननीय अध्यक्ष जी, केवल कल की घटना सुन लीजिये। दिनांक 27 अगस्त, 2018 को मलिहाबाद इलाके में वर्चस्व की रंजिश के चलते असलहों से लैस हमलावरों ने बसपा कार्यकर्ता कुलदीप यादव को गोलियों से उड़ा दिया, पारा के बुद्धेश्वर इलाके में भाईयों को राखी बांधने जा रही किशोरी से रेप कर दिया गया, अमीनाबाद के झंडेवाला पार्क में सोमवार सुबह बहादुर मजदूर की हत्या कर दी गई, मदद का झांसा देकर सरोजनीनगर स्थित गौरी में सोमवार को ए0टी0एम0 बूथ पर जालसाजों ने शिखा गुप्ता के खाते से 32770 रूपये उड़ाये व पी0जी0आई0 के उतरठिया के पास शहीद पथ पर कार सवार युवकों ने युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर सड़क किनारे फेंक दिया तथा जनपद रायबरेली में प्रापर्टी डीलर शिवाकान्त तिवारी पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी। 05 अगस्त, 2018 को सामने आई देवरिया संरक्षण गृह की घटना जहां मान्यता समाप्त होने के बाद शासन और प्रशासन की जानकारी में रहते हुए बच्चियों से देह-व्यापार और खरीद-फरोख्त सब कराया गया। जिस पर आपने कल हम लोगो को नहीं सुना था। मान्यवर, बदायूं मूसाबाग में 20 अगस्त, 2018 को तीन युवकों ने मिलकर लड़की का गैंग रेप किया, थाने से कोई मदद नहीं मिली तो अपराधियों की दबंगई से थक हार कर फांसी लगाकर आत्महत्या के लिए मजबूर हुई। जुलाई माह में ही जनपद सम्भल के थाना रजपुरा के एक गांव में पांच लोगों द्वारा गैंग रेप करने के बाद उस लड़की को जिन्दा जला दिया गया। दिनांक 01 जनवरी, 2018 से 31 मार्च, 2018 के बीच केवल तीन माह में 502 दहेज मृत्यु, 899 बलात्कार, 2892 शील भंग, 3573 अपहरण, 248 छेड़खानी, 3135 महिला उत्पीड़न की मिलाकर कुल 11249 घटनायें घटित हुई हैं। प्रदेश में व्यापारी लूटे जा रहे हैं, दिन दहाड़े बैंक लूटे जा रहे हैं और सरकार कहती है कि अपराध में कमी आई है। वर्ष 2016 के अपराधों से अगर तुलना की जाये तो बलात्कार में 40.83 प्रतिशत, फिरौती और अपहरण में 44.44 प्रतिशत, लूट में 20.46 प्रतिशत, डकैती में 13.85 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। दैनिक समाचार पत्र आपराधिक घटनाओं से भरे पड़े रहते हैं। लखनऊ से प्रकाशित समाचार पत्रों में 02 अप्रैल, 2018 से 21 अगस्त, 2018 तक 89 हत्यायें, 116 बलात्कार/छेड़छाड़, 173 डकैती, लूटपाट, अपहरण, ठगी, चोरी और 22 से ज्यादा साइबर अपराध देखने को मिले हैं। मान्यवर, ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर जंगल राज है और कोई सुरक्षित नहीं है। अगर संरक्षण गृह में महिलाओं को रखा जाये तो संचालन करने वाले उनसे देह व्यापार करा रहे हैं। चोर और डकैत घर में घुसकर बहन-बेटियों से उनके गहने लूट ले रहे हैं। जब वह मार्केट में जा रही हैं तो उनकी चेन छीनी जा रही है और गहने लूट लिये जा रहे हैं। 'अब की बार, न गुण्डराज, अब की बार न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार।' गुण्डई चरम सीमा पर है, डकैती चरम सीमा पर है, बलात्कार चरम सीमा पर हैं, महिला उत्पीड़न चरम सीमा पर हैं, राहजनी चरम सीमा पर हैं। मान्यवर, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई है। कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ घटनाओं के उदाहरण देना चाहता हूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, नियम-56 में केवल एक घटना आती है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, कृपया आप टोकिये मत। इस मामले को हम लोग नियम-311 में इसीलिये नहीं लाये हैं ताकि हमारे बोलने में आप लोग अवरोध न करें। पहले दिन देवरिया काण्ड पर भी हम लोगों को बोलने नहीं दिया गया। आपने कहा कि आपराधिक घटनाओं को नियम-56 में ले आईये, इसीलिए हम लोग इसे नियम-56 में लाये हैं। आप ही की अनुमति से हम लोगो ने एक दिन में एक विषय को रखा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप सब लोगो के सामने हंसी का पात्र मत बनिये क्योंकि आप ही के सामने यह सब तय हुआ था और वहां पर दोनो पक्ष के लोग थे।

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 को शिथिल करने की बात तो हुई नहीं थी।

श्रीराम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आपका कहना सही है। इसको मैं नकार कहां रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

हमने कल भी आपको पुकारा था लेकिन आप बोले ही नहीं थे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

श्रीमन्, देख लें सोर्स क्या हैं। यू0पी0 प्रोग्रेसिव कौंसिल वेबसाइट में 01-04-2015 से 31-01-2017 तक दिनांक 01-04-2017 से 31-01-2018 तक यह तुलना है दहेज मृत्यु 2084 और 2017 से 2018 तक 2223 कितना अंतर है। वर्ष 2017 में बलात्कार 2945 और 2018 में 3704 हुए हैं। वर्ष 2017 में शीलभंग 8159 और वर्ष 2018 में शीलभंग 11404, अपहरण 2017 में 9828 और 2018 में 13226, छेड़खानी वर्ष 2017 में 495 और वर्ष 2018 में 987, महिला उत्पीड़न 2017 में 1219 और 2018 में 13392 घटनाएं हुई थीं। कुल योग वर्ष 2017 में 33728 और वर्ष 2018 में 44936 हुई थीं। मा0 मुख्य मंत्री जी और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी हमेशा कहते हैं कि अपराध में लगातार गिरावट आ रही है। अगर गिरावट आ रही है तो जो आपकी वेबसाइट पर आंकड़े हैं वह गलत है और मा0 नेता सदन या मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी जो कहते हैं वह सही है। मान्यवर, यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। एक दिन की घटना मैं और आपको बतला दूं।

श्री अध्यक्ष-

अब तो सारी घटनाएं आ गई हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, इन 3-4 महीनों में काफी घटनाएं हुई हैं। मार्च महीने में प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र बनारस में रेप एवं छेड़छाड़ की 6 घटनाएं हुई, अप्रैल में 15 घटनाएं हुईं, मई में 10 घटनाएं हुईं, जून में 8 घटनाएं हुईं और जुलाई में 13 घटनाएं हुईं। कुल घटनाएं 52 हुई हैं। जिला-बांदा में रेप एवं

छेड़छाड़ की मार्च महीने में 7 घटनाएं हुईं, अप्रैल में 11 घटनाएं हुई, मई में 10 घटनाएं हुई, जून में 9 घटनाएं हुई और जुलाई में 12 घटनाएं हुई। कुल घटनाएं 49 हुई हैं। जिला-झांसी में मार्च महीने में 8 घटनाएं हुई, अप्रैल में 13 घटनाएं हुई, मई में 12 में से 11 घटनाएं हुईं और जुलाई में 10 घटनाएं हुई। कुल घटनाएं 54 हुई हैं। जिला-मथुरा में मार्च महीने में 7 घटनाएं हुईं, अप्रैल में 10 घटनाएं हुईं, मई में 10 घटनाएं हुईं, जून में 8 घटनाएं हुई और जुलाई में 12 घटनाएं हुईं। कुल घटनाएं 47 हुई हैं। जिला-नोएडा में मार्च महीने में 20 घटनाएं हुईं, अप्रैल में 20 घटनाएं हुईं, मई में 16 घटनाएं हुईं, जून में 18 घटनाएं हुईं और जुलाई में 21 घटनाएं हुईं। कुल घटनाएं 95 हुई हैं। जिला-गाजियाबाद में मार्च महीने में 29 घटनाएं हुईं, अप्रैल में 24 घटनाएं हुईं, मई में 27 घटनाएं हुईं, जून में 31 घटनाएं और जुलाई में 28 घटनाएं हुई हैं। कुल घटनाएं 139 हुई हैं।

मान्यवर, अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो यहां मार्च में 29, अप्रैल में 23, मई में 14, जून में 19, जुलाई में 27 और मेरठ में मार्च में 36, अप्रैल में 81, मई में 31, जून में 38, जुलाई में 89 कुल 265। बरेली में मार्च में 26, अप्रैल में 22, मई में 28, जून में 24, जुलाई में 27। मान्यवर, यह पूरे प्रदेश का आंकड़ा है और बिल्कुल सही आंकड़ा है। मुरादाबाद में मार्च में 27, अप्रैल में 41, मई में 37, जून में 34, जुलाई में 36 कुल 175। अलीगढ़ में मार्च में 24, अप्रैल में 29, मई में 21, जून में 29, जुलाई में 25 कुल 128। गोरखपुर में मार्च में 13, अप्रैल में 20, मई में 23, जुलाई में 25 कुल 107। इलाहाबाद में मार्च में 53, अप्रैल में 34, मई में 38, जून में 35, जुलाई में 50। मान्यवर, बाकी छोड़ देता हूं। यह केवल छेड़छाड़ और रेप की घटनाएं हैं। मान्यवर, हमारी दर्जनों बेटियां सोहदों और छेड़खानी करने वालों के भय से आत्महत्याएं कर रही हैं क्योंकि उनके खिलाफ थानों में उनके पक्ष में कार्रवाई नहीं हुई थी। मान्यवर, हमारी दर्जनों महिलाएं और बेटियां छेड़खानी करने वालों के भय से स्कूल जाना छोड़ दिया है। महिलाओं ने घर से बाहर जाना छोड़ दिया है और हम किस बात के लिए कह रहे हैं कि हम लोग अपराध घटा रहे हैं। यह सरकार अपराधों की बाढ़ लेकर के आई है। यह केवल मुंह से नहीं होगा। फर्जी इनकाउन्टर करने से अपराध कम नहीं होगा। इनकाउन्टर किनके हो रहे हैं ? जो छोटे-मोटे अपराधी हैं 10 और 15 वर्ष से घर में रह रहे हैं। थाने में उनका रिकार्ड है उनको पकड़कर ले आइए किसी की जांघ में मार दीजिए, किसी के पैर में गोली मार दीजिए। वर्तमान में जो चोरी, डकैती, छीनैती, बलात्कार, रेप कर रहे हैं उसमें भी पुलिस छटके से किसी दूसरे को पकड़ रही है और अपराध से लिप्त जो अपराधी हैं वह सरेआम घूम रहे हैं। अगर मैं यह कहूं कि कुछ अधिकांश अपराधी सत्ता के संरक्षण में अपने आप को मजबूत पा रहे हैं इसलिए उनका हौसला बढ़ा हुआ है, इसीलिए अपराध के ग्राफ बढ़ रहे हैं। मान्यवर, प्रदेश की जनता भय से आतंकित है। लोग इन घटनाओं से थर्रा उठे हैं। जन-भावना में आक्रोश पैदा हो गया है, इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि आज की यह विशेष कार्रवाई रोककर इस पर तो दो घंटें की चर्चा करवाइए, क्योंकि इस देश की कानून व्यवस्था चौपट है। जहां बेटियां दहशत में हों, छात्र-छात्राएं दहशत में हो, मानव दहशत में हो, बैंक दहशत में हों, घर में रखा हुआ गहना और लोगों का रूपया दहशत में हो तो यह जंगल राज नहीं है तो क्या है ? मान्यवर, मैं आग्रह करता हूं कि कानून व्यवस्था पर दो घंटे की चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, कानून-व्यवस्था का जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव माननीय प्रतिपक्ष ने रखा, इसी परिप्रेक्ष्य में यह क्यों ग्राह्य है, इस पर मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। इस सरकार ने बड़ा अच्छा नारा

दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले कि 'न गुण्डा राज, न भ्रष्टाचार, अबकी बार भाजपा सरकार' और जब भाजपा की सरकार बन गयी तो मान्यवर, गुण्डाराज में दो गुना से ज्यादा वृद्धि हो गयी, भ्रष्टाचार में भी बड़े पैमाने पर विशेष कर जो कानून-व्यवस्था की हिफाजत करने वाली संस्थाएं हैं, उनमें भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया है। कोई भी सदस्य, मान्यवर, कहने के लिए सदन में कुछ भी कहे, लेकिन पुलिस जो अपराध को नियंत्रित करती है, उस महकमे में किसी भी थाने में, किसी भी स्तर पर, प्रदेश का कोई भी जिला हो, जो पुलिस के भ्रष्टाचार थे, वह कई गुना बढ़े हैं और उसी का परिणाम है कि कानून-व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है। मान्यवर, आज जहां 2009, 2010 और 2011 में अपराध की श्रेणी में जो भारत सरकार का नेशनल क्राइम ब्यूरो है, उसके अनुसार अपराध के डर के हिसाब से उत्तर प्रदेश का 34वां स्थान था, आज वह 22वां हो गया है। मैं उदाहरण के रूप में कह रहा हूं, जो आपने नारा दिया था, उसके परिप्रेक्ष्य में विचार करने की जरूरत है कि 2009, 2010 और 2011 में अपराध-दर के हिसाब से हमारा 34वां स्थान था, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और आज 22वां स्थान है। मान्यवर, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार में महिलाओं के प्रति जो सरकारी आंकड़े हैं, जो पुलिस विभाग का आंकड़ा है, उस आंकड़े के अनुसार 18 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो आंकड़ा दिया है, वेबसाइट का उसके अनुसार तो और वृद्धि है लेकिन जो पुलिस महकमे का आंकड़ा है, उसके अनुसार अपहरण में 10 परसेण्ट के करीब इजाफा, छेड़खानी में 20 परसेण्ट के करीब इजाफा, महिला उत्पीड़न में करीब 07 प्रतिशत इजाफा तो इस तरह से मान्यवर, जो पुलिस विभाग का रिकार्ड है, उसके अनुसार यह इजाफा हुआ है। मान्यवर, और तो और बात छोड़िए, जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कई बार इसी सदन में कहा कि अपराधियों का खैर नहीं और बड़े पैमाने पर इनकाउण्टर का अभियान चलाया गया और उस इनकाउण्टर का परिणाम हुआ कि जो पहले गुण्डा, बदमाश या डकैत भयभीत रहता था, कम से कम विधान सभा के जोन में, उस जोन में ही मान्यवर, अभी जल्दी ही जिसका जिक्र माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने किया कि इसी जुलाई माह में ही राजभवन के सामने बैंक की कैश वैन को लूट लिया गया, बहराइच में सर्राफा व्यापारी का साढ़े दस लाख रूपया लूट लिया गया, कानपुर में पुलिस चौकी के पास बम फेंक कर बैंक से लूटे साढ़े चार लाख रूपया यानी इस तरह से केवल कम दिनों में इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और सरकार का कहना है कि अपराधी कोई यहां रहने नहीं पायेगा, कोई नहीं होगा, मान्यवर, इसका परिणाम क्या हुआ ? निश्चित रूप में मेरा यह मानना है कि अगर अपराध को वास्तव में रोकना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरत है, इच्छा-शक्ति की और जब अपने और गैर की पहचान होगी कि अपने लोग कानून का उल्लंघन करें, अपराध करें और आप उन्हें बचायेंगे तो अपराध को नियंत्रित नहीं कर पायेंगे और इसीलिए मान्यवर, 15 जून से 30 जून, 2018 तक अपराधियों ने 192 निर्दोष लोगों की हत्या की। 01 जनवरी से 30 जून, 2017 तक 2212 मामले सामने आए थे हत्या के, मान्यवर, इस तरह से बड़े पैमाने पर आज इलाहाबाद हो, रायबरेली हो, चाहे फूलपुर हो, हर जगह बड़े-बड़े लोगों की, जिन्हें सुरक्षा भी मिली है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। 15 जून से 30 जून तक 152 लूट की वारदातें हुई हैं जो इस बात का परिचायक है कि इस प्रदेश में आज कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो गयी है।

सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और मनमाने ढंग से अपराधी अपराध कर रहे हैं। अभी कल की घटना जिसका जिक्र मा0 नेता प्रतिपक्ष ने किया कुलदीप यादव जी की हत्या वह भी इसी का परिचायक है। मान्यवर निश्चित रूप से अपराधियों को सत्तापक्ष के माध्यम से जो संरक्षण मिल रहा है उसके परिणामस्वरूप अपराध बड़े पैमाने पर बढ़े हैं। महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ा है वह भी आपके सामने है मान्यवर। कोई भी दिन ऐसा नहीं मिलता कि पूरा का पूरा अखबार का कई-कई पेज चाहे वह नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाओं से उनकी हत्या से संबंधित प्रकरण से भरी न रहती हो या हत्या से भरी ना रहती हो। इसलिए मान्यवर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हैं और मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा मान्यवर आपको टोकने की आवश्यकता नहीं है मान्यवर। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार कितना भी दम भरे निश्चित रूप से इसको रोक पाने में पूरी तरह से असफल हुई है और उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि अपराधियों का संरक्षण सत्ता पक्ष से मिल रहा है जिसके कारण अपराधी निश्चित रूप से निरंकुश होकर अपराध करने का काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर विस्तृत चर्चा हो। कैसे अपराधों पर नियंत्रण हो। कैसे देश भर में राज्यों में हमारे राज्य की जो हमारी अपराध दर है वह घटे उसके लिए क्या तरीका अपनाया जाए। निश्चित रूप से हमने उस बात को करके दिखाया था मान्यवर और उसी के परिणामस्वरूप हम 34वें नम्बर पर थे। और 11वें नम्बर पर हैं। लेकिन हमारा स्थान पुनः बढ़ा है। इसका परिणाम उसका कारण यही है कि अपराध बढ़े हैं। हम उसके लिए क्या तरीका अपनावें इस पर बहस होनी चाहिए। मान्यवर, केवल एक पार्टी विशेष का मामला यह सत्ता पक्ष का मामला नहीं है अपराध रोकने का सभी लोगों की जिम्मेदारी है और प्रदेश का विकास ही इसी पर निहित है। अगर गुंडा राज रहेगा तो प्रदेश का विकास नहीं होगा मान्यवर। आज भारतीय जनता पार्टी के बहुत से बड़े-बड़े नेता अपना झण्डा लिये रहते हैं और केवल जमीन कब्जा कराने में लगे हुए हैं। मान्यवर, इसलिए मैं चाहुंगा कि इसको आप इसे ग्राहय कर लें और इस पर कम से कम एक दिन की चर्चा स्वीकृत कर लें। सुबह से पांच घण्टे की कम से कम चर्चा हो इस पर विस्तार से चर्चा होकर और इसका समाधान हो। इसलिए कि प्रदेश का विकास अगर संभव है, तो केवल कानून व्यवस्था की हिफाजत से संभव है और आज कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अपराध दोगुना, तीन गुना बढ़ रहे हैं उसको रोका जाना आवश्यक है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी आज उत्तर प्रदेश जो उत्तम प्रदेश कहलाने के बजाय अपराध के प्रदेश के रूप में तब्दील हो गया है। अपराधी बेखौंफ हैं। अपराधियों का चारागाह बना है उत्तर प्रदेश कानून से एतबार समाप्त हो गया है। और जिस तेजी के साथ अपराध का ग्राफ बढ़ा है आज उत्तर प्रदेश में अगर कहा जाए जंगल राज कायम है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। महोदय, अभी कोई बहुत दिनों की घटना नहीं है परसों की घटना है मा0 मुख्य मंत्री जी के प्रिय क्षेत्र गोरखपुर में रेलवे स्टेशन से एक लड़की को अगवा करके रेल के डिब्बे में ले जाकर वहां के रेलवे कर्मचारी और कंडक्टर द्वारा उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। यह कितने खेद का विषय है कि अभी मेरठ में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के विरोध में उसके ऊपर केरोसिन का तेल डालकर उसको जिन्दा जला दिया गया। अध्यक्ष जी, अभी कुछ दिन पहले की जनपद कुशीनगर की दो-तीन घटनाओं की तरफ मैं

आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। दिन दहाड़े एक व्यापारी जो अपनी दुकान से घर की तरफ जाता है। तमकुहीराज से तमकुही रोड की तरफ रास्ते में घात लगाए लोग उसके ऊपर गोली चलाते हैं, उसका बैग लूटते हैं, उसकी मोटर साइकिल लूटते हैं, उसका पैसा लूटते हैं और उसके गले की चेन छीन लेने का काम भी करते हैं। इतना ही नहीं उसी दिन दो व्यापारी धुलिया बाजार से सेंवरही आते हैं तो सुमई सन्त पट्टी में उन दोनों व्यापारियों को मारपीट कर उनकी मोटर साइकिलें छीन ली जाती हैं, उनसे पैसा छीन लिया जाता है और लूट की घटना की जाती है। चोरी की दो-तीन घटनाएं मैं आपके प्रकाश में लाऊं। तमकुही रोड बाजार में एक मोबाइल सेण्टर की दुकान में चोरी होती है। चोर का चेहरा स्पष्ट तौर से सामने आता है, सी0सी0टी0वी0 कैमरे में कैद हो जाता है और उस मोबाइल फुटेज पर चोर का चेहरा सामने आने के बाद आज तीन महीने बीत गए लेकिन वही चोर इतनी जुर्रत करता है कि दो दिन के बाद तमकुहीराज में एक मोबाइल सेण्टर की दुकान में चोरी करता है। उसका चेहरा सी0सी0टी0वी0 कैमरे की फुटेज में आता है फिर भी उस चोर को पकड़ा नहीं जाता। आप देखिए कि वही चोर कितना दुस्साहस करता है कि तीन दिन बाद सलेमगढ़ में एक मोबाइल सेण्टर की दुकान में फिर चोरी करता है और जब उसका चेहरा प्रकाशित हो जाता है तो उस मोबाइल की दुकान के सी0सी0टी0वी0 कैमरे को ही खोल ले जाता है। चार दिन बाद फिर वही चोर एक जुर्रत करता है और पंजाब नेशनल बैंक, सलेमगढ़ में रात को डकैती करता है और पुलिस आज तक उस चोर को पकड़ पाने में सक्षम साबित नहीं हो पाई। अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एण्टी रोमियो दल और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था लेकिन बेटियों के साथ आज बहुत अत्याचार हो रहे हैं। देवरिया की घटना मा0 मुख्य मंत्री जी के गृह मण्डल की घटना है। इतनी बड़ी घटना सामने आई और सम्मानित हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर से कहा कि एस0आई0टी0 की जांच पर हमें सन्देह है। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम सी0बी0आई0 जांच की घोषणा करते हैं लेकिन उसके बाद भी आज तक सी0बी0आई0 की जांच शुरू नहीं हो पाई। पूरा उत्तर प्रदेश शर्मसार हुआ, कलंकित हुआ। वह संस्था जहां अनाथ बच्चियां निवास करती थीं, रहती थीं, जिस संस्था की डेढ़ साल पहले मान्यता निरस्त कर दी गई, जिस दिन यह मामला पकड़ा गया उसके तीन दिन पहले तक वहां लड़कियों को सुपुर्द करने का काम किया गया। अगर उस संस्था की मान्यता रद्द थी तो किस आधार पर उस संस्था के बैनर तले सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम किया गया। बाकायदा प्रभारी मंत्री, काबीना मंत्री और तमाम विधायक लोगों ने पुलिस लाइन में सरेआम उसी संस्था के बैनर तले शादी-विवाह कार्यक्रम का आयोजन कराने का काम किया। इतना ही नहीं अध्यक्ष जी, वह महिला तमाम कार्यक्रमों में तमाम समितियों की सदस्य थी। चाहे जिलों की बैठक होती थी, चाहे गोरखपुर मण्डल की किसी भी जगह पर बैठक होती थी तो उस महिला को ससम्मान उस समिति के सदस्य के तौर पर बैठाने का काम किया जाता था। अध्यक्ष जी, प्रदेश के अपराधों के क्रम में मैं आपको कुछ और बता दूं। मैं केवल गोरखपुर मण्डल की कुछ घटनाएं आपको बता दूं क्योंकि मा0 मुख्य मंत्री जी हर तीसरे दिन गोरखपुर जाते ही हैं इसलिए गोरखपुर की घटना बताना बहुत जरूरी है। गोरखपुर मण्डल का यह हाल है और मैं अभी केवल गोरखपुर मण्डल के गोरखपुर में वर्ष 2017-2018 तक की चोरी की घटनाएं ही बता रहा हूं। चोरी की घटनायें 542 गोरखपुर में, देवरिया में 64, कुशीनगर में 301 महाराजगंज में 50 इस तरह से कुल 957 घटनाएं हुईं। डकैती की घटनाएं 2 गोरखपुर में, देवरिया में 2, कुशीनगर में 3, महाराजगंज में 3 इस तरह से कुल 10 हुईं। हत्या की घटनायें गोरखपुर में 139, देवरिया में 43, 43 कुशीनगर

और 25 महाराजगंज में कुल 250 हुईं हैं। अपहरण 739 गोरखपुर में, 193 देवरिया में, 265 कुशीनगर में, महाराजगंज में 21 इस तरह से टोटल 1218 हुए। बलात्कार के मामले 177 गोरखपुर में, 35 देवरिया में, कुशीनगर में 50, और महाराजगंज में 4 इस तरह से कुल 266 हुये। यानि गोरखपुर मण्डल में प्रत्येक 11 घंटे में एक अपहरण, 52 घंटे में एक हत्या, 14 घंटे में एक चोरी और 50 घंटे में एक बलात्कार की घटना घटी।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त कीजिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी हमें कम से कम 5-7 मिनट तो दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आप बड़ी देर से बोल रहे हैं। आप भूल गए हैं आपने घड़ी नहीं देखी है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अगर देखा जाए तो जिस तेजी के साथ अपराध का ग्राफ बढ़ा है, यह मेरा आंकड़ा नहीं है। यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर लोडेड है। केवल महिलाओं के संबंधित आंकड़े मैं बता रहा हूं 16 मार्च, 2016 से 30 जून, 2016 तथा 16 मार्च, 2018 से 30 जून, 2018 तक शील भंग के 11335 मामले वर्ष 2016 में तथा 17249 मामले वर्ष 2018 में हुए हैं। बलात्कार के मामले 16 मार्च से 30 जून, 2018 तक 5600 तक पहुंच गया है। दहेज हत्या/उत्पीड़न में 2473 तथा 16 मार्च से 30 जून, 2018 को 3435, उत्पीड़न और अपराध के कुल मामले 49262 तथा 76416 वर्ष 2018 में माननीय अध्यक्ष जी, महिलाओं के प्रति हिंसा के मामलों में कुल 37 प्रतिशत की रिकार्ड तोड़ वृद्धि हुई है। अध्यक्ष जी बार-बार मुख्य मंत्री जी बड़े दंभ के साथ कहते हैं आधे अपराधी या तो जेल में हैं या आधे अपराधी प्रदेश से भाग गए हैं। मुझे असरानी का शोले फिल्म का डायलॉग याद आता है कि आधे इधर आओ, आधे मेरे पीछे आओ और बाकी सब मेरे साथ चलो यानि अध्यक्ष जी, जब आधे अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए और आधे अपराधी जेल में हैं तो फिर ये अपराधी कहां से आ गए। इसको माननीय मुख्य मंत्री जी को जरूर बताना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि एक बात के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि पुलिस भी आज अराजकता में किस तरह से शामिल है उदाहरण के साथ बात करूँगा।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें, बहुत समय हो गया है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

बस एक मिनट में खत्म कर देते हैं। गोरखनाथ मंदिर के प्रति हमारी भी श्रद्धा और आस्था है उसके सामने एक मुरारी वर्मा जी की बहुत अच्छी दुकान है। बहुत सामान्य, वह सिम्पल व्यक्ति हैं उनकी मंदिर के प्रति भी आस्था है और महाराज जी के प्रति भी आस्था है। उस आदमी से गोरखनाथ के एक दरोगा ने जाकर कहा कि सोने की चैन दे दीजिए। उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे। उस दरोगा

ने कहा कि सेठ जी सोच लीजिएगा कि आने वाले समय में क्या होगा। अध्यक्ष जी उनका चैन न देना ही कितना खतरनाक हो गया। एक दिन वह दरोगा एक चोर को पकड़कर ले आया और पूछा तुमने सोने की चैन कहां से खरीदी थी, उसने कहा यहीं से खरीदा था। मुरारी जी को जबरदस्ती घसीटते हुए ले जाकर थाने में बंद कर दिया जाता है। बेचारे 70 साल के व्यक्ति जेल जाते हैं, जेल से जैसे ही छूटकर आते हैं उस पुलिस का प्रभाव देखिए कि पुलिस वालों ने और सी0ओ0 ने उनके ऊपर गैंगस्टर लगा देते हैं और गैंगस्टर में उनको फिर जेल भेज दिया जाता है। एक सामान्य व्यक्ति, वर्मा परिवार का व्यक्ति उसको जेल भेज दिया जाता है इस तरह पुलिस भी अपराध में लिप्त है। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे प्रकरणों की न्यायिक जांच होनी चाहिए और पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी मेरी आपसे मांग है। इतना लंबी पोथा है चूंकि नेता प्रतिपक्ष ने और नेता बहुजन समाज पार्टी ने पहले ही सारी बात कह दी है इनकी बातों पर बल देते हुए महोदय मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूँगा कि पिछले सत्र में भी चर्चा नहीं हो पाई थी। इस सत्र में इस पर पूरा दिन चर्चा हो चूंकि कानून-व्यवस्था से जुड़ा प्रत्येक जनप्रतिनिधि का मामला है और सारे लोग अपनी-अपनी बातों को यहां रखना चाहते हैं इसलिए मैं आपसे चर्चा की मांग करना चाहता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, एक घण्टे तक अभी ग्राह्यता के ऊपर हमारे सम्माननीय नेता विरोधी दल, सम्माननीय नेता बसपा, सम्माननीय नेता कांग्रेस ने अपने विचार रखे बल्कि 1 घण्टा 15 मिनट तक, 1 बजकर 20 मिनट से बोलना शुरू किया था। माननीय नेता विरोधी दल तो पता नहीं कहां से अखबार की रद्दी ले आए और उसके पुराने आंकड़े पढ़ दिए। माननीय अध्यक्ष जी, नियम-56 की अगर ग्राह्यता देख लें कि एक घटना सुनिश्चित हो, तात्कालिक हो और लोकमहत्व की हो। इन्होंने आज नियम-56 की नई परिभाषा गढ़ी है इसके लिए मैं माननीय नेता विरोधी दल को बधाई देना चाहता हूं। इनको बधाई इसलिए दे दें कि नयी परम्परा डाल रहे हैं। सवाल यह है कि नियम-56 के तहत आप बोल रहे हैं और नियमों से, कानून से कोई वास्ता नहीं है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आपकी सूचना नियम-56 में तो अग्राह्य होने लायक है लेकिन जो कुछ आपने कहा है, जो यहां असत्य विलाप किया उसका जवाब हम जरूर देना चाहेंगे। मान्यवर, पता नहीं कहां की वेबसाइट और कहां का सोशल मीडिया देख आए जो कहीं पर नहीं है उसको पढ़ा। यह मेरे पास अधिकृत है, मैं किताब लेकर आया हूं जिसमें बड़े अपराध भी हैं उसे हम स्वीकार भी करेंगे लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि यह सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है या जो गमज़दा हैं, परेशान हैं या सताए गए हैं जिनके साथ अपराध हुआ उनके साथ खड़ी है। जितने लोगों ने बताया यह तो बताया कि घटनाएं हुईं हैं लेकिन यह नहीं बताया कि घटना के बाद उस अपराधी का हश्र क्या हुआ। उस अपराधी का हश्र भी बता देते तो कम से कम मालूम हो जाता। हमने यह कभी नहीं कहा कि अपराध जीरो हो जाएंगे। थाने, सी0ओ0, ए0एस0पी0 से लेकर डी0जी0पी0 तक की पोस्टिंग इसीलिए हुई कि जब कभी उधर बैठे हुए लोगों के समर्थन में लोग अपराध करें तो कम से कम हमारे लोग उस पर मुस्तैदी के साथ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। इसलिए इन लोगों को तैनात किया गया है। 01-01-18 से 31-07-18 तक 2016 में डकैती 149 थी वर्ष 2017 में 151 और वर्ष 2018 में अभी तक 94 हैं जिसमें 37.75 प्रतिशत की गिरावट आयी है। लूट, पिछले वर्ष 2017 में 2460 हुई थीं 1986 इस बार

हैं। हत्या, 2562 पिछले वर्ष हुई थी और वर्ष 2018 में अभी तक 2505 हुई हैं। बलवा, पिछले वर्ष 5505 रिकार्ड हुए थे और इस वर्ष 5077 हैं। मान्यवर, मैं इनको यह भेज दूंगा यह मेरे घर पर नहीं बनी है। गृहभेदन, पिछले वर्ष 5461 थे इस बार 4723 हैं। दहेज मृत्यु में आपकी बात सही है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

सोर्स मैनें जो बताया यू0पी0 लेजिस्लेटिव असेम्बली वेबसाइट उसको पढ़ लीजिये। जो मैं पढ़ के बताया हूं। आप किस वेबसाइट से ले आये हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह अधिकृत है और यह गृह विभाग का अधिकृत आंकड़ा है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जहां से हमने पढ़कर बताया 2016, 2017, 2018 का। मंत्री जी तो गलत बता रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अरे अब क्यों दुहरा रहे हैं। टाइम खराब कर रहे हैं, आप बैठिये।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी को बोल लेने दीजिये। उनका विषय आ जाने दीजिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

पता नहीं कहां से बोल रहे हैं। हर विषय को नकार देना यह उचित नहीं है। जो प्रमाणिक है उसे भी नकार देना। अगर विधान सभा की वेबसाइट गलत है तो माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों के यहां बैठने का क्या औचित्य है।

श्री अध्यक्ष-

एक स्रोत आप बता रहे हैं, एक स्रोत वह बता रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, दहेज मृत्यु में इजाफा हुआ है पिछले साल 1449 थी इस बार 1498 है इसमें वृद्धि हुयी है यह हम स्वीकार करते हैं। आपके जमाने में 1518 थी 2016 में। यह हम 7 महीने का आकंड़ा बता रहे हैं।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा टोकाटाकी किये जाने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग जब बोल रहे थे तो इधर से हस्तक्षेप नहीं हुआ। अब जब वह बोल रहे हैं तो उनकी बात भी पूरी आ जाने दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हम तो आपकी बात बहुत ध्यान से सुनते रहे। जो कुछ आपने कहा उसमें हमने तो टोका नहीं। अब आप कृपया यह भी सुन लें कि आपके जमाने में दहेज मृत्यु 1518 एक जनवरी से 31 जुलाई 2016 तक में। जबकि 2017 में 1449 थी इसी पीरियड में और इसी पीरियड में इस साल के 1498 हुयी। यानि 2017 से इस वर्ष कुछ ज्यादा दहेज मृत्यु हुयी है। बलात्कार की घटनायें मान्यवर, इसी पीरियड में 2614 थी और इस बार 2444 हैं 01-1-2017 से 31 जुलाई 2017 तक। तो कुल मिलाकर चाहे बलात्कार हो, चाहे डकैती हो, चाहे लूट हो, चाहे हत्या हो मान्यवर इस सबमें

गिरावट आई है। फिरौती वाले जो अपराध हैं उसमें आपके पीरियड में 2016 में 33 थे और इसमें 21 हैं। आपने नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की बात कही।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मैनें विधान सभा की वेबसाइट की बात की।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर कोई व्यक्ति बहुत जोर-जोर से चिल्लाने लगे तो यह नहीं माना जाना चाहिये कि उसकी बात सही है। यह जोर-जोर से वही लोग चिल्लाते हैं जिनके मैटर में तथ्य नहीं होते। जोर से बोलने का मतलब बात सही नहीं हो जाती। माननीय नेता विरोधी दल बहुत जिम्मेदार पद पर बैठे हैं और मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया करके इसको आप देख जरूर लें। पुरानी अखबार की रद्दी अगर आप निकालकर देखेंगे तो बड़ी ज्यादती सरकार के संग भी होगी और आप अपने संग भी ज्यादती करेंगे। मान्यवर, हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि घटनायें तो होती हैं और हर सरकार में होती हैं, लेकिन हम अपराधियों के साथ नहीं खड़े हैं। हम पूरी तरीके से अपराधियों को नेस्तनाबूद करने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विश्वास रखते हैं और हर तरीके से इस सरकार ने कार्रवाई की है। मान्यवर, यह नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो का आंकड़ा है, हम आपको इसकी कॉपी अभी भेजे देते हैं। मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश की वर्षवार स्थिति बताये देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैं एक वाक्य आपके संतोष के लिए कह दूं, फिर आप बोलिये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की सरकार की तरफ से जो आंकड़े आ रहे हैं, वह इस सदन में रखे जा रहे हैं और सदन की प्रापर्टी हैं। सरकार हमेशा अपनी पत्रावली से बोलती है, परिपाटी है, आप सब भी मंत्री रहे हैं, जो अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं, तो अगर उनके द्वारा दिये गये किसी आंकड़े में कोई गड़बड़ी होगी तो निश्चित रूप से यह एक दोषपूर्ण कार्रवाई के लिए अधिकारी उत्तरदायी होगें। जहां तक माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो स्रोत बताया है, वह बताया है कि यू0पी0 एसेम्बली की वेबसाइट है। यू0पी0 एसेम्बली की वेबसाइट में गृह विभाग से प्राप्त आंकड़े सम्भवतः, मैं सम्भवतः इसलिए लगा रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम कि यू0पी0 एसेम्बली की वेबसाइट में इस तरह के आंकड़े होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन कोई भी सरकार हो, आप भी जब मंत्री रहे, जब आप कभी हाउस में बोले हैं, तो अपने अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत पत्रावली के आधार पर ही हम लोग बोलते रहे हैं, जब मंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधान सभा की वेबसाइट पर आपराधिक आंकड़े होते हैं कि नहीं होते हैं, सम्भवतः पुस्तकालय में होते हों, कहीं से प्राप्त हुये हों, तो मेरा आपसे आग्रह है कि इनकी पूरी बात सुन ली जाये, आप बोलिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अगर आप चाहे तो मैं आपको यह भेज दूंगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, इस सदन के नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया है, वही आपकी वेबसाइट पर है। हमने भी नेट से निकाला है। योगी आदित्यनाथ जी के इस पर साइन हैं।

श्री अध्यक्ष-

क्या उनके द्वारा जारी बयान हैं कि हमारी एसेम्बली ने कोई कलेक्शन किया है, आप अपनी बात कह लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो कुछ भी कहा है, मैं आपको यह भेज दूंगा, आप इससे देख लें, मैंने इसी के आधार पर कहा है, मेरे पास कोई घर पर आंकड़े नहीं बनते हैं। इसी के आधार पर कहा है, यह मेरे सामने है, अगर आप कहेंगे तो दोबारा हम पढ़ देंगे। मान्यवर, अब नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की बात सुन लें, यह 2015, 2016 और 2017 का है, अभी 2018 का उसमें फीड नहीं हुआ है। 2017 तक के आंकड़े फीड हैं, यह हमारे सामने है, हम इसकी कॉपी आपको भेजे देते हैं। 2015 में मर्डर हुए 4732, 2016 में हुए 4889 और 2017 में 4324 हुए। इसमें रेट में 1.9 की गिरावट आई। उसके बाद डकैती में 2015 में 277, 2016 में 284 और 2017 में 248 हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

जिसमें बढ़ा है वह भी बता दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जो बढ़ेगा वह बता देंगे, दहेज मृत्यु में बढ़ा था, हमने आपको बता दिया। रॉबरी में 2016 में 4502, 2015 में 3637 और 2017 में 4089, यह रॉबरी की स्थिति है, इसमें 1.8 की गिरावट है। मान्यवर, 2015 में बगलेरी में बढ़ा है। इसमें 7503 वर्ष 2016 में हैं और 9272 केसेज बगलेरी के 2017 में।

श्री राकेश सिंह-

बगलेरी क्या होता है हम समझ नहीं पाये हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

बगलेरी नहीं समझते।

सत्ता पक्ष की ओर से-

बगलेरी का मतलब चोरी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

रेप के बता देते हैं, वर्ष 2015 में 3025, 2016 में 4816, 2017 में 4246, 2015 में इसमें 4.1 परसेंट। टोटल अगेंस्ट वूमेन महिलाओं के अगेंस्ट अपराध हैं 2017 में 49262 और 2017 में 49890 इसमें अपराधे बढ़े हैं। टोटल जो है, आई0पी0सी0 में अपराध टोटल में डिफरेंट पोजीशन है, इसमें अपराध बढ़े हैं यह हम आपको बताये देते हैं 2 लाख 82 हजार 171 और 3 लाख 10 हजार 84। कुल मिलाकर सरकार का पब्लिक परसेप्शन क्या है ?

विपक्ष की ओर से-

गुण्डाराज, जंगलराज।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जितने भी हमारे त्यौहार हुए, जितने मेले हुए और जितने बड़े-बड़े अकेजन हुए वह सब शान्तिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुए उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आया। यह पब्लिक परसेप्शन है कि समाजवादी पार्टी की सरकार से इस सरकार में एक हजार गुना कानून-व्यवस्था बेहतर है और सरकार ने हर कदम के ऊपर इस बात की कोशिश की कि हम अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करें। अभी जितना-जितना ये बता रहे थे कि यहां पर इतने लोगों का एनकाउंटर कर दिया, एनकाउंटर तो मान्यवर, जब पुलिस के ऊपर कोई गोली चलायेगा, जब पुलिस के साथ मुठभेड़ करेगा तो पुलिस अपने बचाव, रक्षा में उसके पास जितने विकल्प हैं उनका इस्तेमाल करेगी लेकिन उसके पीछे जानबूझ कर एनकाउंटर करने की कोई नीति नहीं है। हमने अपराधियों के खिलाफ किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई करने में कोई चूक नहीं की। आपने दो घटनाएं यहां पर बताईं श्रीमान लल्लू जी ने एक देवरिया की घटना बताई। कल हम चाहते थे, नेता विरोधी दल ने आपके सामने कह दिया कि हमें बोलने नहीं दिया गया जबकि असलियत यह है कि ये लोग वेल में थे और आपने कई बार नाम पुकारा, सभी लोगों का नाम पुकारा, ये लोग जानबूझ कर उसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते थे। अगर पूरी देवरिया की घटना को देखें।

श्री अजय कुमार लल्लू-

चर्चा स्वीकार कर लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इनकी बात का जवाब देना जरूरी है, जिस संस्था के लिए आप बता रहे हैं कि इस संस्था के द्वारा बच्चों को इकट्ठा किया गया और बच्चों के साथ अत्याचार किया गया उस संस्था को मान्यता किसने दी। वर्ष 2009 में उन्होंने पंजीकरण के लिए आवेदन किया था और वर्ष 2012 में उनको मान्यता मिली। एडाप्शन की मान्यता 2014 में मिली। सरकार के संज्ञान में जैसे ही यह बात आयी, वैसे ही उनकी मान्यता को निरस्त किया गया और उनके खिलाफ मुकदमा भी कायम किया गया, उस आई0ओ0/थानेदार को भी सस्पेंड किया गया। मामला मुख्य मन्त्री जी के संज्ञान में आते ही उन सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और जेल भेज दिया गया।

(विपक्ष के कई सदस्यों के शोरगुल करने पर)

ग्राह्यता पर दो मिनट, पांच मिनट बोला जाता है आप लोग सवा घण्टे तक बोलते रहे, अब आप लोग जवाब भी सुन लीजिये। मान्यवर, जैसे ही पता चला, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक का तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरण कर दिया गया। जो लोग दोषी पाये गये, उनको सस्पेंड किया गया, डी0पी0ओ0 को सस्पेंड किया गया, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के खिलाफ प्रशासनिक जांच बैठा दी गयी, यहां तक की सी0बी0आई0 जांच के लिए भी संस्तुति कर दी गयी, ताकि इन लोगों को आरोप लगाने का मौका न मिले। सी0बी0आई0 दूध का दूध, पानी का पानी कर देगी। किसी भी दोषी को बचाने का हमारा इरादा नहीं है, जिन लोगों ने ऐसा जघन्य अपराध किया है वह लोग जेल में पहुँच गये हैं। जिन 18 थानों की बात कही जाती है, मान्यता निरस्त करने के पश्चात् उन 18 थानों की 121 लड़कियों/महिलाओं में से 120 लड़कियों/महिलाओं को उनके अभिभावकों के पास भेज दिया गया

है, केवल एक महिला की तस्दीक/पहचान होनी बाकी है, बाकी सभी लड़कियॉं/महिलाएं, जो अपने अभिभावक के पास जाना चाहती थी वह पहुँच गयी हैं। जितने लोग इसमें दोषी पाये गये हैं उन सभी लोगों के खिलाफ सजा की व्यवस्था कर दी गयी है और जब तक इस प्रकरण को सी0बी0आई0 टेकअप नहीं करती है तब तक के लिए एक एस0आई0टी0 की व्यवस्था कर दी गयी है। ए0डी0जी0/क्राइम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है जिसमें एस0पी0 स्तर की दो महिला अधिकारी हैं। सरकार की नीयत/मंशा साफ है। हम हर स्तर पर चाहते हैं कि कोई भी दोषी किसी प्रकार से बचने न पाये। हम आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि यही नहीं, किसी मामले में भी अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो उस पर निश्चित ही कार्रवाई की जायेगी। आप लोगों ने घटनाओं का जिक्र किया, लेकिन, यह नहीं बताया कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है ? हर मुकदमें में, हर मामले में जो भी घटनाएं इन्होंने बताई उसका पर्दाफाश भी किया गया है, कार्रवाई भी की गयी है। हम इस बात के लिए बचनबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं पूरे प्रदेश की 22 करोड़ जनता को हमने आश्वस्त किया है कि हम कानून-व्यवस्था के मामले में किसी से समझौता नहीं करेंगे, चाहे कोई व्यक्ति कितनी ही बड़ी पहुंच वाला हो, कितने ही बड़े पद पर बैठा हो, अगर वह भी किसी प्रकार का कोई अपराध करेगा तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसको सजा देने में हमारी कोई कोताही नहीं होगी। मान्यवर, नियम-56 में यह बात नहीं आती है, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, यह झूठ पढ़ रहे थे। केवल 02 अप्रैल, 2018 से 21 अगस्त, 2018 तक हत्याएं 89, बलात्कार एवं छेड़-छाड़ 116, डकैती, लूट-पाट, अपहरण एवं मार-पीट 173, ठगी-चोरी, साईबर क्राइम 22 हुई हैं। 02 अप्रैल, 2018 से 21 अगस्त, 2018 तक 400 घटनायें घटी हैं और कह रहे हैं कि अपराध कम हो रहा है। जहां तक देवरिया की बात कह रहे हैं तो कल जो मैंने आपको फोटो दिखलाया था उसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता उसके साथ खड़े हैं और उसको सम्मानित किया गया है। जो मान्यता की बात करते हैं तो कोई भी सरकार होगी अगर कोई संस्था खोलने के लिए प्रार्थना पत्र आयेगा तो वह देगा ही। यह कुकर्म तो आपके राज में हुआ, मान्यता देने वाले के राज में नहीं हुआ। यह कुकर्म अभी हुआ और एक ही में नहीं वाराणसी शेल्टर होम, हरदोई शेल्टर होम और प्रतापगढ़ शेल्टर होम में हुआ। यह कुकर्म तो आपके राज में हुआ है। (श्री सुरेश कुमार खन्ना के खड़े होने पर) संसदीय कार्य मंत्री जी फिर खड़े हो गये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

वाराणसी, हरदोई और प्रतापगढ़ की बात आपने कही लेकिन जहां-जहां भी सरकार के संज्ञान में आया वहां मुकदमा भी कायम हुआ और कार्रवाई भी हुई।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

यह तो आप कह चुके हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नहीं, यह भी आप बताया करिये कि ये-ये कार्रवाई हुई। हम आप लोगों की तरह अपराधियों के साथ नहीं खड़े होंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप अपराधियों के संरक्षक हैं, आप अपराधियों के साथ हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह पूरे प्रदेश की जनता को मालूम है कि हम अपराधियों के साथ खड़े होंगे या सताये हुये/पीड़ितों के साथ खड़े होंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब विषय आ गया है, समाप्त करिये।

श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय अध्यक्ष जी, कानून-व्यवस्था इतनी दुरुस्त है कि जेल में बन्द एक अपराधी मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या हो जाती है।

श्री अध्यक्ष-

यह सुनिश्चित नहीं है और एक सुनिश्चित विषय को लेकर आप लोग नहीं आये इसलिए यह नियम-56 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है अतः इसको अग्राह्य किया जाता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

एक महिला सिपाही से थाने में पुलिस रेप कर रही है, यह इनकी कानून-व्यवस्था की स्थिति है। संसदीय कार्य मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज में हत्या, डकैती, लूट, छिनैती, बलात्कार और महिलाओं का उत्पीड़न सौ से हजार गुना बढ़ गया है। कानून-व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि लोग थर्र-थर्र कांप रहे हैं, लोगों में दहशत है, कानून-व्यवस्था ध्वस्त है। कानून-व्यवस्था की ध्वस्त होती स्थिति के कारण सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री की गलत बयानी के विरोध में तथा कानून-व्यवस्था की बिगड़ती हालत को देखते हुए हम और हमारा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री राम गोविन्द चौधरी जी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिष्कार कर गये।)

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से अपराधियों के साथ खड़ी नजर आ रही है और इसीलिए हर मामले में अपराध बढ़ा है, इसको माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है। सरकार अपराधियों के साथ खड़ी नजर आ रही है सरकार के इस रवैये के विरोध में, कानून-व्यवस्था की ध्वस्त होती स्थिति के कारण चूंकि सरकार उस पर अंकुश नहीं लगा रही है, इसके विरोध में मैं अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री लाल जी वर्मा, नेता बहुजन समाज पार्टी अपने दल के माननीय सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले सालों के मुकाबले दहेज मृत्यु के अलावा हर क्षेत्र में अपराधों में कमी आयी है। ये लोग गलतबयानी करते हैं, सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है और जिन लोगों ने अपराध किया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और आगे भी होगी।

श्री अजय कुमार लल्लू-

अध्यक्ष जी, इस सरकार में न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद नहीं की जा रही है। जेल में पिस्टल पहुंचाकर, जेल में बन्द मुन्ना बजरंगी की हत्या करा दी जाती है। मुन्ना बजरंगी से हमारी कोई हमदर्दी नहीं है। आज जेल से लेकर पूरा प्रदेश असुरक्षित है, कानून का राज समाप्त हो गया है और इस सरकार से लोगों का एतबार समाप्त हो गया है। कांग्रेस पार्टी सरकार की इस गलत नीति, गलत व्यवस्था के चलते, कानून के राज को समाप्त करने को लेकर, जंगल राज के खिलाफ सदन से बर्हिगमन करती है।

(श्री अजय कुमार लल्लू अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बर्हिगमन कर गये।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सुखदेव राजभर जी आपकी नियम-56 में नोटिस है उस पर आप संक्षेप में अपनी बात रखिये।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, केवल दो मिनट का समय लूंगा। अध्यक्ष जी, पहले मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि एक महत्वपूर्ण सूचना को आपने स्वीकार किया और उस पर मुझे बोलने का अवसर दिया। यह घटना दर्दनाक है। 29 जुलाई को औराई थाना के अन्तर्गत समय आठ बजे जिसको संत रविदासनगर भदोही कहते हैं 500 मीटर की दूरी पर जी0टी0 रोड पर एक कार खड़ी थी और वह पता नहीं किसकी कार थी। वह कार लावारिस खड़ी थी उसकी वजह शायद यह थी कि वह गाड़ी बिगड़ गई थी और वह उसको छोड़कर चले गये थे। वहीं ठीक सामने रोड पर आशीष दुबे और अजय दुबे जो वहां के भूतपूर्व ब्लाक प्रमुख के बच्चे हैं। यह बच्चे उस गाड़ी को जो वहां लावारिस खड़ी थी वहां पर जाकर खड़े होकर उस गाड़ी को देख रहे थे। तब तक एक दरोगा जी ने जो भदोही एस0पी0 के पी0आर0ओ0 साहब हैं और वह पी0आर0ओ0 साहब का ऐसा अच्छा इतिहास भी है कि स्टिंग आपरेशन में एक बार जेल भी गये हैं। एक बार बलिया में जेल गये हैं और औराई थाने के अन्तर्गत भी जब जनता ने आन्दोलन किया था तब भी जेल गये हैं। वही दरोगा वहां पहुंच गये और उन बच्चों से कहने लगे कि तुम लोग की इस गाड़ी की वजह से यहां जाम लगा है और हमारी ड्यूटी लगाई गई है जाम को खोलने की। एस0पी0 साहब के पी0आर0ओ0 साहब कह रहे हैं कि हमारी ड्यूटी लगाई गई है इस जाम को हटवाने के लिये। उन बच्चों का कुछ लेना न देना दरोगा ने उनको लाठियों से मारना शुरू कर दिया। एक लड़का एम0बी0ए0 का छात्र है जिसकी उम्र 22 साल है और दूसरा लड़का रजत दूबे उसकी उम्र बीस साल है और वह बी0ए0 का छात्र है। दोनों बच्चों का कसूर सिर्फ इतना है कि वह पूछ रहे थे कि दरोगा जी आप मार क्यों रहे हैं। जितना बच्चे पूछते थे उतना वह दरोगा उन बच्चों को मारते थे। इनकी एक एफ0आई0आर0 जब दरोगा जी ने की तो उसमें लैंग्वेज ही यही है कि मेरी ड्यूटी लगाई गई थी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कि आप जा करके वहां जाम को खुलवायें। एस0पी0 के पी0आर0ओ0 की कभी ड्यूटी नहीं लगती कि वह जाकर जाम को हटवाये। वह तो बराबर एस0पी0 साहब के साथ रहता है। उस औराई थाने पर वह दरोगा भी नहीं है और इनका यही चाल-चलन है कि वह लूट-पाट करके उन बच्चों को मारे और बुरी तरह से मारा है। मेरे पास फोटो भी है मैं आपको दिखा दूंगा अध्यक्ष जी तो आपका दिल भी दहल जायेगा और माननीय

संसदीय कार्य मंत्री जी का भी। 20-22 साल के इन दोनों बच्चों को यह दरोगा पीटते रहे। यह बच्चे मेडिकल करवाने गये। मेडिकल कराकर जैसे ही थाने में पहुंच रहे हैं तब तक दरोगा भी वहां पहुंच गया और वहां पर थाने में जब इन बच्चों को बुरी तरह मारने लगा तो वहां थाने का स्टाफ कहने लगा कि क्यों दरोगा जी आखिर क्यों मार रहे हैं बच्चों को। इस थाने के दरोगा को भी हाथ पैर में चोट लग गयी उस दरोगा की लाठी से। दोनों बच्चों को मेडिकल के लिये पुलिस द्वारा भेजा गया। 17 चोटें तो श्रीमन् केवल आशीष दुबे को हैं। श्रीमन् यह हम नहीं बोल रहे मेडिकल रिपोर्ट बता रही है, यह मेरे पास है मैं आपको दिखा दूंगा। अंग्रेजों ने भी इतनी चोंटें हमारे शहीदों पर नहीं की होंगीं। 12 चोटें रजत दुबे को हैं जो 20 साल का है। इनके ऊपर मुकदमा तुरन्त दर्ज कर लिया उन्होंने। धारा-336, 347, 342, 353, 504, 506 कि चक्का जाम में घेरा चक्का जाम चला रहे थे। न ही किसी जनता को चोट आई न किसी दरोगा को चोट आई और दरोगा जी इन बच्चों को उठाकर ले गये और उसी रात चालान कर दिया। अन्तर कितना पड़ रहा है कि साढ़े आठ बजे सूचना हो जाती है और 22.36 पर इन्होंने एफ0आई0आर0 दर्ज की। बिफोर कैसे कर दिया। इसलिये मान्यवर, मैं इसको बहुत लम्बा चौड़ा न बताकर सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि दरोगा जी ने इन निर्दोषों की जिन्दगी खराब कर दी। न तो देश में नौकरी पा सकते हैं न विदेश में। एक एन0सी0आर0 को तो अगर वह पासपोर्ट बनवाना चाहे एक रिपोर्ट में उस पर भी आपत्ति हो जाती है कि आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। सर्विस में अगर एक बॉड भरेगा एक एन0सी0आर0 का तो यह तो काग्नीजेबुल आफेंस है, संगीन अपराध है चारों धाराएं लगाई हैं। इन बच्चों को यह दरोगा जी जिनका थोड़ा सा इतिहास बताया कि स्टिंग आपरेशन में जेल गये हैं, बलिया में जेल गये हैं और यह एस0पी0 साहब के पी0आर0ओ0 हैं। जो हमको पता चला है वहां पर लोगों का कहना है कि 8 बजे के बाद यह सड़कों पर निकल जाते हैं वसूली के लिये। वहां पर जहां पर जाम था वहां पर देखा इन्होंने इन बच्चों को। पंडित जी एक बहुत सज्जन व्यक्ति हैं वहां के पूर्व ब्लाक प्रमुख रहे हैं उनके यह दोनों बच्चे बी0ए0, एम0बी0ए0 के छात्र हैं। बच्चे अगर जाम लगाये थे तो कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। आज वह गाड़ी थाने में उठाकर ले गये हैं। पता नहीं किसकी गाड़ी है। जिस गाड़ी की वजह से बच्चों को इतनी लाठियां मारी गयी हैं उस गाड़ी का पता भी नहीं है। किसी दूसरे की गाड़ी है वहां बिगड़ गई तो वह उसको वहीं छोड़ कर चला गया होगा। इसलिये माननीय अध्यक्ष जी, बहुत लम्बा-चौड़ा न कहते हुए इतना ही कहूंगा कि मानवीय आधार पर इसको देखें। संसदीय कार्य मंत्री जी, उस दरोगा की, शासन से बहुत अच्छी रिपोर्ट आई होगी। इन बच्चों ने बड़ी उद्दडण्ता की दस बारह लड़कों ने जुटकर, ठेला चक्का जाम किया, सरकारी काम में व्यवधान डाला, एक अच्छी रिपोर्ट आपके पास आई होगी, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, आपसे तो बार-बार अनुरोध कर ही रहा हूं इन बच्चों की जिन्दगी बचा लें। यह जो बी0ए0 और एम0ए0 के छात्र हैं कभी जिन्दगी में 151/107 का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मान्यवर, इनके पिताजी जो दुबे जी ब्लाक प्रमुख हैं पूरा इतिहास पता लगा लें इनके खिलाफ कभी एक एफ0आई0आर0 तक दर्ज नहीं हुआ उस परिवार के लिए उन्होंने लिखा है कि आपराधिक प्रवृत्ति के बच्चे आ गए और इतनी उद्दडण्ता किए कि मजबूरन उनको लाठी चलानी पड़ गई। मैं मान्यवर, इसकी ग्राह्यता पर, इसकी चर्चा पर जो भी निर्णय लेंगे, लेकिन मैं इस पर यह चाहता हूं कि आप कुछ कर लें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बहुत निजी मत है यह सच्चाई है कि पुलिस का रवैया बिगड़ चुका है। इसी तरह से माननीय अध्यक्ष जी का स्टाफ है पी0ए0 है मौर्या,

मान्यवर, उसका दामाद मंजीत कुमार है बिजनेस करता है, दस लड़के मारके थाने में बैठाए थे, मुकदमा करके उसको जेल में भेज दिए हैं, वह जेल में पड़ा हुआ है। अभी इन्होंने बताया वर्मा जी हैं उनको दस मुकदमें में डाल दिया यह पुलिस की टेंडेन्सी को रोकने के लिए, कहीं न कहीं आपको निर्णय लेना पड़ेगा तब इनके हौसले रुकेंगे। तब इनको लगेगा गलत फंसाया है। निर्दोष लोगों को किसी मुकदमें में भर दो, आपको भी भर सकते हैं हमको भी भर सकते हैं, इतना डंडा और कलम इनके हाथ में दे दिया गया है। यह कुछ भी कर सकते हैं और हल्की हो जाएगी थोड़ी यह बात कहने में कि यू0पी0 पुलिस की तो वह हालत है कि एक बार नगर निगम में आवारा जानवर और कुत्ता, गधा को पकड़ कर बाहर भेजने की तैयारी थी उसमें ऊंट भी भाग रहा था सब जानवर भाग रहे थे तो कहा गया भइया, गधे कुत्ते, पकड़े जा रहे हैं ऊंट तुम क्यों जा रहे हो, अगर पुलिस तुमको गधा लिख देगी तो दस साल सिद्ध करने में लग जाएगा। तो इसी तरह से पुलिस अगर किसी केस में पन्द्रह साल को फंसा देगी तो उनकी जिन्दगी चौपट हो जाएगी। आज मानवीय आधार पर माननीय अध्यक्ष जी मैं बहुत अनुरोध के साथ कह रहा हूं, मैं बहुत प्रतिष्ठा नहीं बना रहा हूं कि इस पर चर्चा करावें या क्या करें। यह नोटिस मैं मानवीय आधार पर लाया हूं कि दो बच्चों की जिन्दगी दरोगा ने चौपट कर दिया जो भ्रष्टाचार में बराबर लिप्त रहता है। एस0पी0 साहब के पी0आर0ओ0 की कभी चक्का जाम में ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। अगर एस0पी0 साहब का पी0आर0ओ0 है तो किसने उसकी ड्यूटी लगाई। आप एफ0आई0आर0 पढ़ेंगे तो देखेंगे साफ लिखा है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने हमारी ड्यूटी लगवा दिया था चक्का जाम खुलवाने के लिए। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करुंगा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी चाहे समय ले लें लेकिन इस एफ0आई0आर0, इस मुकदमें को वापस कर लें। वरना यह पक्का है दोनों लड़कों की जिन्दगी चौपट हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष-

आपके वक्तव्य में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक यह कि सूचना थाने में जितने बजे दर्ज हुई एफ0आई0आर0 उसके पहले दर्ज हो गई। दूसरी बात यह है कि जो सब इंस्पेक्टर है वह कई बार गिरफ्तार हुआ है जेल गया है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस पूरे मामले को किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच करा लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर जो निर्देश हुआ है उसका अनुपालन करेंगे। माननीय राजभर जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं उन्होंने जिस उद्देश्य से जिस घटना का जिक्र किया है मान्यवर, हम आपके माध्यम से आश्वस्त करते हैं कि इसमें हम जांच भी करायेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इन लोगों के साथ न्याय हो।

श्री अध्यक्ष-

शेष सूचनायें अग्राह्य की गईं।

(मद संख्या-15 पुकारा गया)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, जो मद संख्या-23 है इसको हमने देखा नहीं यह तो एक तरह से विधेयक में संशोधन है।

श्री अध्यक्ष -

मद संख्या-15 संसदीय कार्य मंत्री जी आप रख दीजिएगा इसके बाद वर्मा जी की बात सुनते हैं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

एक सुझाव मा0 वर्मा जी का था।

आज की कार्य सूची में प्रस्तुत संशोधन विधेयक डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को अगले दिन लिये जाने की मांग

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मद संख्या-23 के विधेयक में संशोधन है। मैं यह चाहता हूं कि मद संख्या-23 कल ले ली जाए और इस पर पूरी चर्चा हो जाये। आज हम लोग देख नहीं पाये कि यह पारण है, इसलिए इसकी पूरी तैयारी नहीं है। यह महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं चाहूंगा कि इस पर कल चर्चा हो जाए और उसके बाद पारण ले लें। मद संख्या-23 और 24 कल ले लें यह हमारा अनुरोध है।

प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी")-

माननीय अध्यक्ष जी, यह विधेयक, 2015 में विधान मण्डल के प्रथम सत्र में पारित हुआ था। इसमें श्री राज्यपाल के कुछ सन्देश थे, उस पर एक समिति गठित हुई और उसने अपनी रिपोर्ट दी उसके आधार पर संशोधन है। यह कोई बड़े संशोधन नहीं हैं। एक-दो संशोधन हैं कि इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष और मुख्य सचिव दोनों थे। अब कुलाध्यक्ष श्री राज्यपाल होंगे, मुख्य यह संशोधन है। कोई बहुत बड़ा संशोधन नहीं है। मेरा आग्रह यह है कि इसको आज ही ले लें। पहले मा0 विधान मण्डल से यह पारित है।

---

† दिनांक 24 सितम्बर, 2018 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, उसी क्रम में जब आता है तो लेते हैं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद् वाराणसी विधेयक, 2018†

दुग्ध विकास, धर्मार्थ कार्य मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद् वाराणसी विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद् वाराणसी विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

श्री लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद् वाराणसी विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करता हूं।

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की सभा में कार्य करने के लिए पांच सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि ''यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को मा0 अध्यक्ष महोदय आदेश दें, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की सभा में कार्य

---

† दिनांक 24 सितम्बर, 2018 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 की मद (XV) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि ''यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष आदेश दें, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 की मद (XV) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करें।''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की सभा में कार्य करने के लिए विधान सभा के पांच सदस्यों के निर्वाचन कराने के स्थान पर मा0 अध्यक्ष द्वारा विधान सभा के सदस्यों का नाम निर्देशित करने के लिए प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि ''यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को मा0 अध्यक्ष महोदय आदेश दें, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 की मद (XV) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन कराए जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 28 अगस्त, 2018 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की सभा में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए पांच सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए तथा उसके बाद उपर्युक्त विश्वविद्यालय में आकस्मिक रिक्तियों की यदि कोई हो, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिए भी प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में सम्बंधित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत निर्वाचित समझे जाएंगे।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि ''यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 की मद (XV) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन कराए जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 28 अगस्त, 2018 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की सभा में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए पांच सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर अध्यक्ष, विधान सभा को विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए तथा उसके बाद उपर्युक्त विश्वविद्यालय में आकस्मिक रिक्तियों की यदि कोई हो, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को

नाम-निर्देशित करने के लिए भी प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य उक्त लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत निर्वाचित समझे जाएंगे।''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

आज की कार्य-सूची में प्रस्तुत विधेयक डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को दिनांक 30 अगस्त, 2018 को लिये जाने का प्रस्ताव

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसके बाद मद संख्या-23 है। इसमें मेरा एक आग्रह था।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी का आग्रह है तो आप भी बोल दीजिए।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, बिना तैयारी के बोलना अलग बात हुई। इसे पहले देख नहीं पाए थे यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है इसमें एक दिन में कोई व्यवधान तो हो नहीं रहा है। राज्यपाल का सन्देश किस मामले में आवश्यक है कितना पालन करना है नहीं करना है वह अलग विषय है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने एक बिन्दु उठाया था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ठीक है इसे परसों रख लें यानी 30 तारीख को।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण संशोधन है इस पर एक बहस हो जाए उसमें सभी सदस्य शामिल हो लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 30 तारीख को रख लें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी, इसमें आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ?

प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी')-

मान्यवर, इसमें कोई बहुत विशेष संशोधन नहीं है और आज एजेण्डे में भी इसकी पूरी डिटेल थी। इसमें आप जैसा भी आदेश करें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी भी कह चुके हैं इसलिये मद संख्या-23 व 24 को दिनांक 30-08-2018 की कार्य-सूची में रख लिया जाए। अब हम नियम-51 की सूचनाएं लेते हैं।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 28-08-2018 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 73 सूचनाएं प्राप्त हुयीं।

पहली सूचना श्री श्याम सुन्दर शर्मा की जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट के बेसिक शिक्षा विभाग के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

दूसरी सूचना श्री उज्जवल रमण सिंह की उ0प्र0 होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रदेश के बाहर से फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्र के आधार पर की गयी नियुक्तियों की जांच के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

तीसरी सूचना श्री अनुराग सिंह की है। (वह अनुपस्थित हैं।)

चौथी सूचना श्रीमती लीना तिवारी की जनपद जौनपुर में तहसील मडियाहूं में फर्जी निर्माण कार्यों की जांच कराये जाने के सन्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

पांचवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की जनपद अम्बेडकरनगर के तहसील भीटी में चकबन्दी प्रक्रिया कराये जाने के सन्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

छठी सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की जनपद कानपुर नगर में पौधारोपण की फर्जी आंकड़ेबाजी के सन्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

सातवीं सूचना श्री अनिल कुमार दोहरे की है। (वह अनुपस्थित हैं।)

आठवीं सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र फिरोजाबाद नगर के थाना रामगढ़ चौकी के जर्जर भवन के स्थान पर एक अत्याधुनिक प्रशासनिक भवन (मल्टीस्टोरी) का निर्माण एवं वर्तमान थाना भवन को चौकी के रूप में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

नवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा मोना की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास रजबहा की पटरी का चौड़ीकरण कराये जाने के सन्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

दसवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की उ0प्र0 में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्यरत संविदाकर्मियों के बकाये का भुगतान एवं नवीनीकरण किये जाने के सन्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

ग्यारहवीं सूचना श्री संजय गर्ग की है। (वह अनुपस्थित हैं।)

बारहवीं सूचना श्री रामनरेश अग्निहोत्री की है। (वह अनुपस्थित हैं।)

तेरहवीं सूचना डा0 डी0सी0 वर्मा की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज के अन्तर्गत बहने वाली पहाड़ी नदियों द्वारा किये जा रहे कटान को रोकने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

चौदहवीं सूचना श्री राम नरेश रावत की है। (वह अनुपस्थित हैं।)

पन्द्रहवीं सूचना श्री रमाशंकर सिंह की है। (वह अनुपस्थित हैं।)

सोलहवीं सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में तैनात कर्मचारियों की जांच कराये जाने के सन्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मा0 अध्यक्ष जी, कल नियम-51 के अन्तर्गत हमारी सूचना लगी थी, लेकिन संयोग से उस समय हम लोग चूंकि वेल में थे इसलिये आपने हमारी सूचना को अस्वीकार कर दिया था। क्योंकि यह बिजली के करेन्ट से मरे हुए लोगों का मामला है और जनहित से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिये मेरा अनुरोध है कि आज मेरी सूचना को ले लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री अध्यक्ष-

आप वेल में न जाया करें।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरी सूचना भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसे भी ले लीजिये।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

जिस क्रम में आगे सूचनाएं हैं मैं उसी क्रम में सूचनाएं ले लूंगा। अनुपस्थित मा0 सदस्यों की सूचनाएं निरस्त करते हुए जो उपस्थित मा0 सदस्य हैं उन्हीं में से आगे सूचनाएं ले लूंगा। मैं इसे देख लूंगा।

इसी क्रम में श्री नफीस अहमद की सूचना जो जनपद आजमगढ़ में तैनात सुश्री अर्चना सिंह, अर्थ एवं संख्या अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सन्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

श्री राम चन्द्र यादव की सूचना जो जनपद फैजाबाद वि0स0 क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत घाघरा नदी के किनारे निर्मित रौनाही तटबन्ध व पक्की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सन्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

श्री राजकुमार अग्रवाल की सूचना जो जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बालामऊ में आवास आवंटन में हो रही अनियमितता के सन्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

श्री अभिजीत सिंह सांगा की सूचना जो आवास एवं विकास परिषद द्वारा एल्डिको सौभाग्यम में अपार्टमेंट एक्ट का उल्लंघन कर आवंटियों द्वारा वसूली किये जाने के सन्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

श्री अजय कुमार लल्लू की सूचना जो जनपद कुशीनगर में विद्युत दुर्घटनाओं में मृतक परिवारीजनों को मुआवजा दिये जाने के सन्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की सूचना जो जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड अगौता में कतिपय मार्गों का निर्माण एवं जल निकासी की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सन्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

डा0 श्याम बिहारी लाल की सूचना जो जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर राजकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर एवं स्नातक में विज्ञान की कक्षायें प्रारम्भ कराये जाने के सन्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गईं :-

श्री अजय सिंह, श्री सूर्यभान सिंह, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री विनय शंकर तिवारी, श्रीमती बन्दना सिंह, श्री ममतेश शाक्य, श्री जटाशंकर त्रिपाठी, श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री राम प्रताप सिंह, श्री मसूद अख्तर, श्रीमती जय देवी, श्री असलम अली, श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री सीताराम वर्मा, श्री सत्यवीर त्यागी, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री राजीव तरारा, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री नन्द किशोर गुर्जर, श्री सतीश चन्द्र शर्मा, श्री केसर सिंह, डॉ0 अरूण कुमार, डॉ0 अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी, 'प्रिंस' वीर विक्रम सिंह, श्री पारसनाथ यादव, श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री मसूद अखतर, श्री हरीराम, श्री सुखदेव राजभर, श्री आजाद अरिमर्दन, डॉ0 हरगोविन्द भार्गव, मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री रितेश पाण्डेय, श्री उमाशंकर सिंह, श्री राम अचल राजभर, श्री आर0के0 सिंह पटेल, श्री रमेश चन्द्र मिश्रा, श्री बहोरन लाल मौर्या, श्री प्रमोद उटवाल, श्री कपिल अग्रवाल, सुश्री अदिति सिंह, श्री नाहिद हसन, श्री रवि सोनकर, श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री रोशन लाल वर्मा तथा श्रीमती सुनीता।

श्री अध्यक्ष-

अब हम कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 03 बज कर 28 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 28 अगस्त, 2018

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी-क

(देखिये अता0प्र0सं0 03 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-44 पर)

ए०बी०एम०पी०एस-2 रिपोर्ट (प्रदेश विभागवार)

माह: -समस्त-, वर्ष: -समस्त-

क्र० सं०	जनपद	कुल प्राप्त शिकायतें (संख्या)	कुल अंतरित शिकायतें (संख्या)	गलत पायी गयी	न्यायालय में विचाराधीन	समझौते के आधार पर निस्तारित	निस्तारित (संख्या) हटाए गए अतिक्रमण/ विधिक कार्यवाही	कुल निस्तारित	अतिक्रमण मुक्त क्षेत्रफल (है0 में)	दर्ज कराये गए राजस्व वाद	दर्ज कराये गए सिविल वाद	दर्ज कराई गयी एफ0 आई0 आर0	अवशेष शिकायतें (संख्या)	एक माह से अधिक लंबित शिकायतें (संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	अलीगढ़	2792	2792	256	25	0	1784	2744	434.4213	14	9	26	48	8
2	एटा	726	726	97	12	5	379	677	223.3146	10	2	20	43	13
3	कासगंज	1373	1373	40	147	1	791	1354	340.5017	142	4	12	19	4
4	हाथरस	2317	2317	92	190	0	1534	2298	247.6662	137	20	23	19	3
	अलीगढ़ मंडल योग	7208	7208	485	374	6	4388	7073	1245.9938	303	35	81	135	28
5	आगरा	1789	1789	224	11	4	1016	1749	213.8190	5	3	20	40	0
6	फिरोजाबाद	1950	1950	168	456	223	424	1871	268.6535	438	14	19	79	17
7	मथुरा	3145	3145	468	102	3	1728	3133	1361.8920	84	15	35	12	0
8	मैनपुरी	3079	3079	284	432	1	1486	3061	271.2831	370	61	22	18	7
	आगरा मंडल योग	9963	9963	1164	1063	231	4654	9814	2115.4476	897	94	96	149	24
9	आजमगढ़	4918	4913	523	64	83	3148	4851	1911.4597	33	7	114	67	14
10	बलिया	1413	1413	144	78	9	721	1384	83.3012	71	7	16	29	1
11	मऊ	500	500	175	1	9	31	474	575.0093	3	0	9	26	3
	आजमगढ़ मंडल योग	6831	6831	842	143	101	3900	6709	2569.7702	105	14	138	122	18
12	इलाहाबाद	3515	3515	808	103	806	790	3419	3096.5909	54	2	91	96	5
13	कौशाम्बी	4967	4967	234	229	11	2316	4919	320.1727	225	4	15	48	12
14	प्रतापगढ़	2854	2854	408	1163	16	690	2809	107.8879	1122	8	44	46	10
15	फतेहपुर	743	743	37	7	7	251	714	111.5345	2	2	13	29	1
	इलाहाबाद मंडल योग	12079	12079	1487	1502	840	4047	11860	3736.5860	1403	16	163	219	28
16	इटावा	1855	1855	177	49	8	1213	1832	280.4647	26	5	53	23	0
17	औरैया	1580	1580	115	92	60	1023	1535	286.8462	62	20	18	45	2
18	जालौन	1095	1095	109	14	1	619	1060	1565.5898	12	1	9	15	1
19	कानपुर देहात	8515	8515	44	353	296	4578	8133	296.2081	374	13	10	387	42

20	कानपुर शहर	2260		192	364	2	646	2558	394.0669	353	0	118	34	12
21	फर्रुखाबाद	5270		12	588	920	2669	15556	349.8972	572	9	24	15	0
	कानपुर मंडल योग	20575			1491	1289	11048	20061	3876.9929	1409	48	232	514	57
22	कुशी नगर	2134			50	3	1081	2103	348.3606	49	1	240	31	2
23	गोरखपुर	2085		311	144	9	1143	2033	103.0093	114	26	5	52	3
24	देवरिया	6595	6595	428	146	12	4570	6500	275.9242	117	17	24	89	4
25	महाराजगंज	647	647	75	92	9	228	020	47.6159	80	11	55	21	0
	गोरखपुर मंडल योग	11461	11461	944	432	33	7022	11208	774.9100	360	55	334	193	9
26	चित्रकूट	1376	1378	126	163	11	967	1373	1037.9490	160	3	3	3	0
27	बाँदा	1708	1708	174	37	5	1046	1683	79.5951	21	13	6	25	8
28	महोबा	1692	1692	61	51	10	1251	1680	204.1335	47	4	6	12	0
29	हमीरपुर	4840	4840	160	484	443	3543	4825	209.5898	60	23	27	15	0
	चित्रकूट मंडल योग	9616	9616	521	735	470	6607	9561	1431.2678	288	43	42	55	8
30	जालौन	2141	2141	101	607	5	601	2094	237.0040	591	16	5	47	21
31	झाँसी	3453	3453	137	238	4	2032	3425	619.4300	237	1	19	28	0
32	ललितपुर	2319	2319	128	512	49	1202	2276	1220.0349	506	2	63	43	0
	झाँसी मंडल योग	7913	7913	366	1357	58	3835	7795	2776.4689	1334	19	87	118	21
33	गोंडा	2381	2381	197	146	23	1371	2257	384.8378	145	1	122	114	52
34	बलरामपुर	815	815	88	49	8	286	766	744.2853	35	4	22	29	5
35	श्रावस्ती	1835	1835	239	150	12	710	1799	383.1292	141	4	47	36	6
36	बहराइच	2096	2096	50	14	7	1593	2081	185.0459	10	4	24	15	1
	देवीपाटन मंडल योग	7127	7127	584	359	50	3860	6933	1707.2982	331	13	215	194	64
37	अमेठी	2492	2492	99	20	28	1680	2469	1331.6616	11	9	58	23	0
38	अम्बेडकर नगर	2668	2668	748	122	15	643	2590	1150.0432	103	10	26	78	0
39	फैजाबाद	4612	4612	347	952	0	2523	4590	111.1884	907	27	193	22	0
40	बलरामपुर	4873	4873	87	1158	20	3107	4804	3386.7608	1135	17	44	69	15
41	सुल्तानपुर	1128	1128	84	55	4	397	1095	271.8843	34	13	1	33	7
	फैजाबाद मंडल योग	15773	15773	1365	2305	67	8350	15548	6251.5383	2190	76	322	225	22
42	पीलीभीत	5299	5299	138	711	18	4073	5287	853.8141	704	7	53	12	0
43	बदायूं	2066	2066	130	193	14	1362	2039	932.4583	190	3	54	27	0
44	बरेली	2700	2700	199	27	4	1986	2660	368.2226	12	8	5	40	12
45	शाहजहाँपुर	3423	3423	209	44	22	1725	3376	1301.6554	30	11	88	45	7
	बरेली मंडल योग	13488	13488	678	975	58	9146	13364	3453.8504	936	29	200	124	19
46	पीलीभीत	1585	1585	132	10	1	691	1549	450.6785	9	1	42	32	6
47	सत कबीर नगर	3188	3188	70	1027	145	1328	3164	118.1758	1024	0	9	24	4
48	सिद्धार्थ नगर	6251	6251	561	133	1	4349	6205	2301.6018	77	53	133	46	13
	बस्ती मंडल योग	11024	11024	763	1170	147	6368	10918	2868.4601	1110	57	154	106	[illegible]
49	गोरखपुर	7303	7303	308	2589	39	1905	7202	233.2030	2068	[illegible]			

	प्रबुद्ध नगर	2273	2273	95	78	2	3	[illegible]	119.5813	61	13	10	33	2
	बुलन्दशहर	2911	2911	287	912	1	1342	[illegible]	[illegible]	340	1	11	33	0
52	अमरोहा	1332	1332	25	11	1	1215	[illegible]	167.7479	6	2	1	34	1
53	मेरठ	3475	3475	28	135	341	1850	[illegible]	853.5964	112	9	47	25	5
54	हापुड़	1182	1182	40	43	8	926	1171	286.1079	42	1	46	11	0
	मेरठ मंडल योग	18476	18476	778	3768	352	8696	18358	3388.9450	3199	59	470	118	9
55	अमरोहा	2065	2065	191	300	42	1124	2040	202.7917	307	49	25	25	1
56	बिजनौर	6105	6105	142	343	98	3367	6000	2183.2402	324	14	12	36	0
57	मुरादाबाद	3675	3675	97	206	5	2789	3668	472.3691	193	11	50	10	1
58	रामपुर	1285	1285	91	48	6	830	1266	776.8576	46	1	24	29	3
59	सम्भल	1510	1510	30	183	2	789	1401	334.2152	180	2	5	19	1
	मुरादाबाद मंडल योग	14640	14640	551	1140	153	8899	14521	3969.4738	1050	77	116	119	6
60	भदोही	668	668	162	20	1	216	643	507.5620	17	3	8	25	0
61	मिर्ज़ापुर	922	922	256	35	1	137	828	988.0705	29	4	1	97	0
62	सोनभद्र	759	759	110	97	98	162	720	113.3523	87	3	47	30	0
	मिर्ज़ापुर मंडल योग	2349	2349	468	152	100	515	2197	1608.9848	133	10	56	152	0
63	उन्नाव	19426	19426	161	50	256	16466	19381	1081.1942	45	5	132	45	1
64	खीरी	3548	3548	143	42	13	2770	3500	791.7938	25	4	26	40	0
65	रायबरेली	2446	2446	154	56	4	1407	2397	876.4748	47	6	43	49	3
66	लखनऊ	3393	3393	179	87	344	1610	3272	1236.3692	77	3	52	121	65
67	सीतापुर	5575	5575	198	222	31	4257	5548	885.2817	203	5	82	27	2
68	हरदोई	2297	2297	492	226	0	732	2241	1254.5116	217	2	63	56	1
	लखनऊ मंडल योग	36685	36685	1327	683	648	27242	36347	6826.2253	614	25	398	338	72
69	फर्रुखाबाद	1501	1501	186	286	6	254	1458	56.0150	280	5	35	43	3
70	मैनपुरी	857	857	53	248	0	298	821	307.8003	244	4	4	35	1
71	जौनपुर	3191	3191	180	379	2	1116	3100	283.7772	372	6	21	91	0
72	वाराणसी	2610	2610	318	275	4	908	2599	128.9026	274	1	42	11	2
	वाराणसी मंडल योग	8159	8159	737	1188	12	2576	7978	776.4951	1170	16	102	181	6
73	मुजफ्फर नगर	810	810	75	12	7	548	799	103.0915	1	11	15	11	1
74	शामली	1417	1417	41	189	4	946	1403	340.7178	183	5	23	14	0
75	सहारनपुर	12631	12631	198	3561	10	8500	12597	2029.9018	3452	1	92	34	5
	सहारनपुर मंडल योग	14858	14858	314	3762	21	9995	14799	2473.7111	3636	17	131	59	6
	महायोग	228225	228225	14071	22539	4676	131148	225194	52930.5293	20468	703	3337	3121	420

नजरी नक्शा ग्राम-गधियांव परगना- भौरेल तहसील- करछना जिला- इलाहाबाद

गाटा सं0- 150, 151, 153

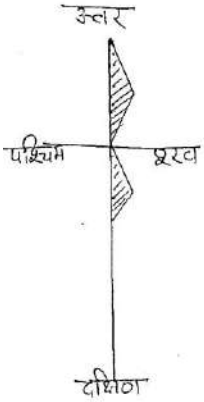

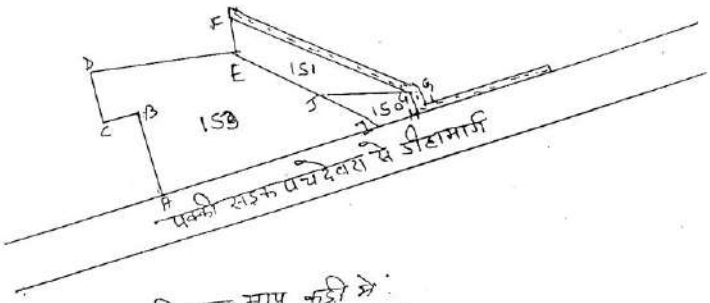

बिन्दुवार माप फर्दी में

पूर्व से पश्चिम	पश्चिम से पूरब
AB = 190 मी0	AB = 190 मी0
BC = 30 "	BC = 30 "
CD = 60 "	CD = 60 "
DE = 220	DE = 220
EF = 50	EF = 50
FG = 200	FG = 200
GH = 30	GH = 30
HA = 460	HA = 460

ब्रजभूषण त्रिपाठी
लेखपाल-लेखपालपद
करछना, इला0

(योगेन्द्र प्रताप सिंह)
(लेखपाल सीधा)

वूमेन पावर लाइन-1090, लखनऊ से सम्बंधित पंजीकृत/निस्तारित शिकायतों का वर्षवार विवरण

क्रसं0	वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निस्तारित शिकायतों की संख्या	शेष अनिस्तारित शिकायतों की संख्या
1	2012(15.11.2012 से 31.12.2012)	12130	12129	1
2	2013(1.1.2013 से 31.12.2013)	141453	141446	7
3	2014(1.1.2014 से 31.12.2014)	154597	153701	896
4	2015(1.1.2015 से 31.12.2015)	151457	150715	742
5	2016(1.1.2016 से 31.12.2016)	198833	192688	6145
6	2017(1.1.2017 से 31.12.2017)	221943	216718	5225
7	2018(1.1.2018 से 30.4.2018)	81805	79427	78
	योग	**962218**	**946824**	**15,394**

नत्थी-ख

(देखिये अता0प्र0सं0 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-48 पर)

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के कक्षा 1/पूर्व माध्यमिक कक्षा में प्रवेशित बच्चों का विवरण

जनपद-बांदा वर्ष 2018-19

Sl. NO.	Registration ID	Student Name	Father Name	Gender	MobNo	Alloted School	UDise Code	Class	Category
1	118891	KESHAV	KUSH KUMAR	MALE	7398309914	ADARSH JYOTI BALIKA VID BADAUS	9400400314	CLASS 1	दुर्बल वर्ग
2	103095	REYANSH SINGH RAJAN	AKHILESH RAJAN	MALE	9956997464	GURU RAM RAI PUBLIC SCH	9400901811	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
3	119296	ARUSH	DILEEP	MALE	8933800390	ADARSH JYOTI BALIKA VID BADAUS	9400400314	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
4	99183	SHANI	SHARDA PRASAD	MALE	8795747702	ADARSH JYOTI BALIKA VID BADAUS	9400400314	CLASS 1	दुर्बल वर्ग
5	107943	RITIK MAURYA	RAMESH MAURYA	MALE	9919302822	ADARSH SHISHU UDIY.PV MARKA	9400502523	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
6	107956	SOORYA PRAKASH GIRI	RAMKISHOR	MALE	9795045966	SANT TULSI PUBLIC SCHOOL	9400901405	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
7	119658	DIVYANSH	DEEPU GUPTA	MALE	9600015001	D.R. PUBLIC SCH. TIN RD BANDA	9400900705	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
8	118794	AHAM KUMAR	MUKESH KUMAR	MALE	8601423770	ADARSH JYOTI BALIKA VID BADAUS	9400400314	CLASS 1	दुर्बल वर्ग
9	105067	SHIVAM KUMAR MAURYA	SURESH KUMAR	MALE	7398071420	ADARSH SHISHU UDIY.PV MARKA	9400502523	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
10	103184	ALOK KUMAR	DINESH KUMAR	MALE	9795646310	LITLE ANGLE PUBLIC SCH. K. KUWAN	9400900109	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
11	99165	PARI	SHARDA PRASAD	FEMALE	8795747702	ADARSH JYOTI BALIKA VID BADAUS	9400400314	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
12	118741	SHAHNAVAJ	SATTAR	MALE	7565991448	ADARSH JYOTI BALIKA VID BADAUS	9400400314	CLASS 1	दुर्बल वर्ग
13	118860	ARPITA SINGH	BABLU SINGH	FEMALE	8840852379	ADARSH JYOTI BALIKA VID BADAUS	9400400314	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
14	101802	HIMANSHU	ASHWANI KUMAR	MALE	9621864456	GURU RAM RAI PUBLIC SCH	9400901811	CLASS 1	दुर्बल वर्ग
15	102820	PRINC	LAV KUMAR	MALE	7355941408	ADARSH JYOTI BALIKA VID BADAUS	9400400314	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
16	98587	AKSHAY PRATAP SINGH	DHIRJU PRATAP SINGH	MALE	9794708431	SANT TULSI PUBLIC SCHOOL	9400901405	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
17	120554	ANMOL TIWARI	JITENDRA TIWARI	MALE	9601012510	LITLE ANGLE PUBLIC SCH. K. KUWAN	9400900109	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
18	118911	RAGHUVAR	KUSH KUMAR	MALE	7398309914	ADARSH JYOTI BALIKA VID BADAUS	9400400314	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
19	107701	ANSH	MAHESH KUMAR	MALE	8736914833	SARSWATI VID. M. SHASTRI NGR	9400900809	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
20	118833	KAJAL	HUKUM CHAND	FEMALE	8934871854	ADARSH JYOTI BALIKA VID BADAUS	9400400314	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
21	118685	ANIKET	MUKESH	MALE	8601423770	ADARSH JYOTI BALIKA VID BADAUS	9400400314	CLASS 1	दुर्बल वर्ग
22	104932	SHIPRA MAURYA	SURESH KUMAR	FEMALE	8115801471	ADARSH SHISHU UDIY.PV MARKA	9400502523	PRE PRIMARY	अलाभित समूह
23	118727	TANISHAK	MOHANLAL	MALE	9198064956	ADARSH JYOTI BALIKA VID BADAUS	9400400314	CLASS 1	दुर्बल वर्ग
24	106539	SUCHETA	SAROJ KUMAR	FEMALE	9450171769	D.R. PUBLIC SCH. TIN RD BANDA	9400900705	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
25	119445	PRAMOD YADAV	RAM NARESH	MALE	8601032153	DIAMOND JUBLI SCH	9400901204	PRE PRIMARY	अलाभित समूह
26	118806	SHREYA	ANIL KUMAR	FEMALE	8787212917	ADARSH JYOTI BALIKA VID BADAUS	9400400314	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
27	107975	NIKHIL GIRI	BACHCHOO GIRI	MALE	9795045966	SANT TULSI PUBLIC SCHOOL	9400901405	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
28	99230	KRASHANA URF D K	RAJA BHAIYA YADAV	MALE	7398972668	D.R. PUBLIC SCH. TIN RD BANDA	9400900705	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
29	103211	MUSKAN RAJPOOT	RAMPRATAP	FEMALE	9889858317	LITLE ANGLE PUBLIC SCH. K. KUWAN	9400900109	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
30	119556	RAJ SAHU	SANT RAM	MALE	9400900600	SANT TULSI PUBLIC SCHOOL	9400901405	PRE PRIMARY	अलाभित समूह
31	119661	AASHI	SIYARAM	FEMALE	9005236123	D.R. PUBLIC SCH. TIN RD BANDA	9400900705	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
32	99692	RAVI SHARMA	DEEPAK SHARMA	MALE	9161670807	GURU RAM RAI PUBLIC SCH	9400901811	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
33	119652	PRANSU	MANOJ YADAV	MALE	7703035720	SANT TULSI PUBLIC SCHOOL	9400901405	PRE PRIMARY	अलाभित समूह
34	38725	ATISH KUMAR	HEERALAL	MALE	9641358257	ADARSH JYOTI BALIKA VID BADAUS	9400400314	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
35	39504	RASHIKA	SANJAY KUMAR	FEMALE	9112561207	ADARSH JYOTI BALIKA VID BADAUS	9400400314	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
36	69557	AMAN KUMAR	ARUN KUMAR	MALE	7081307372	SANT TULSI PUBLIC SCHOOL	9400901405	PRE PRIMARY	अलाभित समूह
37	65629	HARSHITA	CHHOTELAL	FEMALE	7880226634	ADARSH JYOTI BALIKA VID BADAUS	9400400314	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
38	41121	AMAN	SHAILESH	MALE	7310061030	ADARSH JYOTI BALIKA VID BADAUS	9400400314	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
39	40236	RIJA BEGAM	HUSAIN	FEMALE	8429471402	ADARSH JYOTI BALIKA VID BADAUS	9400400314	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
40	40227	IQYA	HUSAIN	FEMALE	8429471402	ADARSH JYOTI BALIKA VID BADAUS	9400400314	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
41	56483	SHAILJA	PRAMOD KUMAR PANKAJ	FEMALE	9454240910	ST GEORGE	9400901407	PRE PRIMARY	अलाभित समूह
42	57529	MOHIT	TEERATH CHANDRA GUPTA	MALE	9454825285	ADARSH JYOTI BALIKA VID BADAUS	9400400314	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
43	41137	KISHAN	SHAILESH	MALE	7310061030	ADARSH JYOTI BALIKA VID BADAUS	9400400314	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
44	40216	SHANI KUMAR	RAJKISHOR	MALE	7460006647	ADARSH JYOTI BALIKA VID BADAUS	9400400314	CLASS 1	दुर्बल वर्ग

45	67800	KASHIFA FATMA	MUHAMMAD DANISH HAMEED	FEMALE	9044007992	ST XAVIERS HIGH SCHOOL	9400901406	CLASS 1	अलाभित समूह
46	79903	SHASHANK SINGH	SUNIL SINGH	MALE	9628177369	SANT TULSI PUBLIC SCHOOL	9400901405	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
47	63836	PUSHPRAJ SINGH	ARIMARDAN SINGH	MALE	9451459039	ST GEORGE	9400901407	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
48	65788	RAJ	CHHOTELAL	MALE	7860226534	ADARSH JYOTI BALIKA VID BADAUS	9400400314	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
49	55722	SHIVI SAHU	RAMESH KUMAR SAHU	FEMALE	9936961530	SANT TULSI PUBLIC SCHOOL	9400901405	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
50	35234	SOMYA	RISHYANT KUMAR	FEMALE	9450016110	SARASWATI S.M. KEN PATH	9400900605	PRE PRIMARY	अलाभित समूह
51	56342	KUMKUM	PRAMOD KUMAR PANKAJ	FEMALE	7398310318	ST GEORGE	9400901407	PRE PRIMARY	अलाभित समूह
52	41375	ENAYA FATMA	MO SALEEM	FEMALE	9795761530	ADARSH JYOTI BALIKA VID BADAUS	9400400314	CLASS 1	दुर्बल वर्ग
53	56504	ASHINKA SAVITA	BABALU KUMAR	FEMALE	9125171252	LITLE ANGLE PUBLIC SCH. K. KUWAN	9400900109	PRE PRIMARY	अलाभित समूह
54	39509	RAUNAK	SHIVRAM SHIVHARE	MALE	7355941408	ADARSH JYOTI BALIKA VID BADAUS	9400400314	CLASS 1	दुर्बल वर्ग
55	56060	KIRAN DEVI	MANOJ YADAV	FEMALE	7703095720	ST GEORGE	9400901407	PRE PRIMARY	अलाभित समूह
56	39518	RAMAN	BABURAM	MALE	9838304676	ADARSH JYOTI BALIKA VID BADAUS	9400400314	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
57	55816	KIRAN SAVITA	BABLU KUMAR	FEMALE	9125171252	LITLE ANGLE PUBLIC SCH. K. KUWAN	9400900109	PRE PRIMARY	अलाभित समूह
58	63779	YUVRAJ SINGH	ARIMARDAN SINGH	MALE	9451459039	ST GEORGE	9400901407	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
59	61854	PARTH BAJPAI	MOHAN LAL	MALE	9125333860	ST GEORGE	9400901407	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
60	41219	BHARTI	DADU	FEMALE	9598390866	ADARSH JYOTI BALIKA VID BADAUS	9400400314	CLASS 1	दुर्बल वर्ग
61	41199	KAJAL	DADU	FEMALE	9598390866	ADARSH JYOTI BALIKA VID BADAUS	9400400314	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
62	38765	ASHEESH KUMAR	BHOLA PRASAD VARMA	MALE	9651352857	ADARSH JYOTI BALIKA VID BADAUS	9400400314	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
63	67181	LAXMI GUPTA	RAM BAHADUR GUPTA	FEMALE	9415902115	ST PAULS PUBLIC SCHOOL	9400900405	CLASS 1	दुर्बल वर्ग
64	63055	PALAK	ROHIT KUMAR	MALE	8853536825	ADARSH JYOTI BALIKA VID BADAUS	9400400314	CLASS 1	दुर्बल वर्ग
65	BSA 1	SONAM DEVI	RAJEEV KUMAR	FEMALE	9005111683	SW. SRI. GANESH PDM PALRA	9400202205	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
66	BSA 2	PRATIBHA	RAJA BHAIYA	FEMALE	9651756382	SW. SRI. GANESH PDM PALRA	9400202205	CLASS 1	दुर्बल वर्ग
67	BSA 3	PUESH KUAMR	PAWAN KUMAR	MALE	9473530929	SW. SRI. GANESH PDM PALRA	9400202205	CLASS 1	दुर्बल वर्ग
68	BSA 4	PARUL	VINAY	FEMALE	9935821485	SW. SRI. GANESH PDM PALRA	9400202205	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
69	BSA 5	PRINS	PREM BABU	MALE		SW. SRI. GANESH PDM PALRA	9400202205	CLASS 1	दुर्बल वर्ग
70	BSA 6	ARPIT	MITHLES PRAJAPATI	MALE	9005361853	SW. SRI. GANESH PDM PALRA	9400202205	CLASS 1	अलाभित समूह
71	BSA 7	POOJA SAHU	RAJ SAHU	FEMALE	9935842672	SW. SRI. GANESH PDM PALRA	9400202205	CLASS 1	दुर्बल वर्ग
72	BSA 8	LAXMI DEVI	GORE LAL	FEMALE	7754912071	SW. SRI. GANESH PDM PALRA	9400202205	CLASS 1	दुर्बल वर्ग
73	BSA 9	KABYA SINGH	NARENDRA PAL	FEMALE	9506353764	SANT TULSI PUBLIC SCHOOL	9400901405	PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
74	BSA 10	NAVYA SINGH	NARENDRA SINGH	FEMALE	7398310318	BHAGWAT PRASAD		PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
75	BSA 11	RUDRA SINGH	NARENDRA SINGH	MALE	7398310318	BHAGWAT PRASAD		PRE PRIMARY	दुर्बल वर्ग
76	BSA 12	KUCCHI DEVI	PRAMOD KUMAR	FEMALE	8853118802	SW. SRI. GANESH PDM PALRA	9400202205	CLASS 1	दुर्बल वर्ग
77	BSA 13	PUSHPENDRA KUMAR	PURUSHOTAM DAS	MALE		SW. SRI. GANESH PDM PALRA	9400202205	CLASS 1	दुर्बल वर्ग

B.S.A
BANDA

नत्थी-ग

(देखिये अता0प्र0सं0 69 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-76 पर)

विधान सभा बडौत के अन्तर्गत खण्ड शिक्षा अधिकारियों के अनुसार उपलब्ध कराये गये जर्जर विद्यालयों के नाम निम्नवत् है।

क्रम सं0	विकास क्षेत्र का नाम	ग्राम का नाम	विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1.	बागपत	नौरोजपुर गुर्जर-2	प्रा0वि0 नौरोजपुर गुर्जर-2	उक्त जर्जर भवनों में बच्चों को पठन-पाठन नहीं कराया जाता है। इनके स्थान पर अन्य अतिरिक्त कक्षा कक्षों में बच्चों को बैठाया जाता है। तथा उक्त भवनों के मूल्यांकन कराने हेतु संबंधित विभाग के जे0ई0 द्वारा समय पर मूल्यांकन न करने के कारण जर्जर भवन को ध्वस्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
2.	बागपत	सुल्तानपुर हटाना	प्रा0वि0 सुल्तानपुर हटाना	
3.	बागपत	खामपुर	प्रा0वि0 खामपुर	
4.	बागपत	राजपुर-1	प्रा0वि0 राजपुर-1	
5.	बागपत	निनाना-1	प्रा0वि0 निनाना-1	
6	बागपत	सरूरपुर कला-3	प्रा0वि0 सरूरपुर कला-3	
7.	बागपत	गठीना-1	प्रा0वि0 गठीना-1	
8.	बागपत	बुढेडा	प्रा0वि0 बुढेडा	
9.	बागपत	फतेहपुरपुट्ठी	प्रा0वि0 फतेहपुरपुट्ठी-2	
10.	बागपत	कर्मअलीपुर गढ़ी	प्रा0वि0 कर्मअलीपुर गढ़ी	
11.	बागपत	निवाली	प्रा0वि0 निवाली-1	
12.	बागपत	बली	प्रा0वि0 बली-2	
13.	बागपत	बली-मेवला	प्रा0वि0मेवला	
14.	बागपत	धनौरा सिल्वर नगर	प्रा0वि0 धनौरा सिल्वर नगर	
15.	बागपत	फतेहपुरपुट्ठी	प्रा0वि0 फतेपुरपुट्ठी-1	
16	बागपत	बली-मेवला	प्रा0वि0 बली -1	
17.	बडौत	गोपालपुर खड़ाना	प्रा0वि0 गोपालपुर खड़ाना	
18.	बडौत	बूढपुर-2	प्रा0वि0 बूढपुर 2	
19.	बडौत	हसनपुर जिवानी	प्रा0वि0 हसनपुर जिवानी	
20.	बडौत	महावतपुर-1	प्रा0वि0 महावतपुर-1	
21	बडौत	लोहडुडा-3	प्रा0वि0 लोहडुडा-3	
22.	बडौत	खेडी प्रधान	प्रा0वि0 खेडी प्रधान	
23.	बडौत	सिनौली-2	प्रा0वि0 सिनौली-2	
24.	बडौत	कंडेरा	पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंडेरा	
25.	नगर क्षेत्र बडौत	पट्टीवाजिदपुर	प्रा0वि0 पट्टीवाजिदपुर	

नत्थी-घ

(देखिये अता0प्र0सं0 101 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-91 पर)

दिनांकः-01.03.2017 से 31.03.2018 तक जनपद बांदा के विभिन्न थानों में पंजीकृत एफ0आई0आर0 का विवरण

क्र0सं0	जनपद	थाना	पंजीकृत कुल अभियोगो का विवरण	खारिज	आरोप पत्र	फाइनल रिपोर्ट	विवेचनार्थ
01	बांदा	कोत0नगर	918	9	782	114	13
02	बांदा	कोत0देहात	205	-	192	5	8
03	बांदा	मटौंध	176	-	158	6	12
04	बांदा	महिला थाना	41	-	34	3	4
05	बांदा	तिन्दवारी	203	3	174	16	10
06	बांदा	पैलानी	148	2	129	9	8
07	बांदा	चिल्ला	102	-	86	8	8
08	बांदा	जसपुरा	88	2	74	4	8
09	बांदा	कोत0नरैनी	232	1	192	29	10
10	बांदा	गिरवां	200	-	179	10	11
11	बांदा	कालिंजर	90	-	81	5	4
12	बांदा	अतर्रा	211	1	167	31	12
13	बांदा	बदौसा	136	-	119	10	7
14	बांदा	फतेहगंज	30	2	23	3	2
15	बांदा	बबेरू	279	5	229	31	14
16	बांदा	बिसंडा	250	3	214	22	11
17	बांदा	मरका	84	1	66	14	3
18	बांदा	कमासिन	129	-	109	12	8
	कुल योग जनपद		3522	29	3008	332	153

15-7-18

(कुलदीप गुप्ता)
नोडल अधिकारी/
क्षेत्राधिकारी कार्यालय
जनपद-बांदा।

नत्थी-ङ

(देखिये अता0प्र0सं0 106 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-94 पर)

सेवा में,

श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय,
पंजाब नेशनल बैंक, 0131
शाखा– टेकमा आजमगढ़।

महोदय,

निवेदन है कि मेरी ग्राम पंचायत ..... में स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत ग्राम निधि ..... का खाता संख्या ..... आपकी शाखा में संचालित हो रहा है जिसका बैंक संख्या ..... धनराशि ..... इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त धनराशि कॉलम सं० 6 में अंकित धनराशि को कॉलम सं० 4 के खाते में स्थानान्तरित करने की कृपा करें। जिससे आपके सहयोग से स्वच्छ भारत मिशन को सुचारु रूप से संचालित किया जा सके।

क्र.	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	खाता संख्या	IFSC Code	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
कुल लाभार्थियों की संख्या– 02 (दो)			कुल धनराशि– 12000=00		
कुल योग शब्दों में– [illegible]					

ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत [illegible]
वि०ख०–टेकमा, आजमगढ़

नत्थी-च

(देखिये अता0प्र0सं0 114 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-97 पर)

सेवा में,

श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय,
पंजाब नेशनल बैंक,
शाखा-- टेकसा आजमगढ़।

महोदय,

निवेदन है कि मेरी ग्राम पंचायत .....टेकसीपुर..... में स्वच्छ भारत मिशन के ग्राम निधि के.. का खाता संख्या 4667020110101850.....आपकी शाखा में संचालित हो रहा। चेक संख्या 000306.....धनराशि 156,000/-.....इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त कॉलम सं० 6 में अंकित धनराशि को कॉलम सं० 4 के खाते में स्थानान्तरित करने की कृपा करें आपके सहयोग से स्वच्छ भारत मिशन को सुचारु रूप से संचालित किया जा सके।

क्र	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	खाता संख्या	IFSC Code	धन
1	2	3	4	5	6
1	रामलाल	मिलन्दू	1113320100002564	UBINO RRBKGS	6000
2	[illegible]	[illegible]	1113320100003335	"	6000
3	[illegible]	[illegible]	1113320200061581	"	6000
4	कमलेश प्रजापति	[illegible]	1113320200060038	"	6000
5	[illegible]	[illegible]	1113320100007403	"	6000
6	[illegible]	[illegible]	1113320100000547	"	6000
7	कल्लू	[illegible]	1113320100603017	"	6000
8	महेन्द्र वर्मा	[illegible]	1113320100604135	"	6000
9	[illegible]	[illegible]	1113320200029918	"	6000
10	[illegible]	[illegible]	1113320100006149	"	6000
11	[illegible]	[illegible]	1113320200006001	"	6000
12	[illegible]	[illegible]	1113320100007743	"	6000
13	लालबहादुर	[illegible]	1113320100002547	"	6000
14	[illegible]	मारकण्डेय	1113320100003375	"	6000
15	[illegible]	[illegible]	1113320200412708	"	6000
16	[illegible]	[illegible]	1113320200006062	"	6000
17	[illegible]	[illegible]	1113320100409165	"	6000
18	दिनेश	[illegible]	1113320100048618	"	6000
19	[illegible]	[illegible]	1113320100604507	"	6000
20	सुरेश	[illegible]	1113320200400203	"	6000
21	[illegible]	[illegible]	1113320100604357	"	6000
22	[illegible]	[illegible]	1113320200057716	"	6000
23	[illegible]	[illegible]	1113320200400165	"	6000
24	[illegible]	[illegible]	1113320100005293	"	6000
25	[illegible]	[illegible]	1113320100605559	"	6000
26	[illegible]	[illegible]	1113320100604610	"	6000
कुल लाभार्थियों की संख्या-		26 (छब्बीस)	कुल धनराशि-		
कुल योग शब्दों में-		एक लाख छप्पन हजार रुपये मात्र			156000=0

खाता संख्या - 1113319800500000

IFSC - UBINO RRBKGS

नत्थी-छ

(देखिये अता0प्र0सं0 184 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-134 पर)

सेवा में,

श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय,
पंजाब नेशनल बैंक,
शाखा– ठेकमा आजमगढ़।

महोदय,

निवेदन है कि मेरी ग्राम पंचायत .....में स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत ग्राम निधि 08. का खाता संख्या ...आपकी शाखा में संचालित हो रहा है जिसका चेक संख्या .....003044.....धनराशि ...36000/-.....इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त धनराशि कॉलम सं० 6 में अंकित धनराशि को कॉलम सं० 4 के खाते में स्थानान्तरित करने की कृपा करें। जिससे आपके सहयोग से स्वच्छ भारत मिशन को सुचारु रुप से संचालित किया जा सके।

क्र.	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	खाता संख्या	IFSC Code	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	दयाराम	मुन्नीलाल	466020100516	UBIN0546674	6000=00
2	गुलाम	मोहन	712102010003514	UBIN0571211	6000=00
3	जितेन्द्र	बनवारी	416702010003583	UBIN0546674	6000=00
4	[illegible]	मोहन	712102010003171	UBIN0571211	6000=00
5	[illegible]	बाबू खरोक	712102010003170	UBIN0571211	6000=00
6	रामजीत	रामधनी	712102010003174	UBIN0571211	6000=00
7					
8				total=	36000=
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

कुल लाभार्थियों की संख्या– 06 कुल धनराशि– छत्तीस हजार रुपये मात्र

कुल योग शब्दों में– छत्तीस हजार रुपये मात्र

राजाराम प्रधान

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत

वि. ख. -

Change A/c Lady Name
Re Same

सेवा में,
श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय,
पंजाब नेशनल बैंक,
शाखा– ठेकमा आज़मगढ़।

महोदय,

निवेदन है कि मेरी ग्राम पंचायत .....में स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत ग्राम निधि के का खाता संख्या .....आपकी शाखा में संचालित हो रहा है जिसका चेक संख्या .....धनराशि .....इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त धनराशि कॉलम सं० 6 में अंकित धनराशि को कॉलम सं० 4 के खाते में स्थानान्तरित करने की कृपा करें। जिससे आपके सहयोग से स्वच्छ भारत मिशन को सुचारु रूप से संचालित किया जा सके।

क्र	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	खाता संख्या	IFSC Code	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	[illegible]	[illegible]	1113320100094320	UBINDRRBKHS	6000 =
2	[illegible]	[illegible]	1113320200054490	"	6000 =
3	[illegible]	[illegible]	1113320100010474	"	6000 =
4	[illegible]	[illegible]	1113320100060093	"	6000 =
5	[illegible]	[illegible]	1113320100605993	"	6000 =
6	[illegible]	[illegible]	1113320100005411	"	6000 =
7	[illegible]	[illegible]	1113320200054112	"	6000 =
8	[illegible]	[illegible]	1113320100064068	"	6000 =
9	[illegible]	[illegible]	1113320100066486	"	6000 =
10	[illegible]	[illegible]	1113320100064[illegible]	"	6000 =
11	[illegible]	[illegible]	1113320100065926	"	6000 =
12	[illegible]	[illegible]	1113320100074967	"	6000 =
13	[illegible]	[illegible]	1113320100604931	"	6000 =
14	[illegible]	[illegible]	1113320200066067	"	6000 =
15	[illegible]	[illegible]	1113320200066448	"	6000 =
16	[illegible]	[illegible]	1113320100003626	"	6000 =
17	[illegible]	[illegible]	1113320100065565	"	6000 =
18	[illegible]	[illegible]	1113320100605242	"	6000 =
19	[illegible]	[illegible]	1113320100004134	"	6000 =
20					
21				[illegible]	[illegible]
22					
23					
24					
25					
कुल लाभार्थियों की संख्या– 19			कुल धनराशि–	114000 =	

कुल योग शब्दों में– एक लाख चौदह हजार रुपये मात्र

खाता नं० 1113319800050000

IFSC – UBINDRRBKHS

ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत [illegible]
वि० ख० [illegible]

शासनादेश सं0 913/छ-2-2011 दिनांक-08 सितम्बर 2011 द्वारा संशोधित सूचना।

भू माफियाओं के द्वारा अतिक्रमित भूमि का विवरण तहसील–मनकापुर जनपद–गोण्डा

क्र0 सं0	तहसील का नाम	भू माफिया का नाम/पिता का नाम	भू माफियाओं द्वारा अतिक्रमित भूमि गाटासं0/क्षेत्र फल (है0)	अनुमानित मालियत	भू माफिया के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही	भू माफिया से मुक्त करायी गई भूमि गाटासं0/क्षेत्र फल (है0)	अनुमानित मालियत	अभ्युक्ति
1	मनकापुर	हरिशंकर पुत्र तारा शंकर नि0ग्राम– दुरिहारपुर	163नि0/0.809	1294400.00	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई	–	–	तालाब भूमि
2	मनकापुर	सर्वेश्वान पुत्र राम साहू, चन्द्रमणि पाण्डेय पुत्र रविन्द्र मणि पाण्डेय, दिनेश कुमार पुत्र बजरंग बली, नि0ग्राम– शीतलगंज ग्रंट	291/0.428	684800.00	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई	–	–	तालाब भूमि
3	मनकापुर	नन्हू पुत्र सुन्नीलाल नि0ग्राम– पासरखास	1040/0.069	110400.00	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई	--	–	तालाब भूमि
4	मनकापुर	रामेश्वर भारती पुत्र भीखा नि0ग्राम– मकोइया	636ड नि0/0.405	648000.00	अवैध अतिक्रमण हटाया गया	636ड/0.405 नि0	648000.00	तालाब भूमि
5	मनकापुर	श्रीमती सुशीला पत्नी सिवाराम नि0ग्राम– मकोइया	636ड नि0/0.320	512000.00	अवैध अतिक्रमण हटाया गया	636ड/0.320 नि0	512000.00	तालाब भूमि
6	मनकापुर	श्यामलाल पुत्र बद्री नि0ग्राम– मकोइया	636ड नि0/0.162	259200.00	अवैध अतिक्रमण हटाया गया	636ड/0.162 नि0	259200.00	तालाब भूमि

7	मनकापुर	जय नरायन शुक्ल पुत्र चन्द्रिका नि0ग्राम– पिकौरा बुजुर्ग	53 / 0.130	208000.00	अवैध अतिक्रमण हटाया गया	53 / 0.130	208000.00	चकमार्ग भूमि
8	मनकापुर	परमात्मा प्रसाद पुत्र राधेश्याम नि0ग्राम– नगरा बुजुर्ग	343 / 0.121	193600.00	अवैध अतिक्रमण हटाया गया	343 / 0.121	193600	तालाब भूमि
9	मनकापुर	जोखू पुत्र परदेशी नि0ग्राम– मकोइया	636ड नि0 / 0.081	129600.00	अवैध अतिक्रमण हटाया गया	636ड / 0.081	129600.00	तालाब भूमि
10	मनकापुर	सत्यदेव व सत्यनरायन पुत्रगण काली प्रसाद नि0ग्राम– दुर्गापुर	8 / 0.061	97600.00	अवैध अतिक्रमण हटाया गया	8 / 0.061	97600.00	रास्ता भूमि

तहसीलदार
मनकापुर

उपजिलाधिकारी
मनकापुर

क्षेत्राधिकारी
मनकापुर
13-12-17

नत्थी-ज

देखिये अतारांकित प्रश्न सं0-195 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 140 पर

श्री बृजेश कुमार प्रजापति, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-195 के उत्तर का संलग्नक

जनपद :- बाँदा विधान सभा तिन्दवारी

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	परियोजना का नाम	निर्माण का वर्ष	प्रकार (एकल ग्राम / ग्राम समूह)	ओवर हेड टैंकों की संख्या		योजना की वर्तमान स्थिति (पूर्ण क्षमता पर चालू / आंशिक / बन्द)
					कुल	चालू	
1	2	3	4	5	6	7	8
उ0प्र0 जल निगम, बांदा द्वारा संचालित							
1	बड़ोखर-खुर्द	जमालपुर पेयजल योजना	03/09	एकल ग्राम	1	1	पूर्ण क्षमता
2	बड़ोखर-खुर्द	क्योटरा मरौली पेयजल योजना	03/15	एकल ग्राम	1	1	पूर्ण क्षमता
3	जसपुरा	कानाखेड़ा ग्राम समूह पेयजल योजना ग्रुप-1	03/10	ग्राम समूह	2	2	आंशिक क्षमता
4	जसपुरा	कानाखेड़ा ग्राम समूह पेयजल योजना ग्रुप-2	03/10	ग्राम समूह	1	1	पूर्ण क्षमता
5	जसपुरा	कानाखेड़ा ग्राम समूह पेयजल योजना ग्रुप-4	03/10	ग्राम समूह	3	3	पूर्ण क्षमता
6	जसपुरा	कानाखेड़ा ग्राम समूह पेयजल योजना-ग्रुप-6	03/10	ग्राम समूह	1	1	पूर्ण क्षमता
7	बड़ोखर-खुर्द	चहितारा ग्राम समूह पेयजल योजना	03/2003	ग्राम समूह	1	1	पूर्ण क्षमता
8	तिन्दवारी	सावीमदनपुर पेयजल योजना	10/2017	एकल ग्राम	1	1	पूर्ण क्षमता
9	जसपुरा	सबादा पेयजल योजना	10/2017	एकल ग्राम	1	1	पूर्ण क्षमता
10	बड़ोखर-खुर्द	कनवारा पेयजल योजना	03/2018	एकल ग्राम	3	3	पूर्ण क्षमता
11	बड़ोखर-खुर्द	पवनेही पेयजल योजना	10/2017	एकल ग्राम	1	1	पूर्ण क्षमता
	योग				16	16	
ग्राम पंचायत द्वारा संचालित योजनायें--							
1	जसपुरा	पड़ेरी ग्राम पेयजल योजना	03/11	एकल ग्राम	1	1	पूर्ण क्षमता
2	जसपुरा	कानाखेड़ा ग्राम समूह पेयजल योजना ग्रुप-5	03/10	एकल ग्राम	1	1	पूर्ण क्षमता
3	जसपुरा	कानाखेड़ा ग्राम समूह पेयजल योजना ग्रुप-7	03/10	एकल ग्राम	1	1	पूर्ण क्षमता
4	बड़ोखर-खुर्द	बसहरी ग्राम पेयजल योजना	03/11	एकल ग्राम	1	1	बन्द
5	जसपुरा	महबरा पेयजल योजना	03/08	एकल ग्राम	1	1	पूर्ण क्षमता
17	तिन्दवारी	पैलानी पेयजल योजना	03/13	एकल ग्राम	1	1	पूर्ण क्षमता
18	बड़ोखर-खुर्द	चटगन ग्राम पेयजल योजना	03/13	एकल ग्राम	1	1	पूर्ण क्षमता
19	जसपुरा	सिन्धनकलां पेयजल योजना	03/15	एकल ग्राम	2	2	पूर्ण क्षमता
20	बड़ोखर-खुर्द	जारी ग्राम पेयजल योजना	03/17	एकल ग्राम	1	1	पूर्ण क्षमता
	योग				10	10	
जल संस्थान, बांदा द्वारा संचालित							
1	जसपुरा	जसपुरा पेयजल योजना	03/90	ग्राम समूह	8	8	आंशिक क्षमता
2	तिन्दवारी	निवाइच पेयजल योजना	09/87	ग्राम समूह	2	2	आंशिक क्षमता
3	तिन्दवारी	बरेठीकलां पेयजल योजना	12/85	ग्राम समूह	12	10	आंशिक क्षमता
4	तिन्दवारी	खपटिहाकलां पेयजल योजना	12/87	ग्राम समूह	14	10	आंशिक क्षमता
5	तिन्दवारी	तिन्दवारी पेयजल योजना	09/85	ग्राम समूह	13	10	आंशिक क्षमता
6	बड़ोखर-खुर्द	खण्डेह पेयजल योजना	03/82	ग्राम समूह	14	0	आंशिक क्षमता
7	बड़ोखर-खुर्द	बड़ेहा पेयजल योजना	03/2002	ग्राम समूह	1	1	पूर्ण क्षमता
8	बड़ोखर-खुर्द	जखौरा पेयजल योजना	06/04	एकल ग्राम	0	0	पूर्ण क्षमता
9	बड़ोखर-खुर्द	महोखर पेयजल योजना	03/03	ग्राम समूह	1	1	पूर्ण क्षमता
10	जसपुरा	कानाखेड़ा ग्राम समूह पेयजल योजना ग्रुप-3	03/10	ग्राम समूह	1	1	पूर्ण क्षमता
11	बड़ोखर-खुर्द	खण्डेह ग्राम समूह पेयजल योजना	03/13	ग्राम समूह	4	4	आंशिक क्षमता
	योग				71	48	
	महायोग				97	74	

पी0एस0यू0पी0-एल 36 विधान सभा (49)-22-05-2019-631 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।